

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजभाषा समस्या

व्यावहारिक समाधान



नेशनल पब्लिकेशन हाऊस नयी दिल्ली

યાજમાણ મતુદ્યા

વ્યાવહારિક
સમાધાન

કન્હેયાલાલ ગંધી

ने शनल पब्लिक्शिंग हाउस
23, दरियागज, नयो दिल्ली-110002

शाखाएँ :

चौडा रास्ता, जयपुर
34, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-3

राष्ट्रीय शान्ति क भ्रमसंधान और प्रशिक्षण
परिपर्च, नयो दिल्ली के सदृश्याग से प्रकाशित

मूल्य [रु
पैसा]

नेशनल पब्लिक्शिंग हाउस 23, दरियागज, नयो दिल्ली-110002 द्वारा
प्रकाशित / प्रथम संस्करण 1985 / मर्वाधिकार कन्हैयालाल गांधी/
रामसौना प्रिट्टे, दिल्ली में मुद्रित : [81-11-884/N]

RAJBHASHA SAMASYA Vyavharik Samadhan
by Kanhaiya Lal Gandhi R. [रु
पैसा]

“सभ्य-समाज में परस्पर संपर्क का मुख्य अथवा प्रायः एकमात्र साधन भाषा ही है। आधुनिक सरकारों का केवल समाज के सभी पहलुओं से ही नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन से भी इतना गहरा संबंध रहता है कि अर्वाचीन समुदाय में किसी भी देश की सरकार के लिए भाषा का प्रश्न अत्यंत दिलचस्पी का विषय बन जाता है।”

राजभाषा आयोग 1955-56

आभार

इस कार्य को हाय में लेने का मूल प्रोत्साहन मुझे अपने आदरणीय गुरु प्रोफेसर डॉ. दशरथ ओझा से मिला। इस ग्रंथ की आयोजना में, आदि से लेकर अंत तक, उनका संवंध रहा है। डॉ. तारकनाथ वाली, रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय, का भी इस ग्रंथ के रूप निर्माण में बटूट एवं घनिष्ठ संपर्क रहा है। उनके विश्लेषण और सुझावों के फलस्वरूप मैंने पुस्तक में अनेक संशोधन किए।

योजना आयोग के संयुक्त निदेशक डॉ. विलोकनाथ धर का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यदि उनके श्रम एवं विश्लेषण का लाभ मुझे प्राप्त न होता तो पुस्तक अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त न कर पाती।

भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नयी दिल्ली) के अतिथि प्रोफेसर और भारतीय संघ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार डॉ. भास्कर राव का भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने रेडियो, समाचारपत्र आदि जनसंपर्क साधनों से संवंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण में मेरी बहुत मदद की।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर डॉ. ओम प्रकाश और शिवदयाल कौलिज, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रीडर डॉ. आर. एन. भार्गव को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए कई नई दिशाएं दिखलाई। मेरे सहपाठी एवं परम मित्र डॉ. जीवन प्रकाश जोशी ने पुस्तक की पाण्डुलिपि को काफ़ी मेहनत से पढ़ा। उनके सुझावों एवं संशोधनों के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

योजना आयोग के पुस्तकालयक श्री आर. के. जैन, मूलना एवं प्रमारण मंत्रालय के अनुसंधान एवं संदर्भ विभाग के प्रबन्धक अधिकारी श्री एस. एन. साधु और श्रीमती वी. के. अरोरा का मैं उनकी अमूल्य सहायता के लिए बहुत आभारी हूँ।

श्री मनोहरनाथ कौल और श्री मोहन लाल का अनेक सांस्कृतिकी सारिणियों की तंयारी में काफ़ी सहयोग रहा, तदव्य मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। मेरी अनुजा विमला ने सभी संदर्भों और परिशिष्टों का मिलान और

निरीक्षण किया। इस कठिन कार्य को लगन एवं परिश्रम में सपन्न करते के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

शोध-प्रबन्ध के पूर्ण प्रकाशित होने के समय तक, यथासम्बव, आवश्यक और महत्वपूर्ण सशोधन-संपादन किए गए हैं, जिसमें कि ग्रथ की कुछ अद्यानन उपयोगिता भी बनी रहे। तदथ पाठकों की मूल्यवान प्रतिक्रियाएँ और सम्मतियां पाकर मैं अत्यन्त आभारी होऊंगा।

अतएव, मैं पुस्तक-प्रकाशक महोदय के सहित उन सभी सहयोगियों और साथियों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को विधिकाधिक आकायक और उपयोगी बनाने में अपना अमूल्य श्रम-सहयोग प्रदान किया है।

नयी दिल्ली

मंट्टुवर 2, 1984

—कन्हैयालाल गांधी

अनुक्रम

भूमिका

1

अध्याय : एक

संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं 15

अध्याय : दो

संविधान सभा का निर्णय 34

अध्याय : तीन

हिंदी वनाम अंग्रेजी 57

अध्याय : चार

राजनीतिक दल एवं भाषा नीति 85

अध्याय : पांच

भाषा चयन के निकष 96

अध्याय : छः

हिंदी का विकास एवं प्रोत्साहन 116

अध्याय : सात

भविष्य के लिए आयोजन 130

परिशिष्ट :

I. विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या, वनाम भारतीय भाषाएं बोलने वाले (विवरण I) 158

भारतीय भाषाओं के बोलने वालों की संख्या (विवरण II) 164

II. विभिन्न भारतीय भाषाओं का पंक्तिवद्ध प्राप्तांक (विवरण I) 166

हिंदी द्वारा प्राप्तांक (विवरण II) 168

III संविधान सभा में विभिन्न दलों के सदस्यों की सूच्या	169
IV राजभाषा	170
V संविधान सभाओं में 1954 में प्रयुक्त भाषाओं का विवरण	177
VI साच-अप्रैल 1976 में लोक सभा में प्रयुक्त भाषाओं का विवरण	182
VII यूह मत्रालय की 27 अप्रैल, 1960 ई० की अधिमूचना सूच्या 2/8/60-रा भा की प्रतिलिपि	184
VIII संघ राज्य क्षेत्र (हिन्दी और अन्य भाषाओं का प्रयोग) विधेयक 1978	193
IX भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दज भाषाओं में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से 1980 तक दिए गए माहित्य अकादमी पुरस्कार	197
X संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न की गई भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 में 1980 तक दिए गए माहित्य अकादमी पुरस्कार	198
XI ममार की राजभाषाएँ और इन्हें प्रयोग करने वाले एक भाषी देशों की सूच्या (विवरण I)	199
अंग्रेजी के राजभाषा के रूप में प्रयाग करने वाले देशों की सूच्या (विवरण II)	201
फ्रान्सीसी के राजभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले देशों की सूच्या (विवरण III)	202
द्वि-भाषी देशों में आय राजभाषाएँ (विवरण IV)	203
XII राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों का स्थान विवरण	204
XIII पांचवीं लोक सभा, 1976 में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्य सूच्या (विवरण I)	206
छठी लोक सभा, 1977 में प्रत्येक राज्य में निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्य सूच्या (विवरण II)	208
—वही—(विवरण III)	210

XIV. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रत्याशियों की संख्या	212
XV. संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं का पद-परिसर	214
XVI. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिए संचालित परीक्षाओं में निवंध और साधारण ज्ञान के पत्रों के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को विकल्प माध्यम के रूप में चुनने वाले प्रत्याशियों की संख्या (विवरण I व II),	216
XVII. विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रकाशन/औसत विक्री में विकास (विवरण I) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की साहित्य रचना का केंद्रीय प्रायोजित प्रोग्राम (विवरण II)	219 221
XVIII. फ़िल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित विभिन्न भाषाओं में कथा-चित्रों (फ़ीचर फ़िल्मों) का उत्पादन (1947-1974) (विवरण I) फ़िल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित भारतीय चलचित्रों का सन् 1974 से 1980 तक भाषावार विभाजन (विवरण II)	225 227
XIX. केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी भाषा में पत्र-ब्यवहार	228
XX. विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल (विवरण I) केंद्रीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के लिए इस्तेमाल (विवरण II)	229 230
XXI. सन् 1968-69 से 1978 तक हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हिदी-भाषी राज्यों को दी गई आर्थिक सहायता की राशि (विवरण I) सन् 1968-69 से 1978 तक हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज खोलने के लिए अर्हिदी भाषी राज्यों को दी गयी आर्थिक सहायता की राशि (विवरण II)	232 234
संदर्भ ग्रंथ	236

भूमिका

भारत की राजभाषा की समस्या वास्तव में बहुत जटिल है। जातीय विविधता, सांस्कृतिक विभिन्नता तथा अनेक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कलस्वरूप जन्मी यह समस्या आज बहुत पेचीदा बन चुकी है। राजनीतिक मुद्दों, भावनाओं और निहित स्वार्थों को इसके साथ जोड़ देने के कारण यह और भी अधिक जटिल हो गई है।

हिन्दुस्तान की मुख्य जातियों में हव्झी (नीग्राइड), प्रोटो-आस्ट्रालाइड, द्रविड़, मुमेगी और आयों के नाम आते हैं। यद्यपि कुछ जातियाँ देश के चंद ही भागों में अधिक संख्या में केंद्रित हैं (जैसे नीग्राइड अंडमान निकोबार द्वीपों में, द्रविड़ भारत के दक्षिणी राज्यों में), परंतु ऐतिहासिक परिवर्तनों और ममय चक्र ने इनकी बहुरंगीय सम्प्रतियों का सम्मिश्रण कर इनका सुचारू रूप से एकीकरण कर दिया है; और आज देश के दूर दूर हिस्सों में आवाद ये जातियाँ केवल एक ही 'भारतीय राष्ट्र' के नाम से जानी जाती हैं।

संसार के बारह भाषा परिवारों में से चार के बोलने वाले भारत में मिलते हैं। इन चार के नाम हैं: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और भोट-चीनी। दुनिया में बोली जाने वाली तीन चार हजार भाषाओं और बोलियों में से लगभग 1600 तो हिन्दुस्तान में ही बोली जाती है। सन् 1971 की जन गणना के अनुसार देश की भाषाओं और बोलियों में 281 ऐसी है, जिनमें से प्रत्येक के बोलने वाले 5000 से अधिक हैं। इनके आंकड़े अगले पृष्ठ पर देखे।¹

ये भाषाएं भारत के पहाड़ी स्थलों, मैदानों, घनी एवं कम आवादी के इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। अन्य असंघर्ष भाषाओं के साथ मिलकर ये भाषाएं देश का रंग विरंगा भाषायी दृश्यपटल प्रस्तुत करती हैं।

बोलने वालों की संख्या	भाषाओं एवं बोलियों की संख्या
5,000 से 10,000 तक	60
10,001 से 100,000 तक	139
100,000 से अधिक	82

भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति

भारतीय भाषाओं के इनिहास के सर्वेश्वण में पता चलता है कि नीग्राइड भाषाएँ पुरापाषाणवालीन और आम्ट्रालाइड की मुड़ा भाषाएँ नवप्रस्तरयुगीन हैं। द्रविड़ भाषाओं का जन्म लगभग ई पूर्व 3000 में 2000 के बीच बताया जाता है और आर्य भाषाओं का इस विकास 2000 ई पूर्व के बाद का है। भारतीय संविधान की आठवीं मूर्ची में सूचीबद्ध पद्धति भाषाएँ केवल द्रविड़ तथा आर्य परिवार में संबंधित हैं— चार पहले परिवार से और ग्यारह दूसरे से संबंधित हैं।

द्रविड़ भाषाओं में तमिन भाषा प्राचीनतम है। यह भाषा ग्रथलिपि का प्रयोग करती है। पुराने जयपाले में इसके निरूपितिका इस्तेमाल होता था। वेट्रिट्युट्टू का जन्म ब्राह्मी की भानि उन्नर भारत में हुआ था। ये प्रतीन द्रविड़ भाषाओं, अर्यात् भलयालम, तेलुगू तथा कन्नड़ के विषय में ग्रियर्मन का बहना है।

मालार्ग तट की भलयालम भाषा तमिल के बहुत निकटवर्ती है जिसी शान्ताच्छ्री के बाद वीं यह तमिन की आधुनिक जागवा है। भत्रहृषी सदी में द्वाद्यणों के प्रचुर प्रभाव के कारण इसमें मस्कृत के शब्दों का काफी समावेश हो गया है और तदुभाव इसने वेट्रिट्युट्टू के स्थान पर ग्रथलिपि को अपना निया तरुण, जिसका क्षेत्र तमिल में कहीं अधिक विस्तृत है, की तिपि भी तमिन की निपि की भानि ब्राह्मी से ग्राम्फुटित हुई है। कन्नरी (अयमा कन्नड़) की वर्णमाना के प्रस्फुटन का स्थोन भी वही है, और तर्हरी, शनान्दी तक दोनों जमिन थी। कन्नरी का तमिल के माध्य और वरीव का नाता है, यद्यपि इसकी वर्णमाना तेलुगू की वर्णमाला के अधिक समीप है।¹

जब आर्य लोग उत्तर भारत की भूमि पर प्रमुख शक्तिशाली स्थ में आ गए तो उनकी बोली पर स्थानीय भाषाओं का व्यापक प्रभाव पहा। उनकी बोलचाल की भाषाएँ प्रथम प्राइट के नाम से विद्वित हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है

कि इन्हीं में से एक प्राकृत, किंचित् संपादन के उपरांत, वेदों और वैदिक कालीन अन्य कृतियों (अर्थात् संहिताओं, उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों) के लिए इस्तेमाल में आने लगी थी। इसी भाषा को वैदिक संस्कृत कहते हैं।

“सातवी शताब्दी ई. पू. के बासपाम, इस नीव पर, एक मानक भाषा की डमारत खड़ी की गई, जिसे मन्त्रकृत कहते हैं। पाणिनी के पूर्व विद्वानों की कई पीढ़ियों ने व्याकरणिक विज्ञेन्यण तथा शोध के क्षेत्रों में यद्यपि काफी काम किया था, परंतु पाणिनी ने मस्कृत व्याकरण और वाक्य रचना का जो रूप निर्धारित किया था उसे ही मानक शास्त्रीय संस्कृत की उपाधि दी जाती है।”*

परंतु आम लोगों की बोलचाल की भाषा व्याकरणों के नियमों की परिधि से बाहर ही रही, और अपने ‘प्राकृत’ मार्ग पर आगे बढ़नी रही। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर निछ्ड हो चुका है कि इस समय देश में अनेक ‘प्राकृतें’ थीं। प्राकृतों ने विभिन्न भाषाओं का जन्म निम्नलिखित तीन चरणों में हुआ।

प्रथम चरण : पालि

द्वितीय चरण : महाराष्ट्री, शौरमेनी, मागधी, अर्घमागधी और पैशाची प्राकृत इत्यादि।

तृतीय चरण : अपब्रंश अर्थात् प्राकृत के स्थानीय रूप ; जैमे – नागर, उपनागर, ब्राचड, इत्यादि।

महात्मा बुद्ध ने अपने व्याख्यानों और ग्रंथों में पालि का प्रयोग किया। जैनियों की कृतियां अर्घमागधी में हैं। मौर्यकाल में (324 ई. पू. में 187 ई. पू. तक) उनके मुन्द्यालय पाटलिपुत्र की और प्रांतीय राजधानियों, तक्षशिला एवं उज्जयनी की राजभाषा अर्घमागधी थीं। नदुपरांत शक वश्त्रैके राजाओं ने महाराष्ट्री प्राकृत को प्रोत्साहन दिया। बाद में जब कुण्डान और गृष्ठ बंश के राजाओं ने शामन की बागडोर मंभाली तब उन्होंने संस्कृत को पुनर्स्थापित किया।

गृष्ठ राजाओं को इस बान का श्रेय है कि उनके राजकाल में गणित, खगोलशास्त्र, ज्योतिष, माहित्य आदि की अनेक कृतियों का भूजन हुआ। प्रसिद्ध नवरत्न इसी काल में ही हुए थे। उनके नाम हैं : धनवतरि, क्षपणिक, अमर सिंह, कणक, वेताल भट्ट, घट करपारा, कालिदास, वराहमिहिर और वरामसी। संस्कृत माहित्य के इतिहास में कीय निदेने हैं कि “वमुवंधु और असंग जैमे बौद्ध भी अपने मिद्रांतों के प्रचार को जनता तक पहुंचाने के लिए मस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे।”*

इस दौर में प्राकृतों को काफी क्षति पहुंची। इसके अतिरिक्त संस्कृत की

मानि प्राइंटो वा व्याकरण और वेक्षण विन्यास भी नियमों के शिक्षणों में जड़दा जाने लगा। फलम्बन प्राइंटें भी आम लोगों की ओर से दूर हटती गईं। स्थानीय अतर के साथ जिन भाषाओं का लोग प्रयोग करते थे, उन्हें 'अपश्चात्' (अर्थात् प्रष्ट भाषा) की सज्जा दी गई।¹⁶

1001 ई. तक, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया, देश में अनेक अपश्चात् भाषाएं विकसित हो चुकी थीं। इन्हीं अपश्चात् से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये अपश्चात् इस प्रकार थीं-

भाषाओं के प्रजनन की सारणी

अपश्चात्	आधुनिक भारतीय भाषा	भौगोलिक क्षेत्र
1 द्वाचढ़	मिथी	सिध का निचला क्षेत्र
2 वेक्षण	लहाना	मिथ का ऊपरी क्षेत्र
3 तक्का एवं उपनागर	पजाबी	पजाब
4 नागर	गुजराती	गुजरात
5 आवत्य	राजस्थानी एवं पहाड़ी ओरिपा	उज्जयनी तथा पजाब और नेपाल के बीच हिमालय का क्षेत्र
6 शौरसेनी	पश्चिमी हिंदी	गगाधाटी वा मध्य भाग
7 वैदर्भी	मराठी	महाराष्ट्र
8 अर्घं मागधी	पूर्वी हिंदी	वाराणसी में इताहावाद वे आमपास का भाग
9 मागधी	असमी, बगाना, भोजपुरी, मगही, मैनिरी	असम, बगाल और विहार
10 उत्तर	उटिया	उडीसा

ऐसा अनुमान है कि मुसलमानों के भारत में आने से पूर्व आधुनिक भारतीय भाषाओं का पर्याप्त विकास हो चुका था। अमीर गुमरो ने लिखा है-

ऐसा जन्म भारत में ही हुआ था, इसलिए यहाँ की भाषाओं के सबै में मुझे दो शब्द बहने वा अधिकार होना चाहिए। इस समय हर प्रात की

अलग भाषा है, जो इसकी अपनी है; कहीं से ग्रहण की हुई नहीं है। सिध्धी (अर्थात् सिद्ध), लाहीरी (पजाबी), कश्मीरी, छूगर की भाषा (जम्मू की डोगरी), धुर समुंदर (मैसूर की कन्नरी), तिलंग (तेलुगु), गुजरात, मालावार (कारोमंडल टट की तमिल), गोरे (उत्तरी बगला), बगल, अबध (पूर्वी हिंदी), दिल्ली और इसके परिप्रदेश (पश्चिमी हिंदी), ये सब हिंद की भाषाएँ हैं जो प्राचीन काल से सामान्य जीवन में हर तरह व्यवहृत हुई हैं।⁷

विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार, तुर्कों, अफ़ग़ानों और मुगलों के भारत में आने से पूर्व ही हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं की एक आम आदर्श अथवा मानक भाषा बन चुकी थी। उनका कथन है :

उन्होंने इस दूर दूर तक फैली हुई एवं सशक्त भाषा को पहचाना और इसे अपने व्यवहार की भाषा बना लिया... इस समय के कुछ मुसलमान लेखक, उदाहरणतया अमीर खुसरो (सन् 1255) इसे अपनी साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग किए बिना न रह सके। खुसरो के नाम से जोड़ी जाने वाली समस्त कृतियों में यदि अंशमात्र को भी उनकी रचना मान लिया जाये, तो यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि उस समय तक हिंदी साहित्यिक प्रयोग के लिए पर्याप्त उन्नत हो चुकी थी।⁸

इस भाषा का किंचित् विस्तृत पर्यालोकन करना उचित होगा। इसे हिंदी, हिंदुस्तानी अथवा उर्दू किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि एक समय था जब इन नामों में कोई भी अंतर नहीं था और यही मिली जुली भाषा आधुनिक हिंदी की बुनियादी भाषा है। जब तुर्क मुनिश्चित रूप से भारत में बस गए, तो उन्होंने इस आम मानक भाषा (अर्थात् 'खड़ी बोली') को परस्पर वातचीत का माध्यम बनाया। 1326 ई. में जब मुहम्मद तुगलक ने अपने शाही दफ्तर दक्षिण में स्थानांतरित कर दिए और सभी लोगों को दक्कन प्रस्थान का आदेश दिया, तो खड़ी बोली भी उनके साथ दक्षिण तक पहुंच गई। वहां गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी निकटवर्ती क्षेत्रों की भाषाओं का प्रभाव खड़ी बोली पर पड़ा। इस प्रभाव के कारण इस भाषा ने एक नया रूप धारण किया जिसे 'दक्षिणी' कहा गया।

धर्म ने भी, चाहे परोक्ष रूप से ही सही, इस सर्वसामान्य भाषा के प्रमार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की सर्वाधिक आवादी हिंदू धर्मनियायी हैं जिसके तीर्थ-स्थल देश के सभी भागों में स्थित हैं। प्रत्येक धर्मनिष्ठ हिंदू

की आस्था है कि इन पवित्र स्थानों की धारा करना जात्मनिर्वाण के लिए अनिवाय है। जैसे जैसे यारी देश के विभिन्न भागों में धारा पर जाते थे (और उन दिनों धारा में काफी समय लगता था), वे इस सबमामान्य भाषा के अनेक घट्ट और दूधरे कई प्रभाव जनायास अपनी भाषा में शामिल कर लेते थे। इस प्रकार दश में खड़ी वाली न्यायिक दृष्टि में दूर दूर तक फैल गई। इसके परिणाम, जनक मत विद्यों ने अपने धर्म और स्थानीय सद्बोगों को ध्यान में न रखते हुए खड़ी वाली का अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। दमवी और ग्यारहवी जनावरी में गोरखवाणी न नामदेव, एकनाथ, तुराराम और रामदाम जैसे भराठी प्रवतका वो हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया।

पढ़हवी जनावरी में नमी मेहना, मत्स्यन, दयाराम और गुजरात के अन्य लेखकों ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी। इन रचनाओं की भाषा में देश, काल और स्थान के अनुसार विविधता वर्वश्च थीं (जैसा कि हर रचना में होता ही है), परन्तु इनमें आधार भाषा की समानता स्पष्ट है। जम्म में शक्ति देव और नारायण देव न भक्ति गीत 'ब्रज बुली' में निम्ने। वगान के सत विच चैतन्य महाप्रभु ने काशी और मिथिला में अपने निवास के दीरान हिंदी की वृद्धि में बहुत योगदान किया। उन दिनों वगान और विहार एवं ही प्रात के भाग थे। जन वगान और हिंदी में अन्यथिक आदान-प्रदान हुआ। चैतन्य मप्रदाय के अनेक विद्यों ने 'ब्रज बुली' में निम्ना। आज तक विद्यापति के पद चैतन्य मप्रदाय में गाए जाते हैं।

अनीन में नाशी ज्ञान प्रमाण का बहुत बड़ा केंद्र था। नक्षिण भारत तथा भारत के सभी हिस्सों से विद्वान् यहां पर सरकृत भीखने आते थे। निनिमय की इस प्रतिया में पहिनों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का पारस्परिक पभाव अवश्यभावी था। अठारहवी जनावरी के आमपास केरल के महाराज निम्नान न अपने गीति पद हिन्दुस्तानी में लिखे। मौ भाल वाद, जाह जी द्विनीय ने हिंदी में 'दिश्त विलास' और 'राधा माधव विलास' नामक नाटकों की रचना की। उन्नीसवीं जनावरी में तलुगु के कवि पुष्पोत्तम ने हिंदी में 32 नाटक लिखे। महियावण मिह के समय भुज (सोराप्ट) में एक स्कूल की स्थापना हुई जहां ब्रजभाषा में कविता लिखने का प्रशिक्षण होता था। भने इसमें विरोधाभास लगे, पर यह तथ्य है कि यह सम्बन्ध मृतत्रता प्राप्ति के उपरान 1948 ई. में बद हो गया।

सिख गुरुजों ने भी अपनी रचनाओं में हिंदी का योग्य प्रयोग किया। बवीर, जायसी, रमेशन, रहीम जैम मत सूफी और भक्ति कवियों ने हिंदी में सूब लिखा। उपर्युक्त तथा जाय मुमलमान कवियों का हिंदी साहित्य की

वृद्धि में महान् योगदान रहा है।¹⁹

स्वतंत्रता सेनानियों ने भी, हाल में, जो भारत के सभी प्रदेशों के निवासी ये और आजादी के लिए सगठित होकर लड़े, मिलीजुली भाषा के निर्माण में काफ़ी योगदान किया। हिंदी चलचित्र, जो संपूर्ण देश में अत्यंत लोकप्रिय है, का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।

अंग्रेजी का ग्राममन

1757 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजसत्ता हथिया ली और भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। इसके बाद ईसाइयों ने यहां आकर अनेक शिक्षा संस्थाएं खोली। 1823 ई. में देश में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ : प्राच्यविद् तथा अंग्रेजीपरस्त। प्राच्यविदों में एलिफिन्स्टान तथा कई अन्य लोगों के नाम लिए जा मकते हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य की वृद्धि का पक्ष लिया। दूसरी ओर मैकाले तथा अंग्रेजीपरस्तों का विचार था कि विधि एवं धर्म की उन्नति की दृष्टि से संस्कृत अथवा अरवी भाषाएं राज्य द्वारा प्रोत्तमाहन के योग्य नहीं हैं। राजा राममोहन राय जैसे समाजसुधारकों की मदद से अंग्रेजीपरस्तों की जीत हुई, और अंग्रेजी भारत की शिक्षा प्रणाली में प्रविष्ट हो गई जो आज हिंदी की सबसे बड़ी 'प्रतिद्वंद्वी भाषा' है।

कुछ समय बाद कलकत्ता में फ्लोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई। जब यहां विद्वानों ने फ़ारसी और ब्रजभाषा से खड़ी बोली में अनुवाद का काम शुरू किया तो अनुवाद की भाषा के नाम, स्वरूप, स्तर तथा शैली का प्रश्न उठा। राजा शिवप्रसाद का कहना था कि इस भाषा में फ़ारसी के पदों (शब्दों) को रखना चाहिए। राजा लक्ष्मण सिंह और एफ. एम. ग्राउज़ फ़ारसी के स्थान पर संस्कृत चाहते थे। इस बादविवाद ने, जिसकी अगुआई इन दो राजाओं ने की, भाषा समस्या को एक भया रुख़ दे दिया। 1857 ई. के आसपास यह सामूहिक भाषा दो पृथक् भाषाओं, खड़ी बोली हिंदी और खड़ी बोली उद्दी, में विभक्त हो गई। इससे अंग्रेजी को और बल मिला और लोगों ने इसे अधिक अपनाना शुरू कर दिया। जब 1947 ई. में अंग्रेज हिंदुस्तान से गए तो देश की शिक्षा मंस्थाओं, दफतरों, अदालतों और विधान सभाओं में अंग्रेजी का काफ़ी बोलबाला था।

ओपनिवेशिक स्थिति और भाषा

यदि संसार के कुछ देशों की राज एवं राष्ट्रीय भाषाओं का संक्षिप्त विष्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि एक समय उपनिवेश बने देशों में प्रायः उपनिवेशवादी तत्कालीन शासकों की भाषा की ही प्रधानता है। अफ़्रीका

महाद्वीप के 42 देशों की भाषाओं के नमूनों के अवलोकन पर तिम्नाक्रित नतीजे निकलते हैं।

उपनिषेशिकों की भाषाओं की अपनाने का एक प्रतिलिप
बोसर्वी सदी के शाठवे दशक में

1	विदेशी अप्रेजी भाषाएँ	अप्रेजी तथा एक अन्य भाषा	फ्रासीसी भाषाएँ	फ्रासीसी तथा एक अन्य भाषा	स्पनिश अरबी		
2	अफ्रीकी देशों की सद्या जिनमें विदेशी भाषाएँ सरकारी तथा राष्ट्रीय भाषाएँ हैं	14	2	13	5	1	6

अमहारिक
1

अल्जीरिया, लीबिया, मोराक्को, सूडान, ट्रूनिस तथा यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की भाषा अरबी थी और इथोपिया की अमहारिक। इस मिल-मिले में समार की 146 देशों की भाषाओं के अध्ययन से पता चला कि उनमें से 27 देशों की भाषा बेवल अप्रेजी, नौ की अप्रेजी तथा एक अन्य भाषा, एक देश की अप्रेजी तथा दो अन्य भाषाएँ और एक देश की अप्रेजी के साथ तीन अन्य भाषाएँ सरकारी अथवा राष्ट्रीय भाषाएँ स्वीकृत हैं।¹¹ इनमें से अधिकास देश किसी न किसी समय विटिश राज के अतर्गत थे।

राष्ट्रीय जागृति की लहर

जब उपनिषेशों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीय जागृति का उफान उठा और उह है यह विश्वास होने लगा कि देशज भाषाओं के भाष्यम से ही वे अपने भाष्य का 'श्रेष्ठतम्' निर्माण कर सकते हैं तो इन देशों में विदेशी भाषाओं को बब्ल दर्जे से हटाने के लिए जोरदार आदोलन चल पड़े। इनमें बुछ आदोलन जल्दी सफल हो गए, परंतु कुछ एक वो हवा के उलटे रुदा वा सामना बरना पड़ा, और इनका सफलता साथ आशिक ही रही।

हिंदुस्तान में अप्रेजी वो राजभाषा के स्थान से तथा शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के साध्यम से हटाने की भाग देश की आज्ञादी के आदोलन के साथ

जुड़ी रही है। मसलन, विदेशीराज से मुक्ति के उस समय के ध्वजवाहक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1925 ई. में यह प्रस्ताव पारित किया कि इसकी अंशभूत इकाइयों की बैठकों की कार्यवाही का माध्यम भारतीय भाषाएं ही होंगी।

स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने की बात चली तो देश में विरोध के लिए प्रदर्शन होने लगे। निहित स्वार्थों से भरपूर लोगों ने स्थिति में लाभ उठाने और भोली जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उसे गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इन लोगों ने जो गलत धारणाएं फैलाईं, जो परस्पर विरोधी एवं भ्रात हैं, उनमें से कुछ एक निम्नलिखित हैं :

जो लोग अंग्रेजी को पहले स्थान पर बनाए रखने के पक्ष में हैं उनका कहना है कि अंग्रेजी प्रगति का प्रतीक है, यह एक समृद्ध भाषा है, इसी भाषा के द्वारा देश संगठित हुआ और इसके माध्यम से भारत संसार के अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है।

इस संवंध में यह याद रखना होगा कि किसी राष्ट्र की समृद्धि के मुख्य आधार उसकी जैक्षिक, आर्थिक तथा सर्वांगीण प्रगति होती है, न कि देश के लोगों के भाषा वोध का स्तर। भारत कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों में अंग्रेजी के आगमन के साथ नहीं बढ़ा वरन् इन क्षेत्रों में उसका विकास भाषा के साथ नहीं, आजादी के साथ जुड़ा हुआ है।

निस्सदैह, अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, और इस कारण देश के स्कूलों और कालेजों में इसे पढ़ाना चाहरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे राजभाषा का पद प्रदान किया जाए, और शिक्षा संस्थाओं में इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। संसार में लगभग पचास राजभाषाएं हैं। रूस, जर्मनी, इजराइल, जापान तथा स्वीडन के लोग अंग्रेजी को राजभाषा अथवा शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रायमिकता न देने पर भी उन्नति की होड़ में किसी से पीछे नहीं है। भारत में भी क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए अंग्रेजी को सरकारी भाषा रूप में बरकरार रखने की कोई मांग नहीं है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में बनाए रखने की मांग अनुचित है। सार के अन्य देश में हुई वैज्ञानिक तथा दूसरी प्रगतियों से अपने आपको अवगत रखने के लिए जहाँ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य है वहाँ अन्य विदेशी भाषाओं की महत्ता को भी नज़रअंदाज़ या न्यून नहीं किया जा सकता।

अंग्रेजी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के एक विशिष्ट वर्ग के बीच आदान-प्रदान तो संभव हो गया है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र की एकता बखंड रूप

म तो तभी मुमकिन हो सकती है जब सारे देशवासियों के बीच आदान-प्रदान और भावात्मक, वैचारिक एवं राजनीतिक एकता अखड़ हो। देश के एकीकरण में जहाँ अग्रेजी भाषा की देन को नकारा नहीं जा सकता, वहाँ इस मद्भ में सस्कृत एवं खट्टी बाली के यागदान को ध्यान में रखना होगा। इस बात को भी नजरअदाज नहीं किया जा सकता कि इस मबद्द में भारतीय सस्कृति के अभिन्न सूत्रों का भी बहुत बड़ा हाय है। अग्रेजी राज की समाप्ति के उपरां छोटी बड़ी 500 रियासतों का विलय देश के एकीकरण में अत्यधिक महत्व रखता है। राष्ट्र की एकता में उन 95 प्रतिशत में अधिक लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता जो अग्रेजी भाषा नहीं जानते, किंतु वे राष्ट्र के अभिन्न भाग हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि भारतवासियों के लिए अग्रेजी एक निष्पक्ष भाषा है। और यदि इसके स्थान पर हिंदी का आमीन बर दिया गया तो उसमें देश में क्षेत्रीय असतुलन पैदा हो जाएगा।

जो लाग हिंदुस्तान में अग्रेजी के नियन्त्रण प्रभाव के इनिहास से अवगत हैं उन्ह मालूम हैं कि कुछ प्राता के लोगों को वार्षी देशवासियों की अपेक्षा अग्रेजी सीखने का बवासर पहले मिला था। अब अग्रेजी को तटस्थ भाषा कहना गलत होगा। और, फिर जो पीढ़ी पहली बार स्कूल जा रही है उससे लिए विदेशी भाषा के मुकाबले में भारतीय भाषाओं के माध्यम में ज्ञान की पिछारी कमी को पूरा करना असिक्क आसान है। इस प्रकार अग्रेजी भाषा विभिन्न लोगों के बीच असतुलन को बढ़ावा देगी, न कि इसे कम करेगी।

जहाँ तक क्षेत्रीय असतुलन पैदा होने का सकाल है, देश के संविधान में राजनीतिक अववा सास्कृतिक सतुला कायम रखने के लिए पर्याप्त प्रत्याभूति है। इसलिए असतुलन पैदा होने की प्रामाणिकता के बल इतनी रह जाती है कि जब हिंदी अग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी तो गुरु गुरु में शायद केंद्रीय सरकार की नीकरियों में हिंदी भाषाभाषी लोग अहिंदी भाषाभाषियों से बाजी मार ले जाए। ऐसी अवास्थिति से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि अहिंदी भाषाभाषी हिंदी के माध्यम से अपनी सर्वोत्तम देन नहीं दे पाएंगे। यह एक मनगढ़न कल्पना है कि भारत के लोग किसी विदेशी भाषा द्वारा ही अपना सर्वोच्च अशदान दे पाए हैं, अथवा दे सकते हैं। दस बारह वर्ष अग्रेजी पढ़ने के बावजूद, अधिकाश हिंदुस्तानी, और शायद इसी प्रकार सभी देशों के लाग जिनकी मानूभाषा अग्रेजी नहीं है, (लगड़ी) अग्रेजी ही तिथ अववा बोल पाते हैं। भारत के सर्वोत्तम दर्शन एवं कला के स्पष्ट देशज भाषाओं के माध्यम से ही उजागर एवं विकसित हुए

है। इस सिलसिले में कुछ एक अपवाद जरूर है, जहां भारतीय लेखकों ने उच्च कोटि की कृतियां अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं। परन्तु अपवाद से कोई विधान सिद्ध नहीं होता। साहित्य अकादमी के पुरस्कार विजेताओं की 'सांख्यिकी' के अवलोकन से इस कथन की सन्चार्ड सिद्ध हो जाएगी। अकादमी की स्थापना से लेकर 1977 ई. तक 290 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनमें से 22-22 पुरस्कार हिंदी और मराठी भाषा की कृतियों के लिए दिए गए हैं, और भारतीय लेखकों द्वारा रचित अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों के लिए केवल 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1980 ई. के बाद पुरस्कारों की संख्या इस प्रकार थी—हिंदी : 25; मराठी : 25, अंग्रेजी : 12। इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया।¹²

यह कहना कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की स्थापना से शेष भारतीय भाषाओं का ह्रास हो जाएगा, जैसे एक काल्पनिक भूत का भय दिखाने वाली वात है। इसके प्रतिकूल इस वात का प्रमाण उपलब्ध है कि अंग्रेजी की ओर वहुत अधिक ध्यान देने तथा उपनिवेशवाद के कारण सभी देशी भाषाओं का गला घुट्टा रहा है। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत सभी राज सरकारों ने अंग्रेजी भाषाओं को आगे बढ़ाया है और किसी भी प्रकार से हिंदी उनकी समृद्धि में वादक सिद्ध नहीं हुई।

सांख्यिकीय पुस्ति के बिना ही कुछ लोगों का कथन है कि हिंदी के जिस स्वरूप का राजकीय कामकाज मे इस्तेमाल किया जाता है उसे पांच प्रतिशत से अधिक लोग नहीं समझते। निस्सदैह हिंदी को अधिक व्यापक रूप देना आवश्यक है, परन्तु यह भी विस्मरण नहीं करना चाहिए कि प्रशासन और विधि निर्माण की भाषा जनसाधारण की भाषा से हमेशा अधिक समृद्ध होगी।

कुछ लोगों का विचार है कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद या तो हिंदी अंग्रेजी की जगह ले लेती, अथवा विधायकों ने अंग्रेजी या हिंदी के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा चुन लिया होता तो भाषा की समस्या उत्पन्न ही न होती।¹³ इस समस्या का गहन विश्लेषण करने से पता चलता है कि इस प्रकार की सभी धारणाएं निरूप हैं।

समस्या का समाधान

भाषा की यह समस्या अब इतनी जटिल बन चुकी है कि केवल कानून निर्माण से इसका हल निकालना असंभव जान पड़ता है। उत्तेजनात्मक कार्य-वाहियों या प्रदर्शनों से स्थिति और भी विगड़ गई है। नासमझी एवं जल्दवाजी के उपायों से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की गति को तेज़ करने अथवा निहित स्वार्यों के कारण इसकी प्राकृतिक प्रगति में बाधा ढालने की कोशिश

से उलझन शायद और भी बढ़ जाएगी। समस्या के समाधान के लिए ज़रूरी यह है कि सभी देशवासी एकसाथ मिलकर निश्चित योजना के अनुसार और स्वेच्छा से इसके लिए प्रयास करें।

सर्वप्रथम यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत के मर्दभ में जब हम राजभाषा की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन उस भाषा से होता है जिसमें केंद्र सरकार अपना कामकाज चलाती है अथवा प्रानीय सरकारी से पत्र व्यवहार करती है। इसे राष्ट्रीय भाषा अथवा देश के लिए सपृष्ठ भाषा की परिभाषा एवं शब्दावली से उलझा कर समस्या को और पेचीदा नहीं बनाया जाना चाहिए।

भाषा सबधीं विवादों में विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा व्यक्त नहीं गए विचारों के अध्ययन से पता चलता है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने की बात पर तो बोई मतभेद नहीं है। अलवत्ता, इस सबध में ससद का इतना निर्देश ज़रूर है कि सध में तब तक डिप्रापिना बनी रहेगी जब तक कि सभी प्रातों की विधानसभाएं और ससद अंग्रेजी को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित न कर दें। इस शर्त का अभिप्राय यह नहीं है कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक देश की राजभाषा बनी रहेगी। देश को आजाद हुए तीन दशक से अधिक हो चुके हैं। अब समय आ चुका है जब सभी क्षेत्रों के भाषाविद् और नेता मिलकर बैठें और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को आरूढ़ करने की कालावधि पर पूरी तरह में विचार करने के उपरात एक बार अनिम निर्णय ले लें और उसी के अनुसार वार्ष योजना बनाकर उसे अमल में लाए।

इस सबध में मर्भि प्रकार की गलत धारणाओं का निराकरण अत्यावश्यक है। भाषा बैंजानिकों का भी इस सबध में चूंकि कुछ दायित्व है, अन समस्या के समाधान में उत्ते और अधिक तत्परता में हाथ बटाना होगा। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्रों में शोध कार्य की कमी नहीं है, परतु हिंदी और देश की अन्य भाषाओं और धोलियों के बीच व्यावहारिक समानताएँ ढढ़ने और इन्हें अप्रिक व्यापक बनाने के लिए विभिन्न भवित्व क्षेत्रों में अभी तक अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है।

दोस्तों तरीका अपनाने से अंग्रेजी अथवा हिंदी के समर्थकों द्वारा बोई लाभ नहीं होगा। यदि एक और यह आवाज उठाई जाए कि हिंदी सविधान के अनुसार राष्ट्र की भाषा तभी बन सकती है जब यह भारत की सामूहिक मस्तृति की भाषा बन जाए और दूसरी ओर उसे ब्रज, बवधी आदि भाषाओं से, जिनके साथ हिंदी का जटूट रिखा रहा है, पृथक् करने की कोशिश की जाए तो ऐसी स्थिति म्पष्ट स्पष्ट ने परम्पर विरोधी है। एक और यह कहना कि 150 वर्षों में अंग्रेजी के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जो अनुभव हुए हैं,

उन्हें नहीं खोना चाहिए, और दूसरी ओर हिंदी तथा अन्य देशज भाषाओं में कई शताव्दियों की मेहनत से जो उपलब्धियां हुई हैं, विदेशी भाषा को प्रायमिकता देने के उद्देश्य में उन्हें नेपथ्य में डालने का दुस्साहस करना एक कमज़ोर मोर्चे की शरण लेने जैसा प्रयास है। इसी प्रकार हिंदी के समर्थक हिंदी को संघ की भाषा बनाने के लिए तो वेताव हैं, परंतु इसके साथ वे भाषा के शुद्धिवाद के सिद्धांत से चिपके रहकर इसके वातायन को बद रखना चाहते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि शुद्धिवाद केवल एक 'मिथक' है। संसार की कोई भाषा शायद ही विशुद्ध हो। सस्कृत में भी कोण, चुवन, नीर आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जो द्रविड़ स्रोतों से आए हैं। इतिहास के इस कटु सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि जब जब विशुद्धता के नाम पर किसी भाषा को कृत्रिम तरीकों से बांधने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम केवल एक ही निकला कि वह जिदा नहीं रही।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. आर. भी. निगम द्वारा सकलित, सेमस ऑफ इंडिया, 1971, लैग-पिंज हैंडबुक आन मदर टग इन सेमस, नई दिल्ली. रजिस्ट्रार जमरल, इंडिया, गृह मन्त्रालय, 1972, सेमस सेटेनरी मोनोग्राफ न. 10, पृष्ठ 333-340.
2. कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि द्रविड़ भाषाओं पर सस्कृत का प्रथम प्रभाव गुप्त राज वंश काल में, अर्यात् 300 ई. में, और तत्पञ्चात् सवहृदीं शताव्दी में पड़ा, जब विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत का समर्थन किया था।
3. प्रियसंन, जी. ए., लैगुजिस ऑफ इंडिया, 1903, पृष्ठ 40-41 (1901 की जन-गणना-रिपोर्ट में प्रियसंन का भारतीय भाषाएं नामक लेख का पुनर्मुद्रण).
4. इंडिया, ऑफिसन लैगुजिज कमीशन रिपोर्ट 1955-56, नई दिल्ली. गृह मन्त्रालय, 1957, पृष्ठ 40-41.
5. कीथ, ए बी ; मस्कृत साहित्य का इतिहास, ऑफसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1920), पृष्ठ 77.
6. पीछे मुड़कर देखने पर यह कहा जा सकता है कि अपन्नी भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, परन्तु इस्हें 'प्रष्ट भाषाएं' कहना अनुचित होगा।
7. प्रियसंन, जी. ए., निगुस्टिक नर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली, मोतीनाल बनारसीदाम, 1967, वॉल्यूम 1, भाग 1, पृष्ठ 1.

- 8 प्रसाद, वी एन लैगुडिज आँक इंदिया, ए कनाइडस्कोपिक सर्वे, मद्रास, भारत इंदिया डॉयरेक्टोन पब्लिकेशन, पृष्ठ 35
- 9 प्रस्तुतवश इस वर्णन से उस ऐतिहासिक पूळभूमि का भी पता चलता है जो संविधान के निर्माताओं के अन में उस समय रही होगी, जब 1949 ई में उन्होंने हिंदी को भारत का राजभाषा बनाने के लिए नियन्त्रण लिया था।
- 10 यह विश्लेषण वल्ह मार्क एनसाइक्लोपीडिया आँक नेशन, खण्ड 2-5 में दो गड्ढ सूचना पर आधारित है इसका प्रकाशन वल्ह मार्क प्रेस हापर एड राय, 'पूळर्व' ने 1971 ई में लिया था लेखक व लोकाच ही के लिए लिखे गए शोधपत्र 'हिंदी राजभाषा—भमस्या और स्वरूप' 1976 को भी दख्ते
- 11 द्वितीय परिशिष्ट XI
- 12 द्वितीय परिशिष्ट IX और X इस पुस्तक के लिए सामग्री को एकलोक्तरण 1976-1977 ई म ग्राम दूषा अत यहां पर तथा भाष्य स्थानों पर 1977 का विक्र ई
- 13 वंड एड समय लेखक भी इस विचार के साथ सहमत था

अध्याय · एक

संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं

(एक संक्षिप्त विवरण)

भारत में भाषाओं और वोलियों का वाहुल्य भी है और वैविध्य भी। देश की भाषा समस्या का हृल ढूढ़ते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमेशा नजर में रखना होगा। इसके बिना समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। भारत की अनेक भाषाओं एवं वोलियों में से पंद्रह भाषाएं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज हैं। ये भाषाएं इस प्रकार हैं : असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, उर्दू, कन्नड कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, सस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु (सिंधी को इकीकीसबे संशोधन विधेयक, 1964 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था)। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किन आधारों पर केवल इन्हीं भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया। प्रमाणों के अभाव में केवल अनुमानों के सहारे कहा जा सकता है कि इन भाषाओं को संविधान में स्थान देने समय, सभवत., निम्नलिखित मापदंडों को आधार बनाकर निर्णय लिया गया होगा।

- (क) भाषा भारतीय ही होनी चाहिए।
- (ख) देश में इसे बोलने वालों की संख्या काफी हो।
- (ग) परंपरा, धरोहर और माहित्य की दृष्टि से यह सपन्न हो, और
- (घ) इसकी लिपि मुद्रण की दृष्टि से कठिन न हो।

भारतीय जनता के एक वर्ग द्वारा यह मांग प्रस्तुत की गई थी कि अंग्रेजी को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, परंतु इस मांग को अन्य कारणों के अतिरिक्त इस आधार पर भी अस्वीकार कर दिया गया कि अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है। यदि भारत की अपनी भाषाएं समृद्ध न होती

तो शायद देशी भाषाओं पर अग्रेजी की वरिष्ठता मानते में कठिनाई न होती, परतु वास्तविक स्थिति कुछ और ही थी। यदि भारत में अनेक प्रतियोगी माहित्यसप्ल भाषाओं के स्थान पर बेकल एक ही समृद्ध भाषा होती तो भी भाषा समस्या का समाधान पाना दुष्कर न होता, परतु स्थिति सर्वथा भिन्न थी। यदि कुछ समय के लिए द्रवजभाषा, मैथिली, अवधी और अन्य माहित्य सप्ल भाषाओं को भी नज़रअदाज कर दिया जाए तो भी आठवीं अनुसूची की भाषाएँ इतनी विकसित हैं कि उनमें से किसी की भी अवटेलना करना मुश्किल है। इनमें में अधिकांश भाषाएँ ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या समार के कुछ देशों की ममिनित जनसंख्या में भी अधिक है।¹ इसलिए देश की भाषा समस्या के निहितार्थ को पूरी तरह से समझने के लिए इन भाषाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना चाहरा है। आठवीं अनुसूची की भाषाओं को दो परिवारों में विभक्त किया जा सकता है—भारतीय आर्य भाषाएँ एवं द्रविड़ भाषाएँ। संविधान की घारह भाषाएँ प्रथम परिवार में आती हैं, और चार दूसरे में। इनमें प्रत्येक भाषा काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तथापि,

कही भी ऐसे भाषायी प्रान का निर्माण करना मुमिन नहीं होगा जिसमें 70 से 80 प्रतिशत तक में अधिक एक ही भाषा के बोलने वाले लोग हों। इस प्रकार प्रत्येक प्रान में कम-मेकम 20 प्रतिशत नागों की अत्यसंख्या ऐसी रह जाएगी जो अन्य भाषाभाषी होगी।²

भारतीय आर्य भाषाएँ

1. असमी

असमी भारतीय आर्य परिवार की पूर्वी जात्या की भाषाओं में में है। यह असम प्रान की भाषा है, जहा 59 3 प्रतिशत लोग इसे बोलते हैं। समस्त भारत में 89 6 लाख लोग असमी बोलते हैं। यह संख्या न्यूजीलैंड के जनसंख्या के तीन गुनी है।³ इस भाषा का शब्द भडार तद्भव प्रथान है। ‘भोट-बर्मी’ शब्दियों ने इसके शब्द भडार, ध्वनि-धाराप्रवाह (ध्वनन) और इसकी मरणना का प्रभावित किया है, परन्तु अशरौ पर जार ढालने वाले उच्चारण यानी स्वराधान में सबसे ज्यादा अमर वगानी का रहा है।⁴ असमी की लिपि लगभग बगला भाषा की तिपि है। असमी माहित्य की मुख्य महिमा इतिहास में है। ‘बुरजी’ अथवा ऐतिहासिक कृतिया बृहदाकार हैं, और इन्हें बढ़े घटे ध्यान से मुरक्किन रखा गया है।⁵ इस संवद में ग्रियर्सन का कहना है—

भागदत्त (जो महाभारत के कुरु पांचाल युद्ध के समकालिक थे) के समय की ऐतिहासिक कृतियों के अवशेष अब तक उपलब्ध हैं। पिछले छ़ सौ वर्षों की ऐतिहासिक घटनाओं को समय क्रम के अनुसार सुरक्षित रखा गया है, और उनकी प्रामाणिकता विश्वसनीय है।⁶

ऐतिहासिक कृतियों के अतिरिक्त असमी साहित्य में व्याकरण और अन्य विविध विषयों का प्रतिपादन भी है, और यह सब देशज अथवा स्थानीय उत्पत्ति है। भावेंद्रनाथ सैकिया, नवकांत बरुआ, सौरभ कुमार छलिए, सैयद अब्दुल मलिक असमी के प्रसिद्ध लेखकों में से हैं।

2. बंगला

बंगला को 'बंग भाषा' भी कहते हैं। यह,

प्राचीन भारोपीय वंश की भारतीय आर्य परिवार की पूर्वी सीमावर्ती भाषाओं (विहारी, असमी और उड़िया आदि को भी शामिल करके) में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा है। यह भारतीय आर्य (जिसकी प्रतिनिधि संस्कृत है), तदुपरांत प्राकृत अथवा मध्य भारतीय आर्य माराधी भाषा की वंशज है।⁷

1971 की जनगणना के अनुसार बंगाली बोलने वालों की संख्या 447 9 लाख थी। इस प्रकार संविधान की आठवीं अनुसूची में अंकित भाषाओं वे बोलने वालों में बंगला भाषा भाषियों का गणना के अनुसार दूसरा स्थान है। पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में क्रमशः यह 85.32 और 68.79 प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है। बंगला बोलने वालों की गिनती ईरान, श्रीलंका और सिंगापुर की सम्मिलित जनसंख्या से अधिक है।

बंगाली की साहित्यिक शब्दावली में संस्कृत के शब्दों का बहुत्य है। ग्रियर्सन ने लिखा है :

व्यावहारिक गिनती से यह सिद्ध किया जा चुका है कि आधुनिक काल की बंगला कृतियों में प्रयुक्त 88 प्रतिशत शब्द शुद्ध संस्कृत के थे, जिनका इस्तेमाल गैरजरूरी था और जिनके स्थान पर देशज शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था।⁸

बंगला ने विभिन्न विदेशी भाषाओं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी और फ़ारसी

आदि से अनेक शब्द एवं प्रभाव ग्रहण किए हैं। इसके बर्ण नागरी वर्णमाला के रूप आकार हैं। बगला में लिंग परिवर्तन के साथ किया परिवर्तन नहीं होता। यह हिंदी और बगला में विशेष भेद है। अत एक बगला भाषी हिंदी बोलते समय बहुधा बोल सकता है 'ओरत गया' जबकि हिंदी भाषी के अनुसार शुद्ध कथन है 'ओरत गई'। हिंदी और बगला में परस्परों के प्रयोग में भी भेद है।⁹

बगला का साहित्य बहुत ही सपन्न है। नोवेल पुरस्कार विजेता रवीद्रनाथ ठाकुर तथा अन्य प्रमिद्व लेखक जैसे शरतचंद्र, बाजी नज़रत इस्लाम आदि बगला साहित्य के उज्ज्वल मितारे हैं।

3 गुजराती

गुजराती का जन्म 'नागर अपभ्रंश' में हुआ, जिसकी शृंखला 'शौरमेनी प्राकृत' अथवा 'शौरमेनी अपभ्रंश' से जुड़ी हुई है। 'शौरमेनी अपभ्रंश' का स्पष्ट साहित्यिक तथा समृद्ध प्रधान था, जिसका गुजरात के नागर ब्राह्मण व्यवहार बरते थे।

यह गुजरात राज्य की भाषा है। देश ने 258 9 लाख गुजराती भाषा भाषियों में लगभग 238 7 लाख गुजरात राज्य में रहते हैं। महाराष्ट्र में 13 9 लाख और तमिलनाडु में 2 लाख गुजराती बोलते वाने हैं।¹⁰ गुजराती बोलने वालों की संख्या इतिहासिया अथवा स्कॉटलैंड एवं युगोस्लाविया की नमूनत जनसंख्या से अधिक है। गुजराती के बर्ण देवनागरी बर्णों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में इतना अधिक साम्य है कि दोनों भाषाओं को एक भाषा वी ही दो वोटियाँ बहा जा सकता है।

गुजराती साहित्य के सर्वप्रथम महान् लेखक हेमचंद्र थे। उनका साहित्य में आगमन आठवीं शताब्दी में हुआ। नृसिंह मेहना के समय में गुजराती साहित्य में प्रचुर वृद्धि हुई और आज यह भाषा सपन्न साहित्य रखने का दावा कर सकती है। उपारव कथाप्रय (उपन्यास), मुद्रयत (उपन्यास), तारतम्य (समाचारचना) इस भाषा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली कुछ पुस्तकें हैं।

4 हिंदी

हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग तुक्रों, अफगानों एवं मुगलों ने किया था, परंतु उन्होंने लिए यह शब्द वेवल किमी भाषा विशेष का सूचक न होकर प्रयेक भारतीय अर्थात् हिंदुस्तानी चीज का पर्याय था। बाजबल इस शब्द का प्रयोग भाषा तक ही सीमित है।

भारत के मुख्य स्तर से हिंदी भाषी प्रातों के नाम इस प्रकार हैं हिमाचलप्रदेश, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, विहार, राजस्थान एवं संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। इन राज्यों का सम्मिलित क्षेत्रफल लगभग 1,35,400

वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 41 प्रतिशत है। हिंदी भाषा भाषियों की कुल संख्या 1625.8 लाख है। इसमें सर्वाधिक लोग (7192 लाख) उत्तरप्रदेश में रहते हैं, और न्यूज़ीलैंड 58 लक्ष्यीय एवं अडमान में। आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में से हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिकतम है। बगला भाषा भाषियों के मुकाबले में हिंदी भाषियों की संख्या माड़े तीन गुना है। यहां यह स्मरण कराना उचित होगा कि 1971 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भाषियों के बाद दूसरे तीव्र पर बगला बोलने वालों का स्थान आता है। हिंदुस्तान में चारों द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 1261.0 लाख है।

ब्रज, अवधी आदि हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएँ ऐसी भी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या आठवीं अनुसूची में दर्ज कुछ भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से ज्यादा है।

चीन, अमरीका और हस को छोड़कर हिंदी बोलने वालों की संख्या संसार के किसी भी देश की जनसंख्या से अधिक है। इस संवंध में परिणिष्ठ (I) का अवलोकन प्रामाणिक होगा। यदि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक जन-संख्या वाले पांच देशों, अर्थात् नाइजीरिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, इथोपिया, जायर और सूडान की जनसंख्या को मिला लिया जाए तो भी यह योगफल हिंदी भाषा भाषियों की गिनती से कम ही रह जाता है।

मोटे रूप में हिंदी भाषा के दो वर्ग हैं - पूर्वी तथा पश्चिमी हिंदी। अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी हिंदी बोलिया है, और हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, कर्नाटी, बुन्देली आदि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इनमें से कुछ एक उपभाषाओं की साहित्य निधि विपुल है। मलिक मुहम्मद जायसी जो 1540 ई. में हिंदी साहित्यमड़ल पर उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति अवतरित हुए, ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'पद्मावत' अवधी में लिखा था। उनके बाद महाकवि तुलसीदास ने लोकप्रिय महाकाव्य 'रामचरितमानस' भी इसी भाषा में लिखा था। तुलसी, जो हिंदी साहित्य के एक महान् गोरव पुंज है, शेक्सपियर के समकालीन थे। 'वे एक ऐसी प्रतिभा थे, जिनका नाम एक दिन मर्वसम्मति में संसार के महान् कवियों में लिखा जाएगा।'"¹¹ प्रियर्सन का यह कथन आज प्रायः सत्य सिद्ध हो चुका है।

ब्रज भाषा का साहित्य भी बहुत समृद्ध है, और शायद अवधी के साहित्य से अधिक लोकप्रिय है। ब्रज भाषा को सूरदास जैसे महान् कवि देने का गोरव है। 1300 ई. से 1800 ई. तक राजदरवार की भाषा थी। हिंदी की इन उपभाषाओं की परपरा इतनी महान् थी कि यह खड़ी बोली के विकास के

लिए भी वाधक बन गई। 1857 ई के बाद ही खड़ी बोली विकास के मार्ग पर वेरोक टोक बढ़ सकी। आज हिंदी भाषा में ज्ञान के विभिन्न दौलतों में सपन साहित्य उपलब्ध है।

5 कश्मीरी

कश्मीरी को लेकर भाषाविदों में मतभेद दिखाई पड़ता है। ग्रियसंन कश्मीर की भाषा कश्मीरी की गणना दादिक अथवा पिशाच भाषा में करते हैं। दादिक भाषाएँ बार्यं तो हैं, परन्तु भारतीय बार्यं नहीं हैं। प्रोफेसर पी एन पुष्प इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए लिखते हैं

सभवत कश्मीरी का जन्म दसवीं अथवा ख्यारहवीं शताब्दी में घाटी में प्रचलित अपभ्रंश में हुआ यत्र तत्र दार्दिक प्रभाव तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु यह सोचना सवधा अमरगत होगा कि इम भाषाका स्रोत देश की दोष आधुनिक भाषाओं में भिन्न है।¹²

कश्मीरी शब्द का उद्गम सस्कृत शब्द 'कश्मीरिका' में हुआ है। यह भारत के 244 लाख लोगों की मातृभाषा है। इनमें 242 लाख बोलने वाले कश्मीर निवासी हैं। कश्मीरी भाषा भाषियों की सद्या लीविया अथवा जोड़न वी जनसंख्या में अधिक है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि दसवीं सदी तक कश्मीर के विद्वान् सस्कृत में लिखने रहे। सस्कृत माहित्य, विशेषकर दर्शन, काव्यशास्त्र आदि में इन विद्वानों की महत्त्वपूर्ण देन है। कश्मीरी भाषा में भी प्रतिष्ठित माहित्यक इनिया उपलब्ध हैं।

कश्मीरी भाषा में लोक थार्थ्यानों एवं पौराणिक कथाओं की दृढ़त बड़ी सपदा है। चूंकि यहां के लोगों का लिखने की कला में भवध काफी समय तक दूटा रहा, इसनिए इस सपदा के अधिकांश भाग वा भग्रह नहीं हो सका। इम भाषा का अधिकांश माहित्य, जोकि सीमित मात्रा में है, आधुनिक है, और विदेशियों, विशेषकर विदेशी प्रचारकों वी देन है, जिन्होंने कश्मीरी भाषा (फारसी लिपि) में बादबल, भक्ति गीत और भक्ति साहित्य का भी अनुवाद किया।¹³

लगभग 700 वर्ष पूर्व कश्मीरी के लिए भारदा लिपि का प्रयोग होता था, परन्तु कश्मीर में फारसी के राज दरबार की भाषा बनने के उपरात इसके लिए फारसी लिपि वा इस्तेमाल होने लगा। 1955 ई और 1977 ई के बीच कश्मीरी भाषा की नी पुस्तकें साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त दर चूंकी हैं।

6. मराठी

मराठी का जन्म महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ, जो 600 ई. तक वोलचाल की भाषा थी।

1971 के अंकड़ों के अनुसार मराठी वोलने वालों की संख्या 422.5 लाख थी, जो हिंदी, बंगला और तेलुगु वोलने वालों की संख्या के बाद चौथे स्थान पर आती है। महाराष्ट्र राज्य में 386.2 लाख लोग और सलग्न मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में क्रमशः 13.9 लाख और 11.9 लाख लोग मराठी भाषा भाषी हैं। मराठी वोलने वालों की गिनती अफ्रीका महाद्वीप में भिन्न और एशिया महाद्वीप में किलेपिन एवं इजराइल की संयुक्त बावादी से अधिक है।

मराठी की लिपि नागरी है। वर्वाचीन काल में इस भाषा में प्रचुर साहित्य का सूजन हुआ है। हिंदी के समान मराठी ने भी 1955 ई. और 1977 ई. के बीच सभी भाषाओं के मुकावले में अधिकतम अर्थात् 22 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। (साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की स्थापना 1955 में हुई थी।)

7. उड़िया

इस भाषा को 'उद्री' अथवा 'उत्कली' भी कहते हैं। ये नाम इस भाषा की जन्मभूमि से लिए गए हैं जिसे उड़ीसा, उद्देश और उत्कल से संबोधित किया जाता है।

198.6 लाख भारतवासी इस भाषा को बोलते हैं। यह गिनती आस्ट्रेलिया महाद्वीप की बावादी से डेढ़ गुना है। इस भाषा के शब्द भंडार पर संस्कृत की बहुत छाप है। इस पर तेलुगु और मराठी का भी प्रभाव है, क्योंकि सदियों तक उड़ीसा के तिलंग राजाओं के बीच लगभग पचास वर्षों तक नागपुर के भोसलों के शासनाधीन रहा।

यद्यपि उड़िया लिपि का उद्गम स्रोत ब्राह्मी एवं नागरी है, इसके वर्णों का कमरी भाग गोल है और किसी किसी वर्ण का नीचे का भाग भी गोल है। उत्तर एवं दक्षिण बार्य एवं द्रविड़ लिपियों का यह संश्लेषण चौदहवीं शताब्दी के बाद हुआ।

उड़िया साहित्य का प्रारंभ उपेंद्र भंज से हुआ। इस कवि ने काफ़ी घर्म ग्रंथ लिखे, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य लेखकों की साहित्यिक कृतियां भी ऐसी हैं जिन्हें भारतीय साहित्य में सम्माननीय स्थान प्राप्त है।

8. पंजाबी

यह पंजाब प्रांत की भाषा है। पंजाब फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ

है 'पाच नदियों' की भूमि। प्राचीन काल में इसका नाम 'पाचाल' था।

1645 लाख लाख पजाबी वालन हैं। जैसे कि सलग्न 'भारतीय भाषाओं के बोलने वाल' शीर्षक ग्राफ से स्पष्ट है, वि पजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या वे आधार पर भारतीय भाषाओं में पजाबी का ग्यारहवा स्थान है। परतु श्रेणी एक (रेंक स्कोर) के अनुमार पजाबी का स्थान चौथा है। इससे स्पष्ट होता है कि इस भाषा के बोलने वाले सारे देश में विवरे हुए हैं।¹⁴ पजाबी बोलने वालों की संख्या सूडान की आदादी में 36 लाख अधिक है।

पजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पजाबी की पुरानी लिपि 'लड़े' थी, जिसका अर्थ है 'विहृत'। यह भी नागरी से क्षब्धिन थी, परतु इस लिपि में लिखे गए वो कई वार्ग इन्ह विवेने वाला व्यय भी नहीं पढ़ पाता था। इस श्रुटि को दूर करने के लिए द्वितीय मिख गुरु, गुरु अगद देव, ने सोलहवी शताब्दी में मिख ग्रथा के लिए एक नई लिपि का आविष्कार किया। यह लिपि दक्षनागरी से मिलनी जुतती है।

गुरु ग्रथ साहब, सिख पथ की मर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एव सम्मानित ग्रथ है। यह पजाबी माहित्य की एक उत्कृष्ट छन्ति है। बाधुनिर वाल में पजाबी माहित्य की मपदा में काफी वृद्धि हुई है और होती जा रही है।

9 सस्कृत

सम्भृत को आठवीं अनुसूची में, सविधान के मसौदे में सशोधन के उपरात, शामिन विद्या गया था। यह सशोधन सविधान में भाषा के विषय पर विचार के समय लक्ष्मीकान मैत्र (पश्चिमी बगाल) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने मशोधन प्रस्तुत करने समय आश्चर्य प्रकट किया कि किसी मदस्य ने सस्कृत को आठवीं अनुसूची में शामिन करने के महत्त्व की ओर सकेत नहीं किया। उनका मशोधन एकमन से स्वीकृत हुआ था।

बलामिनी सम्भृत, जिसे बेवल 'सम्भृत' के नाम से जाना जाता है, का विकास पाणिनि तथा उनके पूर्जे के व्याकरणाचार्यों द्वारा वैदिक सस्कृत के मानवीकरण से हुआ। यह काय ई पू सातवी शताब्दी में हो चुका था।

1971 ई की जनगणना के अनुमार सम्भृत बोलने वालों की संख्या 2212 थी, जो आठवीं अनुसूची के प्रत्येक भाषा भाषियों से बहुत कम हैं। उत्तरप्रदेश में सर्वाधिक सस्कृत बोलने वाले हैं, और उनकी संख्या 508 है। इसके बाद विहार और तमिलनाडु का स्थान है, जहां त्रिमश सस्कृत भाषा भाषियों की गिनती 350 और 254 है। मध्य राज्य थोंग्रो में दिल्ली में सबसे अधिक सस्कृत बोलने वाले हैं, और उनकी संख्या 94 है।

यद्यपि सस्कृत बोलने वाले बहुत कम संख्या में हैं, तथापि इस बात की

अब हेलना नहीं की जा सकती कि संस्कृत की भारतीय भाषाओं एवं भारतीय साहित्य को महानतम देन है। भारतीय भाषाओं के शब्द भंडारों में संस्कृत की देन के संबंध में अनेक अनुमान लगाए गए हैं। इनमें से एक अनुमान नीचे दिया गया है।¹⁵ (यहां पर सिंधी और उर्दू का जिक्र नहीं किया गया।) सिंधी में अभी तक उसका मूल एवं प्राकृत स्वरूप, जिसमें संस्कृत की झलक स्पष्ट मिलती है, देखा जा सकता है। जहां तक उर्दू का संबंध है, एक अनुमान के अनुसार इसमें 72.2 प्रतिशत हिंदी और 1.5 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं :)

भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द

भाषाएं	संस्कृत शब्दों का प्रतिशत
1. बंसपी	47.5
2. बंगला	62.8
3. गुजराती	46.3
4. हिंदी	43.2
5. कन्नड़	61.7
6. कण्णीरी	7.2 (इतने कम प्रतिशत पर आश्चर्य है)
7. मलयालम	53.8
8. मराठी	46.6
9. उडिया	50.7
10. पंजाबी	25.6
11. तमिल	13.5
12. तेलुगु	54.9

“जहां तक भारतीय भाषाओं की लिपि के लिए संस्कृत के योगदान का संबंध है, निम्नलिखित अभिमत महत्वपूर्ण है :

भारतीय लिपियों का इतिहास रोचक है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि संस्कृत की ब्राह्मी लिपि का रूप अखिल भारतीय था। यह सबसे प्राचीन लिपि है जिसका हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रयोग होता था और जिससे परवर्ती लिपियों (द्रविड़ परिवार की लिपियां भी इसमें जामिल हैं) की मिली-जुली उत्पत्ति हुई। ब्राह्मी के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि भी थी, जिसका इस्तेमाल उत्तर पश्चिम भारत में एक विशेष काल तक ही मीमित था। ऐसा माना जाता है कि खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों हिंदुस्तान में सिमिटिक खोत से व्यापारियों के माध्यम से आईं। संस्कृत के व्याकरण-

चार्या ने ब्राह्मो को अपनाया जिसके उत्तरी प्रकार से नागरी और अन्य आधुनिक लिखितों में उपजी, और उसके दक्षिणी प्रकार, अर्थात् पल्लव ग्रथ, से दक्षिणी लिपियों का आविर्भाव हुआ।

सस्कृत का साहित्य बहुत प्रनिष्ठित है। वेदों के अतिरिक्त, जो भारतीय आर्य जार्ति के प्राचीनतम् ग्रथ है, सस्कृत में अनेक महान् ग्रथ उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ एक के ताम्। इस प्रकार हैं सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, वेदाग, सूत्र, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, पुराण, तात्र ग्रथ, महाकाव्य कात्तिवास (जिन्हे भारा का शेषमपियर भी कहा जाता है) की रचनाएँ एव काव्य, दशन, गणित, शब्द कोष, छद्म और व्याकरण ग्रथ। सस्कृत में वैज्ञानिक एव तकनीकी साहित्य का भी अभाव नहीं है। यद्यपि सस्कृत में हिन्दू धर्म के आदि तथा प्राचीन ग्रथों की प्रचुरता है, तथापि इस भाषा में ऐहिक साहित्य का भी बड़ा भडार है। जेड ए अहमद कहते हैं

“निस्मदेह, सस्कृत में काफी ऐसा साहित्य है जिसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है और जिसमें सभी जातियों के लोग लाभान्वित हो सकते हैं चाहे वे हिन्दू धर्म के विरोधी या इसमें घृणा करने वाले ही क्यों न हो।

यद्यपि अग्रेज इंसाई है, लेकिन वे शूनाती और लानीनी भाषाएँ परिश्रम में सीखते हैं। वे ऐसा कभी नहीं सोचते कि इन भाषाओं के पढ़ने में ईसाई धर्म को कोई खतरा हो सकता है। सस्कृत की ओर मुसलमानों का भी यही दृष्टिकोण होता चाहिए। क्या सस्कृत भारत के हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की भाषा नहीं है ?”¹⁷

दक्षिण भारतीय भाषाओं की विषयवस्तु को भी सस्कृत की पर्याप्ति देन है। मैं सभी साहित्य सस्कृत के अत्यत बाहरी हैं, जिसके स्पष्ट से द्रविड़ भाषाएँ स्थानीय लिपियों के स्तर से ऊपर माहित्यिक भाषाओं के स्तर पर पहुँच गईं।¹⁸

4000 वर्षे के अपने इनिहास में इस भाषा ने भारतीय उपमहाद्वीप की सभी भाषाओं एव उपभाषाओं को प्रभावित किया है। इसका साहित्य विभिन्न लिपियों में मजोया और पढ़ा गया है, जिसमें इस भाषा का अविल भारतीय इण और झटिङ्ग उभरता है।

10 मिधी

मिधी नाम का उद्गम सोन महान मिथ नदी है, जो 1947 ई में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आई। प्राचीन ऐतिहासिक कृतियों से

मालूम होता है कि आज के पाकिस्तान की भूमि पर किसी समय गांधार, कैकेयी और सैधव नाम के तीन राज्य थे। सिवुओं और सौवीर का राज्य सिध नदी के दोनों ओर 29° अक्षांश पर सागर तट की ओर स्थित था, और यहां सिधी भाषा बोली जाती थी। “लगभग 4000 वर्ष पूर्व, प्राचीन आर्य लोगों के घरों और मोहनजोदहो के बाजारों में जो भाषा बोली जाती थी, उसका नाम है सिधी प्राकृत और यह आधुनिक सिधी का मूल आधार है। अपन्नंश की स्थिति से गुजरने के पश्चात् आधुनिक सिधी का आविर्भाव 1000 ई. तक हो चुका था।”¹⁹

संस्कृत को छोड़कर आठवीं अनुसूची की भाषाओं में सिधी सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। 16 8 लाख लोग ही इसे बोलते हैं। फिर भी यह गिनती सेट्रल अफ़्रीका गणराज्य की आवादी से अधिक है।

सिधी का साहित्य बहुत विपुल व व्यापक नहीं है। इसमें ब्राह्म अपन्नंश के गुण अब भी विद्यमान हैं। यद्यपि अरवी और फारसी बोलने वाले लोग ब्राचड़ प्रदेश पर सत्तारूढ़ रहे, तथापि सिधी के प्राकृत रूप की मौलिकता और शुद्धता इस भाषा में बनी रही। इसे देवनागरी और फारसी, दोनों लिपियों, में लिखा जाता है। फारसी लिपि मध्ययुगीन वाद्वाहों के प्रभाव का परिणाम है। जिया झारोको (कविताएं) महाकवि शाह अब्दुल लतीफ़ का ‘शाह-जो-रिसालों’, ‘हुनाजे आतम जो मौत’ (उपन्यास), ‘प्यार जी प्यास’ (उपन्यास), ‘अपराजिता’ (कहानियां) सिधी भाषा की थ्रेल रचनाओं में से हैं।

11. उर्दू

उर्दू की उत्पत्ति और पर्वरिश कई सौ साल पूर्व हिन्दुस्तान में ही हुई, सभवतः सुलतानों के राज्यकाल में और उत्तर भारत के फौजी बाजारों में। ‘उर्दू’ तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ‘फौजी कैम्प’। उन्नीसवीं शताब्दी में उर्दू साहित्य में बहुत वृद्धि हुई... केवल अरवी, फारसी और संस्कृत शब्दावली, खास तौर से संज्ञा और विजेपण ने ही इसे समृद्ध नहीं बनाया, अपितु हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों की बोलियों ने इसे साहित्यिक रूप देने, इसमें आकर्षण लाने और इसे संशक्त बनाने में बहुत योगदान किया है।²⁰

उर्दू शब्द भंडार के अवयवों का एक अनुमान इस प्रकार है। यह अनुमान उर्दू के प्रसिद्ध शब्दकोष ‘फ़रहंग-ए-आसफ़िया’ के आधार पर है, जो लगभग एक सौ साल पुराना है, और जिसमें 54,000 शब्द हैं।²¹ हिंदी की भाँति उर्दू की जड़ भी शूरसेनी और अपन्नंश में है। इसीलिए कुछ विद्वान उर्दू को हिंदी की एक शैली मात्र मानते हैं :

बहुत यह हिंदी ही है, जो जाप परिवार की एवं भाषा है, और जिसमें
दूर यारे कारमी, अरको एवं तुर्की शब्दों का नमावेग हा गया है। इस
घुम्हुपेठ से भाषा के मूल स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया और नहीं इस
पर कोई प्रभाव पड़ा है। यहाँ नवा विभक्तियों की दृष्टि में अब भी यह
शूद्ध बाप भाषा है। -

उद्दृढ़ शब्द भट्ठार के अवयव

(क)	(ख)	(ग)
मूर भाषा	उद्दृढ़ में मूर भाषा के शब्दों की मस्त्रा	(ख) कुल उद्दृढ़ शब्द भट्ठार का प्रतिशत में
1 हिंदी (नडी दोरी, ब्रज, ब्रह्मी और हिंदी की अथ उभभाषाएं शामिल करते)	39,000	72 2
2 अरबी	7,600	14 1
3 कारमी	6,400	11 8
4 सम्बत	800	1 5
5 अर्जों, पुर्णामी, प्रामीमी तथा अन्य विदेशी भाषाएं	200	0 4
कुल	54,000	100 0

उनीसबी शताब्दी के बाद, अन्य कारणों के अलावा, ऐनिहामिक कारणों ने
भी इसका रुख अख्ती प्रीत कारमी की ओर अधिक कर दिया

ऐसी विवारधारा चलने लगी कि कारमी के लोप के कारण जो रिक्तता
उत्पन्न हो गई है उसे उद्दृढ़ से पूरा किया जाए। ऐसी आवाज़ भी मुलाई
पढ़ी कि लसनऊ (जो उद्दृढ़ का एक महान केंद्र था) की गतियों को
फारम के इस्फ़हान की गतियों में बदल दिया जाए। इस प्रकार उनीसबी
शताब्दी में एक ऐसी हवा चल पड़ी जिससे उद्दृढ़ भाषा कारमी एवं अख्ती
शब्द और सस्कृति का निधान बन गई। ३

आज उद्दू भारत की एक ममृद्ध, सशक्त एवं श्रेष्ठ भाषाओं में से है। कवि सम्मेलनों, कव्वालियों, मुण्डायरो और अनेक उच्चकोटि की साहित्यिक कृतियों के कारण यह बहुत लोकप्रिय बन गई है। इसकी लिपि फारमी है। देश में इसके बोलने वालों की संख्या 286.1 लाख है। इस प्रकार भाषा भाषियों की गिनती के आधार पर आठवीं अनुसूची की भाषाओं में इसका छठा स्थान है।

द्रविड़ भाषाएँ

12. कन्नड़

कन्नड़ अथवा 'कर्नड' का अर्थ है 'श्याम देश'। द्रविड़ शब्द 'कर' का अर्थ है 'काला' और 'नाड़ु' का अर्थ है 'देश'। जहां यह भाषा बोली जाती है, वहां की मिट्टी (कपास के उपयुक्त) काली है। अत इस प्रकार भाषा का ऐसा नाम-करण हो गया।

कन्नड़ भाषा बोलने वालों की संख्या 217.1 लाख है, जो ग्वाटेमाला जैसे चार देशों की जनसंख्या से अधिक है। यह गिनती अफगानिस्तान एवं हांगकांग की संयुक्त आवादी से भी अधिक है।

कन्नड़ लिपि का बोत ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि का जन्म उन्नीमवी शताब्दी में हुआ, और इसका श्रेय ईसाई प्रचारकों को है। यह लिपि तेलुगु तथा तमिल भाषा की लिपियों से मिलती जुलती है। इस लिपि में सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक वाइबल है। प्राचीन काल में शलाका के साथ पत्तियों पर लिखने की प्रथा थी, इसलिए वर्णों को वक्र रूप में लिखा जाता था, ताकि उनके तंतु कहीं फट न जाएं।

भारतीय भाषाओं में कन्नड का सम्माननीय स्थान है। इसमें इतिहास, समाजशास्त्र एवं विज्ञान साहित्य की काफी वड़ी निधि है। राजदरवार से भी इस भाषा को संरक्षण प्राप्त हुआ और जैन, ब्राह्मण एवं वीर शैव कवियों से भी इसे बहुत पोषण मिला। 1955 ई. के बाद, 23 वर्षों में, द्रविड़ भाषाओं में साहित्य अकादमी के सर्वाधिक पुरस्कार कन्नड़ भाषा की कृतियों को प्रदान किए गए हैं।

13. मलयालम

'मलय' शब्द का अर्थ है पहाड़ और मलयालम पहाड़ी क्षेत्र को कहते हैं। यद्यपि मलयालम इस क्षेत्र का नाम है, परंतु अब यह शब्द यहां की भाषा के लिए प्रयुक्त होता है। यह पश्चिम भारत के मालावार तट पर स्थित केरल प्रदेश की राजभाषा है। तमिल के साथ इस भाषा के संवंध के विषय में

ग्रियसंन कहते हैं “प्राचीन आय इसे तमिल से अभिन्न मानते थे। अपेक्षाकृत आधुनिक समय में ही यह उससे अलग हुई है।”³ ऐसा मत है कि यह पृथक्करण नवी शताब्दी म हुआ। मलयालम भाषा भाषियों की गिनती 219 4 लाख है, जो यूरोप मे व्यानिया की आबादी से अधिक है।

यह भारत की पर्याप्त परिष्कृत भाषाओं मे से है। सस्कृत से गृहीत शब्द इसम सुस्पष्ट हैं। केरल भाषा ने सस्कृत के सभी स्वनिम, जो द्रविड मे नही हैं, स्वीकार कर लिए है। माहित्यक वृत्तियों मे सस्कृत और मलयालम के मिलेजुले स्तर (जिसे ‘मणीप्रवालम’ कहते हैं) के दस्तेमाल का भी सफल प्रयत्न किया गया है।⁴

मलयालम ने सातवी शताब्दी मे वेटिट्टलुटु लिपि को त्याग कर ग्रथलिपि को अपना निया। केरल के मुसलमानों ने ग्रथलिपि को स्वीकार नही निया है, और अभी तक वे वेटिट्टलुटु लिपि वा प्रयोग करते हैं। इसका कारण इस वर्ग की साप्रदायिक भाननाओं से जोड़ा जाता है।

14 तेलुगु

यह आध्यप्रदश की भाषा है। इसका प्रारम्भिक सब्द पाचवी और छठी शताब्दी ईस्वी के शिरालेखों से जोड़ा जाता है।⁵

1961 ई की जनगणना के अनुसार भारतीय भाषाओं के बोलनेवालों मे तेलुगु भाषा भाषियों का द्वितीय स्थान था, परन्तु 1971 ई की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान बगला भाषा बोलने वालों का है। तेलुगु भाषा भाषी अब तीसरे स्थान पर है। भारत मे 447 5 लाख तेलुगु बोलने वाले हैं। यह सर्वांगी आबादी मे दूगुनी है।

तेलुगु भाषा के शब्द स्वरात होते हैं। इसलिए इस भाषा को ‘पूरव की इटेलियन’ भी कहा जाता है। इसकी लिपि ब्राह्मी मे निर्माणी है। 1300 ई तक तेलुगु और बन्नड की एक ही लिपि थी। इसके बाद दानों भाषाओं मे अलग अलग लिपि का विकास हुआ, परन्तु समानता के अवशेष अब भी दोनो लिपियों मे उपनिषद है।

तेलुगु म व्याकरण, अलकार, छद्मशास्त्र, दर्शन एव नीति विषयक अनेक कृतियां हैं। उन्नीमवी शताब्दी तक ये वृत्तिया सस्कृत माहित्य की जनुगमी थी।

15 तमिल

यह भारत की प्राचीनतम भाषाओं मे से है। बुछ विद्वान् तमिल शब्द की व्युत्पत्ति मस्कृत शब्द द्रविड से इस प्रकार मानते हैं

द्रविड़—द्रामिल—दामिल—तामिल—तमिल

इसके बोलने वालों की संख्या 376.9 लाख है, जो तुर्की की जनसंख्या से अधिक है। आठवीं अनुसूची के भाषा भाषियों में तमिल बोलने वालों का स्थान पांचवां है। इससे पूर्व चार स्थान क्रमशः हिंदी, बंगला, तेलुगु एवं मराठी के हैं।

आचार्य विनोदा के अनुसार तमिल में 'अम्' 'अन्' के साथ अंत होने वाले शब्द संस्कृत से आए हैं (विनोदा भावे, देवनागरी सेमिनार, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली, पृष्ठ 58)। संस्कृत की तमिल को देन प्रायः दर्शन एवं धर्म ग्रंथों के क्षेत्र में रही है। तमिल पर संस्कृत का प्रभाव सीमित रहा है, क्योंकि बीच में आंध्रप्रदेश और कर्नाटक ने बफर का काम किया। इस प्रकार आयों का प्रभाव तमिलनाडु तक बहुत अधिक मात्रा में न पहुंच सका :

जहाँ तक लिपि का संवंध है, द्रविड़ भाषाओं के वर्णों का लोत उत्तर भारत की लिपियों में से वैसे है जैसे कि देवनागरी का। परंतु अब तक इनमें इतना संशोधन और परिवर्तन हो गया है कि अब यह पहचानना कठिन है कि इनका उत्तरी भाषा के वर्णों से कोई संवंध भी है अथवा नहीं। अब तीन मुख्य लिपियों का प्रयोग होता है: एक तमिल के लिए, एक मलयालम के लिए, और एक थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ दो रूपों में, तेलुगु एवं कन्नड़ के लिए।²⁷

तमिल का शब्द भंडार एवं साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। यद्यपि तमिल भाषा दसवीं शताब्दी तक विकसित हो चुकी थी, परंतु बाधुनिक तमिल साहित्य का प्रारंभ अठारहवीं शताब्दी से माना जाता है।

उपसंहार

उपर्युक्त पंद्रह भाषाओं का हिंदुस्तान में शताब्दियों में सहवस्तित रहा है। इसलिए इनके बीच काफ़ी आदान प्रदान होता आया है। भारतीय आर्य भाषाओं का द्रविड़ीकरण और द्रविड़ भाषाओं का आर्यकरण होता रहा है। इसके अतिरिक्त मुंडा एवं भोट, वर्मी भाषाओं का प्रभाव भी इन भाषाओं पर स्पष्ट है। मसलन, अनेक वस्तुओं तथा स्थानों के नाम, जैसे पान, रुई, सूती कपड़ा, वांस, कोशल, कर्लिंग आदि शब्द आर्य भाषाओं में मुँडा भाषाओं से ही आए हैं। विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से अलग होकर विकसित नहीं हुई हैं। परंतु जब इन भाषाओं की समानता की चर्चा की जाती है, उनके बीच विद्यमान असमानताओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

द्रविड और भारतीय आय भाषाओं के बीच स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान एवं वाक्य विन्यास में भेद है। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-

द्रविड भाषाओं में प्राय चार या पाँच मूँहें वर्ण के जोड़े रहते हैं (कभी सघोप और कभी अधोप)। इनमें एवं वल्म्य स्वरों का भी भेद रहता है। इसके प्रतिकूल भारतीय आय भाषाओं में सघोप एवं अधोप, महाप्राण अथवा महाप्राण से वियुक्त पाँच वर्ण हैं। यद्यपि तेनुगु भाषा भाषियों को छोड़कर अन्य सभी द्रविड भाषाओं के बोलने वाले महाप्राण वर्णों को महाप्राण वियुक्त करके बोलते हैं, परन्तु इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि द्रविड भाषाओं में महाप्राण वर्ण भारतीय आय भाषाओं में आए हैं। द्रविड भाषाओं के कुछ मूँहाय वर्ण भारतीय आय भाषाओं में नहीं मिलते। द्रविड भाषाओं में 'ई' एवं 'ओ' के लघु एवं दीप रूपों में स्पष्ट अन्तर किया जाता है, परन्तु भारतीय आय भाषाओं में ऐसा नहीं होता। स्वर विज्ञान की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण अन्तर है।

हिंदी और जाय बहुत सी भारतीय आय भाषाओं में दो लिंग होते हैं। भारतीय आय भाषाओं में निंग भेद व्याकरणसम्मत होता है, जबकि द्रविड भाषाओं में यह अर्थसम्मत होता है। (एम एम इद्रानश इसे शाविक-व्याकरणिक कहते हैं।)

जहा तक विभक्तियों का मतभ्र है, भारतीय आय भाषाओं में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मूलत दो रूप हैं, जबकि द्रविड भाषाओं में कर्ता कारव एवं कर्म कारव में अलग अलग रूप रहने हैं।

द्रविड भाषाओं के अनर्गत सर्वनामा के जितने स्पष्ट हैं, भारतीय आय भाषाओं में वे नहीं मिलते। उनमें पुरुष व्युत्पचन के लिए सम्मिलित एवं पृथक् दोनों रूप विद्यमान हैं।

भारतीय आय भाषाओं में सभ्याओं के उच्चारण में पहले इकाई के अक्ष को बोलते हैं और उसके बाद दहाई के अक्ष को। द्रविड भाषाओं में इसके विपरीत दहाई के अक्ष को बालने वे बाद इकाई के अक्ष को बोला जाता है।

गोड़ी को छाड़, किसी भी द्रविड भाषा में निशेषण पुरुष, वचन एवं लिंग के अनुसार नहीं बदलता। ऐसा माना जाता है कि इसका कारण द्रविड भाषाओं पर भारतीय आय भाषाओं का प्रभाव है।

सत्कृत का भी दक्षिण की भाषाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो भारतीय आय सम्बृति और हिंदू धर्म की भाषा रही है। इन भाषाओं ने सत्कृत से बहुत शब्द उधार लिए हैं। यह बात सभी द्रविड भाषाओं पर लागू होती है, परन्तु मलयालम में तो एक मणीप्रवातम (लीलातिलकम् में) नाम की शैरी भी

चली जिसमें आधी संस्कृत और आधी मलयालम होती थी। द्रविड़ भाषाओं ने हजारों संस्कृत शब्दों को अपना लिया है। शब्दों का यह प्रवाह केवल एक तरफ नहीं रहा है। भारतीय आर्य भाषाओं ने भी द्रविड़ भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। कहीं-कहीं पर तो यह आदान प्रदान इनमा अधिक है कि दोनों परिवारों की मूल विशेषताओं का लोप तक हो गया है, और भाषण-गत विशेषताएं अभिमुखी हो गई हैं। इम क्षेत्र में आर. कालडैल, गी. यू. पोप, जे. ल्लोच, एस. के. चैटर्जी, एम. वी. इमेनियु, टी. वर्गे, एम. एंद्रानव आदि विद्वानों ने बहुत कार्य किया है। विद्वानों के बहुमत के अनुसार भारत को 'एक-भाषायी क्षेत्र' माना जा सकता है। इन भाषाओं का पारस्परिक प्रभाव केवल जातीय सीमाओं में ही आगे नहीं निकल गया, अपितु इम प्रक्रिया द्वारा कुछ ऐसी विशेषताओं का भी जन्म हुआ है जो इनमें से किसी भी भाषा परिवार में पहले मौजूद नहीं थी। अगर नेन देन की यह प्रक्रिया इस प्रकार जारी रही तो निस्संदेह कुछ सदियों के बाद भारतीय भाषाओं का जातीय आधार पर वर्गीकरण संभव नहीं होगा। इस संबंध में एम.एम. एंद्रानव का कहना है:

पिछले साढ़े तीन हजार वर्षों में भारतीय आर्य भाषाओं ने अपनी कुछ विशेषताओं को त्याग दिया है, और इस प्रकार ये भाषाएं पूर्ण रूप में भारोपीय नहीं रह गई। आधुनिक द्रविड़ भाषाएं भी अपने प्राचीन रूप में काफ़ी दूर हट गई हैं, और भारतीय आर्य भाषाओं के निकट वा गई हैं। दोनों परिवारों में अनेक समान लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ है। यदि द्रविड़ तथा भारतीय आर्य भाषाओं का यही विकासक्रम रहा तो ऐमा मानना निराधार नहीं होगा कि भविष्य में इन भाषाओं के परस्पर भेद इनके और इनकी जननी भाषाओं के बीच भेदों से कम हो जाएंगे। हो सकता है कि भाषाओं में नवीन विकसित समान संरचना की प्रवृत्ति के फलस्वरूप एक नये भाषा परिवार का जन्म हो जाए, जो पूर्णरूपेण न तो द्रविड़ हो और न ही भारतीय आर्य ।²⁸

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के दो मुख्य भाषा परिवारों में जहाँ अनेक भेद हैं वहाँ उनके बीच बहुत से नमान लक्षण भी मौजूद हैं। इन समानताओं के कारण दोनों परिवारों के बोलने वाले लोगों को एक दूसरे की भाषा पढ़ने और समझने में सुविधा हो जाती है। इसलिए भारत की अनेक संपन्न भाषाओं में से एक मर्वस्वीकृत भाषा को चुनना यदि आसान काम नहीं है तो भी यह कार्य नामुमकिन नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि नेता और जनता योड़ी बुद्धिमत्ता से काम लें, मेहनत और साहन का दामन थामें और

देशप्रेम की भावनाओं को सामने रखते हुए और मिथनि की वास्तविकताओं के अनुकूल काय करते हुए शोध विभी एक समुचित निषय पर पहुँचे।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

- 1 देखिए परिचिष्ट ।
- 2 भारत, माया-वार प्रातों के आयोग को रिपोर्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार, 1948 पृष्ठ 28
- 3 भारतीय भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संसार के विभिन्न देशों की जनसंख्या का सापेक्ष तुलना करने के लिए देखिए, परिचिष्ट]। इस परिचिष्ट में सभी संव्याप्त या नो 1971 की वास्तविक प्रथम अनुमानित हैं ये संव्याप्त 1973 की संयुक्तराष्ट्र द्वारा प्रकाशित जनसंख्या संबंधी 'डेमोग्राफिक इंपर ड्रूक' से सो गई हैं
- 4 एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका, 1956, पृष्ठ 2, पृष्ठ 411
- 5 "नसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, 1953, पृष्ठ 2, पृष्ठ 553
- 6 विष्णुन, जी ए, लिंगुस्टिक सर्वे भार्ती इंडिया, निल्ली, मोनीलाल बनारसीदास 1967, पृष्ठ 568, पृष्ठ 1, भाग । भूमिका, पृष्ठ 22
- 7 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, 1956 पृष्ठ 111, पृष्ठ 513-514
- 8 विष्णुन, जी ए लिंगुस्टिक सर्वे भार्ती इंडिया, दिल्ली मोनीलाल बनारसीदास 1968, पृष्ठ 61
- 9 शर्मा शरोदिनी, गवेषणा, प्रागरा कॉटोय हिन्दी संस्थान, 1972 पृष्ठ 95-100
- 10 भारतीय भाषाओं के बोलने वालों की जनगणना के प्रस्थानी एवं अन्य प्रांकड़ा में जैसे वि परिचिष्ट] के विवरण । एवं ॥ से विदित होता हुआ अतर है, परन्तु इस अन्तर से इम प्रथ्याय के निष्कर्षों में कोई पक्क नहीं पहला
- 11 विष्णुन जी ए लिंगुस्टिक सर्वे भार्ती इंडिया निल्ली मोनीलाल बनारसीदास 1968 पृष्ठ 6, भारतीय भार्ती परिवार प्रश्नस्य गुरु पृष्ठ 9-13
- 12 पृष्ठ, पो एन, लैगुज़िड भार्ती इंडिया, ए क्लेहियस्कोमिक सर्वे पृष्ठ 45
- 13 एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका, 1956 पृष्ठ 16, पृष्ठ 312
- 14 देखिए परिचिष्ट II
- 15 यह अनुमान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पारस्परित भागों पुस्तक में संविधान के पन्नों 351 के पन्नावाद पर आधारित है पृष्ठ 16-40 में सत्कृत शब्दों का प्रतिलिपि अनुवाद में दिए गए संस्कृत शब्दों का उम्मीद में दिए गए हुए शब्दों से भाग करके लिखा गया है

16. राधवन, वी.; लैंगुजिज ऑफ इंडिया, ए. कैलेडियस्कोपिक मर्व, पृष्ठ 61-62
17. अहमद, चोड. ए. (सकनित); नेशनल लैंगुइज फार इंडिया, ए. निपोजियम, इनाहावाद, किताबिस्तान, 1941, पृष्ठ 108
18. नीलकात शास्त्री, के. ए.; हिन्दू ऑफ माउथ इंडिया, लदन, आवमफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1955, पृष्ठ 327
19. जयरामदास दोलतराम; लैंगुजिज ऑफ इंडिया, 1968, पृष्ठ 63-65,
20. मकबूल अहमद, एम.; लैंगुइज मोमाइटी इन इंडिया प्रोमोडिग्म ऑफ ए मेमिनार, शिमला, इन इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ एडवाम्ड स्टडी, 1969, पृष्ठ 147
21. प्याज खालियरी; उर्दू जुवान, उर्दू भाषाहिक 'हमारी जुवान' में प्रकाशित, अगस्त 1, 1975, दिल्ली, अजुमन तरख़ी उर्दू, अगस्त 1975, पृष्ठ 1
22. एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकना, 1956, घ्रथ 27, पृष्ठ 59.
23. भारत, संविधान मंत्रा की वहते 'कास्टिट्यूएंट एमेवली हिवेट्स', नई दिल्ली, कास्टिट्यूएंट एमेवली, 1949, घ्रथ 9, पृष्ठ 1460,
24. प्रियसेन, जी ए.; लिंगुस्टिक मर्व ऑफ इंडिया दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, 1967, घ्रथ 4.
25. कुजन्नी रोचा; लैंगुइजिज ऑफ इंडिया, पृष्ठ 48
26. नीलकात शास्त्री के. ए.; हिन्दू ऑफ माउथ इंडिया, लदन, आवमफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1955, पृष्ठ 387.
27. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, 1965, घ्रथ 7, पृष्ठ 655
28. एंद्रानोव, एम. एस.; ड्रेविड्यन लैंगुजिज, मास्को नोका प्रकाशन गृह, 1970, पृष्ठ 194

अध्याय दो

संविधान सभा का निर्णय

15 अगस्त, 1947 ई भारत के लिए एक नये युग के समारंभ का द्वौतर है। इस दिन वर्षों की दासता का अत दूँआ और देश आजाद हो गया। स्वतंत्रता के साथ जहा एक और नई उम्मीदों की लहर दोडी, नूसरों और अनेक राजनीतिक, आर्थिक, भासाजूनिक समस्याएँ सामने आ गईं, जिनके हल ढूँढ़ने का दायित्व अब भारतवासियों के क्षणों पर जा गया। इनमें से एक समस्या राजभाषा की भी थी। भारत के संविधान निर्माताओं को एक ऐसी भाषा का सध की भाषा के लिए चुनना था जो भारतवासियों को प्राप्त हो। राजभाषा के प्रश्न पर संविधान सभा में 12 सितंबर, 1949 ई से 14 सितंबर, 1949 ई तक चर्चा हुई। इस प्रश्न पर बोलने के लिए सभा के इतने अधिक भद्रमय उल्मुक थे किं अध्यक्ष को इस बहस के लिए निश्चिन अवधि से नौ घण्टे अधिक देने पड़े। भाषा का प्रश्न सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण था, अत संविधान सभा के अध्यक्ष द्वा राजेंद्र प्रगांड ने प्रातों का प्रतिनिधित्व और विषय के सभी पहलुओं को ध्यान में रखन दृष्ट, हर वग के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्याप्त बरने के लिए अवमर देने की कोशिश की।¹

वहम के शुरू होने में पूर्व अध्यक्ष ने सदस्यों को सावधान करते हुए कहा

संविधान की कोई अन्य धारा ऐसी नहीं है जो (भाषा की तरह) हर दिन हर पहर या, कहा जा सकता है, हर क्षण अमल में लाई जाएगी। सदस्यों को यह याद रखना होगा कि वहम में वाल की खाल निकालने में कोई लाभ नहीं होगा। इस सदन का फैसला ममस्त देश के लिए मान्य होना चाहिए। मले ही कोई निषय बहुमत में पारित हो जाए, यदि वह उत्तर या दक्षिण में जनमाधारण के किसी भी बहुत बड़े वर्ग को इकार

नहीं होगा, तो संविधान को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई पैदा होगी।¹²

इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच और हर पार्टी के सदस्यों में आपस में काफ़ी वहस हुई। संविधान सभा में 12 सितंबर, 1949 ई. में पूर्व भी इस विषय पर चर्चा शुरू करने का कई बार प्रयत्न किया गया था, परंतु हर बार बातावरण उत्तेजनापूर्ण हो जाता था कि इस प्रश्न पर वहस को स्थगित करना पड़ता। जब संविधान सभा की कालावधि समाप्त होने को आई, तो इस विषय पर विचार करना और कुछ निर्णय लेना अनिवार्य हो गया। कांग्रेस दल के अंदर भी, जिसका संविधान सभा में बहुमत था, इस विषय पर काफ़ी मतभेद था। राजभाषा संबंधी 'मुंशी-आयगर ममीदे' पर विचार करने के लिए 2 सितंबर, 1949 ई. को कांग्रेस दल की बैठक हुई। इस बात पर भी दो रायें थीं कि प्रस्ताव प्राप्त-ममिति की ओर से सदन के सामने लाया जाए अथवा सदस्यों द्वारा उनकी निजी हैसियत में। प्रत्येक पक्ष में 70 मत थे। अंततोंगत्वा, अवैद्यक, आयगर और मुंशी ने यह प्रस्ताव व्यक्तिगत हैसियत से सदन में पेश किया।¹³

राजभाषा संबंधी 343 से 351 तक के अनुच्छेद भारतीय संविधान के XVII भाग में ममाविष्ट हैं। ये अनुच्छेद निम्न चार अध्यायों में विभक्त हैं।

1. संघ की भाषा
2. प्रादेशिक भाषाएं
3. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयी आदि की भाषा
4. विशेष निदेश।

संविधान सभा की वहस मुख्यतया अनुच्छेद 343 पर ही केंद्रित रही। इस अनुच्छेद की निम्नलिखित चार विशेषताएं हैं। संघ की राजभाषा हिन्दी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, राजकाज के कामों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा और इन सब निदेशों के बावजूद भारतीय संविधान के लागू होने से पंद्रह वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का उन सभी कामों में प्रचलन रहेगा जिनके लिए आजादी से पूर्व इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। इन चार विशेषताओं में से अतिम दो पर वाद-विवाद के दौरान काफ़ी गम्भीर होती रही।

13 सितंबर, 1949 ई. के दैनिक पत्र 'हिंह' ने लिखा कि भाषा के प्रश्न पर वहस करने के लिए जब सभा की बैठक हुई तो सभा में सदस्यों को उपस्थिति अभूतपूर्व थी। इसमें पता चलता है कि मदस्य इस प्रश्न को कितने भव्यत्व की दृष्टि से देखते थे।

संघ की भाषा के लिए अग्रेजी हिंदी, हिंदोस्तानी, सस्कृत और बगला के लिए दावे पेश किए गए। प्रत्येक दावे के पक्ष में जो दलीलें दी गईं, संक्षेप में वे इस प्रकार थीं-

अग्रेजी एन गोपालास्वामी आयगर का यद्यपि भाषा-प्रस्ताव का मसीदा तैयार करने में हाथ था, तथापि अग्रेजी का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा "मेरे विचार में इस भाषा द्वारा हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है और इसपर अपनी आजादी की इमारत खड़ी की है।"⁴ नजीर दीन अहमद ने अग्रेजी को 'समार की भाषा' बताते हुए इसे देश की राजभाषा बनाए रखने की अपील की। अपने प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने जापान का उदाहरण दिया और कहा-

उसने (जापान ने) स्वेच्छया अग्रेजी को राजभाषा बनाया। जापान के लोग अमरीका और अन्य देशों में गए और अग्रेजी भाषा सीखी। इस भाषा के द्वारा विज्ञान, नवीन चित्तन और वार्षिकनामों का पूरा ससार उनके मामने उपस्थित हो गया। यदि दुर्भाग्यवश जापान को पिछले महायुद्ध में न कूदना पड़ता तो जापान आज दुनिया की मबस्ते वडी ताकत होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाया जाए। यह अनिवार्यता भले ही असचिवर हो, पर यह अपरिहार्य है।⁵

अग्रेजी के विश्व बटुता का दृष्टिकोण त्यागने का अनुरोध करते हुए एलो-इंडियन नेता, फैंक एथनी ने कहा-

आखिर हमारे देशवासियों ने पिछले 200 वर्षों में अग्रेजी भाषा का जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह अतर्राष्ट्रीय कामों के लिए भारत की महान् निधि है। मैं बगपूर्वक यह कहने को तैयार हूँ कि अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के अप्रणी होने वे दावे का आधार एवं अन्य देशों द्वारा इस प्रकार की मान्यता प्राप्त करने का एकमात्र कारण यही है कि विदेशों में रहने वाले हमारे प्रतिनिधि अतर्राष्ट्रीय भौतों पर अधिकारपूण अग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

ठा श्यामप्रसाद मुखर्जी ने जहा एक और संघ की राजभाषा के लिए हिंदी की सिफारिश की, वहा दूसरी ओर उन्होंने देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रेजी की आवश्यकता को न्यायसंगत बताया। उनका विचार था कि भावी भारत

* सदस्यों के निवाचित-सत्र इस घट्याय के भठ्ठ में परिणिष्ट में दिए गए हैं।

में अंग्रेजी के स्थान का निर्णय देश की जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा :

आखिर, इस भाषा के कारण ही हमें अनेक उपलब्धिया हुई हैं। इसके अतिरिक्त, देश के राजनीतिक संगठन और इसकी स्वतंत्रता प्राप्ति में अंग्रेजी का बहुत बड़ा हाय है। इसके माध्यम से संसार के अनेक भागों की संस्कृति के द्वारा हमारे लिए खुल गए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की जो प्राप्ति हमें अंग्रेजी पढ़ने से हुई, वह अंग्रेजी की जानकारी के बिना मुश्किल थी।⁷

कुछ इसी प्रकार की बात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कही। उनका कथन था : “हमें अवश्य अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए... परंतु अंग्रेजी भी भारत की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा वनी रहनी चाहिए। क्यों? जब अंग्रेज हिंदोस्तान में आए, उस समय की अपेक्षा संसार में अंग्रेजी का महत्व आज कही अधिक है। जिससंदेह, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के निकटतम है।”⁸

कुछ सदस्यों का मत उपर्युक्त मतों के बिलकुल विपरीत था। आयंगर के कथन का विरोध करते हुए आर. पी. धुलेकर ने कहा :

केवल उन्हीं लोगों ने स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया जिन्होंने अंग्रेजी को भुला दिया, जिनकी अंग्रेजी के प्रति अनास्था थी और जो यह समझते थे कि अंग्रेजी भाषा एक ऐसी विपैली वस्तु है जो देश का नाश कर देगी।⁹

लक्ष्मीनारायण साहू ने अंग्रेजी के समर्थकों की तुलना उस शराबी से की जो यह सोचता है कि ‘नशावंदी से उसकी मृत्यु हो जाएगी।’¹⁰ अलगूराय शास्त्री ने अंग्रेजी का विरोध करते हुए कहा कि यह देश के किसी भी भाग के लोगों की भाषा नहीं है।¹¹ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतवासियों ने यह भाषा स्वेच्छया नहीं सीखी थी। ब्रिटिश राज्य को सस्ते कलर्क उपलब्ध कराने के प्रयोजन से तैयार की गई योजना के अधीन देशवासियों को यह भाषा मजबूरी में सीखनी पड़ी थी।

हिंदू : एन. गोपालास्वामी के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरंत बाद सेठ गोविंद दास ने कहा :

दक्षिण भारत तथा अन्य अहिंदो भाषा भाषी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक ब्रात तो

स्वीकार कर ली है कि देवनागरी लिपि में हिंदी ही संघ की भाषा बन सकती है, चाहे इसे राष्ट्रीय भाषा का नाम दें अथवा राजभाषा का।¹³

इन शब्दों से स्पष्ट है कि जब भाषा के विषय पर विवाद आगम हुआ तो यह नगरभाग निविराग स्थप में स्वीकृत था कि आप गर-मुझाव, जिसमें हिंदी को संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया था, समर्थोंने कें रूप में माना जा चुका था। इसनिए यदि हिंदी को राजभाषा बनाने के दावे के पक्ष में ज्यादा दलीलें पेश नहीं की गईं तो इसमें आश्चर्य की काई बात नहीं है।

अग्रेजी के मुकाबले में हिंदी के लिए दलील पक्ष करते हुए अलगूराम ग्राम्यी ने कहा कि देशज भाषा स्वराज्य का अविच्छेद्य भाग है। काव्यमय ढंग से उन्होंने कहा

भाषा, भेष और भोजन है जिसका अपना प्यारा
उम पर कभी नहीं चलने को धोरो बा चारा।

श्यामप्रभाद मुक्तीजी ने हिंदी का समर्थन इस आधार पर किया कि यह बहुमत्यक जनता की भाषा है। उनका कथन था

ऐसी बात नहीं है कि हिंदी निविवाद स्थप में देश की मर्वोत्तम भाषा हो। इसे राजभाषा मानने का सबसे बड़ा बारण यह है कि देश की अधिकतम जनता इसे समर्थनी है। यदि भारत के 32 वराह लोगों में में 14 करोड़ किसी एक भाषा की भवित्वने हो, और यह भाषा क्रमिक विरास के भी समर्थ हो, तो हमारा चहना है कि इस ममस्त भारत के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए, परतु यह सब कुछ दस प्रकार होना चाहिए कि इससे राज कार्य अथवा प्रशासनिक कामों के स्तर में कोई अपकर्ष न आए और न ही किसी प्रकार में देश या इसकी भाषाओं की प्रगति में बोई विघ्न पड़े।¹³

बी दास ने कहा, “हमें भानुम है कि देश में एक जन-भाषा हानी चाहिए। हम हिंदी को स्वीकार करते हैं।”¹⁴ परतु इस सबध में उन्होंने किसी प्रकार के अनुदार अथवा उतावने दृष्टिकोण की निरा की। उनका बहना था

हम भी इसान हैं और दात-रोटी की समस्या हमारे लिए उतनी ही जहरी है जिन्हीं कि आठवींवादिता को बनाए रखने की। इसके बाद यूथी में जो सदस्य बोलेंग, उन्हें बताना चाहिए कि इस समस्या का वे क्या हल सोच रहे हैं कि इस प्रक्रिया में उड़ीसा, अमम, बगाल अथवा मद्रास, बबई के कुछ

भाग, मैसूर, ट्रावनकोर जैसे दक्षिणी भागों की अपेक्षा उनका प्रतिनिधित्व न हो जाए। इस समस्या का समाधान उन्हें खोजना होगा।¹⁵

जी. दुर्गचार्म देशमुख ने आयंगर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करने की सिफारिश की। उन्होंने केंद्रीय प्रांत (मध्य प्रदेश) अथवा सयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) की छाप वाली हिंदी का विरोध किया। लक्ष्मीनारायण ने हिंदी का समर्थन किया और दुर्गचार्म देशमुख के कथन के एक आंशिक भाग का विरोध करते हुए कहा :

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्कल निवासी हूँ, परन्तु मैं हिंदी'को राष्ट्रभाषा' बनाने का पूरा समर्थन करता हूँ। हिंदी भाषा के साथ हमें इसका साहित्य भी ग्रहण करना होगा। यह मुमकिन नहीं है कि कोई भाषा तो अपना ली जाए और उसके साहित्य का परित्याग कर दिया जाए। ऐसी हिंदी का निर्माण नितांत असंभव है जिसमें ऐसे सरल शब्द हों जो देश के सभी जनसाधारण आसानी से समझ लें। यह स्थिति कभी नहीं आ सकती। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, कि हम इसे ठीक बोलें न कि जैसे हमारी मर्जी आए वैसे बोलते जाएं।¹⁶

हिंदोस्तानी : तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा उर्दू, फारमी और अरवी के महान् पंडित भीलाना अब्दुल कलाम आजाद ने हिंदोस्तानी के लिए एक जोरदार दावा प्रस्तुत किया। उनके मतानुसार हिंदोस्तानी उर्दू और हिंदी के बीच वनी खाई को दूर कर देगी। साथ ही यह भाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें उत्तर भारत की सभी भाषाएं समाहित हो जाती है।

हुकम सिंह ने पहले देवनागरी लिपि में हिंदी का समर्थन किया किंतु बाद में उन्होंने अपना मोर्चा बदल लिया। उन्होंने कहा, “मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने हिंदी के समर्थकों के कटूरपन और अनुदारता के दृष्टिकोण को देखकर इस भाषा को अपना समर्थन देना बंद कर दिया है।”¹⁷

परंतु कुछ लोगों के विचार में हिंदोस्तानी राजभाषा का भार वहन करने के योग्य नहीं थी। उदाहरणार्थ, रविशंकर युक्त ने हिंदोस्तानी का विरोध इसलिए किया कि यह भाषा हिंदी की एक झौली मात्र है और भाषा के स्वरूप का निश्चय उसके बोलने वाले करते हैं न कि संविधान सभाएं। प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री रघुवीर ने कहा :

मैं न तो हिंदी का पक्ष ले रहा हूँ और न उर्दू का। मैं आपके सामने केवल

नामकरण की समस्या प्रस्तुत कर रहा है। यदि यह मामला एक निष्पक्ष अधिकरण वे सामने, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, पेश करें और हिंदौस्तानी शब्द और इसमें सबधित मध्ये प्रमाण इस अधिकरण वे सामने रख दें तो उनका सवालमन यही निषय होगा की हिंदौस्तानी उद्दृ त है। जब भिन्न-भिन्न लोगों वे निए हिंदौस्तानी शब्द का अभिप्राप अलग-अलग है, तो ऐसी व्यक्ति में एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग करना ही बत्तम होगा।¹⁸

सस्कृत कुछ मदम्यों न राजभाषा के लिए सम्भृत की हिमायत की। लक्ष्मी-दान र्मथ ने हिंदी की जगह सस्कृत की स्थापना और इसके पलस्वरूप आयगर कामूले में अनुवर्ती परिवर्तनों की सिफारिश की। उनके विचारानुमार, “सासार की मध्ये भाषाओं की अपेक्षा सम्भृत की व्यावारी प्राचीनतम् एव प्रतिष्ठाप्राप्त है चाह तो हम सस्कृत को गहन दर्शन अथवा विज्ञान के अध्ययन में इस्तेमाल करें और चाह तो सुगम साहित्य के लिए। सभी प्रकार की अर्थ-छटाएँ इस भाषा के माध्यम द्वारा आमानी से व्यक्त की जा सकती हैं।”¹⁹ उनका अनुराग या कि सम्भृत भारत की क्षेत्रीय नहीं, अपितु राष्ट्रीय निधि है और दक्षिण की भाषाएँ भी सस्कृत के शब्द संप्रह से प्रचुर मात्रा में अलकृत हुई हैं। उन्होंने आगे कहा नि यदि भाषा का विवाद इस प्रकार अवाईनीय स्थिति धारण न करना तो वे हिंदी के स्थान पर सस्कृत का आसीन करने की चर्चा न चलाते। इस सवाल में उन्होंने कहा-

मेरे विचार में मही बात यही है कि भाषा का सपूर्ण अध्याय या तो एकसाथ स्वीकार कर लिया जाए अथवा एक दम निकाल दिया जाए। इसका यह मतलब नहीं कि यत्र-तत्र योड़े बहुत परिवर्तन नहीं लिए जा सकते, परन्तु यह बात हमें बदाचित् स्वीकार नहीं होगी कि पहले भाग को जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि ‘देवनागरी लिपि में हिंदी’ देश की भाषा होगी तो मान लिया जाए और शेष उपवधों का बहिष्कार कर दिया जाए। हिंदी को इस शर्त पर मजूर लिया जा सकता है कि वाक्तों उपवध भी मान लिए जाएंगे।²⁰

बुलाघर छालिया ने भी इस प्रकार की द्विव्यर्क बात कही। उन्होंने इस प्रकार कहा-

मेरा व्यक्तिगत भत है कि सस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए।

संस्कृत और भारत का विकास एकमाय हुआ है—हमारी संस्थाएं इस भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन मूल्यों के निर्माण में संस्कृत भाषा के दर्शन ग्रंथों का बहुत बड़ा हाथ है।¹

उनका यह भी कथन था कि समझौते के तौर पर आयगर-फार्मूला स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

बंगाली : बंगाली को राजभाषा मानने का मामला भी किचित् शिथिलता से ही प्रस्तुत किया गया, मानो इसके समर्थकों को विश्वास नहीं था कि जो वे कहने जा रहे हैं उसमें काफी वजन है। सतीशचंद्र सामंत ने बंगाली को राजभाषा बनाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि “अधिक संख्या में लोग हिंदी को समझते हैं, इस आधार पर हिंदी के पक्ष में निर्णय लेना सही नहीं होगा। इससे अधिक महत्वपूर्ण मानदंड कुछ और हैं। भारत की राजभाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए समर्थ होनी चाहिए। बंगाली भाषा आक्स-फोर्ड, वार्सा आदि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, हार्वर्ड (अमरीका) में रवीद्र पीठ है, और टैगोर का नाम सारी दुनिया जानती है।” यह सब कहने के उपरांत, अपने भाषण की समाप्ति से पूर्व उन्होंने कहा कि “मैंने आपके सम्मुख बंगाली की बात रखी है, परन्तु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं उस निर्णय को मानने को तैयार हूँ जो इस सदन में बहुमत से लिया जाएगा।”²

लिपि : भाषा की तरह, लिपि के बारे में भी विचारों में काफी मतभेद था। जिन तीन लिपियों के बीच होड़ थी, उनके नाम हैं : देवनागरी, रोमन एवं फारसी अयवा उर्दू लिपि।

देवनागरी लिपि के गुणों पर विचार व्यक्त करते हुए अलगूराय शास्त्री ने कहा कि इसका आधार स्वनिक है, इसलिए इसे लिखने में आसानी होती है। आशुलिपि के लिए भी यह आसान है। देवनागरी लिपि की रोमन और उर्दू लिपियों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा :

हम वच्चों की प्राथमिक शिक्षा ‘अ’, ‘आ’ आदि से प्रारंभ करते हैं। यदि हम ‘अ’, ‘आ’ छवियों के लिए ‘ए’ (A) बोलें, तो यह अवैज्ञानिक होगा। इस तरीके से वच्चों का प्रशिक्षण सही नहीं हो सकता। ‘ए’, ‘वी’, ‘सी’, ‘डी’ (A, B, C, D) रोमन लिपि की वर्णमाला में हैं। हम बोलते तो हैं ‘ए’ (A) एवं ‘वी’ (B), परंतु हमारा तात्पर्य होता है ‘अ’ अयवा ‘आ’ वा ‘ब’। इसी प्रकार ‘स’ की छवि के लिए ‘सी’ (C) का प्रयोग किया

जाता है। यह सब अवैज्ञानिक है। ऐसा कहना अनुप्रयुक्ति नहीं होगा कि रोमन लिपि एड़ पार वीमत्म लिपि है। रोमन लिपि में यह बहुत भारी बुटि है। उर्दू लिपि में भी उसी प्रकार की बुटियाँ हैं जैसे कि रोमन लिपि में। उर्दू में वणों और उनकी छवनियों में भिन्नता रहती है— 'अलिफ' (A) का वर्ण 'अ' अथवा 'आ' छवनि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम उच्चारण तो कर रहे होते हैं 'लाम' (J), परंतु हमाग अभिप्राय हाता है 'ल'। यदि हमें 'लोक्ट' शब्द लिखना हो तो इस शब्द में उर्दू के ये वर्ण आएं—'लाम', 'वाव', 'काफ़', 'अलिफ़' और 'त'। उर्दू के वणों का उनके उच्चारण में सम्बन्ध नहीं रहता।²³

लिपि के मामले पर मौलाना अनुल कलाम आज़ाद का विचार इस प्रकार था

जहा तक लिपि का प्रश्न है, कांग्रेस वा निर्णय या कि देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों को अगीकार किया जाएगा। इस निर्णय पर यह आपत्ति उठाई गई कि यदि इस नियन्य के कारण दोनों लिपियों को सरकारी दफनरों की दस्तावेजों में वरावरी का दर्जा देना पड़े तो इसमें कई कठिनाइया आएंगी। इसमें कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ेगा, और खर्च भी बढ़ जाएगा। मैं इस दस्तील के बजन को समझता हूँ, इसलिए मैं इस बात पर महमत हो गया कि सरकारी दफनरों के लिए देवनागरी लिपि वा अगीकार कर लिया जाय।²⁴

मौलाना आज़ाद ने यह सी बहा कि सभी सरकारी घोषणाएँ, और विज्ञप्तिया आदि देवनागरी एवं उर्दू, दोनों लिपियों में प्रकाशित होनी चाहिए। मुहम्मद इस्माइल ने सरकारी कामकाज में देवनागरी तथा उर्दू, दोनों लिपियों के इस्तेमाल की मिफारिश की।

देवनागरी के अनियन्त्रित सवियान में उर्दू लिपि को शामिल करने हेतु प्रस्तुत सशोधन के पक्ष में वारह बोट पड़े, इसलिए यह सशोधन अस्वीकार हो गया।

हुक्म मिह ने पहने तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा वा समर्थन किया या, परन्तु बाद में वे रामन लिपि में हिंदोस्तानी भाषा के पक्ष में हो गए। रोमन लिपि के पक्ष में उनकी दलीलें इस प्रकार थीं

1 सशस्त्र सेना के जवान रोमन लिपि में हिंदोस्तानी भाषा वा अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उत्तर तथा दक्षिण के सभी लोग इसे आसानी से सीख लेते हैं।²⁵

2. अपेक्षाकृत अधिकांश लोग रोमन लिपि में प्रवीण हैं।
3. गैरमामूली परिवर्तन के बिना देवनागरी लिपि मुद्रण के लिए अनुपयुक्त रहेगी।
4. चिट्ठु तथा डैगों (डॉट एड डैशेज) के यत्रत्र बढ़ाने के उपरांत रोमन लिपि हमारे मतलब के अनुकूल बन सकती है। ऐसा करने से स्थानों के नामों, रेल की समय-मारणियों एवं टेलिग्राफ़ कोडों में कोई उलझन पैदा नहीं होगी।
5. सबसे अधिक ज़रूरी बात यह है कि इसके द्वारा हम बाकी दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे। यह बात कहते समय मैं सुभाषचंद्र बोस के नाम का भी चिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी इसी मत की वकालत की थी।
6. मेरी अंतिम राय है कि सदन में जो तनात नी बनी हुई है, वह रोमन लिपि अपनाने से दूर हो जाएगी और हमारे दक्षिण के मित्र भी इस भाषा को सखलता से सीख सकेंगे।²⁶

जब तक यह समस्या विवादास्पद नहीं बनी थी, फैक एंथनी ने देवनागरी लिपि में हिंदी का समर्थन किया था। उनका क्यन था :

विवाद में संकट की स्थिति होने से पूर्व मैं इसे स्वर्यसिद्ध सत्य समझता था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी। उस समय लिपि के संबंध में मेरे मन मे किसी ओर कोई विशेष झुकाव उत्पन्न नहीं था ॥ यह (देवनागरी) सासार की सखलतम लिपियों में से है।²⁷

रोमन लिपि में हिंदी लिखने का विरोध करते हुए लक्ष्मीनारायण साहू ने कहा :

जब हिंदी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, तब इसे समझने और इसके उच्चारण मे कठिनाई होती है। अतः मेरा कहना है कि रोमन लिपि सर्वथा अस्वीकार्य है, यह वीभत्स और अवैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी ही सर्वाधिक वैज्ञानिक है और इसी का प्रयोग होना चाहिए।

अंक : सरकारी कामकाज मे प्रयुक्त होने वाले अंकों के स्वरूप की ममस्या पर सदन में जो वादविवाद हुआ, उसमें भी काफ़ी कट्टुता रही। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के इस्तेमाल के पक्ष में एन. गोपालस्वामी आयंगर का कहना था :

अको के इस स्वरूप का आविर्भाव हमारे देश में ही हुआ, इसलिए इन अको का सर्वत्र प्रयोग जारी रखने में हमें गर्व होना चाहिए और इसे राजभाषा के भावी ढाँचे का अश बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक दो अपवादों को छोड़कर सारे सासार ने इन अको को अपना लिया है। ठीक यही होगा कि हम भी दुनिया के साथ बदम मिलाकर चलें। वास्तविक बात तो यह है कि सारी दुनिया हमारे माय बदम मिलाकर चलने को पहले से ही तैयार है, क्योंकि हमने ही ये अक समार को दिए हैं। क्या हमें सासार में इस गौरवमय स्थान और इसके साथ मिलनेवाले अतिरिक्त लाभों को छोड़ देना चाहिए ?²⁹

मौलाना याजाद ने अको की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने हुए कहा

आठवीं शनाव्दी ईम्बी में जबकि द्वितीय अव्वामीदी स्खलीफा, अल मसूर, की हवूमत थी, भारतीय आयुर्वेदिक लाक्टरों की एक टोली बगदाद पहुंची और अल मसूर के दरबार में आई। इस दल का एक वैद्य स्खगोल-शास्त्र का विदेषज्ञ था और उसके पास ब्रह्मगुप्त की 'मिद्दान' नाम की पुस्तक भी थी। जब अल मसूर को इसका पता चला तो उसने अरब के ग्रन्थ दार्शनिक इग्राहीम अलसाजारी को 'मिद्दान' का भारतीय पटित की मदद में अरबी में अनुवाद करने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि अरब के लोगों को इस अनुवाद द्वारा भारतीय अको की जानकारी हुई और जब उन्होंने इन अको के प्रचुर लाभ को देखा तो उन्होंने तत्त्वाल इन्हें अपना लिया। लातीनी की भाति अरबी में भी अको के लिए कोई विशेष चिह्न नहीं थे। प्रत्येक सद्या और अको को शब्दों में लिखा जाता था। सक्षेप के लिए कुछ वर्णों का प्रयोग किया जाता था, और इन वर्णों का सम्यात्मक मूल्य होता था। इस परिस्थिति में भारतीय अको द्वारा गिनती के लिए उह एक बहुत सरल प्रणाली उपलब्ध हो गई। तत्पश्चात् ये अक अरबी अको के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यूरोप पहुंचने के बाद उन्होंने वह अतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया और आज हम इन्हें इस रूप में पाने हैं।³⁰

देवनागरी अको के समर्थकों को मदोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा

यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी अको को वहिष्कृत नहीं किया जा रहा है। इच्छानुमार कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है, परन्तु

सरकारी काम में जहां वैकिंग, लेखापरीक्षण, जनगणना और अन्य सभी प्रकार के आंकड़े आते हैं, निस्संदेह अंतर्राष्ट्रीय अंकों का इस्तेमाल लाभ-प्रद होगा और इसके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से लाभ हैं। इन अंकों के द्वारा हमारे और दूसरे देशों के बीच व्यवधान नहीं रहेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि विज्ञान के विकास और इसके अनुप्रयोग में अंकों का काफ़ी महत्व है।³¹

पुरुषोत्तम दास टंडन का कहना था कि देवनागरी अको को अस्वीकार करने से किसी को लाभ तो नहीं होगा, हाँ, इससे हिंदी को क्षति जरूर होगी। इसलिए समझौते के तौर पर उन्होंने अनुरोध किया कि पंद्रह वर्ष तक देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को बनाए रखना चाहिए और फँसला भावी पीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए। एन. वी. गाडगिल का कहना था कि :

जब संशोधनों और व्याख्यानों को देखने के बाद मैं इस नीति पर पहुंचा हूं कि मतभेद केवल अंकों पर ही है। यह एक अत्यंत दुखद निर्णय होगा यदि इस देश की एकता और एकप्राणता की आहुति अंकों की वेदी पर दे दी जाए।³²

अतः उन्होंने हिंदी के समर्थकों से प्रार्थना की कि इस प्रश्न को वे भविष्य के निर्णय के लिए छोड़ दें।

जब संविधान सभा अंतर्राष्ट्रीय अंक स्वीकार करने का फँसला कर चुकी तो अध्यक्ष, डा. राजेंद्रप्रसाद, ने कहा :

मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस छोटे से मामले पर विचार करने के लिए आखिर इतनी व्हस और इतने समय का व्यय किस लिए? ले देकर ये अंक क्या हैं? ये दस अंक हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, इनमें से तीन अंक अंग्रेजी और हिंदी में एक समान हैं। ये हैं 2, 3, 0। ऐसे विचार में और चार अंक शक्ल में सारूप हैं, यद्यपि अर्थ में वे अलग हैं। उदाहरणार्थ, हिंदी का ४ अंग्रेजी के आठ (8) से बहुत मिलता-जुलता है। अंग्रेजी का 6 (छ.) हिंदी के ७ (सात) जैसा है, यद्यपि दोनों का मतलब अलग-अलग है। हिंदी के ० का आधुनिक स्वरूप, जो महाराष्ट्र में आया है, अंग्रेजी के 9 की भांति है। इस प्रकार अंग्रेजी और हिंदी के केवल दो या तीन अंक ऐसे रह जाते हैं जो आकार तथा अर्थ में असंबंधित हैं। अतः, जैसे कि कुछ सदस्यों ने कहा, इसमें छापेमाने की

सुविधा या असुविधा का कोई प्रश्न नहीं। जहां तक मूद्रण की बात है, अग्रेजी और हिंदी अकों में लगभग कोई अतर नहीं।³³

डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान आदान प्रदान और त्याग की भावना में ही निकल सकता है। जब अहिंदी भाषा भाषी लोगों ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया है तो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों को अहिंदी भाषा भाषी लोगों की इच्छामुसार अनर्स्ट्रीय अकों को मानन में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कालावधि अग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए समिति में क्या कालावधि निर्धारित की जाए, इस पर भी काफी विवाद हुआ। इस मिलमिले में सदस्यों ने जो मत प्रकट किए उन्हें तीन बगों में बाटा जा सकता है-

- (अ) अग्रेजी के स्थान पर हिंदी को आमीन बतने के लिए कोई कालावधि निश्चिन्त नहीं की जाए।
- (आ) अग्रेजी के लिए पद्रह वर्ष की अवधि बहुत लंबा पट्टा है।
- (इ) प्रस्तावित पद्रह वर्ष की अवधि उचित है और सदून द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए।

करीमउद्दीन, अलगूराय शास्त्री और पी टी चक्रो पहले मत वे पक्ष में थे, परन्तु हरएक का कारण अलग था। करीमउद्दीन का विचार था कि देश के विभाजन का जटम अभी ताजा है, समिति में सदस्यों का कृताव साप्रदायिक निर्वाचन बग के आयार पर हुआ है, इमनिए भमज्जदारी इसी में है कि भाषा के प्रश्न पर मोक्ष-विचार स्यगित कर दिया जाए।³⁴ हो सकता है कि आगामी वर्षों में थापसी सहिष्णुता का वातावरण व्याप्त हो जाए और तब फारसी लिपि में उद्दू को भी सघ की भाषा मान लिया जाए। अलगूराय शास्त्री का बहना था कि कालावधि का नियत करना भमस्या की तफसील में जाने वाली बात है, इमनिए इस भावी पालियामेट और निर्वाचित सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। पी टी चक्रो का मत था कि भाषाओं वा नपश विकास होता है और भाषा का निर्णय बोटो द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, ‘भभवत् शेक्षणपियर ने अतिम भ्य से इस्टेंड की राष्ट्रीय भाषा का निर्णय कर दिया और इटली के लिए शायद दाते ने यह कैमला किया। मेरे विचार में भविष्य में कोई साहित्यिक प्रतिभा भारत की राष्ट्रभाषा का निर्णय इसी

प्रकार कर देगी।³⁵

अंग्रेजी को पंद्रह वर्ष तक बनाए रखने के विचार की निशा करते हुए, आर. वी. धुलेकर ने कहा कि इसे 'एक मिनट भी' राजभाषा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा :

लाडं मैकाले की प्रेतात्मा क्या कहेगी ? वह जरूर हम पर हसेगी और कहेगी—‘ओल्ड जानी वाकर मे अभी काफी जान है।’ और वह कहेगी—‘हिंदोस्तानियों पर अंग्रेजी भाषा का इतना जादू है कि वे इसे पंद्रह वर्ष और बनाए रखेंगे।’ कुछ सदस्यों का कहना है कि यह वीस वर्ष तक बनी रहेगी और कुछ इस अवधि को पचास वर्ष बताते हैं और अभी कुछ लोगों का कहना है कि मालूम नहीं कि कब तक यह हमारे देश की राजभाषा बनी रहेगी।³⁶

मौलाना आजाद जैसे सदस्यों का कहना था कि “यदि राष्ट्रीय भाषा जैसी महत्वपूर्ण समस्या का हल पंद्रह वर्ष में मिल सके, तो हमे यह समझौता मान लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत सस्ता सौदा होगा।” कृष्ण मूर्ति शाव का कहना था कि भाषा सीखने में नमय लगता है और यदि उत्तर के लोग दक्षिण की भाषा सीखे तो उन्हें पंद्रह वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। जो रोम डीसूजा ने इस बात पर वल दिया कि सध की भाषा केवल भारतीय ही नहीं सीखेगे, अनेक विदेशियों को भी, जो भारत में राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि हैं, यह भाषा सीखनी होगी, इसलिए पंद्रह साल का समय बहुत जल्दी है।

इस समस्या के दो और पहलुओं पर भी विवाद छिड़ा, यद्यपि उसके फलस्वरूप विल के प्रारूप में कोई भी तब्दीली नहीं हुई। ये पहलू संविधान के अनुच्छेद 344 और 348 जो राजभाषा के मिलसिले में आयोग और पालियामेंट कमेटी की नियुक्ति और उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों की भाषा आदि की ओर संकेत करते हैं।³⁷

आयोग एवं संसदीय समिति की नियुक्ति का उद्देश्य ऐसी सिफारिशों करना था जिससे हिंदी का क्रमिक प्रयोग बढ़ाया जा सके। पुरुषोत्तमदास टंडन का कहना था कि इस उपबंध का परिणाम यह होगा कि पाच वर्ष तक हिंदी में कोई काम नहीं हो सकेगा। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आयोग और समिति को भी भय चाहिए, इस प्रकार हिंदी को लाने में और देर लगेगी। ठीक इसके प्रतिकूल रामालिंगम चेट्टियार का विचार था कि पहले पाच वर्ष के बाद एक आयोग और फिर दस साल के बाद दूसरा आयोग नियुक्त करना पद्धत वर्ष की अवधि को रद्द करने का प्रयत्न है।

संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुमार, जब तक पालियामेट कोई दूसरा फैमला न ले ले, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाही और सभी विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने वाले विलो और प्रस्तावों तथा प्रवत्तिन होने वाले तमाम अध्यादेशों का प्रामाणिक भजमून अग्रेजी में होगा। जायगर का कहना था कि इन कामों के लिए अग्रेजी पद्रह माल में अधिक समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इस दृष्टि से हिंदी में अग्रेजी की सी मूलमत नहीं है। पुरुषोत्तमदास ने इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बेदजनव बनाया और वहा कि 'मेरे प्रात में ही, सभी विलो और अविनियमों वा मूल भजमून हिंदी भाषा में होता है।'³⁵ वे इस बात पर तो महसन थे कि उच्चतम न्यायालय में अग्रेजी में काम हो, परतु उनका कहना था कि जिन विधानमंडलों एवं उच्च न्यायालयों में पहले में हिंदी के माध्यम में काम हो रहा है वहा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेठ गोविंददास ने भी संविधान के प्राप्ति में इस अनुबंध को प्रतिगामी करन बनाया। रविशंकर शुक्ल इस बात के हासी थे कि पद्रह वप वी अवधि भवांगी रूप से बनाई रखी जानी चाहिए और न्यायालय और विधानमंडल अपवाद नहीं होने चाहिए।

अन्विरोधपूर्ण समझौता

निरतर बेहनन, अभिलिप्त लक्ष्यों के त्याग और मेल-मिलाप की भावनाओं को अग्रवर्ती करने के उपरात ही समझौते का लगभग सर्वममत प्रारूप तैयार हो सका। किर भी, राजभाषा के अध्याय में जो अन्विरोध निहित रहे, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर, अनुच्छेद 343 (1) और 343 (2) में मुनिश्चिन रूप से लिखा है कि संविधान के लागू होने के पद्रह वपं बाद में हिंदी हिंदास्तान की राजभाषा होगी और अतर्दोषीय रूप में प्रचलित भारतीय ब्राह्मी का इस्तेमाल होगा। परतु अनुच्छेद 343 (3) के अनुमार ससद को अविकार दिया गया कि यदि वह चाहे तो विशेष कार्यों के लिए अग्रेजी भाषा अथवा देवनागरी अन्वे के प्रयोग के लिए कानून पास कर सकती है।

अनुच्छेद 344 (1) के अनुमार पाच वर्ष के बाद पहले आयोग और दस वर्ष के बाद दूसरे आयोग की नियुक्ति अनिवाय थी, परतु तेरह वप बाद कानून मन्त्री ए के मेन ने पालियामेट में कहा कि (वाध्यकारी) 'शैन' शब्द का तात्पर्य इच्छामूलक 'मे' शब्द नहीं होता, इसलिए संविधान के अनुमार आयोग की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है। मदस्यों ने इस व्याख्या का विरोध अवग्य किया, परतु तथ्य यही है कि दूसरे आयोग की नियुक्ति नहीं हुई।

अनुच्छेद 344 (6) के अनुसार ससदीय कमेटी, जिसके सदस्य ने बारे

मेरे अनुच्छेद 344(4)मेरी लिखा है, कि रिपोर्ट के उपरांत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध मेरे आदेश जारी करेंगे। दूसरे शब्दों मेरे इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति संविधान निर्माताओं के किमी या प्रत्येक निर्णय को एक तरफ रख सकते हैं।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। यद्यपि हर समझीते मेरे कुछ प्रतिवाद रहते हैं परन्तु इन व्याघातों मेरे बहुत सा काम भावी पीढ़ियों के लिए रह गया। यह स्मरण रखता चाहिए कि इन अतिविरोधों का समावेश संविधान के अन्तर्गत वहम के दौरान अभिव्यक्त विरोध विचारों को ममन्वित करने के उद्देश्य से नहीं हुआ था, ये प्रतिवाद ससद के सामने प्रस्तुत किए गए मूल प्रारूप मेरे अतर्भूत थे। वहस के दौरान प्रारूप मेरे बहुत परिवर्तन नहीं किए गए। आयगर ने भी वहम के अंत के निकट कहा, “मेरी समझ के अनुसार केवल चार पाच तब्दीलियां करनी हैं। इनमेरे दो केवल शाविद्विक हैं। शेष दो या तीनमेरे थोड़े तत्त्व की बात हैं।”¹⁹

जब संसद मेरे विल पारित हो चुका तो अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने ससद को स्थगित करने मेरे पूर्व सदस्यों को समोदित करते हुए कहा, “हमने सभवतः उच्चतम वृद्धिमत्ता का निर्णय लिया है और मुझे खुशी है, और उम्मीद भी है कि आगामी पीढ़िया इसके लिए हमारी कृतज्ञ होंगी।”²⁰ आज की स्थिति मेरे इन शब्दों का मूल्याकान बाढ़नीय होगा।

भाषा संवंधी कुछ धारणाएं

भाषा के संवंध मेरे कुछ एक धारणाएं प्रचलित हैं। इनके बारे मेरे भी विचार करना ठीक होगा, यद्यपि इस संवंध मेरे वादविवाद मौजूदा सदर्भ मेरे केवल जैक्सिक अर्थ ही रखता हो।

इस तरह की धारणा प्रचलित है कि यदि हिंदी के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा बन लिया जाता, तो उत्तर एवं दक्षिण के लोग इसे जल्दी निविरोध स्वीकार कर लेते। यह नव्य छुपा नहीं है कि दो एक सदस्यों को छोड़ कर, जिन्होंने संस्कृत की थोड़ी बहुत हिमायत की, और किमी मदस्य ने भी संस्कृत के लिए आवाज नहीं उठाई। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार की कल्पना निर्मल है।

एक धारणा यह भी है कि यदि आजादी के तुरंत बाद हिंदी को देश की राजभाषा बना दिया जाता तो राजभाषा की समस्या आसानी से हल हो जाती, क्योंकि उन दिनों देश-प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की एक लहर चल रही थी और विघटनकारी प्रवृत्तियाँ, जो बाद मेरे सामने आईं, उस समय अजन्मा थीं। संविधान सभा की वहस के अध्ययन के उपरांत इस धारणा की वृनियाद भी कमज़ोर दिखाई पड़ती है। डा. पी. सुदायन ने बहुत के दौरान जो कुछ

कहा, उससे इम शताब्दी के चीये दशक में हिंदी के प्रति दक्षिण का जो प्रतिरोध था उसका अदाजा हो सकता है। उनका क्यने था

जब मैं भद्राम में शिक्षा मण्डी के पद पर था, और जब हिंदी हाई स्कूलों की पहचानी तीन वक्ताओं में अनिवार्य रूप में लागू की गई, यदि आपको उस समय की स्थिति का पता चले तो तभी आप अनुमान लगा सकेंगे कि मैं क्यों चिंतित हूँ, और घर जाने से पूर्व मेरे लिए कुछ उपलब्ध करना क्यों जरूरी है। तीन मास तक हर सुबह जब मैं घर से बाहर जाना था तो एक ही नारा सुनाई पड़ता था, 'हिंदी मुर्दागाद, तमिन जिद्दावाद। सुन्नायन हाय-हाय, राजगोमालाचारी हाय-हाय'। तीन महीने तक आमाश में केवल यही आवाज गूंजती रही। हमें मज़बूर होकर दट कानून संशोधन ऐक्ट, जिसका हमने अभी बहिष्कार किया है, वा आथ्रय नेना पड़ा।¹¹

तीमरी धारणा, जिसका चिक कुछ वर्ष बाद मुस्लिम लीग पार्टी के नेता एम मुहम्मद इम्माइल ने 1967 ई में लोकसभा में किया, इस प्रकार है-

कांग्रेस पार्टी ने भी हिंदी को राजभाषा केवल एक वोट के बहुमत से माना था। इस पर ओ पी त्यागी ने इस प्रकार कहा था, 'नहीं साहब, यह गलत बोल रहे हैं। लिपि के बारे में एक वोट से फैसला हुआ था। भाषा के बारे में समस्तिसे हुआ था।' इम्माइल फिर भी अपनी बात पर अड़िग रहे।¹²

अबो के मदर में निषय पर चर्चा करने हुए शिवाराम ने इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है-

अनन्तोगत्रा वोट पढ़े। प्रत्येक पक्ष में 74 वोट थे। हिंदी के समर्थकों का दावा था कि जब गितारी शुरू हुई, उनके पक्ष में 75 वोट थे। किर भी अनिम निर्णय यही रहा कि इन्हें महत्वपूर्ण विषय पर इतने कम बहुमत में फैसला नेना बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी।¹³

इसलिए यह स्पष्ट है कि उम समय की स्थिति के अनुमार भाषा विधेयक पारित करना सकियान तिर्मानों के लिए बहुत भारी उपलब्धि भरे ही रही हा, परन्तु निरपेक्ष रूप में यह सफलता जति न्यून थी और आने वाली पीढ़ियों के तिए बहुत काम बाजी रह गया।

उपसंहार

ब्रंगाली और मस्कृत भाषाओं के समर्थन में गिनेबुने लोगों द्वारा जो मद आवाजों उठी, यदि थोड़ी डेर के लिए उसे भूल जाए तो संविद्यान सभा के मदम्य भाषा के सवाल पर तोन जिविरों में बड़े दिवार्ह दैत है। या तो ये राजभाषा पद के लिए हिंदी के समर्थक हैं, अथवा अंग्रेजी या हिंदोस्तानी के।

अंग्रेजी के समर्थकों का मत था कि अंग्रेजी द्वारा देश के आकीरण और पुनर्जीवन से प्रत्यरुप सहायता मिली। उन्होंने इस बात पर बत दिया कि यदि देश को आवृत्तिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दूसरे क्षेत्रों में विदेशी द्वारा उपलब्ध जान ने लाभान्वित होना है, तो भारत में अंग्रेजी के माजूदा स्थान को बनाए रखना होगा। कुछ मदम्यों ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की अगुआई विदेशी में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा अंग्रेजी बोलने की भवीणता के माथ संवर्धित है।

यह भी भिफारिश की गई कि देश में गोमन लिपि अपनाई जाए, क्योंकि इसमें गुडण की सुविधाएं अधिक हैं, और इसमें भारत को वाकी दुनिया ने अपना सबध जोड़ने में आसानी होगी। मदम्यों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने से सरकारी प्रशासन की गिरावट के घटने का भय है।

हिंदी के समर्थक राष्ट्रीय भावना के आधार पर इसे तुरन्त राजभाषा का स्थान देने के पक्ष में थे। उनके विचार में अंग्रेजी का स्थान बनाए रखना नियिश मास्ट्राइज़वाद और देश की गुलामी के धाव को याद को बनाए रखने वाली बात है। उनका मत था कि हिंदी देश के सर्वाधिक लोगों की मानूभाषा है, इसलिए लोकतंत्रीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर भी इसे संघ की भाषा बनाना चाहिए।

यद्यपि हिंदोस्तानी का समर्थन मानाना अवृल कलाम आजाद जैमे राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं ने किया, इस भाषा की पुष्टि करने वाले प्रायः उर्दू के उपसक ही थे, जो देश के विभाजन के उपरान्त भारत में बहुत कम नव्या में रह गए थे। हिंदोस्तानी के समर्थकों का कहना था कि हिंदोस्तानी में भी भाषाएं आ जाती हैं और इस भाषा से हिंदी-उर्दू का भेद ममाल हो जाता है। हिंदोस्तानी के विपक्षियों का कहना था कि हिंदोस्तानी कहने को अलग भाषा है, गर वस्तुतः इसका उर्दू से अटूट रित्ता है। कुछ मदम्यों का तो यह कहना था कि हिंदोस्तानी पृथक् भाषा न होकर हिंदी को एक जैली मात्र है, यद्यपि हिंदी के इनिहाम की पुस्तकों में इस जैली का कही जिक्र तक नहीं मिलता है।

आज्ञर्व की बात तो यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समर्थक प्रायः अपनी भाषा के गुणगान तक ही सीमित रह गए। उन्होंने अपने विपक्षियों द्वारा उठाए गए आक्षेपों के उत्तर देने की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया। उदाहरणार्थ, ।

जब अप्रेजी के पक्ष में कहा गया कि यह भाषा आधुनिक ज्ञान भद्रार की विडवी है, तो प्रत्युत्तर में यह दलील दी जा सकती थी कि किसी भाषा को लाइब्रेरी-भाषा के तौर पर पढ़ना और उसे राजभाषा स्वीकार करना एक ही बात नहीं होगी। जहाँ तक अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के सम्मान का सबध है, एक विदेशी भाषा इसका आधार नहीं हो सकती, अपेक्षाकृत इसके आधार देश की आर्थिक और प्रौद्योगिकीय योग्यता आदि के साधन होते हैं। इसी प्रकार हिंदी के विरोधियों ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि इसके समर्थक राष्ट्र के लिए हिंदी के कौन-ने ब्राह्म की सिफारिश कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आठवीं अनुमूली में सूचीगत भाषाओं के प्रोत्त्वाहन के उपायों के बारे में सविधान सभा में कोई वहस न हो पाई। यह बहुत उचित होता यदि सभी भारतीय भाषाओं के विकास के सबध में चर्चा की जानी। इस विषय पर भी विचार की आवश्यकता थी कि अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द भडार का विस्तार विस प्रकार से किया जाए। अनुदाद के काष्ठन्म (प्रोग्राम) पर भी भोज-विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि इस कार्य में समस्त भारतीय सस्कृतियों एवं माहित्यों की वत्तमान निधि को सवर्जित किया जा सकता है। कम में कम बुछ मदम्यों से यह उम्मीद की जा सकती थी कि वे उस आधारिक सरचना की ओर दिशारा करते जो ससार की विभिन्न लाइब्रेरी-भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने के लिए वाप्ती नहीं था, परन्तु भाषा विकास के इन अनिवार्य पहलुओं की अवहेलना होना भी ठीक नहीं हुआ।

यद्यपि सविधान निर्माणाओं ने समता, लोकतंत्र एवं समाजवादी प्रणाली की ओर अपने भाषणों में कई बार सकेत किया, परन्तु किसी मदम्य ने भी जल्प-सद्यक वर्गों द्वारा बोनी जाने वाली भाषाओं के विकास का प्रश्न नहीं उठाया। ऐसे कई अल्पसंख्यक समूह देश के अलग अलग भागों में रहते हैं जिनकी भाषाओं के लिपि-निर्माण के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं हुआ। इन मुद्रवर्ती लोगों में साखरना के प्रसार के लिए इनकी भाषाओं का लिपि-निर्माण करना अनिवार्य है, परन्तु वहस इन सीमाओं से दूर दूर ही रह गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस वहस से भारतीय भाषाओं के विकास एवं सवधन का एक नया अध्याय खुल सकता था, जो वहस भाषा के पडितों का ध्यान लिपिरहित भाषाओं के लिए लिपि-निर्माण के कार्य की ओर आकृष्ट करती, और जिसमें भाषा सबधी नीति में अनेक नई दिशाएँ खुल सकती थीं केवल हिंदी-अप्रेजी राजनायिक मुक्केबाजी और प्रतिद्वंद्विता में ही कोई रह गई। यह सेव का विषय है कि यह छढ़ अनत अनिर्णीत ही रहा, क्योंकि भमय वहस कम था और सविधान पारित करना था। यदि सविधान के राजभाषा सबधी

अध्याय को भावी नीति संबंधी दस्तावेज़ की दृष्टि से देखा जाए तो अको के प्रश्न को छोड़कर, जिस विषय में वादविवाद द्वारा काफ़ी प्रकाश पड़ा, इस बहस से मंजिल पर पहुंचने का बहुत रास्ता तय न हो सका।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. इंडिया, कनस्टिट्यूशन असेंबली डिवेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशन असेंबली, 1949, वात्यम् 9, नं 33, सितंबर 13, 1949, पृष्ठ 1426 और 1365 (संविधान सभा की बहस, ग्रंथ 9)
2. इंडिया, कनस्टिट्यूशन असेंबली डिवेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशन असेंबली, 1949, वात्यम् 9, नं 32, सितंबर 12, 1949, पृष्ठ 1312.
3. शिवाराव, वी, फैरिंग इंडियास, कनस्टिट्यूशन, ए स्टडी, नई दिल्ली, इंडियन इनस्टिट्यूट ऑफ प्रॉफेशनल एज्युकेशन, 1968, पृष्ठ 794
प्रारूप नियमिति के सदस्यों की सूची इम प्रकार है।

ग्रल्लादी कृष्णस्वामी अर्थर, एन. गोपालास्वामी आयगर, वी आर अदेडकर, के एम मुशी, मुहम्मद सादुल्ला, वी एल. मित्र, ही पी खेतान वाद में वी एल. मित्र के स्थान पर एम. माधव राव को श्रौत ही. पी खेतान की मृत्यु के कारण रिक्त स्थान पर टी. टी. कृष्णमचारी को नियुक्त किया गया।

4. इंडिया, कनस्टिट्यूशन असेंबली, डिवेट्स, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशन असेंबली, 1949, वात्यम् 9, नं 32, सितंबर 12, 1949, पृष्ठ 1317
5. वही, पृष्ठ 1331.
6. वही, पृष्ठ 1361.
7. वही, पृष्ठ 1390
8. वही, पृष्ठ 1414
9. वही, पृष्ठ 1349
10. वही, पृष्ठ 1369
11. वही, पृष्ठ 1382
12. वही, पृष्ठ 1325
13. वही, पृष्ठ 1390
14. वही, पृष्ठ 1397
15. वही, पृष्ठ 1397.

- 16 वही पृष्ठ 1368 69
- 17 वही, पृष्ठ 1436-37
- 18 वही पृष्ठ 1460
- 19 वही पृष्ठ 1353 54
- 20 वही पृष्ठ 1357 58
- 21 वही, पृष्ठ 1402
22. वहा पृष्ठ 1376
- 23 वहा पृष्ठ 1380-81
- 24 वहा, पृष्ठ 1457
- 25 भारत, ग्रंथालय क्रीय द्वितीय निदानात्म, पोर्टवित दवनागरी, फ़िरी, मेनजर प्रशासन विभाग, 1966, पृष्ठ 11 व अनुसार, मन् 1951 संस्कृत संकाया म रामन दिवि क स्थान पर दवनागरा । निवारण प्रयाग होता है
- 26 इन्डिया, कनस्टिट्यूशन अमेवला इवटम, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशन अमेवली आफ दिल्ली 1949 वाल्यूम 9, न 34 पृष्ठ 1437
- 27 वहा, पृष्ठ 1361
- 28 वही पृष्ठ 1370
- 29 वही, पृष्ठ 1320
- 30 वहा, पृष्ठ 1458
- 31 वहा, पृष्ठ 1415
- 32 वहा, पृष्ठ 1370-71
- 33 वहा, पृष्ठ 1490-91
- 34 दिविए परिशिष्ट III
- 35 इन्डिया कनस्टिट्यूशन अमेवली इवटम, नई दिल्ली, कनस्टिट्यूशन अमेवला, 1949, वाल्यूम 9 न 33, मितवर 13, 1949 पृष्ठ 1394
- 36 वही, पृष्ठ 1349
- 37 दिविए परिशिष्ट, IV
- 38 इन्डिया कनस्टिट्यूशन अमेवली इवटम न 1, कनस्टिट्यूशन अमेवला आफ दिल्ली, 1949 वाल्यूम 9, न 34 पृष्ठ 1445
- 39 वही, पृष्ठ 1465
- 40 वही १८८ 1491

41. वहाँ, पृष्ठ 1401.
42. इसमें कोई सदेह नहीं है कि मुश्ती-आयगर मुक्ताव संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 ई. को सर्वसम्मति से पास किया।

परतु संविधान सभा की काग्रेम पार्टी की बैठक (जहाँ संविधान सभा की बैठक में मामला लाने से पूर्व इस विपय पर विवाद हुआ) के उपनिवेश विवरणों से पता चलता है कि इस विपय पर काफी गर्भागर्भी हुई, यद्यपि 1951 के पूर्व के पार्टी की बैठकों के रिकार्ड नहीं मिलते, परतु डॉ. अवेडकर की पुस्तक 'यादूम आन लिगुस्टिक स्टेट्स', सेठ गोविंद दास की आत्मकथा और अन्य कुछ स्रोतों से पता चलता है कि एक बोट वाली कहानी का सबध संविधान सभा की काग्रेस पार्टी की 26 अगस्त, 1949 ई. की बैठक से है, जहाँ पर अको के सवाल पर 75 बोट विपक्ष में और 74 पक्ष में थे, परतु पट्टाभि सितारमैया, जो बैठक के सभापति थे और जवाहरलाल नेहरू के परामर्श पर निर्णय स्थगित कर दिया गया।

(देखिए गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'राजभाषा भास्ती' में वृज किशोर का लेख 'क्या हिंदी एक बोट से राजभाषा बनी'. जुलाई 2, 1978).

43. शिवाराव, वी., फेमिंग डिडियाम कनस्टिट्यूशन : ए स्टडी, नई दिल्ली, डिडियन इनस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1968, पृष्ठ 793-794.

परिशिष्ट : सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र

क्रमांक	संसद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलगूराय शास्त्री	मधुवत प्रान्त (अब, उत्तरप्रदेश)
2	वी दास	उडीसा
3	फ्रेंच एथनी	मध्यप्रान्त एवं बरार (अब, मध्यप्रदेश)
4	जो दुर्गावाई देशमुख	मद्रास
5	हृष्टम मिह	पूर्वी पंजाब (अब, पंजाब)
6	जवाहरलाल नेहरू	उत्तरप्रदेश
7	जे 'रोम डेन्ज़ा	मद्रास
8	करीमउद्दीन	मध्यप्रदेश
9	कृष्णमूर्ति राव, एम वी	मंसूर
10	कुलाधर छालिया	असाम
11	लक्ष्मीकृत मैन्न	पश्चिम बंगाल
12	लक्ष्मीनारायण साहू	उडीसा
13	भौताना अमुल क्लाम आखाद	उत्तरप्रदेश
14	मुहम्मद इस्माइल	उत्तरप्रदेश
15	नजीरउद्दीन अहमद	पश्चिम बंगाल, मुस्लिम
16	एन गापालाम्बामी आयगर	मद्रास
17	एन वी गाठगिल	बबई
18	डा पी मुद्रायन	मद्रास
19	पी टी चक्को	केरल
20	पुर्णोत्तम दास टडन	उत्तरप्रदेश
21	डा रघुवीर	मध्यप्रदेश
22	डा राजेंद्र प्रसाद	विहार
23	रामालिंगम केट्टियार, टी ए	मद्रास
24	रविशंकर शुक्र	मध्यप्रदेश
25	आर वी धुलेवर	उत्तरप्रदेश
26	मतीशचंद्र सामा	पश्चिम बंगाल
27	मेठ गोविंद दाम	मध्यप्रदेश
28	डा श्यामाप्रसाद मुकर्जी	पश्चिम बंगाल

अध्याय · तीन

हिंदी बनाम अंग्रेज़ी

मनविद्यान सभा में भाषा के विषय पर एक प्रकार की विराम संधि पर सहमति तो हो गई परन्तु 'जीतयुद्ध' की स्थिति बनी रही, और वाड में परिस्थितियों ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि भाषा के विवाद को लेकर देश में विस्फोट होने लगे। अब लड़ाई केवल हिंदी और अंग्रेज़ी के बीच ही सीमित हो गई थी। यदि और निश्चित स्पष्ट से कहा जाए, तो विवाद का विषय यह था कि कितने समय में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को संघ की भाषा के यद पर आसीन किया जाए। लिपि और अंक अब चर्चा का विषय नहीं थे। इन दो भाषाओं की मुठभेड़ की प्रवलता एवं तीव्रता जानने के लिए गत कुछ वर्षों की घटनाओं का अवलोकन आवश्यक है।

आयोग एवं समिति का गठन

संविद्यान के अनुच्छेद 344(1), 344(4) और 344(6) के अनुमार 7 जून, 1955 ई. को इक्कीस सदस्यों के एक भाषा आयोग (इसके बाद इसके लिए केवल 'आयोग' शब्दों का प्रयोग किया गया है) की नियुक्ति की गई। 930 जवानी और अनेक लिखित गवाहियों के आधार पर 31 जुलाई, 1956 ई. को आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश की। पालियामेट के तीस सदस्यों की एक संयुक्त नमिति (इसके बाद इसके लिए केवल 'समिति' शब्दों का प्रयोग किया गया है) ने, जिनमें बीस लोकसभा के और दस राज्यसभा के सदस्य थे, नवंबर 1957 ई. से 8 फरवरी, 1958 ई. तक इस रिपोर्ट का पुनरावलोकन किया। इस नमिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 ई. को परिशिष्ट VII पर दिया गया आदेश जारी किया। यह पहली महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि आयोग को मंध के सरकारी कामों के लिए हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने और अंग्रेज़ी के इस्तेमाल को कम करने के संबंध में

सिफारिशों करनी थी।

आयोग वे विचाराथ विषय वही थे जिनका बनन परिणाम पर दिए गए समिति के भाग 17 के अनुच्छेद 344(2) में मिलता है। इन विषयों में एक अग्र यह भी जोड़ दिया गया था कि आयोग 'एक समय-सारणी तैयार करेगा जिसमें अनुमार हिन्दी संघ की भाषा, संघ और राज्यों के बीच पत्रव्यवहार और राज्यों के बीच परम्पर संबंध के लिए अप्रेजी का ज्ञान ले लेगी।'

यदि इस जतिरिक्त विचाराथ विषय की बात संभगे पहने की जाए तो यह कहना होगा कि दोनों आयोग और समिति समय-सारणी तैयार करने में असफल रहे। पालियामेट की समिति के मदम्य पुरुषोत्तमनाम टड़न एवं भेठ गोविंद दास ने कमेटी की रिपोर्ट के मायथ अपने अमृतमति नोट में सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि सरकार ने न तो बमीशन के सम्मुख और न ही समिति के सामने इस संबंध में प्रोग्राम का मसौदा पूछ किया। उनका भल था कि सरकार इस विषय में बचनपढ़ होने के लिए बाजा-कानी करनी रही है। पालियामेट की समिति के सभापति गृहमंत्री गोविंद बलभ घन थे। गृह सत्रालय को ही यह सूचना सरकार दो देनी थी, इसलिए सरकार की लापरवाही का कोई यथार्थ कारण दिखाई नहीं देना।

आयोग को यह मुझाव भी देना था कि किस प्रकार त्रिभुज हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए और अप्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाए। परंतु अप्रेजी के संबंध में आयोग ने कहा कि 'अप्रेजी के प्रयोग पर कोई अकुश न लगाया जाए।' समिति ने एक कदम और आगे बढ़कर सिफारिश की-

इस प्रश्न के भवाधान का उपाय लचीता एवं व्यावहारिक होना चाहिए। समिति के विचारानुमार संघ की मुद्य सरकारी भाषा अप्रेजी और सहायक भाषा हिन्दी होनी चाहिए और 1965 में जब हिन्दी मुद्य सरकारी भाषा बन जाए, तो कुछ निश्चित कामों के लिए अप्रेजी तब सहायक भाषा के रूप में चलती रहे, और इस प्रयोजन के लिए पालियामेट को आवश्यकतानुमार नियम निर्धारित करने का अधिकार होगा।¹

यह कही विड्यना है कि जिन अधिकृत निकायों को राज्य के कामों में अप्रेजी के इस्तेमाल को सीमित करने के हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया, उन्होंने अप्रेजी को संविधान में निर्धारित समय से आगे तक जारी रखने के लिए सिफारिश की।

आयोग को संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत विद्यान एवं ज्ञान की भाषा संबंधी सिफारिशों भी करनी थी। इस संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र

और राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों को छूट होनी चाहिए कि वे अपनी मुविधानुमार किसी भी भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें, परन्तु विधिनिर्माण की भाषा अमिन्ड ब्रह्म होनी चाहिए, और देश के विभिन्न न्यायालयों में इन पर जो अर्थ विवेचन होगा उसके लिए समर्थ होनी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा :

हमारे विचार से यह ज़रूरी है कि जब सक्रमण का समय आए, तब देश की पूरी कानूनी पुस्तक एक ही भाषा में हो, और निस्सदेह यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। इसलिए विधानसभाओं एवं संसद की विधि निर्माण और तत्पञ्चात् किसी भी कानून के अधीन जारी किए गए समस्त सांविधिक उपचारों एवं विनियमों आदि की भाषा हिंदी होनी चाहिए।¹

स्थिति को सुचारू रूप में समझने के लिए ज़रूरी है कि भाषा आयोग और संसदीय समिति की रिपोर्ट तथा इनके साथ राष्ट्रपति के सचिवित आदेश का एक भाष्य अध्ययन किया जाए। कुछ एक महत्त्वपूर्ण सिफारिशों का आगे विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

आयोग ने अंग्रेजी से हिंदी की सक्रमण-अवधि निश्चित नहीं की और समिति भी इसे निर्धारित न कर सकी। समिति ने सदस्यों के विचार सभाओं की भाषा पर अपनी राय प्रकट न की, क्योंकि इसके अनुमार यह आयोग एवं समिति के विचारणीय विषयों की परिधि के अंतर्गत नहीं आता था। समिति का सुझाव था, और राष्ट्रपति ने भी इसे स्वीकार किया कि राज्य विधान-सभाएं अपने राज्यों की भाषा में कानून बनाएं और इसका अधिप्रभाणित अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी (जहाँ मूल विषयवस्तु हिंदी में न हो) में दिया जाए, परंतु संसदीय कानून बनाने का क्रम अंग्रेजी में चलता रहे, और साथ में अधिप्रभाणित अनुवाद हिंदी में दे दिया जाए। यह विवाद का विषय है कि जब राज्यों में मूल कानून हिंदी में बनाए जा सकते हैं और केंद्रीय कानूनों का अधिप्रभाणित अनुवाद हिंदी में तैयार हो सकता है, तो आयोग की पूर्वकथित सिफारिश का समिति द्वारा समर्थन न करना और हिंदी को संसदीय विधान निर्माण की भाषा न मानना कहाँ तक तकँसंगत था। यदि कुछ वातों के आधार पर हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व नहीं देना था, तो वात अलग है।

उच्चतम न्यायालय की भाषा के संबंध में आयोग का कहना था कि अत्तोगत्वा उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी ही होगी। राष्ट्रपति ने यह सिफारिश 'सिद्धांत रूप' में मान ली, परंतु इसके साथ यह जोड़ दिया कि ऐमा तब किया जाए 'जब मंक्रमण के लिए समय उपयुक्त हो'। उच्च न्यायालयों के

सबध में आयोग ने मुझाव दिया था कि मधी क्षेत्रों में पंचले और आदेश हिंदी में दिए जाएं, परतु राष्ट्रपति ने समिति की राय, जो कुछ अलग थी, को ही माना। समिति का मत था कि उच्च न्यायालय चाहे तो हिंदी का प्रयोग करें, और यदि वे चाहे तो इन कामों के लिए राज्य की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आयोग ने मिफारिश की कि सरकारी कर्मचारियों को हिंदी माध्यम द्वारा काम करते वे योग्य बनाते के लिए सेवाकारीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। समिति ने इस मिफारिश का मध्यर्थन किया, परतु इस प्रशिक्षण को उन कर्मचारियों तक ही सीमित रखा गया जिनकी आयु 45 वर्ष से कम थी। इस बात की व्यवस्था कही भी नहीं की गई कि जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा वे सुनिश्चित रूप से हिंदी में ही काय करेंगे। इस प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण का व्यावहारिक प्रयोग नहीं किया गया।

आयोग और कमेटी ने केंद्रीय भरकार की नौकरियों में भरती के लिए हिंदी में कुछ न्यूनतम योग्यता का निर्धारण अनिवाय बताया, परतु राष्ट्रपति वे आदेश के अनुमार इस मिफारिश को 'फिलहार' केंद्रीय भरकार के उन दफनरों के सबध में लागू किया जा सकता था जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं।

इस प्रकार इन दो उच्चाधिकार प्राप्त निकायों, जिन्होंने विचार विनियम में दो वर्षों में अधिक भवय व्यय किया, की मिफारिशा तथा इन पर राष्ट्रपति वे कुछ आदेशा का प्रनिर्दर्श सर्वेक्षण करने में पता चलना है कि उनके काम से हिंदी का बहुत कम लाभ दृजा। इसक प्रतिकूल अप्रेज़ी के लिए उच्चबल सभावनाएँ थीं और जिन क्षेत्रों में अप्रेज़ी की तूती बोल रही थीं वहा हिंदी के प्रवेश के लक्षण दिखाई नहीं पढ़ते थे। हिंदी के पक्ष में वही गई आयोग की मिफारिशा का बजन पहले समिति द्वारा और फिर राष्ट्रपति वे आदेश द्वारा घटा दिए जाने के फलस्वरूप हिंदी का मामता कमज़ोर और अप्रेज़ी का मज़बूत हो गया।³

नेहरू जी का ग्राइवासन

हिंदी-अप्रेज़ी की रसायनशी की दूसरी भवत्वपूण घटना 1959ई की है, जब एम्ला-इटियन वग के नामजद प्रतिनिधि प्रैंड एथनी ने अप्रेज़ी को सविधान की आठवीं अनुमूली में शामिल करने के लिए नौकरमभा में एक गैरसरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।⁴ इस प्रस्ताव पर संसद में 24 अप्रैल, 8 मर्ट और 7 अगस्त, 1959ई को बहस हुई। प्रस्ताव की स्वीकृति की बकालत करते हुए थी एयनी ने कहा कि सविधान के अनुच्छेद 351 के अनुमार भारत की मामाजिक संस्कृति के प्रतिनिधित्व के लिए हिंदी को आठवीं अनुमूली की भाषाओं से सामग्री लेनी है। अप्रेज़ी एक समृद्ध भाषा है और हिंदोस्तान की काफी जनसंख्या इसे बोलती है।

इसलिए उमके द्वारा पेश किया गया प्रम्भाव उचित है ।⁵ उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी भारत के लिए निपट्टी भाषा है । इमके बोलने वाले सारे देश में वरावर सद्या में फैले हुए हैं । देश के नभी क्षेत्रों की जिक्का प्रणाली में यह भाषा व्याप्त है, और समद का अधिकाश कार्य इसी भाषा में ही होता है ।⁶

इस संदर्भ में परिणिष्ठ V पर दृष्टि डालने से पता चलेगा कि लोकमभा एवं राज्यसभा ने अपने कामकाज के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी को निर्धारित किया था और इनमे अंग्रेजी का इस्तेमाल क्रमशः 83.2 और 85 प्रतिशत था । परंतु राज्यों के सदर्भ में स्थिति भिन्न थी । अठारह राज्यों में से, आठ ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी विधानमभा एवं विधानपरिषद् के लिए निर्धारित किया था । ये आठ राज्य थे—समस्त हिंदी भाषा भाषी प्रदेश, उडीसा, जम्मू कश्मीर और सौराष्ट्र । इन राज्यों में, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग प्रधान भी था । कुछ राज्यों में तो जत प्रतिशत क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होता था । यद्यपि ऐप दस राज्यों ने भाषा के विषय में कोई दृढ़नीति नहीं अपनाई थी, परंतु असम को छोड़कर इन सभी राज्यों में अधिकतर क्षेत्रीय भाषाएं ही इस्तेमाल होती थीं । उदाहरणार्थ, आंध्रप्रदेश में 90 प्रतिशत भाषण तेलुगु में थे और 10 प्रतिशत अंग्रेजी में, पंजाब में केवल 0.27 प्रतिशत भरपण अंग्रेजी में थे और शेष हिंदी अथवा पजावी में । पेस्ट्रू में अंग्रेजी का प्रयोग 2.7 प्रतिशत था और हैदराबाद में 5 प्रतिशत । (राज्यों के पुनर्गठन के समय कुछ राज्यों का विलय हो गया और कुछ नये राज्यों का निर्माण हुआ । इसलिए पेस्ट्रू आदि पुराने राज्यों के नाम अब प्रयोग में नहीं आते ।)

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, साम्यवादी (सी.पी.आई.) नेता हीरेन गुखर्जी ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि हम हमेशा वे लिए अंग्रेजी की यथाशक्ति बनाए रखना चाहते हैं और इमके परिणाम-स्वरूप, बिना किसी राष्ट्रीय हित के, संक्रमण अवधि को और लम्बा पट्टा देंगे । उन्होंने कहा :

जायद कोई भी सांख्यिकीविद् देश के उम मानसिक नुकसान की अभिकल्पना नहीं कर सके जो एक सर्वथा विदेशी भाषा को भीन्वने के कारण हुआ है । निस्संदेह यह सारी कोशिश व्यर्थ नहीं रही है । मानसिक विविधता व्यक्तिगत दृष्टि से भले ही आकर्षणयुक्त हो, परंतु इसमें राष्ट्र की हानि होती है । और इस हानि का कारण है हमारी सम्यता में अंग्रेजी का बोलबाला । यदि हमें एक नव सम्बूद्धि की सृष्टि करनी है तो अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त करना होगा ।⁷

भाषा सबैधी इस बहुम में अप्रेजी के पश्च में एक महत्त्वपूर्ण मोड 7 अगस्त, 1959 ई को जाया जब प्रधानमन्त्री नेहरू न मगद में निम्न आश्वासन दिया

मैं दो बातों में विश्वास करना है। जैसे कि मैंने अभी बहा इसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अनिश्चित बाल तक — मुख्य मालूम नहीं क्व तक — अप्रेजी का एवं प्रतिश्वित महथोरी भाषा के स्थ में रखना चाहिए और मैं रखूँगा। मैं ऐसल टमसे उपरान्ध सृक्षिप्ताओं के कारण ही ऐसा नहीं रखना चाहता, परन्तु इस प्रकार के लाभ नी भी अवहेना नहीं की जा सकती, परन्तु इसका भी अप्रेजी को बनाए रखना होगा तभानि मैं तभी चाहता वि अहिंदी भाषी लाग ऐसा महसूम करें वि उन्नति रे दृष्ट मार्ग उनके निए बद है, क्योंकि सम्भार का प्रत्ययतार हिंदी भाषा के माध्यम में होता है। जत जब तक जनना की इच्छा होगी, मैं अप्रेजी को निकला भाषा बनाए रखूँगा और इस बात का निश्चय मैं हिंदी भाषा भाषी लागों के हाथा में नहीं, बरन अहिंदी भाषा भाषी लोगों पर छोड़ूँगा।¹⁸

यह आश्वासन प्राप्त करने के तुरन बाद फैर एथनी ने अपना प्रस्ताव वापिस ले निया और बहुम वा ममापन करते हुए बहा, "मैं प्रधानमन्त्री के प्रति आभार प्रकट करता चाहता हूँ क्योंकि जितना मैंने भाषा था, उन्होंने उसमे अधिक दे दिया है।"¹⁹

इस आश्वासन में हिंदी को काफी क्षति पहुँची और इसे फतम्हान्ध एक नए कानन निर्माण की नीव तैयार हो गई जिसमे हिंदी के समर्थकों को और जपिक निगश होना पड़ा।

राजभाषा विधेयक, 1963

चार उप बाद, 13 अप्रैल, 1963 ई का गृहमन्त्री, लालबहादुर शास्त्री ने लोकसभा मे 'राजभाषा विधेयक, 1963' प्रस्तुत किया। इस विधेयक का घोष जहा नेहरू के 1959 ई के आश्वासन की पूर्ति था, वहा सविग्रान के उन प्रतिवधों की हटाना भी था जिनके कारण 1965 ई के बाद अप्रेजी का इमेजेमान बजिन बन जाता। विधेयक का मुख्य कार्यकारी खट इसके तीमरे अनुच्छेद मे है, जो निम्नांकित है। इसके आधार पर एक नई भाषा नीति की नीव पड़ी और भाषा की मार्गिकानिक स्थिति मे काफी नवीनी आ गई।

मविग्रान के प्रारम्भ मे पद्रह वर्ष की कालावधि के समाप्त होने पर भी,

निश्चित तिथि से, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी निम्न कार्यों के लिए प्रचलित रहेगा :

- (i) उन सभी सरकारी कामों में जिनके लिए यह निश्चित तिथि से पूर्व इस्टेमाल हो रही थी; और
- (ii) ससद के कार्य व्यापार के लिए ।

फ्रैंक एथनी एवं मनोहरन आदि भद्रस्यो ने मारा कि विधेयक के मर्मादे में तब्दीली की जाए और नेहरू के आश्वासन को पूरी तरह इसमें समाहित किया जाए। एथनी का कहना था कि विधेयक में 'मे' (इच्छासूचक अंग्रेजी शब्द) इस वचन की पूर्ति नहीं करता जो अंग्रेजी भाषी लोगों को दिया गया था ।

हिंदी भाषी लोगों द्वारा विधेयक का कट्टर विरोध हुआ, क्योंकि यदि यह विधेयक पेश न होता तो 26 जनवरी, 1965 ई. से केवल हिंदी ही हिंदोस्तान की राजभाषा हो जाती ।

विधेयक के प्रस्तुत करने के समय ससद के अंदर और बाहर आवेशपूर्ण स्थिति थी। 14 अप्रैल, 1963 ई. के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने इस भावोत्तेजक वातावरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा : "संसद के इतिहास में इस प्रकार के हुल्लडवाजी के दृश्य इससे पूर्व कभी दिखाई नहीं दिए।" नेहरू ने इस दृश्य को घृणित एवं नज़ारनक बताते हुए कहा, "मैं किनिश, स्वीडिश अथवा किसी अन्य भाषा को तरजीह दूंगा, परंतु मैं इस प्रकार का व्यवहार सहन करने और लोकतंत्र तथा सब कुछ का नाश करने को तैयार नहीं।"¹⁰ अनेक सदस्य सदन की बैठक को छोड़कर बाहर चले गए, तीन भद्रस्यों को मुअस्तल और दो को जवरदस्ती बाहर कर दिया गया। एक सदस्य पार्लियामेट के भवन में विधेयक की होलिका जला रहे थे और बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ नारे लगा रही थी।

एल. एम. सिंघवी का कहना था कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 343(3) का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार 1965 ई. के पञ्चात् अंग्रेजी का प्रयोग केवल निश्चित कार्यों के लिए ही हो सकता था। प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा-

प्रधानमंत्री का इस प्रकार का आश्वासन देना संविधान-विरुद्ध है, या यूँ कहें संविधान की मान्यताओं का उल्लंघन है, ... आप मुझे इस कटु मत्य को कहने की आज्ञा दीजिए कि प्रधानमंत्री का यह आश्वासन उसी प्रकार की भूल है, जिस प्रकार की भूल उन्होंने काश्मीर में जनमत संग्रह का आश्वासन देकर की थी।¹¹

उन्होंने इस विधेयक को अमानविक ठहराया और कहा कि 1962ई के चीनी बाब्रमण में दश में जो एकता आई थी उस पर यह विन पानी फेर देगा। ऐसे एम वैनजी वा मत था कि जब 1965ई तक मिति स्पष्ट थी तो 1963ई में यह विवाद उठाना अनावश्यक था। विल का कहा विरोध करते हुए भावित दास ने दाखिल कहा कि इसकी समीक्षा बी। उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत को चार चीजों की सुरक्षा करनी हांगी राष्ट्रीय एकता, समाज-वादी प्रणाली, लोकतत्र एवं आर्थिक विकास, और उन सब की सुरक्षा अप्रेजी द्वारा नहीं, अपितु हिंदी द्वारा ही हो सकती है। अपने विचारों के स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि हिंदी के माध्यम द्वारा ही भारत के जन समूह एवं दूसरे के समीप था सकते हैं और विणिष्ट वर्ग और जनसाधारण के दीच की खाई पाटी जा सकती है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि हिंदी ही विश्वास वहुसत्या की इच्छापूर्ति कर सकती है और विदेशी भाषा की अपक्षा भारतीय भाषा के माध्यम में ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी आप जनता तक पहुंचा कर देश की आर्थिक मिति के उत्थान में योगदान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति का हिंदी की प्रगति के साथ सीधा स्तिष्ठा है, क्योंकि सारी की सारी एक ही देश की भाषाएँ हैं। अप्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महायज्ञ नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी पूरी इमारत विदेशी है।

हरिकृष्ण मेहताव ने विन का समर्थन किया और उसे पूर्ण भावितानिक बताते हुए कहा

संविधान के निर्माता बुद्धिमान् नोग थे। यदि उन्होंने इसे (हिंदी को) निना किमी शर्त के मान निया होता तो संविधान में केवल एक ही धारा होती। उन्होंने इन्हे अनुच्छेद बयो जोड़ दिए? संविधान सभा में मदस्यों के एकमत की बाफी चर्चा की गई है। मह एकमत इन्ही मिलीजुटी धाराओं के कारण ही वन पाया था। इन्ही के कारण भिन्न-भिन्न मतों के मदस्यों को पिश्वास दिया जा सकता था। मदस्यों को इन कठिनाइयों का पूर्वानुमान था, इसीलिए उन्होंने पढ़ा वर्ष की अवधि, आयोग और समदीप समिति की नियुक्ति, परीक्षाओं के प्रबन्ध सबधी धाराओं को संविधान में जोड़ दिया था। जहा तक मुख्य स्मरण है, जब श्री गोपानास्वामी आयगर ने इन धाराओं का स्वीकृति के लिए विन म्यू में प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने यह सब इमलिए रखा है, क्योंकि उन्हे ऐसा आभास है कि अप्रेजी वहूत बयों तक प्रचंचित रहेंगी। आखिर श्री गोपालास्वामी आयगर ने विधेयक में इन्ही धाराएँ बयो रखी, इमलिए कि समय ऐसा था, और संविधान को अधिकाधिक बहुमत में पारित करना था।¹²

हेम बस्था ने विल की भराहना करते हुए कहा कि इससे अंहिंदो भाषी लोगों के आधिक हितों तथा क्षेत्रीय भाषाओं के निर्जीव होने से रक्खा हो सकेगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक न एक दिन अंग्रेजी को राजभाषा के पद में हटाना होगा, क्योंकि 'संसार का कोई भी देश नब तक लोकनार्तिक एवं स्वतंत्र कहलाने का ढांडा नहीं कर सकता जब तक वहां कामकाज किमी ऐमी भाषा में चलता रहे, जो डेंज की प्रकृति के लिए विजातीय हो।' लगभग इन्हीं दलीलों के आधार पर हीन्दू मुख्यर्जी ने भी विद्येयक का समर्थन किया और कहा कि इस विल द्वारा भरकारी नौकरियों के संवंध में जो अंशय थे वे दूर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि "हमारे देश में कुछ लोग अंग्रेजी के अनिश्चित काल तक प्रचलित रहने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी चेष्टा को संसद को भूस्पष्ट रूप में अस्त्रीकार कर देना चाहिए।"¹³ कवीर, डॉ. नानक, चैतन्य, रविदाम, हजरत निजामुद्दीन, मोनिउद्दीन चिंगी, तुलमीदाम, थीरुबल्लूदर जानेश्वर एवं तुकाराम के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि "हमारे महापुरुषों में अंग्रेजी जानने वाले वर्ग का भी वहूत योगदान है, परंतु जहां तक गहननम योगदान का संवंध है वह उन व्यक्तियों के द्वारा ही मिला, जिन्होंने अपनी भाषाओं को ही अभिव्यक्ति का माध्यम चुना।"

विल के समर्थकों का कहना था कि द्विभाषिता कोई ऐमी अनोखी बात नहीं जो केवल भारत ही अपना रहा हो। यह बहुत में देशों में पहले प्रचलित है।¹⁴ इसके अतिरिक्त, दूसरे विल के द्वारा संक्रमण में केवल जलवाजी में ही रक्खा की जा रही है और अंहिंदी भाषियों को हिंदी भीखने के लिए अधिक नमय दिया जा रहा है ताकि संक्रमण के बाद किमी प्रकार की अव्यवस्था न हो। नाल-वहादुर जास्त्री ने विल की स्वीकृति के लिए बल देते हुए कहा, "हिंदी की प्रगति के लिए अंहिंदी भाषी लोगों की मद्भावना आवश्यक है।"

अंत में विद्येयक पारित हो गया। स्थल्टतया हिंदी के हिमायतियों को यह एक और बड़ा धक्का था।

निरायिक तिथि

26 जनवरी, 1965 ई. निरायिक तिथि थी। हिंदी और अंग्रेजी, दोनों, संघ की राजभाषाएँ बनी रहीं। 1963 ई. के भाषा-विद्येयक के पारित होने के पश्चात् दोनों विषयी दलों, हिंदी के पोषकों तथा अंग्रेजी के हिमायतियों ने, द्विभाषिता की स्थिति को स्वीकार कर लिया था; अतः यदि तर्कमंगत दृष्टिकोण अपनाया जाता तो अब कोई नमस्या घेय नहीं थी। परंतु राजनीति और जन माध्यारण के व्यवहार हमेशा पूर्वानुमानित मार्ग का अनुसरण नहीं करते। द्रविड मुन्नेत्र कडगम (डी. एम. के.) ने 1965 ई. के गणराज्य दिवस को शोक दिवस

के रूप में मनाने का फैसला किया, क्योंकि इस दिन से हिंदी संघ की प्रथम भाषा बन गई। हिंदी के प्रिरुद्ध दक्षिण तथा पश्चिम बंगाल में बड़े प्रमाण पर प्रदर्शन हुए और कुछ एक प्रदर्शनों में तो हिमात्मक वार्यवाहिया भी हुईं। एक कथनानुसार, मद्रास में इन प्रदर्शनों के कारण 78 लोग मारे गए। एक अन्य वयान के मुताबिक तमिलनाडु में मृतकों की संख्या 150 थी। पांच व्यक्तियों ने विरोधस्वरूप आत्मदाह कर डाला। सरकार ने इन आकड़ों को न तो पुष्टि की और न ही इनका खड़न किया।

18 फरवरी, 1965 ई को हीरेन मुखर्जी ने सरकार द्वारा इस मामले को ठीक तरह से न मनाले जाने पर सरकार की निर्दा करने के लिए लोकसभा में एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, “इस प्रकार की भावात्मजना मज़बूत में मज़बूत मिहामतों को भी भस्म कर मरती है, किंतु इन प्रतिभातीन जियिल ढाँचों की जिन पर नसार अवलम्बित हैं तो वात ही क्या है। सरकार वे सावधान रहना चाहिए कि दिन्ही का नगर जोकरी आनदान का सबवरा है।”¹⁵ उनका मत या कि प्रधानमंत्री, लालप्रहादुर शास्त्री को नेहरू के आश्वामनों की पुनरावृत्ति 11 फरवरी की बजाय 26 जनवरी मन् 1965 ई को बरनी चाहिए थी। उनके विचार में हिंदी भाषी राज्यों को अप्रेजी को मस्तुक राजभाषा बनाए रखने के लिए विधेयक पारित करने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे कानून के बिना मविग्रान के अनुच्छेद 210(2) के अनुसार 1965 ई से अप्रेजी दून राज्यों की राजभाषा नहीं रही, केवल हिंदी ही इनकी राजभाषा बन गई तै है।¹⁶

प्रकाशवीर शास्त्री ने लोकसभा में जोरदार चेतावनी दी है कहा कि यदि सरकार के निर्णय हिमात्मक वायवाहियों में बदलते हैं तो हिंदी के हिमायती भी ऐसा भागी अपना सहन है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी दोओं के दोनों के लिए प्रदर्शनों वा तत्त्व आयोजन किया या जप्त अप्रेजी के पिटू जमी अपने अपेज आकांक्षों के लकड़े झाह रहे थे। दक्षिण में गाडियों, डाकखानों जादि के जनाने की हिमात्मक घटनाओं की ओर सर्वेन बरने हुए उन्होंने कहा-

मुझे अच्छी तरह में याद है कि 26 जनवरी को मद्रास नगर म जब हिंदी प्रिरोधी जुलूस निकला ता उसमें कुछ लड़े थे, और वह भी छोटी बायु के थे। जाप यदि चाह ता उनके चिन भी मेरे पाप मीजूद है, और मैं उन्ह आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। हमने कहा जाता है कि मद्रास मे रेतगाहिया जनाई गई, मद्रास मे डाकखाने जनाए गए, और उम्में वाद सरकार के नेता विवश हुए इस नस्त का निर्णय नेते के निग। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे स्पष्ट बहना चाहता हूँ कि हम इस क्षेत्र के

निवासी जो कि पिछले 20 वर्षों में अपनी ज्ञान पर ताला डाले हुए हैं उन प्रकार की हिसात्मक कार्यवाहियों से यदि सरकार के निर्णय बदलते लग गए तो आप याद रखिए कि हमने नेलगाड़ियों की पटस्ट्रियां उन नमय उच्चारी थीं जिन नमय वे लोग अंग्रेजों के तलवे झाड़ रहे थे। अन् 1942 ईं का वातावरण उनको याद होगा। बगर हमने कहीं इस तरह की ज्ञानाएँ भड़का दी जैसी वहाँ उठ रही हैं और त्रांति की यह चिगारी देज के उड़र उठ पड़ी, जैसे कि आमार उनसे लगे हैं, तो वे ज्ञानाएँ आकर नमद भवन को छुएंगी, और स्थिति को आप बचा नहीं नकेंगे। माथ ही उमकी भारी जिम्मेदारी इस कमज़ोर सरकार पर ढोगी जो इस प्रकार का निर्णय करनी दें।¹⁷

इस प्रकार 1965 ई. का प्रारंभ भाषा की नमन्या को लेकर चुनौतियों एवं प्रनिचुनौतियों, लाक्षण्यों एवं प्रतिक्रियों और अनिकांडों का वर्ष था, पन्नु मांविद्यानिक स्थिति अपरिवर्तित बनी रही।

गणभाषा मंजूषन अधिनियम, 1967

जायद इस दृष्टि का एक और मूल्य और अभी बाकी था। दिसंबर 1967 में राजभाषा (नंगोधन) विधेयक और गोलियामेट में भाषा मंत्री मंत्रालय को पेश करने की तैयारियां शुरू हुईं। यह विल 7 दिसंबर, 1967 ई. को मंदद में पेश हुआ। *इसके अनुमार राजभाषा विधेयक, 1963 की शारा(3)में निम्न सुझाव दिया गया।

ये उपर्युक्त नव नक लागू रहेंगे जब तक उन नभी राज्यों की विधान-मभाएँ, जिनकी सरकारी भाषा हिंदी नहीं हैं, अंग्रेजी को हटाने वे लिए प्रस्ताव पारित नहीं कर देतीं और इन प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत नभी अंग्रेजी के निषेध के लिए इसी प्रकार का प्रस्ताव पास नहीं कर देती।¹⁸

जहा नक विल के माय मंत्रालय मंकलर का मंद्रश्व है, इसने निम्न मिकानिजों थीं-

- (i) हिंदी की प्रगति को अन्यार को नेज किया जाय;
- (ii) नमद में हिंदी की प्रगति पर प्रतिवर्ष एक मूल्यांकन रिपोर्ट पेज होनी चाहिए;

*राजभाषा अधिनियम, 1963 [राजभाषा (नंगोधन) अधिनियम, 1967 इन 1967 में नंगोधन] तथा नवन्य वा विवरण इन मध्याय के इन में पृष्ठ 78-84 पर देखिए।

- (iii) पढ़ह भारतीय भाषाओं का तेज रफ्तार एवं समन्वित विकास सुनिश्चित करना चाहिए,
- (iv) राज्यों के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्मित विभाषा फार्मूला ठीक प्रकार में लागू किया जाना चाहिए,
- (v) ऐसा नियम बनाया जाए जिसके अनुसार मध की सेवाओं के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी अनिवार्य हो : इस सबध में ऐसे पद अपवाद रहेंगे जिनके लिए वेवल हिंदी अथवा वेवल अंग्रेजी अथवा दोनों का उच्च ज्ञान बाधनीय होगा , और
- (vi) ऐसी व्यवस्था बी जाए कि मध लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की जाठवी अनुभूची म अविन सभी भाषाओं के माध्यम में होनी चाहिए ।

विधेयक एवं प्रस्ताव पर मसद में काफी उत्तेजनापूर्ण वहस टूटे । जब विधेयक और प्रस्ताव पेश किए गए तो मसद में इनना बोलाहल टूआ कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ना था, और उपाध्यक्ष को यह आदेश देना पड़ा, “अब गृहमंत्री अपने भाषण की पुनरावृत्ति करेंगे ।” तारकेश्वरी मिन्हा ने मसद के बानावरण का चित्र इन शब्दों में प्रस्तुत किया

“जनू का दौर है किम-किस को जाए भमझाने,
इधर भी अक्ल के दुश्मन, उधर भी दीवाने ।”

प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि “1963ई का विधेयक मरकार की अक्षमता का और यह किल मरकार की बदनीयती का ग्रमाण है : उन्होंने कहा कि इस किल का आधार राष्ट्रीय हित न होकर मद्रास में कांग्रेस मरकार की रक्षा करना और कांग्रेस के कुछ वर्गों को मतुष्ट करना है ।” गोविंद दास का कहना था कि “अंग्रेजी के सबध में इस विधेयक में जो कुछ कहा गया है, मेरा यह अदाज है कि इस विधेयक के अनुसार अगर काम चलातो इस देश में मद्रा सर्वदा के लिए अंग्रेजी ही चलेगी ।”¹⁹ मरकार की कथित हिंदी नीति के प्रति व्यक्ति रोप प्रकट करते हुए उन्होंने मरकार का अपनी पदभूपण की उपाधि लौटा दी ।

हिंदी के पक्षानियों का मत था कि यह किल अहिंदी भाषी राज्यों को बीटों का अधिकार प्रदान करता है, क्योंकि यदि एक भी राज्य हिंदी लागू करने का निर्णय न लेगा, तो अंग्रेजी प्रचलित रहेगी । इस आरोप का उत्तर देते हुए गृहमंत्री वाई वी चव्हाण ने कहा ।

स्थिति ऐसी नहीं है। प्रस्तुतः इन सब वातों को शब्दशः कानूनी एवं विधि-सम्मत तरीके से नहीं देखना चाहिए। इस विवेयक को पास करने के लिए पार्लियामेंट को कोई मजदूर नहीं कर रहा। जब संसद एक विवेयक सद्भावना के साथ स्वीकार कर रही है और वह भी इसलिए कि हम भली भांति जानते हैं कि हमारे कुछ भाइयों को सदेह है और हम उन्हें पुनः विचार और हिंदी को अंगीकार करने का अवसर देना चाहते हैं, जब यह सब कुछ हम पूर्ण ज्ञान के साथ कर रहे हैं तो यह नियेधाधिकार नहीं है। यह तो दृष्टिकोण की बात है।...यदि कुछ वर्षों के उपरांत देश में ऐसा विचार बनता है कि राष्ट्र किसी भारतीय भाषा को राजभाषा मानने के लिए तैयार है, और हमारे भाइयों के मन में कोई शक-ओ-चुवहा नहीं है, तो मंसद इस विवेक के आधार पर विना उनकी मंजूरी लिए इस विवेयक को पुनः बदल सकती है।^०

अंग्रेजी के हिंमायती वर्ग ने विचाराधीन विल के स्थान पर संविधान में संशोधन की मांग रखी ताकि संसद सरलता से स्थिति को न बदल सके। अंग्रेजी और हिंदी के पक्ष में लगभग वही दलीलें प्रस्तुत की गईं, जो पूर्व अवसरों पर दी गई थीं। अंग्रेजी के पक्ष लेने वालों का कहना था कि जो रियायत विल द्वारा दी जा रही थी, प्रस्ताव द्वारा उसका निपेद किया जा रहा था। अत मे विल और प्रस्ताव दोनों के लिए बोट पड़े, और दोनों पारित हो गए। जब विल के लिए बोट पड़े तो जनसंघ के तथा अन्य मंसद सदस्य, जिन्होंने विल का विरोध किया था, सदन से बाहर चले गए, और जब प्रस्ताव पर मतदान शुरू हुआ तो अपना विरोध प्रकट करते हुए डी.एम.के. पार्टी के सदस्य तथा अंग्रेजी के हिंमायती सभा त्यागकर बाहर चले गए। विल एवं प्रस्ताव से ज्ञायद दोनों गुटों के लाभ संतुलित रहे।

समाचारपत्रों की रिपोर्टज

समाचारपत्रों की स्वतंत्रता भारतीय जनतंत्र की आधारशिला रही है। आजादी से पहले और इसके बाद, समाचारपत्रों ने अपने समाचारों, निवंधों तथा संपादकीय लेखों द्वारा राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका लदा की है। इसलिए जब भाषा के मामले को लेकर देश में निर्णायक घटनाएं हो रही थीं, तो यह जान लेना उपयुक्त होगा कि इस संवंध में पत्रों ने क्या लिखा। इस हेतु दिसंबर, 1967 ई. के 'दि हिंदू', मद्रास और 'हिंदुस्तान', नई दिल्ली के नेखों का मंकिष्ट एवं सरमरी मर्वेक्षण किया गया। प्रथम समाचारपत्र दक्षिण में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है, और 1967 ई. में इसकी ओमत विक्री

1,41,708 थी। द्वितीय पत्र उत्तर भारत से हिंदी में प्रकाशित होता है और तत्र इसकी औमत विक्री 85,000 थी।

भाषा के मामले पर इन दो अखबारों ने कितना लिखा तथा कितनी स्वचि
दिखाई, इसका अनुमान निम्नलिखित सारणी से चल सकता है—¹

रिपोर्टर्जि का प्रकार	हिंदुस्तान (हिंदी)	दि हिंदू (अंग्रेजी)
1 भाषा समस्या के लिए		
कुल स्वान	9406 कालम में मी	5762 कालम से मी
2 भाषाचारों की समस्या	343	229
3 भपादकीय लेखों की समस्या	14	4
4 भपादकीय पृष्ठ पर		
निबध्नों की समस्या	23	4
5 भपादक के नाम		
पाठकों के पत्र	15	32

इस प्रकार भाषा के विषय के लिए 'हिंदुस्तान' और 'दि हिंदू' ने ऋमण 21 और 13 पृष्ठ दिए। स्वान के ऊपरलिखित विवरण के सिहावलीकन से पता चलता है कि प्रदणनों के आयोजन तथा ध्यान देने में राजनीतिज्ञों ने सर्वोधिक भूमिका अदा की।²

'दि हिंदू' के 'रिपोर्टर्जि' के अनुमान, विद्यार्थियों द्वारा 49 हिंदुस्तक कायं-वाहिया हुई। उनका मोटा खाका इस प्रकार में है

हिंदुस्तक घटनाएँ

विवरण	दिसंबर 1 से 17, दिसंबर 18 से 31, 1967 ई तक	कुल घटनाएँ
(क) उत्तर भारत में	16	7
(ख) दक्षिण भारत में	1	25
कुल	17	32
		49

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण में युवकों द्वारा नगभग वरावर सम्ब्या में हिंदुस्तक दायंवाहिया हुई। उत्तर में ये कायंवाहिया प्राय विधेयक के अगोवार होने से

पूर्व हुई, जबकि दक्षिण में ये विवेयक के पारित होने के उपरात, शायद प्रतिकार के रूप में ।²³ उत्तर में विद्यार्थियों ने विल की 25 फुट लंची प्रतिमा तथा डाकखानों को आग की नज़र कर दिया। दक्षिण में उन्होंने मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर हिंदी नामपट्ट उतार फेंके और कोचीन जाने वाली एक गाड़ी को जला दिया।

जनसंघ के एक सदस्य ने विल की एक प्रति को सभा काल के अदर जला दिया (दि हिंदू : दिसंबर 7, 1967 ई.)। उत्तरप्रदेश के दो मन्त्रियों को तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के अपराध में गिरफतार कर लिया गया (दि हिंदू : दिसंबर 13, 1967 ई.)।²⁴

वस्तुतः मदन के अदर अद्यता बाहर मतांधता तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी।²⁵

राजभाषा विवेयक, 1963 पर अपने भाषण में हिंदी के हिमायतियों के दुराग्रह की चर्चा करते हुए, फँके एंथनी ने कहा, “आज इतनी टोका-टाकी नहीं हो रही है, परंतु उस समय (1959 में जब अंग्रेजों को आठवीं अनुसूची में जामिल करने पर चर्चा हो रही थी) नोची समझी, पहले से सोची समझी, टोका-टाकी चली थी। समस्त वातावरण दुर्घटित था, और दृष्टा में भरपूर था।²⁶

एंथनी के विल पर दिए गए वक्तव्य की समीक्षा करते हुए जवाहरलाल नेहरू का कहना था :

यह अफ्रीका की बात थी। मेरा सबैन उनके (एथनी के) विचारों की ओर नहीं है, परंतु वह भाषण इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि, बाँर जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में स्वर्य भी कहा, उनकी बात में उग्रवाद था; और मेरे विचार में उन्होंने ‘कटूरता’ शब्द का भी प्रयोग किया। समस्या पर विचार करने का यह कोई तरीका नहीं है।

उपसंहार

इम प्रकार हम देखते हैं कि नविद्यान के पारित होने के पांच वर्ष के बाद भाषा का विवाद फिर खड़ा हो गया था। पहले तो यह भाषा बायोग (1955-56 ई.), नंसदीय समिति (1957-59 ई.) तक ही सीमित था, परंतु शीघ्र ही यह विवाद संसद की चारदीवारी तक पहुंच गया। तदुपरात इस विषय को नेकर देज के विभिन्न भागों में ज्वालाएं धघक उठीं। जब भाषा के सबाल को नेकर यथतत्र जनमभाओं में भाषण हुए, तो उन चर्चाओं में तर्क की अपेक्षा भावुकता और विवेक की अपेक्षा उत्तरा अधिक थी। हर समय अंग्रेजी और हिंदी

के हिमायतियों के बीच दृढ़ युद्ध में शक्ति परीक्षा होती रही। काफी प्रदर्शन और जवाबदी प्रदर्शन हुए, हिंसा और प्रतिहिंसा की भी कार्यवाहिया हुईं जिनसे जान माल का भारी नुकसान हुआ। हिंदी और अंग्रेजी का झड़ा बुलद करने वालों ने अपने अपने प्रदर्शन 'प्रभावशाली' बनाने में कोई क्सर न छोड़ी और इस प्रक्रिया में काफ़ी राष्ट्रीय संपत्ति फूट दी गई।

अन्य कामों के अतिरिक्त भाषा आयोग ने जिसमें यह सुझाव देना भी था कि किस प्रोग्राम के अनुसार सरकारी वाय में हिंदी अंग्रेजी का स्थान से और राज्य के कामों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए। आयोग इन दोनों में से किसी भी कार्य को पूर्ण न कर सका। आयोग ने अनुसार वे पहला काम इसलिए न कर पाए क्योंकि इस सबध में उनकी जहरतों के लिए सरकार अपनी आधारिक सरचना को ध्यान में रखते हुए अपनी मिफारियों उन्हें न दे सकी। जहाँ तक दूसरी विषयवस्तु का सबध है, आयोग ने सदस्य अंग्रेजी के इस्तेमाल पर विसी प्रकार की रोक लगाने के पक्ष में नहीं थे।

मस्त्रीय समिति भी कोई समाधान तलाश न कर पाई। समिति की इस मिफारिश से कि मविधान वे अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा बन जाने वे बाद भी अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहे, ममस्या का एक आयाम और बढ़ गया।

अप्रैल 1959 ई में प्रैक एयनी ने अंग्रेजी को भविधान की आठवीं अनु-मूची में शामिल करने के लिए एक गैरमरकारी विधेयक प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने यह विन वापस ले लिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने मसद को यह आश्वासन दे दिया कि जब तक अंग्रेजी भाषी राज्यों की ऐसी इच्छा होगी, अंग्रेजी अतिरिक्त राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। म्यट है कि हिंदी के पोषकों के लिए यह बहुत भारी क्षणि थी।

1963 ई में पालियामेट ने राजभाषा विधेयक पास किया जिसमें अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को 1965 ई के बाद भी सरकारी कामों में इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। हिंदी के हिमायतियों ने इसका बड़ा विरोध किया फिर भी विल स्वीकृत हो गया। अंग्रेजी के हिमायती भी इस विल से मनुष्ट न हुए क्योंकि 1965 ई के बाद हिंदी संघ की मुख्य राजभाषा बन गई। इसलिए उन्होंने इस स्थिति पर अपना रोप प्रकट करने के लिए हिमात्मक प्रदर्शन किए। इतने करत्वस्वरूप राजभाषा विप्रेयक, 1963 में संशोधन हुआ। 1967 ई में समद ने जवाहरलाल नेहरू के बाश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए कानून बनाया, जिसमें अनुसार यह म्वीकार किया गया कि अंग्रेजी का प्रचलन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी राज्यों के विधानमंडल और समद के दातों मद्दत अंग्रेजी को हटाने के लिए कानून पास न

कर दें।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इम विल के माय जो प्रस्ताव पास हुआ उससे हिंदी के पक्ष को लाभ पहुंचा, परंतु अंग्रेजी के म्यान पर अंग्रेजी की स्थापना के लिए कोई समय मूची तैयार नहीं की गई।

इस प्रकार 1950 ई. में हिंदी को जो उपलब्धि हुई थी, 1967 ई. तक, वह दूषित हो चुकी थी, और फीकी पड़ गई थी। यहां हीरेन मुखर्जी की उम्मेतावनी का स्मरण हो आता है जो उन्होंने 'अंग्रेजी के अनिष्टित काल तक चलते रहने' के संबंध में 1963 ई. में दी थी और जो चार वर्ष बाद ठीक उतरी। पुरुषोत्तम दाम टंडन और मेठ गोविंद दाम के उन भविष्यसूचक शब्दों की याद भी ताजा हो जाती है जिनमें उन्होंने कहा था कि 1967 ई. के विल में हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रभुत्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। संविधान की इस धारा, जिसके अधीन हिंदी के पत्र के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न रहेगा, के संबंध में पुरुषोत्तम दास टंडन का कहना था कि: "प्रत्यक्ष है, तब हिंदी के इस्तेमाल की कोई संभावना नहीं है!"⁸ जो बात इन दो राजनीतिज्ञों ने कही थी, आज स्थिति लगभग वैसे ही है।

भाषा के सवाल पर भावोत्तेजनापूर्ण वक्तव्यों के आधार पर यह सोचना गलत होगा कि भारतीय जनता के किसी वर्ग में राष्ट्रीय प्रेम का अभाव है। भारतवासियों ने कई अवसरों पर, जब कभी देश पर सकट की स्थिति बनी, अपने राष्ट्रीय प्रेम और पारस्परिक एकता का मुप्रमाण दिया है। 1962 ई. में जब चीन के आक्रमण से देश की सुरक्षा ख़तरे में पड़ गई अथवा 1965 ई. और 1971 ई. में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए तो देश का कोई भी वर्ग अधिकतम बलिदान करने में पीछे न रहा।

हिंदी के लिए यह एक दुर्भाग्य एवं निराशा की बात थी कि राजनीतिज्ञों की नई पीढ़ी की हिंदी के प्रति उस प्रकार की कोई प्रतिवद्धता नहीं थी जैसे कि आजादी के लिए लड़ने वाले पुराने राजनीतिज्ञों की। इसके विपरीत राजनीतिज्ञों की नई पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी हिंदी विरोधी नीति के कारण ही चुने गए थे।

हिंदी के गतिरोध का एक अन्य कारण यह भी था कि अहिंदी भाषियों की हिंदी भाषा की जानकारी का स्तर ऊचा करने के हेतु सरकार और हिंदी प्रचारक संस्थाओं ने यथोपचारिक कदम नहीं उठाए।

आज की स्थिति उपर्युक्त तथा अन्य कुछ कारणों का परिणाम है। इन्हीं के फलस्वरूप हिंदी और अंग्रेजी के बीच सीचातानी अभी तक जारी है। 17 मार्च, 1978 ई. को एम. डी. मोमसुदरम् ने लोकनभा में एक रीरमरकारी प्रस्ताव पेश किया जिसका आशय था कि नेहरू के आश्वासन पर फिर वहस की जाए,

और समिश्रान में यह समाहित किया जाए वि जब तक अंग्रेजी भाषी चाहे अग्रेजी भारत की अतिरिक्त राजभाषा बनी रही। इस प्रान्त पर फिर विवाद आरम्भ करने के लिए दूधमें अतिरिक्त कोई उत्तेजनापूर्ण वारण नहीं था, वि मिवाय इस बाते के कि कुछ लोगों दे मन में यह भय था कि उस समय की जनता पार्टी की सरकार भाषा के मामले में जवाहरलाल नेहरू और उनकी कांग्रेस सरकार के जागरामन पर अधिक नहीं करगी। 14 अप्रैल, 1979 ई को गृहमंत्री ने सविधान के संशोधन की मांग को जन्मवीकार करने हुए कहा कि जनता पार्टी की सरकार भाषानीति में जवाहरलाल नेहरू के सिद्धात का अनुसरण करगी, और उसका दबिणी राज्यों पर हिंदी लोपने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने विरोधी दलों के दस प्रचार की निकाय की कि जनता सरकार अंग्रेजी भाषी लोगों पर हिंदी लाकर चाहती है। कुछ सदस्यों ने मांग की कि अग्रेजी को सविधान की आठवीं अनुमूल्यी म शामिल किया जाए, परतु प्रधानमंत्री ने इसे नामजूर कर दिया। (दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, अप्रैल 24, 1978, पृष्ठ 3)

1959 ई., 1963 ई., 1967 ई. और 1978 ई. में पालियामेट में भाषा मवधी पश किए गए दिल समस्या समाधान के मार्ग के मील पन्थर नहीं हैं, अपितु हिंदी-ममधकों और हिंदी विरोधियों के पारस्परिक अविश्वास के सूचक हैं। इन कानूनों से सवधित घटनाओं में एक मार्ग दर्शन यह मिलता है कि इस प्रचार के तथा अप्य विदेशी वनाने में लाभ की कुछ अधिक सभावना नहीं है। समस्या काफी विकट रूप धारण कर चुकी है, और कानूनों से इसका हल निकालना मुश्किल है। समस्या अर्थशास्त्र, राजनीति और लोगों की भावनाओं के माध्यमुड़ चुकी है। इस प्रश्न पर विभिन्न वर्गों के मन में पारस्परिक विश्वास के स्थान पर गाठे बध चुकी हैं। इमलिए आज जखरत इस बात की है कि समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और अन्य वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ इस समस्या के समाधान के लिए अपने ज्ञान का एकीकरण करें। समस्या को हल करने में जल्दवाजी करना या टमसे अनापश्यक विलव करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक योजना के दिना इस समस्या का समाधान मिलना कठिन है। ऐस उपाय दूढ़ने होंगे जिनसे विरोधी गुटों के बीच अविश्वास का निराकरण हो, और परस्पर मद्भाव की स्थापना की जा सके। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए पारस्परिक वार्ताओं, सम्बलना, जनसभक्ष माध्यनों द्वारा जनसाधारण को शिक्षित करने में काफी लाभ हो सकता है। राज्यों के बीच लोगों के आनेजाने को प्रोत्तमातृन देना होगा। अतर्राज्यीय वैज्ञानिक, सामृद्धिक, शैक्षणिक और आर्थिक आदान प्रदान एवं सहमति से लोगों के बीच वर्तमान व्यवधानों को समाप्त करना होगा। ऐसे

प्रोत्तमों द्वारा हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों की भाषा, इनिहाम, मस्कुनि और उपलब्धियों से परिचित हो सकेंगे। इस प्रकार के और भी अनेक उपाय मुझाए जा सकते हैं। इन सब का लक्ष्य यही है कि देश की एकता बनी रहे, और इसको प्रोत्साहन मिलता रहे। विभिन्न वर्गों के हितों की समान मुख्या बहुत ज़रूरी है। भाषा की आड़ लेकर यदि किसी वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, तो परिणाम, अनिवार्यत, घातक होंगे। भाषा के विषय पर कानूनी और राजनीतिक कलावाजी का प्रदर्शन हो चुका है। अब आवश्यकता इस बात की है कि समाजशास्त्रियों, भाषाशास्त्रियों और अन्य विजेयज्ञों को अत्रसर दिया जाए, और वे स्थिति में जूँझे तथा समस्या का सर्वथा मही हल निकालें।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

- 1 भारत, राजभाषा पर समीक्षा समिति, 1957, रिपोर्ट, नई दिल्ली, गृह मन्त्रालय, 1959 पृष्ठ 13
- 2 भारत, राजभाषा आयोग की रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मन्त्रालय, 1957, पृष्ठ 412
- 3 मंविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुमार, “भारत सरकार का समस्त अधिशासी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर लिया जाएगा”, परतु अनुच्छेद 74 (1) के अनुमार, अपने कार्य वहन में राष्ट्रपति के निए एक रत्नपरिपद् झोपी जिसके नेता होंगे प्रधानमंत्री इसनिए राष्ट्रपति का आदेश भारत सरकार की नीति का ढोतक कहा जाता है
- 4 जो विधेयक सरकार नहीं, अपितु एक प्राइवेट सदस्य पेश करे, उन्हें गैरसरकारी विन कहने हैं
- 5 कई प्रवन्नों का कहना था कि देश में एम्लो इडियन लोगों की संख्या 150,000 है। जिनकी मानुभाषा अंग्रेजी है
6. डेन्विए परिणिष्ट V और VI, इनमें विभिन्न विधानसभाओं में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के इम्प्रेसोल की स्परेंज़ा मिल मरती है
7. भारत, लोकसभा, वहम, नई दिल्ली, लोकसभा नेक्रेटेरिएट, 1959, प्रथ 31, संख्या 61-65, मर्ट 8, 1959, पृष्ठ 15967-68
- 8 भारत, लोकसभा, वहम, नई दिल्ली, लोकसभा नेक्रेटेरिएट, 1959, प्रथ 32. संख्या 1-10 अगस्त 7, 1959, पृष्ठ 1298-99
9. वही, पृष्ठ 1331.

- 10 भारत, लोकसभा बहस नई दिल्ली, लाक्सम्बा सेक्रेटेरिएट, 1963, प्रथ 17, सम्प्या 41
50 तीसरी वयस्माला, अप्रैल 13 24, 1963 पृष्ठ 11633
- 11 वही, पृष्ठ 1173।
12. वहां पृष्ठ 11660
- 13 वही, पृष्ठ 1140।
- 14 देविए परिशिष्ट XI
- 15 भारत, लोकसभा बहस प्रथ 38 सत्या 1-10 फरवरी 18, 1965, नई दिल्ली, लोकसभा
सेक्रेटेरिएट, 1961, पृष्ठ 240
- 16 ग्रन्तुच्छेद 210 (1) भाग XVII में कुछ भी लिखे रहने के बावजूद परतु ग्रन्तुच्छेद
348 के अधीन राज्य विधानसभाओं में आयवाही उनकी भारतीय प्रणाली राजभाषा एवं राज-
भाषाओं आयवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में चलाई जाएगी
(2) यदि काई विधानसभा कानून बनावर अलग से कोई नियम निधारित न कर लैगो
तो ग्रन्तिथाने के पारभ स पढ़व वय की अवधि समाप्त होने के उपरान इस ग्रन्तु-
च्छेद का लागू करत समय 'आयवा अंग्रेजी में' शब्दों को विलुप्त माता जाएगा
- 17 भारत, लोकसभा, बहस, प्रथ 38, स 1 10, फरवरी 1965, पृष्ठ 265-269
- 18 भारत ग्रन्तिथारण राजपत्र, जनवरी 8, 1963 नई दिल्ली, प्रकाशन मैनेजर, 1968,
ग्रन्तिथम तथा सबल्य का पूरा विवरण इस अध्याय के भ्रत में भी देविए
- 19 भारत, लोकसभा, बहस, नई दिल्ली, लोकसभा 1967 प्रथ 10, सम्प्या 1120,
निस्वर 8, 1967 पृष्ठ 5785
- 20 भारत, लोकसभा, बहस, नई दिल्ली, लोकसभा 1967, प्रथ 11, दिसंबर 12-23, 1967
- 21 (1) श्रीमत विक्रो की सम्याए 1966 नी है दैनिक समाचारपत्र 'दि दिल्लौ' की दिक्षी
सेक्षिण से प्रशाशित होने वाले सभी पत्रों में सर्वाधिक थी
(ii) उस समय लगभग 440 बॉल्ड मैटीमोटर में समाचार का एक पृष्ठ बनता था,
बाद म इस रचना को कुछ बदल दिया गया
- 22 देविए परिशिष्ट
- 23 विधेयक और प्रस्ताव लोकसभा न 16 दिसंबर, 1967 वा और राज्यसभा न 21
दिसंबर, 1967 नी पारित किए थे तदुपरात ये राष्ट्रपति की भजूरी के लिए भेजे गए थे
- 24 भाषा सम्ब्या और इस सबघ में भारतीय समाचारपत्रा (जनसप्तसाधा) की 'भूमिका'
के विषय घर नाम बनन से अनेक रोचक तथ्यों का पना चल सकता है
- 25 इस प्रकार के प्रदर्शनों का आग्रेजन थोड़ा बहुत असी तर चल रहा है, जिसस उत्तर
और दक्षिण के बीच राष्ट्रीय भावात्मक एकता को बापी क्षति पहुची है भाषा के नाम
पर 26 जनवरी, 1979 ई को तमिलनाडु राज्य के कुछ शहरों में यत्नतळ तोड़फोड़ की
आयवाहिया हुई यह दिन भारत का गणराज्य दिवस है, परतु राज्य के कुछ नगरों

में इसे हिंदी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया, यद्यपि मुख्यमंत्री एम जा रामचंद्रन ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि जिन्होंने मद्रास में हिंदी विरोधी एक रेलो का आयोजन किया, से अपील की कि कि वे कोई ऐसा कदम न उठाए जिसके कारण तमिलनाडु के लोगों को शर्म के मारे सिर झुकाना पड़े, परन्तु इस बात का कोई अभर न हुआ मद्रास में काली कमीजें पहने और 'हिंदी मुर्दावाद' के नारे लगाते हुए एक जूलूस निकाला गया और इसकी प्रतिक्रिया में पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सभ तथा विहार नव निर्माण समिति ने 'अंग्रेजी हटायो' का एक सम्युक्त आंदोलन पुरु कर दिया। तमिलनाडु में कुछ स्वानो, वसों एवं गाड़ियों पर हिंदी में लिखे नामपट्टी को पोत दिया गया, और कुछ एक को उत्तार फेंक दिया गया। यह भी मार्ग को गई कि पोस्टकार्डें, मनिअराईं-फ़ार्मों तथा बैंकों के चैंकों पर हिंदी का प्रयोग खत्म कर दिया जाए। इसके एक सप्ताह बाद तमिलनाडु विधान सभा ने नेहरू के आश्वासन को संविधान में दर्ज करने के लिए एक प्रस्ताव पर वहस की। (दिखाएँ दि टाइम्ज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, जनवरी 26, 1979 ई.; दि हिंदू, मद्रास, अंतर्राष्ट्रीय स्टकरण, फरवरी 3, 1979 ई. और नमुद्रपार के दि हिंदुस्तान टाइम्ज, नई दिल्ली, फरवरी 8, 1979 ई.)

- 26 भारत, लोकसभा, वहस, नई दिल्ली, लोकसभा भैकेटेरिएट, 1959, ग्रंथ 17, सभ्या 41-50, अप्रैल 13-24, 1963, पृष्ठ 11476,
27. वही, पृष्ठ 11634.
- 28 भारत, संविधानसभा, वहस, नई दिल्ली, संविधान सभा, 1949, ग्रंथ 9, पृष्ठ 1443

राजभाषा अधिनियम, 1963

[राजभाषा (मशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा 1967 में गद्दोधित]

उन भाषाओं का, जो सघ के राजकीय प्रयोजनों ममद माय व मन्यवहार के द्वारा और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों म वित्तपत्र प्रयाजना के ने तिए प्रयाग में लाई जा सकेंगी, उपवध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बौद्धिक वर्ष में समद द्वारा निम्नलिखित स्थग म यह अधिनियमित हो,

(1) सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 का जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी 1965 के 26वें दिन से प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के नीय उपवध उम तारीख से प्रवृत्त होग जिस द्वितीय मरकार, शासकीय राजपत्र म अधिसूचना द्वारा नियन वरे और इस अधिनियम के विभिन्न उपवधों के लिए विभिन्न तारीखें नियन की जा सकेंगी।

2 परिभाषाएँ इस अधिनियम में, नय नक्ति प्रयोग में अन्यथा व्यक्तित न हो,

(क) 'नियन दिन' में, धारा 3 के सघ म, जनवरी, 1965 के 26वां दिन अभिषेत है और इस अधिनियम के किमी जाय उपवध म वह दिन अभिषेत है जिस दिन वह उपवध प्रवृत्त होता है।

(म) 'हिन्दी' में वह हिन्दी अभिषेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3 सघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए और समद में प्रयोग के लिए अप्रेज़ी भाषा का बना रहा। (1) मविधान के प्रारम्भ में पढ़ह वय की नालावरि के समाप्त हो जाने पर भी, हिन्दी के अनिरिक्त अप्रेज़ी भाषा नियन दिन में ही

(क) सघ के उन राजकीय प्रयोजनों के लिए जिन्हे तिए वह उम दिन में ठीक पहने प्रयोग में लाई जानी थी, तथा

(म) समद में वायं के मन्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जानी रह सकेगी।

परनु सघ और किमी ऐसे गज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के स्प में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अप्रेज़ी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी।

परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, वीच पत्रादि के प्रयोजन के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के मार्यादाय उसका अनुचाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, सध के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अत्तिविष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा,

- (i) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;
- (ii) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;
- (iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है जहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त सवधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारी वृद्धि का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुचाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अत्तिविष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिंदी बार अंग्रेजी भाषा दोनों ही,

- (i) सकलपों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं,

- (ii) समद के किसी मदन या मदनो के गमक्ष स्वें या प्रशामनिक्त तथा प्रतिदेशो और राजभीय वागज पत्रों के लिए,
- (iii) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मत्रालय, प्रभाग या व्यार्थन द्वारा या उसकी जारी में या केंद्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व में या नियश्रण में के किसी नियम या कपनी द्वारा या ऐसे नियम या कपनी के किसी व्यार्थन द्वारा निष्पादित मविदाओं और वरागों के लिए तथा निकानी गई अनुभाषितों, अनुज्ञापनों सूचनाओं और निर्दित प्रक्रिया के लिए।

प्रयोग में आई जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव दाते विना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध वर मर्मांगी जिसे या जिन्हें सघ के राजभीय प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मत्रालय, प्रभाग, अनुभाग या व्यार्थन का वार्यरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजभीय राय के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का गम्भक् ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया वह सुनिश्चित रहेंगे कि जो व्यक्ति सघ के कार्यकलाप के मवध में भेदा वर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रतीक्षा हैं वे प्रभावी रूप में अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रतीक्षा नहीं हैं, उनका बोर्ड अटिन नहीं होता है ।

(5) उपधारा (1) के खड़ (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तब तब प्रदृत वा रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर दिने के लिए ऐसे भी राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, सबल्प पारित नहीं कर दिए जाने और जब तब पूर्वोक्त मण्डलों पर विधार कर देने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए भमद के हर एवं मदन द्वारा सभी पारित नहीं कर दिया जाता ।

4 राजभाषा के सद्बंध में समिति (1) जिस नारीख को धारा 3 प्रवृत्त दोनों है उसमें इस वर्ष भी समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के मवध में एवं समिति, इस विषय का सवाल्प समद के किसी मदन में राष्ट्रपति वी पूरी मजूरी ने प्रस्तावित और दोनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी ।

(2) इस समिति भी तीम भदम्य होंगे जिनमें में वीम लोकमभा रे भदम्य होंगे तथा इस राज्यमभा के सदम्य होंगे, जो ऋष्ण लोकमभा के सदम्यों तथा

राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह सब के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर भिन्नारिंगों करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसी राज्य मरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य मरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा :

परंतु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपवंधों से असंगत नहीं होंगे।

5. केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद : (1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित :

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रद्यापित किसी अध्यादेश का; अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपचिह्न का; हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा;

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संभव के किसी भी सदन में पुनर्म्भापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके सबूत में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथसाथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कठिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद : जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रद्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहा, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया

जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7 उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग नियन्त्रित दिन में ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन में किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वममति से अप्रेज़ी भाषा के अनिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी नियम, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहा कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अप्रेज़ी भाषा में भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जा सकता है वहा उसके माथसाथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार में निकाला गया अप्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8 नियम बनाने की शक्ति (1) वैद्रीय सरकार इम अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वयन करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात् यथासमय शोध समद के हर एक मदन के समक्ष, उस समय जब वह सन में हो, कुल मिलाकर तीम दिन की वालावधि के लिए जो एक सन में या दो क्रमान्वयी मध्ये में भविष्यत हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सन के जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या टीक पश्चात्वती मध्य के अवमान के पूर्व दोनों मदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए महमत हो जाए या दोनों भदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह नियम ऐसे उपान्तरित स्वप्न में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा किंतु इस प्रकार इसे कोई उपान्तर या बातिनकरण उस नियम के अधीन पहने की गई किसी बात की विविमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना होगा।

9 कठिपय उपदेशों का जम्मू और कश्मीर पर लागू न होना धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू न होंगे।

(स 5-8-65-राजभाषा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जनवरी, 1968, 28 पौष, 1889)

सकल्प

समद के दोनों मदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी मकल आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है-

1 “जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा की प्रभाव वृद्धि

करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सम्झौते के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, सब का कर्त्तव्य है; यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग के हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पट्टल पर रखी जाएगी, और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु मामूलिक उपाय किए जाने चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथमाय इन भव भाषाओं के ममन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग में एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र भूमिका हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के सर्वर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की मुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को भी राज्यों में पूर्णत वार्षिक विविध भाषाओं के साथसाथ हिंदी के अध्ययन के लिए उन सूत्र के अनुसार प्रवर्द्ध किया जाना चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथसाथ हिंदी के अध्ययन के लिए उन सूत्र के अनुसार प्रवर्द्ध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक मेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोन्नित दावों और हिस्तों का पूर्ण परिवर्तन किया जाए; यह सभा संकल्प करती है:

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी

किसी सेवा अथवा पद के वर्तन्यों के भतोपजनक निष्पादन के हेतु वेवल अग्रेजी अथवा वेवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, वा उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, सध सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत अपेक्षित होगा, और

(ब) कि परीक्षाओं की मावी योजना, प्रक्रिया सबधी पहलुओं एव समय के दियय मे सधलोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अग्निल भारतीय एव उच्चतर कैंट्रीय सेवाओं सबधी परीक्षाओं के लिए समिधान की आठवी अनुमूली मे सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अग्रेजी को बैकल्पिक माध्यम के ह्य मे रखने की अनुमति होगी।

आर डी घापर
समुक्त मचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाना है कि इस सकल्य की प्रति सभी राज्य सरकारों, सध राज्य क्षेत्रों तथा सरकार के मशालयों दो खेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाना है कि इस सकल्य को भारत के राजपत्र मे आम जानारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

अध्याय चार

राजनीतिक दल एवं भाषा नीति

संसदीय लोकतंत्र में किसी भी समस्या का अध्ययन राजनीतिक दलों को अछूता रखकर नहीं किया जा सकता। भाषा की समस्या के प्रसंग में यह बात और भी सत्य है, क्योंकि यह प्रश्न जनसमूह की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भारत में राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल हैं, परंतु इस अध्याय में केवल उन्हीं कुछ पाठियों का वर्णन किया गया है जिनके 1977 ई. के आम चुनाव से पूर्व लोकसभा में कम से कम पंद्रह सदस्य थे। जनता पार्टी दल का भी जिक्र किया गया है, जिसने 1977 के निर्वाचन के बाद केंद्र में सरकार बनाई जो 1980 ई. के शुरू में हुए निर्वाचन पूर्व तक रही। इन पाठियों के नाम इस प्रकार हैं :

दि ईडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ; दि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) अर्थात् मार्क्सवादी साम्यवादी दल ; दि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सी. पी. आई.) अर्थात् भारतीय साम्यवादी पार्टी ; जनसंघ ; द्रविड़ मुन्नेव कड़गम और जनता पार्टी ।¹

कांग्रेस :

कांग्रेस पार्टी की नीतियों के निर्माण में महात्मा गांधी और फिर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसलिए भाषा के प्रश्न पर कांग्रेस की नीतियों को समझने के लिए उनके विचारों की जानकारी प्राप्त करना लाभप्रद होगा।

1909 ई. में गांधी जी ने लिखा था : “जितनी शक्ति हम अंग्रेजी सीखने में लगाते हैं यदि इससे बाधी भी हम भारतीय भाषाओं के सीखने में लगाएं तो देश का बातावरण बदल जाएगा और काफी उन्नति हो सकेगी। अंग्रेजी के मुकाबले में भारतीय भाषाओं के प्रति गांधी जी में यह अभिरुचि अंत तक

बनी रही। अपनी मृत्यु 30 जनवरी, 1948 ई के कुछ मास पूर्व, 11 सितंबर, 1947 ई के 'हरिजन' पत्र में उन्होंने लिखा था

प्रातीय भाषाओं के प्रतिष्ठापन में एक एक दिन का विलब देश के लिए सास्कृतिक हानि है यह कहना कि कुछ वर्षों तक न्यायालयों, स्कूलों और दफ्तरों की भाषा नहीं बदली जा सकती, मानसिक आलस्य का प्रमाण देना है। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार सफलता के साथ हमने अंग्रेज अपहारी का राजनीति से बाहर निकाला, उसी प्रकार उसकी भाषा का सामृद्धिक अपहारी के रूप में अपने देश से निर्वाचित कर दें।

'भाषा का प्रश्न' शीषक में 21 अगस्त, 1937 ई के 'हरिजन' में प्रकाशित निवाद में जवाहरलाल नेहरू न लिखा था

मजीव भाषा में एक प्रकार का स्पदन, मजीव परिवर्तनशीलता और गतिशीलता होनी है। भाषा सदा विकासोन्मुखी रहती है और अपने बोलने वालों का दपण होनी है। इसकी अधिरचना भट्टे ही थोड़े-मेरे चुने दुए लोगों की सस्कृति को प्रतिर्दिशित करे, परन्तु इसकी नीव आम जनता में होती है हमारी विवित प्रातीय भाषाएं बोलियों के स्तर पर नहीं हैं जत ये भाषाएं हमारी शिक्षाप्रणाली और सरकारी काम का आधार होनी चाहिए केवल हिंदुस्तानी ही अविन भारतीय भाषा बन सकती है।

1925 ई में पूर्व कांग्रेस पार्टी का काय मुख्यतया अंग्रेजी में होता था। 1925 ई में कांग्रेस ने अपने संविधान की धारा 33 को संशोधित करके उसे निम्न रूप दिया

यथासभव कांग्रेस की कार्यवाही हिंदुस्तानी के माध्यम से चलाई जाएगी और अंग्रेजी अथवा प्रातीय भाषाओं का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वक्ता हिंदुस्तानी बोलने में असमर्थ हो, या जब ऐसा करना जरूरी हो। माध्यारथनया राज्यीय कांग्रेस समितियों वा काम मंचित प्रातीय भाषा में ही चलाया जाएगा। हिंदुस्तानी का इस्तमान भी किया जा सकता है।³

1950 ई में जब देश का संविधान पारित हो गया, तो कांग्रेस पार्टी ने

‘हिंदुस्तानी’ शब्द के स्थान पर हिंदी शब्द रख दिया, और भारतीय भाषाओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने की अपनी नीति को कायम रखा। 17 मई, 1953 ई. को कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पास किया, “राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हिंदी को समर्थन मिलना चाहिए, परंतु इसके नाय प्रांतीय भाषाओं को भी अपने क्षेत्र में प्रेरणा दी जानी चाहिए। राज्यों में काम सामान्यतया इन्हीं के माध्यम से चलाया जाए।”⁴ उसी प्रस्ताव में कार्य समिति ने उर्दू को बड़ावा देने की निफारिश करते हुए कहा : “यह याद रखना चाहिए कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है और भारत के काफी लोग इसमें लिखते हैं।”

15 अप्रैल, 1954 ई. को कांग्रेस पार्टी ने यह प्रस्ताव पास किया कि वच्चे को प्रायमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाए, माध्यमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य निपट हो, और उच्च शिक्षा यद्यपि सामान्यतया अंग्रेजी भाषा में दी जाए, परंतु अध्यापकों को हिंदी के माध्यम से बदाकदा अंग्रेजी द्वारा पढ़ाने की छूट होनी चाहिए। ऐसा अनुमान था कि इस प्रकार अतर्राज्यीय सांस्कृतिक वादान प्रदान को बड़ावा मिलेगा और उकांति काल में शिक्षा का न्तर भी नहीं गिरेगा। उसी वर्ष कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया :

धीरे धीरे अस्ति भारतीय भेवाओं की परीक्षाएं हिंदो, अंग्रेजी और मुख्य अंग्रेजी भाषाओं में ली जाएं और परीक्षाओं को अपनी डिप्लानुसार इसमें ने किसी भी भाषा को चुनने का अधिकार हो। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा चुनता है तो उसे अलग से अंग्रेजी में भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यदि किसी प्रत्याजी ने हिंदी में परीक्षा पास न कर सकी हो, तो उसके लिए हिंदी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होना चाहिए।⁵

इस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने इस बात का समर्थन करती रही कि भारतीय भाषाओं को बड़ावा दिया जाए, हिंदी का हिंदुस्तानी न्यूरूप भारत की राष्ट्रभाषा बने और अंग्रेजी का प्रयोग राष्ट्रीय जीवन में कुछ लेवरी तक ही नीमित रखा जाए। इसलिए राजभाषा विवेयन, 1963 और राजभाषा (मंजूरीदाता) विवेयक, 1967 का मंपद द्वारा ऐसे समय जबकि केंद्र में कांग्रेस सरकार नजाहद थी, पास होना एक विरोधी स्थिति को सामने लाता है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) :

साम्यवादी (मार्क्सिस्ट) दल मधी भाषाओं के लिए वरावरी के दर्जे की घोषणा

करता रहा है। इस दल के अनुसार हिंदी को किसी प्रकार तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। बैंड में अग्रेजी के स्थान पर हिंदी और राज्यों में अग्रेजी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को लाने का काम एवं साथ होना चाहिए, और इस काय वे लिए राज्यों को बैंद्रीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। यदि 1976 ई ई लोकसभा की सदस्यता व मूर्ख (देखिए परिशिष्ट XIII) से पार्टी की व्यापक सदस्यता का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, तो यह कहना होगा कि पार्टी हिंमायत के लिए पूरी तरह में अहिंदी भाषी राज्यों पर निर्भर रही है। शायद इसी कारण दल का दृष्टिकोण हिंदी के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण न रहा हो।

पार्टी की मार्गे इस प्रकार रही हैं बच्चों और युवकों को मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, राज्य के प्रशासन के लिए प्रात वीं भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मधीं विद्येयकों, सरकारी आदेशों और प्रस्तावों का राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए और उद्दृ एवं इसकी लिपि की रक्षा हानी चाहिए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद न अप्रैल, 1965 ई में निश्चित शब्दों में अग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने की अत्यावश्यकता पर बल देते हुए घोषणा की

जनमाधारण का सक्रिय संग सहयोग के जरिए, भारतीय लोकतंत्र और भास्त्रनिक जीवन के विकास की गारंटी के लिए अग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की स्थापना करना अपरिहाय है। साम्यवादी दल का यह भी मत है कि अततोगत्वा बैंड और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक पन-व्यवहार के लिए अग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाना जरूरी है।

इसनिए प्रश्न यह नहीं है कि हिंदी को राजीय मापक भाषा बनाया जाए अथवा नहीं, प्रश्न यह है कि इस अनिवार्य लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए।

दर का सुधार था कि भाषा समस्या के हल की ओर ढीक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का ममान विभाग के लिए अवसर दिया जाए और हिंदी को अन्वित भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। दल ने उद्दृ के सरकार की भी सिफारिश की।

जनसंघ :

वर्तमान शताब्दी के सातवें दशक में जनसंघ अधिक सशक्त होने लगा। 1961ई. के चुनावों के समय जनसंघ ने घोषणा की थी कि यदि उसे मरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो वह हिंदी को राजभाषा बनाएगा, स्कूलों में हिंदी पढ़ना जरूरी हो जाएगा और शिक्षा मंस्थाओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत अनिवार्य भाषा के रूप में नियत हो जाएगी।

1967ई. के चुनावों के समय अपने घोषणापत्र में जनसंघ ने लोगों को बताया कि उसकी नीति यह है कि संस्कृत को देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए, और विशेष महत्व के सभी अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाए, मरकारी काम के लिए केंद्र में हिंदी और राज्यों में राज्यीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, और कर्मचारियों को दम साल तक अंग्रेजी के इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए।

1971ई. में जनसंघ की भाषा नीति में एक और परिवर्तन हुआ। इसने अपनी नीति संबंधी घोषणापत्र में बताया कि अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की स्थापना की जाए, आगामी पांच वर्षों में हिंदी को देश की सर्वोच्च भाषा बना दिया जाए। इसने उर्दू के लिए देवनागरी लिपि की सिफारिश की वयोंकि उर्दू हिंदी की केवल एक शैली भाव है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम :

1967ई. के अपने घोषणापत्र में डी.एम.के. ने कहा था कि वह हिंदी के जासन का विरोध करेगी, तमिल के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेगी, और जोरदार आग्रह करेगी कि जब तक तमिल और वेप चौदह राष्ट्रीय भाषाएं राजभाषा स्वीकार नहीं हो जाती, अंग्रेजी का पद यथापूर्व बना रहे। डी.एम.के. केवल तमिलनाडु तक सीमित राजनीतिक पार्टी है, इस कारण भाषा के सवाल पर उसकी इस प्रकार की घोषणाओं की वजह समझ में आ सकती है। पहली अगस्त, 1981ई. को अर्थात् सातवीं लोकसभा में विभिन्न पार्टियों की स्थिति के अवलोकन से इस कथन की और भी पुष्टि हो जाती है कि डी.एम.के. एक क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी के लोकसभा के सभी 16 सदस्यों का चुनाव तमिलनाडु से हो रहा।

जनता पार्टी :

जनता पार्टी का राजनीतिक दल के रूप में जन्म 1977ई. के आम चुनावों के अवसर पर हुआ। पार्टी के लोक घोषणापत्र में भाषा के प्रश्न का कोई ज़िक्र नहीं था। उसके निर्वाचित घोषणापत्र में बल नागरिक स्वतंत्रता पर दिया गया

या। शायद पार्टी न राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के मूल व के लिए भाषा के विस्थारक भाषण को उम समय न छुना ही ठीक समझा हा। जनता पार्टी की विभिन्न मगठन इकाइयों, अर्थात् कांग्रेस (आ), जनगढ़ और समाजवादी दल के भाषा के प्रश्न पर जनग अलग बाधद थे। उदाहरणाथ, यद्यपि कांग्रेस (ओ) के विशिष्ट नता मारजी देसाई, जा 1977 ई के आम चुनावों के बाद जनता पार्टी के नता चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने, हमेशा हिंदी के प्रमुख समयक माने जाते रहे, तथापि कांग्रेस (ओ) की भाषा तीति कांग्रेस के दूसरे दल मे जिनके हाथ मे छठे आम चुनावों मे पहले देश के शासन की बागडोर थे, अलग नहीं थी। 1969 ई तक कांग्रेस (आ) का बाई अलग अस्तित्व नहीं था।

जनसंघ की नीति हिंदी के पक्ष मे मानी जाती है। वीमनी शताब्दी के मात्रे देश के आरम्भ मे समाजवादी दल न 'अग्रेजी इटाओ' आदोलन शुरू किया था। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं न सरकार बनाने के बाद भाषा समस्या मवधी जा थान दिए, उनमे भी उनके इस मामले मे परस्पर विभिन्न मतों का पता चलता है। भाषा के प्रश्न पर दल की मम्मलित नीति अभी तय भी नहीं हुई थी कि 1979 ई मे पार्टी दो हिस्सों मे बट गई, और शासन की बागडोर जनता पार्टी के उम वग के हायो मे आ गई जिसने अपना नाम 'लोकदल' निश्चित किया। जनता पार्टी अथवा लोकदल की कोई भाषा नीति जनता के समक्ष आने से पूर्व मात्रे आम चुनावों मे दोनों पाटिया हार गई और 1980 ई के आरम्भ मे कांग्रेस (इ) पुनर्सत्तास्थ टो गई।

अग्रेजी के हिमायतियो का विचार था कि जनता पार्टी हिंदी का बहुर मम्मलन करेगी। उनका यह मद्देह शायद निम्नलिखित बातों पर आधारित था। तत्कालीन जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई कभी भी अग्रेजी के समयक नहीं थे। जब वे बवई के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि केवल एनो इंडियन विद्यालियों का अग्रेजी के माध्यम मे पढ़ाया जाएगा। दूसरा, जनता पार्टी के बहुत से मदम्य या तो पहले जनसंघ मे थे या उन राजनीतिक पाटियो के सदम्य थे जो भदा हिंदी की समर्थक रही। इसके अनिरिक्त जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए अधिकार (299 मे 221) प्रतिनिधि उत्तर भारत के हिंदी भाषा भाषी प्रानों से सबध रखते थे (देखिए परिशिष्ट XIII—विवरण II)। हिंदी प्राती तथा संघ गज्ज क्षेत्र इन्ही के लिए लोकभाषा की कुर मीटो तथा इनके लिए 1977 ई म चुने गए जनता पार्टी के सदस्यों की सद्या इस प्रकार थी।

जनता पार्टी की भाषा नीति पर प्रत्राश ढालने हुए 14 अप्रैल, 1978 ई को लोकभाषा मे गृहमंत्री ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को समान प्रोत्साहन दिया जाएगा। अपने वयान मे उन्होंने कहा कि जनता सरकार जवाहरलाल

1977ई. के चुनावों में हिंदी क्षेत्रों से चुने गए
जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या

क्रमांक	राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लोकसभा की कुल सीटें	जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य
1.	बिहार	54	54
2.	हरियाणा	10	10
3.	हिमाचल प्रदेश	4	3
4.	मध्यप्रदेश	40	37
5.	राजस्थान	25	25
6.	उत्तरप्रदेश	85	85
7.	दिल्ली	7	7
	कुल .	225	221

नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन का पालन करेगी और सरकार का अहिंदी भाषा भाषी लोगों पर हिंदी थोपने का कोई इरादा नहीं है। उनका यह भी कहना था कि इसीलिए “हम हिंदी को राष्ट्रभाषा की मंजा न देकर राजभाषा की मंजा दे रहे हैं।”⁸ 23 अप्रैल, 1978 ई. को नई दिल्ली में पचासवें अंगिल भारतीय कन्वेंसी साहित्य सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बताया कि राज्यों में भरकारी कार्य क्षेत्रीय भाषाओं से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता बनाए रखने में भान्तीय भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा कर सकती हैं। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो भाषा को हीआ बना देते हैं। उनके अनुसार ऐसे लोग रचनात्मक कार्य में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने साहित्यिक रचनिताओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए आत्मान किया।⁹

उपसंहार

ऐसा दिखाई पड़ता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की भाषा नीति कुछ हद तक उनकी सदस्यता के ढाँचे के माध्यम से रही है। संसदीय लोकतंत्र में ऐसा हीना स्वाभाविक भी है क्योंकि बोट प्राप्त करने के लिए राजनीतिज्ञों को अपने मतदाताओं के इच्छाओं के अनुमार काम करना होता है। निम्न विवरण, जिसमें लोकसभा में विभिन्न पार्टियों की कुल सदस्यता की बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली हिंदी भाषी

दोनों में चुने गए सदस्यों की गिनती से तुलना की गई है, इस कथन को सप्ट बर देगा। (प्रत्येक राज्य में पार्टी अनुमार विवरण के लिए देखिए परिशिष्ट XIII)

1976 ई में राजनीतिक दलों की लोकसभा में कुल सदस्यता
तथा हिंदी दोनों से सदस्यता की तुलना

क्रमांक	राजनीतिक दल	लोकसभा में कुल सदस्य	हिंदी भाषी दोनों से सदस्य
1	कांग्रेस	349	158
2	सी पी आर्ड (एम)	26	5
3	सी पी आई	24	10
4	जनसंघ	18	18
5	डी एम बे	16	—

कांग्रेस और महात्मा गांधी तथा जगहरलाल जैसे नेता एक समय हिंदी के लिए राष्ट्रीय पद देने के पक्ष में थे परन्तु उठे दशन के मध्य के बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। भाषा (मशोधन) विधेयक, 1967, जो कांग्रेस मरकार न प्रमनुन किया था, और जिसने अनुमार अप्रेजी को अनिश्चित काल तक बने रहने की छूट मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी की भाषा नीति में विशेष परिवर्तन का दोतक है। 1963 ई और 1967 ई की लोकसभा में हुई वहसी (अध्याय III) बो पढ़ने में नजर आएगा कि वेदल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं अपितु माझवादी दल के सब में भी परिवर्तन आ गया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों दलों के लगभग आधे सदस्य हिंदी भाषी दोनों से थे, और बाघे अहिंदी भाषी सेना से।

डी एम बे के सभी सदस्य तगिलनाहु (अहिंदी भाषी राज्य) में चुनवर आए थे, और जनसंघ के हिंदी भाषी गजयों में। इसलिए भाषा के प्रश्न पर उनकी स्थिति अमर्ग हिंदी के विषय और पक्ष में थी, यद्यपि जनसंघ की स्थिति डी एम बे की स्थिति की तरह कठोर नहीं रही।

जनसंघ की नीति म नर्मा का एक वारण यह भी हो सकता है कि 1967 ई के आम चुनावों के बाद जनसंघ को अखिल मारतीय पार्टी बनने की उत्सुकता-वश और इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए अहिंदी भाषी लोगों के चोट प्राप्त करना आवश्यक था।

सी पी आर्ड (एम) के अधिकाश सदस्य अहिंदी भाषी राज्यों में चुने गए थे, शायद इसीलिए यह देखने में आना है कि हिंदी को इस दल का समर्थन प्राप्त नहीं था।

दिनांक 1 अगस्त, 1981 ई. को सातवीं लोकसभा में हिंदी भाषी एवं अहिंदी भाषी राज्यों में दलों की स्थिति इस प्रकार थी। (देविएः परिशिष्ट 13, विवरण--3)

1 अगस्त, 1981 ई. को दलों की स्थिति

क्र.सं.	राजनीतिक दल	हिंदी भाषी राज्यों के सदस्य	अहिंदी भाषी राज्यों के सदस्य	कुल
1.	कांग्रेस (आई)	146	206	352
2.	सी.पी.आई.	6	6	12
3.	सी.पी.आई.(एम)	--	36	36
4.	लोकदल	32	1	33
5.	कांग्रेस(ब)	7	5	12
6.	डी.एम.के.	--	16	16
7.	जनता	4	8	12

हिंदी राज्यों से आए हुए कांग्रेस (आई) सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम है, क्योंकि छठी लोकसभा के चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस (आई) की स्थिति बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। सदस्यता के उपर्युक्त बांकड़े भाषा समस्या के समाधान में सहायक नहीं हो सकते जब तक कि इस संबंध में विजेत कदम न उठाए जाएं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वर्षों के चुनाव घोषणापत्रों तथा उनके द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के अवलोकन से इन दलों की भाषा नीति में परिवर्तन सुस्पष्ट हो जाता है। इस स्थिति-परिवर्तन को आदर्श का अभाव या स्थिति की वास्तविकता के साथ समन्वय कहा जा सकता है अथवा दोनों का मिश्रण। यह स्थिति-परिवर्तन कांग्रेस, सी.पी.आई. और जनसंघ के संबंध में अधिक सुस्पष्ट है। 1953 ई. में कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा, 1958 ई. में सी.पी.आई. ने अंग्रेजी को अनिवार्य काल तक बनाए रखने का कड़ा विरोध किया।¹⁰ 1962 ई. में जनसंघ हिंदी और संस्कृत को शिक्षा मंस्याओं में अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के लिए वचनबद्ध था, परंतु ये सभी दल बाद में अपनी अपनी स्थिति से हट गए।

सभी पार्टियां क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान की पुष्टि करती रही हैं। डी.एम.के. और सी.पी.आई. (एम) जैसी पार्टियों ने हिंदी को किसी भी

प्रकार की तरजीह देन का विरोध किया है। अन्य पाठिया ने हिंदी को मध की भाषा के नामे विशेष सुविधाएँ दिए जाने का समर्थन किया है।

कुछ राजनीतिक पाठियों का यह आग्रह कि हिंदी को विशेष समर्थन न दिया जाए, शेषा आश्चर्यजनक है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा के विकास की अवहेलना पर जनता का स्ट होना स्वाभावित होगा, परन्तु राष्ट्रीय भाषण्यकान्ताओं की पूर्ति के लिए मध की भाषा वो उपयुक्त वृद्धि में, विशेषज्ञ जर सानब जीवर वा हर पहलू इत्यति में उन्नतशील होता जा रहा है, किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए।

यद्यपि सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय भाषाओं के परिवद्धन की बात उठाते हैं, परन्तु इसके लिए काम करने की बात तो अलग, किसी भी पार्टी ने इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कायञ्चम तर नहीं सुझाया। यदि कुछ राजनीतिक पाठिया यह मोचनी हैं कि इम समस्या के समाधान के लिए किसी प्रकार का स्वतन्त्रक प्रोग्राम हाथ में ऐना उनके कार्यक्षेत्र के बाहर है, तो वह बात अलग है, अब्यथा उन्हे स्मरण रखना चाहिए कि भाषा के नाम पर देवल नारे लगाने से भारतीय भाषाएँ आगे नहीं उड़ पाएँगी। अभी तक भाषा के मामले में आम धारणा यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं की बात उनकी उनके उत्थान के लिए नहीं उठाई जानी जितनी राजनीति का सेव सेवन के लिए उठाई जानी है, या हिंदी की प्रगति की राह में अवरोध डाना के लिए।

देश में भाषा समस्या की मीमूँदा स्थिति का अवलोकन करने से शायद कार्ड भी व्यक्ति इस परिणाम पर पहुँचेगा कि हिंदी विशेषी पाठिया अपन मतव्य दो पूर्ति में सफल रही है, त्रवर्कि हिंदी के समर्थन प्राप्त समझौते की नीति अपनाने रहे हैं। आज संविधान के अनुमान हिंदी हिंदुस्तान की मुख्य गजभाषा है, परन्तु निश्चित स्पष्ट में इसे मुख्य स्थान दियाने के लिए योजनावृद्धि वा अवरोध कार्यक्रम का अभाव दियाई देना है।

सर्वदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1 दस्तिए परिशिष्ट XII

2 सातवाहन कुमारमग्न्य, ७८, इंडियान लग्नएज व्रादिसिस—गत इंडियन्स्ट्री स्टोर, मदाम, यू. संस्कृत बुक हाउस, १९६५, पृष्ठ ९

3 वही, पृष्ठ ११-१२

4. भारत, अधिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस वृत्तिविन, मई 1953.
5. भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस वृत्तिविन, अप्रैल, 1954.
6. जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में विलीन हो गया
7. इंडिए : परिचय XIII, विवरण I.
8. दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया (दैनिक), नई दिल्ली, अप्रैल 15, 1978, पृष्ठ 11
9. दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया (दैनिक), नई दिल्ली, अप्रैल 24, 1978, पृष्ठ 3.
10. दैनिक : अध्याय III.

बध्याय पात्र

भाषा चयन के निकष

प्रत्येक देश को विद्यानमडल, न्यायपालिका, वायंपालिका, प्रशासन, बाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान तकनीकी और अन्य कार्यों को सुचाह मृप में चलाने के लिए एक विक्रमित भाषा की आवश्यकता रहती है। वभी कभी ऐनिहासिक, गजर्नीटिक तथा अन्य वारणों के आधार पर कोई देश इन कार्यों के लिए एक में विप्रिक भाषा भी अगीकार कर लेता है, यद्यपि ऐसी प्रोजेक्ट अधिक धन गाढ़ है।

राष्ट्र की व्यवस्था के लिए एक मार्वंशनिक भाषा की आवश्यकता होती है। यदि लोग अपने में वानकीन नहीं कर पाएंगे, तो उनके बीच भवात्मक समझ के से स्थापित होगा? यह प्र० व्यवस्था देना उपयुक्त होगा कि यदि गण्डीय एकता स्थापित करने के लिए एक मार्वंजनीन भाषा का होना ज़रूरी तो है, लेकिन केवल भाषा के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनिहाम मार्की है कि अनेक राष्ट्रों में भाषा की एकता के बावजूद सामाजिक एवं आर्थिक अममानताओं के बारण अनेक इकलाव आए हैं और अगड़े हूए हैं। मुसलमानों में गिया एवं मुनीह विधियों के बीच झगड़े मवशिदित हैं। अमरीका में अप्रेज़ी बीनने वाले नाले एवं गोरे लोगों के बीच झगड़े वे बातें में बौन नहीं जानता? इन उदाहरणों में भारत में तथा अन्यत्र कुछ लोग यह अनुमान लगाते हैं कि गण्डीय एकता के लिए मार्वंजनीन भाषा का कोई महत्व नहीं है। अपने मन की पुस्टि में ये लोग भारत के 1942 ई के भवतव्यता सम्प्राप्त, 1962 ई में भारत पर चीन के आक्रमण और 1965 ई तथा 1971 ई में पाकिस्तान के भारत पर आक्रमणों का हवाना देते हैं, जब भाषा के प्रभन पर अत्यधिक मन-भेद लोने पर भी भारत के मधी लोग एकता के सूत्र में बद्दे रहे। यहा यह नहीं भूलना चाहिए कि जनसाधारण का सोचने का दण साधारण समम में और सबूद

की स्थितियों में अलग अलग होता है। संकट की स्थिति में सभी लोग अपने अपने भत्तभेदों को ताक पर रखकर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि एक होने में ही सभी की सुरक्षा की सर्वाधिक संभावनाएँ रहती हैं। परंतु जब छ़तरा टल जाता है तो उनके आचरण का ढग भी बदल जाता है।

इतिहास ने एक बहुत बड़ा काम आज के नेताओं को सांपा है और वह है देश में राष्ट्रीय एकता का निर्माण। अतीत में भारत के लोगों ने आपसी फूट के कारण बहुत हानि उठाई है, इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र में एकता लाने के लिए भाषा तथा अन्य सभी संभव माध्यमों का सहारा लिया जाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि अतीत में भाषा के संबल को लेकर लोगों में परस्पर फूट के बीज बोए गए हैं। इसमें दोष संबल का नहीं, परंतु उन स्वार्थी मनुष्यों का है जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया है।

यदि यह स्वीकार कर लें कि प्रत्येक देश को अपने अनेक विधि कार्य चलाने तथा भाषात्मक एवं वौद्धिक एकता के लिए एक उपयुक्त भाषा की आवश्यकता होती है, तो फिर यह अनिवार्य हो जाता है कि संघ की भाषा के चयन के लिए कठिपथ कसौटियों को निर्धारित किया जाए और इन कसौटियों पर हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं (जिनको लेकर 1950 ई. से इतना विवाद चल रहा है) के दावों को परखा जाए। ये निकप त्रुद्धिसंगत, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषात्मक हो सकते हैं। इनका इस प्रकार का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं विवेचन के लिए तो किया जा सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ये उपादान एक दूसरे का खंडन कर देते हैं। इस संबंध में जो उपादान गिने जा सकते हैं, उनमें से कुछ एक पर थोड़ा विस्तार में विचार करना उपयुक्त होगा :

1. प्रशासन कुशलता
2. विज्ञान एवं तकनीक में उन्नति
3. नौकरी के अवसरों में समानता
4. लोकतंत्र का मानदंड
5. राष्ट्रीय मर्यादा
6. ग्राह्यता

प्रशासन कुशलता

देश की सरकारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से प्रशासन का कामकाज कुशलतापूर्वक चल सके। इसलिए एक ऐसी भाषा का चयन ज़रूरी हो जाता है जिसमें विधि निर्माण, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कामकाज के लिए अपेक्षित पारिभाषिक शब्दावली हो। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सभी राजकीय काम, विशेषकर उच्चस्तरीय कार्य, अंग्रेजी में होते थे। इसमें भी कोई मंदेह़ नहीं कि देश का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजी काफ़ी ममृदृ है, और हिंदी भी उतनी विकसित नहीं है जितनी कि अंग्रेजी। परंतु इस बात को

नजर अदाज नहीं किया जा सकता कि भाषाएँ प्रयोग से ही समृद्ध होती हैं। यदि आज हिंदी, अंग्रेजी की अपेक्षा कम समृद्ध है, तो उसका एक कारण यह है कि इसके विकास को उतना अवसर नहीं मिला जितना अंग्रेजी भाषा को। एक समय था, जब अंग्रेजी भाषा भी उतनी विकसित नहीं थी जितनी उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी भाषा, परंतु आज अंग्रेजी बहुत ही उन्नत भाषा है। मह कहना निराधार होगा कि प्रयोग का उचित अवसर पाने पर भी हिंदी, अंग्रेजी के दरावर काम नहीं चला पाएगी। तथ्य तो यह है कि भारत में कुछ राज्य अपना मरकारी काम स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी में ही चला रहे थे। सविधान में हिंदी के राजभाषा स्वीकार होने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत दिए जाने वाले विधेयकों का मूल भसीदा हिंदी में ही प्रस्तुत किया जाता था।

किसी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली राष्ट्रीय विकास की अवधारी नहीं, अनुसरण करती है। मनुष्य के लिए अणु की सौज से पूर्व इसके लिए शब्दावली ईजाड करना नामुमकिन था। हिन्दी के बारे में भूत्याक्त के समय यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि 1950 ई में पूर्व हिंदी में आधुनिक विज्ञान की शाखाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली का अभाव था, परंतु देश की स्वतंत्रता के उपरात यह अभाव काफी हृद तक दूर विया जा चुका है। देश के परतन होने से पूर्व प्राचीन काल में भी जटिल देश ज्ञानविज्ञान में काफी उन्नत था, विधि, दर्शन, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, लगोलविज्ञान आदि विषयों से सबधित पारिभाषिक शब्दावली का कोई अभाव नहीं था। अंग्रेजी तथा ससार की अन्य विदेशी भाषाओं ने हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं से काफी शब्दावली ग्रहण की है। अंग्रेजी का 'आकमफोर्ड' शब्दकोश इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजी भाषा में भारतीय शब्दावली प्रचुर मात्रा में है। इसमें तो सौ में अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका मूल स्रोत भारतीय है। इसके अनिस्तित सहस्रों शब्द ऐसे हैं जो इनसे बने हैं।

इसलिए यह कहना कि हिंदी में शब्दावली का अभाव है, हिंदी के राजभाषा के दावे को एक तरफ कर देना टीका नहीं है। यदि भाषा आधोग के निम्नांकित प्रामाणों पर अमल किया जाए तो निम्नदेह हिंदी की शब्दावली को, जो पहने ही पर्याप्त समृद्ध हो चुकी है, गसार की अधिकतम समृद्ध भाषाओं के स्तर पर पहुंचाया जा सकता है।

(क) भाषा की शुद्धना के मनवादी आधार का विरोध करना चाहिए। जो शब्द लोगों के आम व्यवहार में आ चुके हैं, चाहे वे किसी भी भाषा से उद्भूत हए हों, उन्हे भारतीय भाषाओं में सहर्ष मम्मिलित कर लेना चाहिए।

- (ख) देशीय पारिभाषिक शब्दावली में खोज की जानी चाहिए, और इस क्षेत्र में कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। अन्य भाषाओं से शब्द लेने पर रोक नहीं होनी चाहिए।
- (ग) हमारा उद्देश्य नभी भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एकहृष्टा स्थापित करना होना चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब नभी भारतीय भाषाओं ने उपयुक्त शब्दों को ग्रहण किया जाएगा।

सिद्धांत यह है कि कोई भी जनतंत्रवादी जासन तब तक सार्यक और कुशल नहीं कहा जा सकता जब तक सरकार और जनता के बीच भावों विचारों का परस्पर आदान प्रदान न हो। यह मंपर्क या तो जनता की भाषा के माध्यम से संभव हो सकता है, या किसी ऐसी भाषा के द्वारा जो देश के अधिकांश लोगों के निकटतम हो। स्पष्ट है कि कोई भी विदेशी भाषा सरकार और जनता के बीच संपर्क की भाषा नहीं हो सकती।

विज्ञान एवं तकनीक में उन्नति

विज्ञान एवं तकनीक के आघुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पिछड़ा नहीं रहना चाहता। इस आधार को लेकर अंग्रेजी का जोरदार समर्थन किया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुस्तकों की दुनिया में अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की विशेष गिनती है। मीडोम लिखते हैं :

विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध माहित्य के सिंहावलोकन से पता चलता है कि उनमें अंग्रेजी प्रकाशनों की प्रमुखता है। इस शताब्दी के छठे दशक में चिकित्साशास्त्र के माहित्य का 40 प्रतिशत भाग अंग्रेजी भाषा में था और इसका अनुगमी माहित्य जो फ्रांसीसी एवं जर्मन भाषा में है, इससे बहुत पीछे था। (एन. ए. एम.-एन. आर. सी. 1959 में ई. श्राडमैन और एम. टी. टेने)। चिकित्साशास्त्र प्रायोगिक ज्ञान का आवश्यक क्षेत्र है और सभी देशों में इसका पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है।

शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र का बहुधा माहित्य विकसित देशों में मिलता है और यहां अंग्रेजी भाषा के साहित्य की प्रधानता और अधिक है। इस प्रकार सातवें दशक के मध्य में संसार में गणित तथा रसायन विज्ञान संबंधी गवेषणात्मक लेखों में ने 50 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में थे। दोनों विषयों में रसी भाषा का दूसरा स्थान था और 20 प्रतिशत में कुछ अधिक लेख रसी भाषा में थे। प्रत्येक फ्रांसीसी और जर्मन भाषा के 7-8 प्रतिशत लेख थे, और इनका सूतीय स्थान था (भौतिकी संस्थान बमरीका, 1970)। परंतु

प्रत्येक विषय में अंग्रेजी का स्थान प्रथम नहीं था। उदाहरण के लिए, मूविज्ञान में लगभग 30 प्रतिशत अंग्रेजी से खोड़ा गया और प्रथम था। इसके प्रकाशन कुल प्रकाशनों के लगभग 30 प्रतिशत थे, जबकि अंग्रेजी के कोई 27 प्रतिशत थे (जी वाई गेग, 1969)। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विस्तृत अन्वेषण से पता चलता है कि सासार भर के वार्षिक प्रकाशनों में अंग्रेजी भाषा में उपने वाली पुस्तकें 25 और 60 प्रतिशत के बीच हैं। यद्यपि हर क्षेत्र में प्रतिशत अलग अलग है, परन्तु प्रायः विषयों में यह 50 के आसपास है (जैड वी बरीनोगा एट ऑल, 1967)।¹²

देश में 1973 में वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं की प्रकाशन मरवधी स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। इसका विवरण निम्नालिखित है।¹³

वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं का प्रकाशन

पत्रिका का विषय	अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन-संख्या	अन्य भाषाओं में प्रकाशन-संख्या	कुल प्रकाशन-संख्या	अंग्रेजी प्रकाशन का प्रतिशत
1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	168	197	365	46.0
2 विधि एवं लोक प्रशासन	172	77	249	69.1
3 इजोनियरी और तकनीक	179	32	211	85.0
4 वृष्टि तथा पशु पालन	97	158	255	38.0
5 विज्ञान	107	32	139	77.0
कुल संख्या	723	496	1319	
प्रतिशत	59.3	40.7	100	

यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि मराठा के भौतिक एवं अनूदित पुस्तक भडार का 50 प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, फिर भी शेष 50 प्रतिशत के बारे में भी विचार करना जरूरी है। स्थूल आवडो के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत लोगों को अंग्रेजी के अनिवार्यत आधि विदेशी भाषाएँ भी सीखनी होगी। यदि अनूदित पुस्तकों को वीच में शामिल न किया जाए, तो अंग्रेजी में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या और कम हो जाएगी। महात्मा गांधी का अहना था कि “दुनिया अमूल्य मुदर रत्नों में भरपूर है और ये मव रत्न अंग्रेजी कारीगरी का परिणाम नहीं है।”¹⁴

अतः अंग्रेजी भाषा की सर्व संपन्नता का दावा विवादास्पद है। गांधी जी का कहना था कि “इससे बढ़कर कोई बड़ा भ्रम नहीं कि अमुक भाषा का विकास नहीं हो सकता अयवा इसमें गूढ़ वैज्ञानिक विचार प्रकट नहीं किए जा सकते।”⁵ यदि हिंदी आज अंग्रेजी के समान समृद्ध नहीं है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि सैकड़ों वर्षों तक इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसे वह समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जो अंग्रेजी को सौभाग्य से मिलता रहा है। यही कारण है कि उद्योग, विज्ञान, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में अनेक भारतीय विशेषज्ञ भी आज अंग्रेजी में लिखने के आदी हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार भारतीय विद्वानों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने के लिए प्रोत्साहित करे। यदि भारतीय भाषाओं में मानक ग्रन्थों की मूल रचना तथा अन्य भाषाओं से अनुवाद के लिए वडे पैमाने पर और ठीक प्रकार से योजना बनाई जाए, तो जल्द ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ज्ञानविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ा पुस्तक भंडार बन जाएगा और देश के बहुत लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे।

नौकरी के अवसरों में समानता

राजभाषा का प्रश्न लोगों के आर्थिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कोई भाषा समाज में आर्थिक असमानता का दीजारोपण करती है या किसी एक वर्ग को नौकरियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करती है, तो जिन लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वे इस भाषा का अवश्य विरोध करेंगे।

कुछ लोगों का मत है कि इस दृष्टिकोण से अंग्रेजी को निष्पक्ष भाषा कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि हिंदी से हिंदी भाषा भाषियों को अवश्य अधिक लाभ होगा। अंग्रेजों के भारत आगमन के इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ प्रांतों के लोगों को अंग्रेजी सीखने का अवसर अन्य देशवासियों की अपेक्षा बहुत पहले मिला। इसलिए अंग्रेजी को निष्पक्ष भाषा कहना इतिहाससंगत नहीं होगा। इसके प्रतिकूल, निम्नलिखित कारणों के आधार पर अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी अधिक निष्पक्ष मानी जा सकती है :

(क) 1947 ई. तक हिंदी का विषय शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन के लिए अधिक लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि इसे पढ़ने से न तो विशेष नौकरियां मिलती थीं और न ही कोई अन्य आर्थिक लाभ होता था। इसलिए समाज का कोई भी वर्ग आज अपने हिंदी ज्ञान के कारण ज्यादा लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के संबंध में यह कथन और भी ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हिंदी ज्ञान का संबंध है, इन सभी राज्यों के लोगों ने एक ही विंदु से सफर शुरू किया है।

(ख) हिंदी भाषा भाषी क्षत्र के लागा को हिंदी से थोड़ा बहुत अधिक फायदा हागा। यह इस क्षत्र की पिछड़ी हूई सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से प्रतिस्तुलित हा जाएगा। शिक्षा वी उन्नति में सामाजिक एवं आर्थिक तत्त्वो का बहुत बड़ा हाय होता है। हिंदी भाषा भाषी लोग अन्य लोगों से देवल इस आधार पर बाजी नहीं मार सकते कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, जबकि साक्षरता और व्यवस्था में वे बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत पीछे हैं। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का छाड़कर सभी हिंदी भाषा भाषी राज्यों की सच्चा साक्षरता के बनुसार इन प्रांतों में साक्षरता के बावडे इस प्रकार थे

राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता का प्रतिशत
बिहार	19 94
हरियाणा	26 89
हिमाचल प्रदेश	31 96
मध्य प्रदेश	22 14
राजस्थान	19 07
उत्तर प्रदेश	22 77
दिल्ली	56 61

इस तथ्य के अनेक प्रमाण उपलब्ध है कि नौकरियों का वितरण सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अपने अन्वेषण के आधार पर स्पर्ट का कहना है

गत शताब्दी के अत तक समस्त दक्षिण भारत में ब्राह्मण और अन्य वर्गों के बीच सरकारी नौकरियों के विषय को लेकर सधर्य शुरू हो गया था, और ब्राह्मणों पर पुराहिताई, विद्याप्रधान व्यवसायों और जमीदारी में एकाधिकार का आरोप लगाया गया। ब्राह्मणेन तमिल भाषियों ने अपनी शिक्षाप्रति वो जानि व्यवस्था पर आक्रमण का रूप दे दिया और प्राचीन सास्कृतिक दृढ़ को इसका कारण बतान लगे।^१

मिरर लॉफ दि इयर पुस्तक से उद्भृत करते हुए स्पर्ट कहते हैं

1916 ई में प्रकाशित ब्राह्मण विरोधी घोषणा पत्र में भी नद्रास में

सरकारी नौकरियों के आंकड़े कुछ मिलते जलते से थे। इसमें लिखा था कि 1914 ई. में मद्रास विश्वविद्यालय में 650 ग्रेजुएट रजिस्टर्ड थे, इनमें से 452 ब्राह्मण थे और 124 ब्राह्मणेतर हिंदू थे। 1916 ई. में अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमेटी के लिए मद्रास प्रेजिडेंसी से निर्वाचित 15 प्रतिनिधियों में से 14 ब्राह्मण थे।⁷

जो स्थिति स्पर्ट ने केवल दक्षिण में विद्यमान बताई, मिश्र ने उसे पूरे देश में व्यापक बताते हुए लिखा :

भारतीय लोक सेवा आयोग ने 1887 ई. की अपनी रिपोर्ट में कहा कि न्याय एवं प्रशासनिक सेवाओं में 1866 हिंदुओं में से 904, अर्थात् लगभग आधे ब्राह्मण थे और 454 अथवा एक चौथाई कायस्य थे, जिन्हे बंवई में प्रभु कहते थे। क्षत्रियों अथवा राजपूतों की संख्या 147, वैश्यों की 113, और शूद्रों की 146 और अन्य की 102 थी। विशेषकर मद्रास और बंवई में ब्राह्मणों की प्रधानता थी, जहाँ क्रमशः इनकी गिनती 297 में से 202 और 328 में से 211 थी।⁸

इसलिए सामाजिक आर्थिक तत्त्वों के परिणामों को भाषा के साथ उलझाना ठीक नहीं होगा।

विज्ञान के युग में ज्यों ज्यों शिल्प और तकनीक का जोर बढ़ता जाएगा, नौकरियों तथा अन्य आर्थिक लाभों के सिलसिले में भाषा का जोर कम होता जाएगा, इसलिए इस संबंध में भाषा की बात पर अधिक जोर देना अनुचित होगा। आवश्यकता इस बात की है कि भाषा के प्रश्न को ठीक परिषेक्ष्य में समझा जाए। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि भाषा का आजीविका के साथ कोई भी रिष्टा नहीं है।

कभी कभी यह कहा जाता है कि अखिल भारतीय परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत सीमित होती है, इसलिए सध के स्तर पर अंग्रेजी की जगह हिंदी की स्थापना में जो कठिनाई होगी, इससे बहुत अधिक चित्तित होने की आवश्यकता नहीं है। 1958 ई. से 1978 ई. तक के भारतीय सेवाओं में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग कोई तीन चार हजार के लगभग व्यक्ति भरती करता है।⁹ यदि इन आंकड़ों की उन वेश्यमार लोगों की संख्या के साथ तुलना की जाए जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारें भरती करती हैं, तो यह संख्या बहुत मामूली है। तथापि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय सरकार का कार्य

अनेक स्वायत्त और राष्ट्रीयकृत समस्याओं द्वारा बढ़ता जा रहा है और अखिल भारतीय सेवाएं दश की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए यह अनिवार्य है कि धर्मान्वित समय के लिए अंग्रेजी भाषा भाषियों के हितों की सुरक्षा के लिए वाठनीय उपबंध रखे जाए, ताकि उन्हें इस कारण कोइ हानि न हो कि हिन्दी कुछ लागों की मातृभाषा है। प्रतिकूल स्थिति को राखने के लिए भाषा आयोग न सेवाजी में काटा प्रणाली की भी चर्चा की, परन्तु ऐतिहासिक कारणों से उसका समर्थन नहीं किया। आयोग का कहना था कि

कौटा व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाओं का दाचा टूट जाएगा और इस सबघ में हानि वाली प्रतियागिता अलग बसग भागों में बट जाएगी। इसस अखिल भारतीय और उच्च केंद्रीय सेवाजी में लिए भरती किए जान वाले लोगों की योग्यता वा स्तर गिर जाएगा। आजकल की प्रशासनिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए हम एसे सभी सुझावों का विरोध करें, जिनसे रग्स्टोरों की क्षमता में कमी आ जाए। प्रातों की दृष्टि से भी, अखिल भारतीय सेवाओं का लक्ष्य गुण हाना चाहिए, न कि सद्या में आनुपातिक भाग। इन्हीं तर्कों के आधार पर उच्च केंद्रीय सेवाओं में लिए केंद्रीय आधार पर आनुपातिक नीकरियों की अपेक्षा गुण का अधिक महत्व है।¹⁰

लाक सेवा आयोग ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएं प्रारंभ कर दी है, इसलिए जैसे जैसे अधिकाधिक परीक्षार्थी इस योजना में लाभ उठाने लगें अथवा अंग्रेजी भाषा भाषी हिन्दी में प्रवीण हो जाएंगे, यह समस्या हल होती जाएगी। भाषा की कठिनाई दूर हानि सक केंद्रीय नौकरिया आज के बिन्दु पर, न कम, न उपादा स्थिर की जा सकती है। भाषा आयोग की आश-काओं का निवारण करने और भर्ती किए गए लोगों की योग्यता में हाम के रोकने का एक उपाय यह भी हो सकता है नि केंद्रीय सेवाओं में भरती केवल प्रातीय सेवाओं द्वारा ही हो। प्रातीय सेवाओं में केंद्र म थाने वाले उम्मीदवारों के लिए हिन्दी तथा एक अन्य केंद्रीय भाषा की जानकारी अनिवाय धोखित की जा सकती है।

जनतंत्रीय प्रतिमान

संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में किसी भी विवादास्पद प्रश्न को, अत्यमन का दमन किए बिना, बहुमत से ही हल किया जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ग्राफ

पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि हिंदी भाषा भाषी एवं इस भाषा का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या कितनी अधिक है। नीचे दी गई तालिका के अवलोकन से पता चलेगा कि अनुसूची में अकिन भाषाओं के बोलने वालों की कुल संख्या में विभिन्न भाषा भाषियों का प्रतिशत कितना है।

विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले

क्र. सं.	भाषा का नाम	बोलने वालों की संख्या (लाखों में)	कालम (3) के कुल भाषा भाषियों अर्थात् 4796.0 लाख का प्रतिशत
1.	हिंदी	1625.8	33.9
2.	बंगला	447.9	9.3
3.	तेलुगु	447.6	9.3
4.	मराठी	422.5	8.8
5.	तमिल	376.9	7.9
6.	उर्दू	286.1	6.0
7.	गुजराती	258.9	5.4
8.	मलयालम	219.4	4.6
9.	कन्नड़	217.1	4.5
10.	उड़िया	198.6	4.1
11.	पंजाबी	164.5	3.4
12.	असमी	89.6	1.9
13.	कश्मीरी	24.4	0.5
14.	सिंधी	16.8	0.4
15.	संस्कृत	2217	—
		4796.0	100 प्रतिशत

गणना के आधार पर अन्य भाषा भाषियों के मुकाबले में हिंदी भाषा भाषी अपेक्षाकृत अधिक प्रांतों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पर आते हैं।¹¹ राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी का श्रेणीकरण अंक मर्दाधिक है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ये अक मिलने पर भी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। इससे मिछ्ह होता है कि हिंदी बोलने वाले शेष भाषा भाषियों के मुकाबले में अधिक स्थानों पर विज्ञरे हुए हैं।¹² आठवीं अनुसूची की पंद्रह भाषाओं में से असमी, कश्मीरी, उड़िया, सिंधी और संस्कृत के बोलने वाले सभी प्रातों में नहीं मिलते। गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू के एक से अधिक प्रांतों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 100 से कम बोलने वाले हैं।

शेष प्रत्येक चार भाषाओं अर्थात् बगला, हिंदी, मलयालम और मराठी को उन्हें दालों की सूख्या बेवल किसी एक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में 100 से कम पहुँचती है, और यह सूख्या क्रमशः 4, 58, 23 और 8 है। अतः भाषा भाषियों के अबों का किसी भी प्रकार सं निरीक्षण करने से हिंदी का पलड़ा ही सबसे अधिक भारी दिखाई देता है। गांधी जी का कहना था

किसी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने अथवा न बनाने का सही मानक यह होशा चाहिए कि वह भाषा लागो म रितनी प्रचलित है, और इतने लोग उस समझ सकते हैं। इसी विशेषता के बारण ही कोई भाषा समस्त राष्ट्र के लिए प्रयुक्त हो सकती है, अन्यथा यह भिन्न प्रातो और भिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क की भाषा नहीं हो सकती। किसी भाषा का भावित्य वाहे इतना ही संपन्न क्यों न हो, यदि इसके माध्यम से देश के भिन्न भागों के बीच अतः संपर्क स्थापित नहीं हो सकता, तो यह भाषा राष्ट्र भाषा का पद नहीं पा सकती। आज बेवल हिंदी (अथवा हिंदुस्तानी) ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के सभी हिस्सों में बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हिंदी निर्विवाद रूप से भारत की राष्ट्र भाषा बन जाती है।¹³

राष्ट्रीय भौतिक

पहले कहा जा चुका है कि उपर्युक्त ग्रन्तिमान एक दूसरे से अमरद नहीं है। मह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की भावना के पीछे कोई तर्क नहीं है। भले ही राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी सब लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गए हैं, परन्तु इन सब के पीछे कुछ अर्थ एवं इतिहास निहित है। भाषा किसी भी राष्ट्र के सास्कृतिक उत्थान का महत्वपूर्ण मानदण्ड है। भाषा के माध्यम में ही लोगों की सूझनशीलता अभिव्यक्त होती है। किसी वग का माहित्य, सांगीत, मियव, लोक कथाएँ और इसकी अनेक उपलब्धिया भाषा के द्वारा ही सासार के सामने आती हैं। यही बारण है कि भाषा भावनाओं के माथ जुड़ जाती है। स ही वात्स्यायन के कथनानुसार भाषा और राष्ट्र की बनन्ता का बोली दामन का रिता है। उन्होंने लिखा है

कुछ अपवादों ने छोड़कर, कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा से जीवनचर्म नहीं चला भवता। और यह बात और भी असभव ही जाती है जब कोई देश आजादी की लडाई भी लड़ रहा हो और स्वाभिमान का लक्ष्य उसने

सामने हो। यदि कोई राष्ट्र अपनी भाषा से काम नहीं चलाएगा तो अपनी अनन्यता से बैठेगा और इसके स्थान पर अन्यथा भाव आ जाएगा। अंग्रेजी भाषी परिचम इस विचार को भाषायी उग्र राष्ट्रीयता का नाम देकर भले ही वदनाम करे, परन्तु उनके विचार संदर्भता में विमुक्त नहीं हैं। इसके प्रतिकूल, परिचम के सदेहयुक्त विचारों को खण्डित करने के लिए प्रचुर ऐतिहासिक अनुभव मौजूद है, और हर उम देश का अनुभव मामने हैं जो इस प्रकार की स्थिति में मैं गुज़रा है। फिलिपिन और इण्डोनेशिया के समसामयिक और निकटवर्ती उदाहरण इस कथन की पूर्ण पुष्टि करते हैं।¹¹

सोवियत संघ में भारत की प्रथम राजदूत विजयलक्ष्मी पडित को मास्को में अपना परिचय पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने पर, उस समय वड़ी अटपटी स्थिति का सामना करना पड़ा जब सोवियत पक्ष की ओर से उत्तर हिंदी में दिया गया। इस बात पर प्रकाश ढालते हुए मुचेता कृपलानी ने संसद में कहा था :

मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अभी कल ही मुझे विजयलक्ष्मी जी उम स्थिति के बारे में बतला रही थीं जो उनके दरपेश आई। जब वे रूस गई और अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर रही थीं, तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें ताना दिया गया कि हम कितने असम्भव हैं और उनसे पूछा गया कि क्या भारत की अपनी कोई भाषा नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं जर्मनी में यात्रा कर रही थी तो मेरे सामने भी कुछ उसी प्रकार की घटना पेश आई। हमें अंग्रेजी में लिखने की आदत थी, इसलिए जब मैं अपनी नोटबुक में अंग्रेजी में कुछ लिख रही थी तो मुझे ऐसा करते देखकर वहां के एक आदमी ने मुझ से पूछा। “वहन, क्या आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है, आप अंग्रेजी में क्यों लिख रही हैं?” यह सुनते ही शर्म के मारे मेरा माया झूक गया।¹²

मिल्टन का कहना है कि हर राष्ट्र को विदेशी भाषा की अपेक्षा अपनी भाषा को ही तरजीह देनी चाहिए, चाहे वह भाषा अधिकसित ही क्यों न हो, क्योंकि विदेशी भाषा का प्रयोग दासता का द्योतक होता है। उनका कहना था :

इस द्वात को मामूली नहीं समझना चाहिए कि कोई राष्ट्र कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। यह तथ्य इतना महत्व नहीं रखता कि इस राष्ट्र के लोग इस भाषा को कितनी विशुद्धता एवं निपुणता के साथ बोलते हैं…

इसमें कोई हज़ की बात नहीं कि किसी वर्ग की भाषा असहृत और वीभत्स है, आशिक रूप से दूषित ह अथवा इसमें रचना सबधी गलतिया है, परन्तु यह अक्षम्य है कि किसी राष्ट्र के लोग आलसी और अक्षम्य हैं, और चिरकाल तक तावेशारी में रहने के लिए तंगार हैं। इसके प्रतिकूल यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई राज्य, उस से कम मध्य स्तर तक, इसलिए विवित नहीं हो सका क्योंकि उसने अपनी भाषा का आश्रय लिया ॥६

गाहृता

यदि किसी भाषा की लिपि और वाच्य रचना तथा उसका शब्द भण्डार एवं स्वर विज्ञान किसी वर्ग की अपनी भाषा के निकट होते हैं, तो कथित वर्ग इस भाषा को अधिक आरानी म स्वीकार कर लेता है। इस दृष्टिकोण से भारतीय भाषा भाषियों के लिए अग्रेज़ी की अपेक्षा हिंदी का ग्रहण करना ज्यादा आसान होगा। निस्सदेह, इसका यह अर्थ नहीं कि भाषा के विशेषज्ञ हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सर्वसामान्य तत्त्वों के विस्तार की ओर ध्यान न दें, क्योंकि हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच जितने अधिक समान तत्त्व होंगे, अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी को स्वीकार करना उतना सुगम हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी वर्ग का साहित्य या उसके मुख्य साहित्यक ग्रंथों का अनुवाद किसी भाषा में उपलब्ध हो तो इस वर्ग द्वारा उस भाषा का अनुमोदन अधिक समव हो जाएगा। इस प्रकार हिंदी युसुलमानों वे लिए सुग्राह्य हो जाएंगी, यदि उन्हें कुरानशरीफ तथा उनके अन्य ग्रंथ हिंदी में मिल सकें। इसी तरह, दक्षिण के लिए हिंदी को मजूर करना आसान होगा यदि इतिहास, संगीत, कला, पुराण, विज्ञान, चिकित्सा आदि वे ग्रंथ (जो आज केवल दक्षिण की भाषाओं में मिलते हैं) हिंदी में भी मिलने शुरू हो जाए। इस दृष्टिकोण से, हिंदी में और अधिक काम वाढ़ित है ।

जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ऐतिहासिक कारणों से कुछ प्रातों के लोगों को भारत के अन्य भाग के लोगों की अपेक्षा अग्रेज़ी सीमने का अवसर पहले मिलना शुरू हो गया था। इस कारण इन प्रातों के निवासियों को अग्रेज़ी राज के प्रारंभ में, और शायद वाद तक भी, अधिक सरकारी नौकरिया मिलती रही। अग्रेज़ी के हटाने से इन थोड़े से लोगों के 'हिनो' पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु, जैसे कि पिछले पृष्ठों में सुझाया गया है, इस कठिनाई को हल करने के लिए कुछ पर्याप्त उठाए जा सकते हैं ।

हिंदी के विरोध का एक कारण समाजनिष्ठ राजनीतिक है। यह बात

डी.एम. के. (ब्रविड मुन्नेव्र कडगम) तथा ए.डी.एम.के. (अन्ना ब्रविड मुन्नेव्र कडगम) के इतिहास के अवलोकन में कुछ स्पष्ट हो जाएगी। यह इतिहास साऊथ इंडियन पीपुल्ज असोसिएशन (जिसकी स्थापना 1916 ई. में हुई थी) के जन्म के साथ प्रारंभ होता है। वाद में इस सत्याके नाम और रूप में परिवर्तन हुआ और उसकी कई शाखाएँ बनीं, जैसे 1917 ई. में साऊथ इंडियन लिवरल फ्रेडरेशन अथवा जस्टिस पार्टी बनी और 1925 ई. में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बजूद में आई। उनके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए स्पर्ट ने लिखा :

जहां जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मणों के धर्मेतर विशेषाधिकारों पर छोट की, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ने ब्राह्मणों का हिंदू धर्म के प्रचारकों के प्रतिनिधि के रूप में विरोध किया। उन्होंने इसे एक ऐसा विदेशी धर्म घोषित किया जो तमिल भूमि में घुस आया है और उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहा है।¹⁷

इस प्रकार, जो आदोलन एक समय ब्राह्मणों के विरुद्ध अथवा उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्यादतियों के विरुद्ध था, वाद में उसका रूप बदल गया और उसने एक ऐसे दृष्टिकोण को जन्म दिया जिससे उत्तर का हर कदम शक की नज़र से देखा जाने लगा। कुछ समय के बाद यह कहा जाने लगा कि हिंदी तमिल भाषियों के आत्मसम्मान पर आधात करती है। और यह उनकी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को हीन बना देगी। यह आरोप आंशिक रूप से भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति की महिमा उसकी विविधता बनाए रखने में है, न कि उसे मिटाने में। कोई भी सरकार विविधता की अवहेलना नहीं कर सकती। उचित उपायों से ऐसी निराधार आंशकाओं का निराकरण किया जा सकता है और हिंदी को दक्षिण तथा अन्य अहिंदी भाषा भाषियों के लिए स्वीकार्य बनाया जा सकता है। यदि यह काम समुचित रूप से हो जाए, तो फिर स्वार्थी नेता भोली जनता को गुमराह करने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिसके दिल में इस समय यह बात विठा दी गई है, कि हिंदी ब्राह्मण मत की अवशेष संस्कृति की एक शाखा है, और दक्षिण के गौरवपूर्ण जीवन के लिए तथा दक्षिण को उत्तर की गुलामी से बचाने के लिए इसका विरोध करना आवश्यक है।

अन्य तत्त्व

निम्नलिखित कुछ तत्त्वों के आधार पर भी अंग्रेजी के दावे का समर्थन किया जाता है :

यह कहा जाता है कि अंग्रेजी की पठाई में अवरोध ढालने से देश की

प्रगति रुक जाएगी। हिंदी को राजभाषा बनाने और कालेजों में हिंदी शिक्षण दो अलग विषय हैं। ये दोनों अलग प्रश्न हैं। जिस प्रकार पहले का समर्थन तक विरुद्ध है उसी प्रकार दूसरे का विरोध दुराग्रह युक्त होगा।

यह भी वहा जाता है कि अग्रेजी के लिए जो स्थान हम निर्धारित करेंगे, उसके माथ देश की वैज्ञानिक उन्नति का बहुत सबध है। ज्ञान और ज्ञान के पुजों को एक वस्तु समझना बहुत बड़ी भूल होगी। निम्नदेह इस बात पर उचित बल देना आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर कुछ एक उच्च शिक्षा संस्थाओं में, विद्यार्थियों को अग्रेजी में यथसम्भव सुनिश्च बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परतु इसका मतलब यह नहीं है कि अग्रेजी को भारतीय भाषाओं पर प्रमुखता प्रदान कर दी जाए। ताजमहल, अहमदाबाद का ढोलती मीनार, दिल्ली के बुतुब मीनार के पास अशोक द्वारा निर्मित इमान भीनार और प्राचीन अद्भुत बास्तुकला के टिक्का मंदिर उस समय बने थे जब अग्रेजी की परछाई भी भारत में नहीं पहुंची थी। स्त, फास और अनेक दूसरे देश अपने विकास के लिए अग्रेजी भाषा के बदामि छूटी नहीं है। इसके साथ ही ज्ञान का उसके प्रयोग के साथ रिश्ता भी समवना चाहिए। यदि हम विज्ञान की जानकारी अपने लोगों और करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो भारतीय जनसाधारण इससे पूरी तरह लाभार्थित नहीं हो पाएगा। आवाशवाणी द्वारा देश के किसानों के हेतु प्रमारित छृषि दर्शन कार्यक्रम इसलिए प्रशसनीय है कि इसके माध्यम से छृषि अनुसंधान पर आधारित नई और लाभप्रद बातें किसानों तक उनकी भाषा में पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

बुद्ध लोगों के अनुसार अनर्पणीय क्षेत्र में भारत का सम्मान भारतीय लोगों के अग्रेजी पर अधिकार की बजह से ही प्राप्त हो सका है। शायद ही कोई अनर्पणीय मामलों का विशेषज्ञ इस क्षेत्र का समर्थन करे। अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अग्रेजी की पढाई को वह स्थान नहीं दिया जो भारत ने दिया है, परतु फिर भी समार में उनका मान है। किसी भी देश की प्रतिष्ठा मुद्यतया उसके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपकरणों में बनती या विगड़ती है, त कि इस आधार पर कि वहा के लोग किसी विदेशी भाषा को किन्तु निपुणता से बोलते हैं। 1962 ई में चीन द्वारा पराजित हो जाने के बाद हिंदुस्तान के गौरव को भारी घब्बा लगा था। परतु 1971 ई में जब हमारे बीरों ने बगलादेश निवासियों की लोकतंत्रीय भावना की रक्षा करते हुए पाकिस्तान को पराजय दी, तो देश की गौरव प्रतिमा की पुनर्स्थापना हो गई। चीन अणुवम विस्फोट करने के कारण परम शक्तिशाली देशों की पक्षिक्ष में आ गया न कि किसी भाषा विषेष के ज्ञान के कारण। इस प्रकार अतर्पणीय राजनीति के आधामों का भाषा ज्ञान से खास सरोकार नहीं होता।

एक धारणा यह भी है कि अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने से अतर्राष्ट्रीय संसार में व्यक्ति की राजनयिक, विशेषज्ञ, पर्यटक, व्यापारी के रूप में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। यद्यपि यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, परंतु यह अंग्रेजी के महत्त्व का अनावश्यक अतिरंजन है। वहाँ, समस्त उच्चस्तरीय वर्यपूर्ण वार्ताओं में प्रायः वक्ता विदेशी भाषा के स्थान पर अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में ट्रैवेलान का निम्नलिखित कथन बहुत प्रासंगिक है :

दूसरे व्यक्ति की भाषा पर आपको कितना ही अधिकार क्यों न हो, पेचीदा वार्ताओं में उसकी भाषा का प्रयोग आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इससे स्थिति दूसरे व्यक्ति के अधिक अनुकूल हो जाती है। अनुवाद से आपको सोचने का समय मिल जाता है। दुभाषिया को केवल भाषा की बात सोचनी होती है। यदि वार्ताकार आधा समय क्रियाओं के अंतर्मनन या किसी बोली के अस्पष्ट अथवा विकृत वाक्यांश को समझने में लगा दे तो स्पष्ट है कि मुख्य मामले पर उसका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं हो पाएगा। हिटलर के दुभाषिए शिट्ट ने लिखा है कि सर नेविल हेंडरसन की गंभीर मामलों पर हिटलर के साथ जर्मन भाषा में बातचीत करना एक भूल थी। विदेशी भाषा बोलने से अहंकार भले ही बढ़े, परंतु ऐसी स्थिति बहुत धातक हो सकती है।¹⁸

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी विद्वान् पर्यटक अथवा व्यापारी विदेश यात्रा से पूरा लाभ तभी उठा सकता है जब उसे वहाँ की भाषा आती हो। हर स्थान पर अंग्रेजी में काम चलाना संभव नहीं है। हर विद्यार्थी अथवा विद्वान् को किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उस देश की भाषा को जानना होता है जहाँ वह अध्ययन के लिए आता है। इस संबंध में यह बहुत प्रासंगिक है कि अमुक भाषा सीखने में सरल है अथवा कठिन। हिंदी और अंग्रेजी की तुलना करते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

हिंदी में हर अक्षर का एक ही स्वर होता है। किसी भाषा की वर्णमाला इस सिद्धांत का जितना उल्लंघन करती है, तो गों के लिए यह उतनी ही दुपर बन जाती है। जार्ज वर्नर्ड शा के अनुसार इस दृष्टि से अंग्रेजी में काफी त्रुटियाँ हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में पांच स्वर हैं और कभी कभी पांच के पांच एक ही आवाज के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के उच्चारण का एक उदाहरण, जो रेडम हाऊस डिक्शनरी (1967) में उपलब्ध है, इस कथन को स्पष्ट कर देगा।

अंग्रेजी में स्वर उल्लङ्घन

क्र सं	अंग्रेजी शब्द	शब्द में प्रस्तुत स्वर	उच्चारण में आवाज़
1	फोर्वर्ड (forward)	ए (a)	यू (u)
2	वर्ड (word)	ओ (o)	यू (u)
3	हर्ड (herd)	ई (e)	यू (u)
4	पर्र (purr)	यू (u)	यू (u)
5	बर्ड (bird)	आई (i)	यू (u) "

इसके प्रतिकूल निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में ओ (o) अथवा वा उच्चारण मिलने भिन्न तरीकों से होता है।

नो (no), यू (do), आर (or), डल (doll), विम-इन (women),
लव (love), थान (un), वन (one)

अंग्रेजी में 'शन' की आवाज को बीम प्रकार से लिखा जा सकता है। उदाहरण-तया नोशन, पेशन, पेशट थार्ड इर शब्द में 'शन' की आवाज को विभिन्न अथवा से लिखा जाता है। इसी प्रकार 'ऊ' के स्वर को कम से कम पद्धति विभिन्न रिंजो द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे कि इन शब्दों में

दू (two), टू (two), न्यू (new), टू (to), शू (shoe), न्यूट-अर (neuter), थ्रू (through), स्यू (sue), ह्यूट-इ (duty), पू (pooh), जूस (juice), कू(coup), इन्यादि, इत्यादि²⁸ अंग्रेजी शब्द एक्सिडेंट (accident) में दो 'सी' एवं साथ आते हैं, परंतु एक 'सी' 'क' की ओर दूसरा 'म' की आवाज देता है। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की हिंजों के भद्रेपन से विमुक्त करने के लिए अपील करते हुए लदन के चार भाव, 1975 ईं के टाइम्स मैगजीन में जार्ज बर्नार्ड शॉलिवर्टे हैं कि "इस प्रकार के मशोधन से जो वचन होगी, उसमें यदि और कोई लाभ न उठाया जा सके तो कम से कम आधी दजन लड़ाइयों का खच सौ निकाला ही जा सकता है!"

शब्द भडार की दृष्टि में भारतीय भाषाएँ आर्य अथवा द्विवह परिवार में आती हैं। सभी के अनगत अनेक भूमानाम्य एवं समृद्ध व्युत्पन्न शब्द हैं। इसके अलावा भारतीय विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय शब्दावली ही अधिक उपयुक्त है। उदाहरण के लिए 'देहात' शब्द को लीजिए। जो भारतीय

दर्शन 'देहांत' शब्द में निहित है वह अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द 'डेड' (dead) व्यक्त नहीं कर पाता। देहांत शब्द 'देह' और अत के सश्लेषण से बना है, जिसका तात्पर्य यह है कि केवल शरीर का अंत होता है, क्योंकि भारतीय दर्शन आत्मा को अमर मानता है। स्पष्ट है 'डेड' (dead) शब्द सारी बात व्यक्त नहीं कर पाता।

हिंदी में जहाँ एक ही क्रिया से काम चल जाता है, अंग्रेजी में वहाँ कई क्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे, हिंदी में हम कहते हैं। मकान बनाना, खाना बनाना, वहाना बनाना, परतु अंग्रेजी इन्हीं संदर्भों में 'बनाना' क्रिया के लिए क्रमशः टू बिल्ड (to build), टू कुक (to cook) और टू मेक (to make) का प्रयोग किया जाएगा। इन तीनों स्थानों पर अंग्रेजी में एक ही पद का प्रयोग अशुद्ध होगा।

विशेषणों की तुलना के लिए भी अंग्रेजी में हर शब्द के लिए समान प्रणाली नहीं है, जैसे कि हिंदी में है। उदाहरण के लिए सुदर, पतला और अच्छा शब्द लीजिए। कुछ शब्दों के शुरू में अधिकतर और अधिकतम या फल्दों के अत में 'तर' और 'तम' लगाने से तुलनात्मक शब्द बन जाते हैं। परतु अंग्रेजी में कई बार यह पद्धति नियम रहित हो जाती है। यदि हम उपर्युक्त तीनों शब्दों के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द लें तो इनकी तुलना की कोटि के शब्द तीन अलग प्रकार बनेगे।

(सुंदर — beautiful)	ब्यूटिफुल	मोर्झ ब्यूटिफुल	मोस्ट ब्यूटिफुल
(पतला — thin)	थिन	थिन्नर	थिन्नेस्ट
(अच्छा — good)	गुड	वे'टर्	वे'स्ट

हिंदी लिपि में अंग्रेजी की तरह बड़े और छोटे अक्षर नहीं होते और न ही छापे और लिखाई की अलग-अलग प्रणालिया है। निश्चित ही थोड़े बहुत बांधित संशोधनों के साथ रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी लिपि बेहतर सिद्ध हो सकती है।

उपर्युक्त आधारों पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरलतर होगा।

उपसंहार

यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजभाषा के प्रश्न पर कभी भी वैज्ञानिक तरीके से कोई बड़ी वहस नहीं हुई है। हिंदी के समर्थन और विरोध एवं अंग्रेजी के समर्थन तथा विरोध के नारों और प्रदर्शनों के कोलाहल में समस्या के तर्कात्मक समाधान के लिए प्रयत्न नहीं हो पाया। भाषाविद् स्वर्गीय डा. सुद्धारामन् ने राजभाषा

आयोग की रिपोर्ट के साथ मन्त्री अपने अमहमदी नोट में पूर्वोक्त कसीटियों में से एक का कुछ वर्णन तो किया, परन्तु उन्होंने इनके आधार पर विभिन्न भाषाओं के शब्दों से परखने की उजाग अपनी बात को अपेक्षी के फायदे की गणना करने तक ही सीमित रखा।

इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अपेक्षी की पढ़ाई पर अत्यधिक बन देने के कारण समार की अन्य भाषाओं की पढ़ाई की ओर देश में समृद्धि घटान नहीं दिया गया है। भारतीयों के लिए चीनी भाषा सीखना एक नहीं, अनेक कारणों से जाव़ायक है। ऐसे के साथ हमारे सबसे के आधार पर यह अनिवार्य हो गया है कि काफी सम्भव में भारतीय विद्वान् और वैज्ञानिक भी भाषा का गहन अध्ययन करें। इसी प्रकार भारत के लोग सभीपन्थ अथवा दूरस्थ मिश्र देशों की भाषाओं की अवलोकना नहीं कर सकते। समार की राजनीति मद्देव अनिविच्छिन्न रहती है, इसलिए यह आवश्यक है कि तमाम देशों की भाषाओं को भौतिक और उनके जरिए इन देशों के घटना प्रवाह और विभिन्न सामग्री की जानकारीहासिल करने के लिए देश की प्रतिभाव का तियोजित तरीके से उपयोग किया जाए।

किसी देश की भाषा का जान ही उस देश की राजनीति तथा आर्थिक एवं मामाजिक स्थिति को खुचाह स्वर में समझने का मार्ग प्रणस्त कर सकता है। हिन्दुस्तान की सभी देशों के सदस्य में ये मार्ग सौलग्न होंगे। महतमी सभव हो सकता है जब भारत अपेक्षी भाषा के प्रति अपना अनन्य भवित्व भाव त्याग दे और देश की शिक्षा संस्थाओं में सभी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाए।

हिन्दी विरोधी आदोलन का स्पष्ट प्राय राजनीतिक ही रहा है। यह कथन इस बात में भी सिद्ध हो जाता है कि जो राज्य अपेक्षी के गुणगान करते हैं, उनमें से किसी एक ने भी अपेक्षी को ग्रान में सम्बागी भाषा के पद पर आयीन नहीं किया है। हा, झणिगुर, नागानेंड, गोआ, दमन, दीव जैसे गजयों तथा सभ पराय खड़ो ने अपेक्षी को सम्बागी भाषा जूहर धोपिन किया है, परन्तु इसके बारण ऐनिहासिक हैं अथवा उनकी आजादी में पूर्व की विरामन में मिली परपरा है। जैसे जैसे इन राज्यों की अपनी भाषाएँ विकसित होती जाएंगी, निम्नदेह वे अपेक्षी की जगह निती जाएंगी। इस बात को भी नजर अदाज नहीं किया जा सकता कि अपवादी बौद्धवर प्रत्येक विद्वान् के बल अपनी भाषा में ही मौतिक रचना करने समार में ज्ञानभण्डार की वृद्धि में अपना योगदान कर सकते हैं। इसलिए अपेक्षी के प्रति अनावश्यक भवित्वभाव बनाए रखना भारतीय भावना शक्ति, समय और धन का केवल अपव्यय ही नहीं होगा, परन्तु अपनी विवेक-हीनता का भी परिचय देना होगा।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. भारत, राजभाषा आयोग, रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 59.
2. मीडोज ए. जे., कम्यूनिकेशन इन साइंस, बट्टर वर्य एड कंपनी, लदन, पृष्ठ 166.
3. भारत, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्ज, प्रेम इन इंडिया 1974, अठारहवीं रिपोर्ट, भाग 1, दिल्ली, पृष्ठ 171-172.
4. होमर, ए. जे. (संपादक), विट् एड विजटम ऑफ गांधी, बोस्टन, बेकन प्रेस, 1951, पृष्ठ 158.
5. वही, पृष्ठ 158.
6. स्ट्रीट, पी., डी. एम. के. इन पावर, बंबई, नचिकेता, 1970, पृष्ठ 12.
7. वही, पृष्ठ 14-15.
8. मिश्र, वी. वी., इंडियन मिडल क्लासिज, देवर ग्रोव इन माइन टाइम्ज, लंदन, ओ बू पी, 1961, पृष्ठ 322.
9. देखिए : परिणिष्ट XIV.
10. भारत, राजभाषा आयोग, रिपोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 418.
11. देखिए : परिणिष्ट XV.
12. देखिए : परिणिष्ट II.
13. एम के. गांधी, रेमनेसेंस ऑफ गांधी जी, बंबई, वोरा एंड कं 1951, पृष्ठ 67.
14. बात्स्यायन, एस. एच.; नैशनल लैंग्विज फार इंडिया, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, 1869, पृष्ठ 141. संपादक ए. पीद्वार, शिमला.
15. भारत, लोक सभा, वहस, चौथी शृंखला, ग्रंथ 10, तीसरा अधिवेशन, दिसंबर 7, 1967, दिल्ली, लोक सभा सेक्रेटेरिएट, 1967, पृष्ठ 5526.
16. ग्रहमद, जॉ. ड. ए.; नैशनल लैंग्विज फार इंडिया : ए मिपोजियम, इनाहावाद, किताविस्तान, 1941, पृष्ठ 46-47.
17. स्ट्रीट, पी.; डी. एम. के. इन पावर, बंबई, नचिकेता, 1970, पृष्ठ 31.
18. ट्रेवेलन, हफी; डिप्लोमेटिक, चेन्नै, लदन, मैकमिलन, 1973, पृष्ठ 79-80.
19. टारनसैह, डब्ल्यू. मी.; दे फ़ालंड ए कॉमन लैंग्विज, न्यूयार्क, हार्पर, 1972, पृष्ठ 26.
20. वही, पृष्ठ 110-111.

हिंदी का विकास एवं प्रोत्साहन

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार 'हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करना ताकि वह भारत की मामानिश स्वतन्त्रि के सब तत्वों की अभिध्यक्षिणी का माध्यम हो सके सभ का बताया होगा।' परन्तु हिंदी के विकास एवं प्रोत्साहन के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में शिकायत सुनना एक मामान्य बात है। जब सरकार ने 1963ई और 1967ई में सप्तद में राजभाषा विधेयक पस्तुन किए तो सभी ओर में इनके विरुद्ध जोरदार भावनाएँ व्यक्त की गईं। सदस्यों ने संविधान की धारा 343, जिसके अनुसार 1965ई से अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को देश की राजभाषा बनाया था, को अमरी जामा पहनाने के काम में अकुशलता और बदनीयती का परिचय देने के लिए सरकार की कड़ी निरापत्ति की। दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा भाषियों पर हिंदी थोपने और इसमें 'जल्दवाजी' से काम लेने की कट्टुआलोचना हुई और इसके खिलाफ अनेक प्रदर्शन हुए। इसलिए वस्तुगत निर्णय के लिए संपूर्ण स्थिति का मिहावनोक्ति करना समुचित होगा।

हिंदी के सबध में जो कार्य हुआ है उसे तीन मुख्य बगों में विभक्त किया जा सकता है—सरकारी, अर्ध सरकारी एवं प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा किया गया कार्य। अध्यादेशों, विधि, संकल्पों और प्रशासनिक आदेशों का जारी किया जाना तथा इनका क्रियान्वयन प्रथम बगं के अतर्गत थाता है। शिक्षा संस्थाओं का काय जिमका सरकारी पश्चीन के काम पर प्रभाव पड़ता है, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभ लोक सेवा आयोग, अदालती तथा अन्य इस प्रकार की स्वायत्त सम्याओं द्वारा हिंदी के लिए किए गए कार्य को द्वितीय बोटि में रखा जा सकता है। प्रादेशिक और अवयमेवी सम्याओं, जन सपकं मावनों एवं जाय गैरमरकारी मगठनों वे कार्य को तीसरी श्रेणी में

सम्मिलित किया जा सकता है।

बनुच्छेद 351 के अनुसार, हिंदी को प्रोत्साहन देना संघ जिला मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने इस संबंध में किए गए काम की पहली विस्तृत रिपोर्ट 1969 ई. में 'एक सिंहाखलोकन : हिंदी का प्रसार एवं विकास, 1952-1967' नामक पुस्तक में छापी थी। उसके पश्चात् गृह मंत्रालय द्वारा अनेक वार्षिक रिपोर्ट छापी जा चुकी हैं। सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निम्न संस्थान बनाए गए हैं।

हिंदी के उत्थान हेतु संस्थान

क्रमांक संस्थान का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का बोर्ड	1951	गणित, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, जंतु विज्ञान, कृषि, भूविज्ञान, नामाजिक विज्ञान, प्रजासत्तन एवं नुरक्षा संबंधी विषयों के लिए तकनीकी शब्दों का निर्माण
2. केंद्रीय हिंदी निदेशालय	1960	हिंदी प्रसार संबंधी कार्य
3. केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, आगरा	1960	अहिंदी भाषा भाषियों एवं विदेशी लोगों को हिंदी पढ़ाने और अन्य संबंधित विषयों पर व्यावसायिक जानकारी और उल्लाह देना
4. अखिल भारतीय हिंदी संघ	1964	केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को हिंदी के विकास संबंधी योजनाओं पर परामर्श देना

1967 ई. में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय हिंदी नमिति की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त अनेक मंत्रालयों में हिंदी मालाकार नमितियाँ हैं। इन कमेटियों में पार्लियामेंट के बदल्य और सरकारी कर्मचारी सदस्य होते हैं। प्रत्येक कमेटी के अध्यक्ष संबद्ध मंत्रालय के मंत्री होते हैं। कुछ एक मंत्रालयों की कमेटियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ये नमितियाँ समय समय पर मंत्रालय के काम में हिंदी के प्रयोग में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करती हैं।

अहिंदी भाषा भाषी राज्यों के न्यूलॉं में हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को जत प्रतिशत अनुदान देती रही है। इन राज्यों में हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना

का सर्वं भी केंद्रीय सरकार देती रही है। आग्रह प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल जैसे अंहिदी भाषी राज्यों को दी गई वाधिक वित्तीय सहायता वा ध्यौरा कुछ वर्षों के लिए इस प्रकार है।

अनुदान की राशि

(लाख रुपयों में)

वर्ष	हिंदी अध्यापकों के लिए	प्रशिक्षण कालेजों के लिए
1961-62	2 17	3 68
1962-63	9 00	3 33
1963-64	15 00	4 12
1964-65	190 88	6 61
1965-66	92 49	9 26
1966-67	48 35	6 86
1967-68	82 83	6 18
1968-69	83-40	5 62
1969-70	100 00	7 95
1970-71	114 07	10 03
1971-72	156 00	12 00
1972-73	250 00	12 00
1977-78	264 96	8 30

(पूरे दशक में विभिन्न राज्यों को दी गई अनुदान राशि को तुलना के लिए देखिए परिशिष्ट XXI)

चूंकि अनुदान राज्य की आवश्यकताओं के अनुमार दिया जाता था, इसलिए बदाकदा कुछ राज्यों को यह राशि नहीं भी मिली। सालाना अनुदान में कमी देशी इस बात की सूचक है कि हिंदी का काम निर्वाध गति से प्रगति नहीं करता रहा, और प्रायः हर योजना² के अंत वे आमपास ही काम वी गति तेज होती रही है। योजना के अंतिम वर्षं का खंच योजना के पूर्व वर्षों के खंच से अधिक इसलिए भी है क्योंकि अंतिम वर्षं के खंच में उस वर्ष और योजना के विष्टले वर्षों का खंच शामिल है।

हिंदी एवं अंहिदी भाषी क्षेत्रों में 1975ई में हिंदी प्रशिक्षण वेंड्रो का वितरण इस प्रकार था।

केंद्रों की संख्या

क्रम	केंद्र का विवरण	हिंदी भाषी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में	अहिंदी भाषी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में
1.	पूर्णकालिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र	32	47
2.	अंभाकालिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र	21	57
3.	टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र	3	3

इस प्रकार अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या अधिक है, और यह उचित भी है। परन्तु यह कहना मुश्किल है कि ये केंद्र कितनी दक्षता से चलाए गए हैं और स्थानीय आवश्यकताओं की कहा तक पूर्ति करते हैं। (इस संबंध में गवेषणा लाभप्रद हो सकती है।)

सरकारी कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार ने विभिन्न स्तरों की परीक्षाएं प्रारंभ की। उनके नाम हैं—प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, जिन्हें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के हिंदी कोर्सों के बराबर मान्यता दी गई। हिंदी टंकण और आशुलिपि के लिए भी परीक्षाएं शुरू की गईं। 1965 ई. और 1975 ई. के बीच जितने कर्मचारियों ने ये विभिन्न परीक्षाएं पास की उनकी तालिका अगले पृष्ठ पर दी गई है।

1975 तक प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या उन उम्मीदवारों का 57.3 प्रतिशत थी जिन्हे इन परीक्षाओं के लिए बैठना चाहिए था। टंकण और आशुलिपि के संबंध में यह प्रतिशत क्रमशः 50.7 और 59.6 था। इस प्रकार केवल संख्या की दृष्टि से यह प्रतिशत क्रमशः 60 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों तक व्याप्त नहीं हो सकी। 1975 ई. तक 320385 कर्मचारी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाएं पास कर चुके थे।³ इनमें में 172419 अर्थात् 58.2 प्रतिशत ने ये परीक्षाएं 1965 ई. के बाद पास की थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि 1965 ई. तक अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग की तैयारी अपूर्ण एवं अपर्याप्त थी। अगली तालिका में यह भी पता चलता है कि प्रतिवर्ष परीक्षायियों की संख्या में कमी होती रही है। यह अवनति 1968-69 ई. में अधिकतम (30.7 प्रतिशत) थी। शायद यह 1967 ई. के राजभाषा (संशोधन) विल की प्रतिक्रिया का एक परिणाम था। आगामी दो सालों में यह खार्ड कुछ हद तक पाट दी गई। परन्तु फिर इसके बाद अवनति शुरू हो गई। यह भी देखने में आता है कि शेष परीक्षाओं की अपेक्षा प्राज्ञ की परीक्षा सर्वाधिक लोकप्रिय रही। इसका कारण

**विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए
प्रत्याशियों की संख्या**

क्रमांक	वर्ष	प्रवोध	प्रवीण	प्राज्ञ	टक्कन	आशुलिपि	कुल	पूर्व वर्ष	वे मुकाबले में प्रतिशत वृद्धि	
1	1965-66	4888	8731	9382	1038	201	24240	-		
2	1966-67	3131	5875	7398	915	203	17522	-277		
3	1967-68	3533	5378	6332	840	183	16266	-143		
4	1968-69	2166	4341	6061	919	278	13765	-307		
5	1969-70	6760	5937	6082	1121	427	20327	+476		
6	1970-71	6954	7184	7207	1368	548	23261	+144		
7	1971-72	5723	6287	6469	1283	408	20170	-132		
8	1972-73	5188	5922	5490	1388	258	18246	-95		
9	1973-74	5383	5120	5695	1388	193	17179	-58		
10	1974-75	5183	4913	4306	1139	152	15693	-86		
कुल योग		48909	59688	63822	11399	2851	186669			
कुल संख्या का										
प्रतिशत		26.2	32.2	34.2	61	15	100			

शायद यही रहा होगा कि वयस्क प्राय उच्चमन्तरीय परीक्षा के लिए बैठना अधिक पसंद करते रहे होंगे।

शामन द्वारा अनुवाद का बार्य भी बिया गया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने 1971ई में एक बोर्डीय अनुवाद व्यूरो की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था

- (क) हर प्रकार के गैर साविधिक माहित्य का अनुवाद, और
- (म) विविध मञ्चालयों द्वारा किए गए अनुवादों की जाच।

व्यूरो द्वारा अनेक विषय पुस्तकों और सहिताओं का अनुवाद बिया जा चुका है। इसकी स्थापना में पूर्व अनुवाद का काम बोर्डीय हिंदी निदेशालय के जिम्मे था।

1956 से 1970 ई तक भी अवधि में नागरी प्रचारिणी सभा ने सोलह लाख रुपए की राशि व्यय कर हिंदी विश्वकोश के बारह ग्रन्थ प्रकाशित किए।

1971-72ई. में चार विभाग कोष (प्रांतीय भाषा अग्रेजी हिंदी) पर कार्य आरंभ किया गया, और इस प्रकार के सीनह शब्दकोश प्रकाशित करने की योजना है। 1972-73ई. में चालीम ऐसे शीर्षकों की सूची तैयार की गई जिनके अनुवाद के लिए निजी संस्थानों और महकानी सहयोग की योजना थी।

1952ई. में शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी में मौलिक और अनूदित पुस्तकों को पुरस्कार देने की एक योजना घुर्ह की। इस योजना के अंतर्गत ऐसी पुस्तकों पर विशेष विचार किया जाता था जिनके द्वारा अंतर्वर्गीय, अतर्जनीय और अनप्रतीय मेल मिलाय को बढ़ाया मिले, और देश की मिश्रित संस्कृति को ममझने अथवा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विपश्यों का जान वृद्धि में सहायता मिले। 1967-68ई. में एक अन्य योजना का सूत्रपात्र किया गया जिसके अनुमार अहिंदी भाषा भाषी इलाकों के हिंदी लेखकों और कवियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। योजना के अंतर्गत 1000 और 500 रुपए के दो पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के लिए प्रतियोगियों की गिनती हमेशा बहुत कम रही है। मिसाल के तौर पर, 1973ई. में 51 नामों में से दम को पुरस्कार मिले। दूसरे शब्दों में 25 प्रतिशत प्रतियोगी पुरस्कृत किए गए। इसलिए जहरत इस बात की है कि इस योजना का प्रचार और अच्छी तरह किया जाए, पुरस्कार गणि में वृद्धि हो, और लेखकों के प्रशिदण की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा मंत्रालय ने अहिंदी भाषी प्रांतों के विद्यार्थियों को सेकेण्डरी स्कूल में आगे हिंदी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने की एक योजना भी प्रारंभ की है। विद्यार्थियों की कुल संख्या को देखते हुए इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या बहुत कम है, परंतु इनकी गिनती में वृद्धि होती रही है, और 1956-57ई. और 1973ई. के बीच इनकी गिनती 10 से बढ़कर 1850 तक पहुंच गई।

सरकार द्वारा चताई गई अन्य योजनाओं में कुछ के नाम इस प्रकार हैं : हिंदी और अहिंदी भाषी राज्यों के बीच अध्यापकों और विद्यार्थियों का आदान प्रदान, लेखकों की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान यात्राएं, पुस्तक प्रदर्शनियां, विदेशों में हिंदी का प्रमार, हिंदी टाइपराइटर और टेलिप्रिंटर का मानकीकरण, मंसद में पेज होने वाली रिपोर्टों और विद्येयकों का हिंदी अनुवाद, हिंदी सूचना केंद्रों का संस्थापन इत्यादि। इन योजनाओं के लाभों और इन्हें कार्यान्वित करने में मफलताओं का स्तर एक समान नहीं है।

भारतीय मांस्कृतिक परिषद् विदेशों में हिंदी के प्रमार हेतु कार्य करती रही है। यह परिषद् विदेशों में पूर्णकालिक और अंगकानिक हिंदी प्राध्यापक भेजती है और कुछ एक देशों में उनके बेतन के लिए आर्थिक सहायता भी

देनी है। हिंदी पढ़ाने के लिए परिपद ने विनिशाद, गुणाना, सूरोनाम, कैर-वियन क्षेत्र, कालदो और स्थानिया में कोंड्र सीखे हैं।

अर्ध भरकारी क्षेत्र

इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों पर दृष्टि डालने से जात होता है कि 1968-69 ई में नीम विश्वविद्यालयों के सभी अध्यात्म कुछ कोर्सों में शिक्षा का माध्यम हिंदी था। 1975 ई तक ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या 45 हो चुकी थी।

24 और 25 जनवरी, 1979 ई को नई दिल्ली में हिंदी भाष्यों के गिरिया मन्त्रियों, बुलायनियों (बाइम बामलम) और अन्य प्रतिनिधियों वा एक सम्मेलन हुआ। इस मम्मेलन में यह निर्णय हुआ कि जुलाई, 1979 ई से प्रारम्भ होने वाले जैशिक सब से हिंदी भाष्यों राज्यों में कामरे, आर्ट्स और साइंस के ममस्त विषय हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाए और जुलाई, 1980 ई से इंजी-नियरी और चिकित्सा जैसे तत्त्वनीवी विषय भी हिंदी माध्यम से पढ़ाए जाए। बैठक में भाग लेने वालों ने सभी तत्त्वनीवी कोर्सों की भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखने पर भी जार दिया। परिशिष्ट XVII के विवरण II में विज्ञान एवं मानविकी विषयों में भारतीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों की भाषावार म्यनि दिलाई गई है। परिशिष्ट के विवरण I और II में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम वे स्पष्ट में इस्तेमाल करने की हाल की स्थिति वे अलावा यह भी बताया गया है कि ये भाषाएं विस स्तर पर परीक्षा का माध्यम हैं। इन विवरणों में अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी भी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है।

सप्त सोवू सेवा आयोग ने 1969 ई में हिंदी और संविधान की आठवीं अनुसूची की भाष्य 14 भाषाओं को अस्तित्व मारतीय उच्च वैद्वीय मेवाओं की परीक्षाओं वे लिए ऐन्डिक विषय के तौर पर शुरू किया। आयोग ने यह छूट दी थी कि निवध और भाषाय ज्ञान के प्रश्न पर आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। योजना यह थी कि धीरे-धीरे परीक्षा के अन्य विषयों के लिए भी इसी प्रवार की सुविधा दी जाए।⁴ परंतु देखने में यह थाया कि अन्यजीवे माध्यम से इन दो प्रश्नपत्रों को लिखने वाले उम्मीदवारों की संख्या सभी पश्चह भारतीय भाषाओं में उत्तर लिखने वालों में कही अधिक है।⁵ इसमें स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं की पढाई की नीति को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा(2) के अधीन गण्डुपति ने उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के राज्यपालों के उस सुझाव को स्वीकृति दे दी, जिसके अनुसार

इन प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में ऐच्छिक आधार पर कार्यवाही के कागज पत्रों में हिंदी भाषा के जपथ पत्र और अन्य कागज दर्ज किए जा सकते हैं। परन्तु जो कागज फैसले के कागजों में जामिल किए जाएं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद अनिवार्य ठहराया गया।⁶ 1970-71ई. में राष्ट्रपति ने इलाहाबाद और राजस्थान के उच्च न्यायालयों को अनुमति दे दी कि वे वैकल्पिक आधार पर अपने फैसलों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु यह जल्दी करार दिया गया कि उच्च न्यायालय के हिंदी में घोषित फैसलों का अंग्रेजी में अनुवाद भी साथ साथ दिया जाएगा। 1976ई. में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी में चलाने और हिंदी में फैसला देने के विषयों पर विचार करने के लिए एक समिक्षा आयोजित की गई।⁷ 25 नवंबर, 1977ई. को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस में भारी कार्यवाही हिंदी में कर हिंदी में ही इस केस का फैसला देकर राजभाषा के पक्ष में आगे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम रखा।

विधि भंग्रालय दो मासिक पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित करता है। एक में हाईकोर्ट और दूसरी में सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाशन योग्य फैसलों का विवरण होता है। शासन ने विधि के क्षेत्र में दो सर्वश्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपए के पुरस्कार भी घोषित किए हैं।

निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र ने भी हिंदी के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। वस्तुतः इस सिलसिले में निजी संस्थाओं ने विना किसी सरकारी मदद के मार्गदर्शक का काम किया है, यद्यपि वाद में कई संस्थाओं को सरकारी सहायता उपलब्ध हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सहायता के लिए सरकार ने 7.39 लाख रुपए की राशि रखी थी। तीसरी योजना तक यह राशि बढ़ाकर 34.69 लाख रुपए कर दी गई थी। यमस्त प्राइवेट संस्थाओं के कार्य कलापों का समन्वय अविल भारतीय हिंदी संस्था संघ करता है। ये संस्थाएं एक सौ से ऊपर हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दिल्ली भारत प्रचार सभा, मणिपुर हिंदी परिपद् के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। प्रथम दो संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जा चुका है, और इनकी गतिविधियां व्यापक और विविध हैं।

जनसंपर्क भाषनों में प्रेस, रेडियो, फिल्म और दूरदर्शन तथा अन्य प्रसंगत संचार साधनों को जामिल किया जाता है। जनसंचार साधनों का मुख्य कार्य मूल्यना प्रसार होता है। इस आधार पर जनसंचार साधनों के विशेषज्ञों का मत है कि जनसंचार साधनों की कोई स्वतंत्र भाषा नीति नहीं होती। परन्तु लोगों को सूचना देने के लिए इन साधनों को किसी न किसी

भाषा का प्रयोग करना होता है, और इस प्रक्रिया में वे भाषाओं के विकास को प्रभावित रखते हैं और इनसी वृद्धि में भी सहयोग देते हैं। इसलिए हिन्दी की लोकप्रियता जावने के लिए जनसचार साधनों के स्वरूप का मिहावलोकन लाभप्रद होगा।

1952 ई और '973 ई के बीच 21 वर्षों की अवधि में विविध भाषाओं में प्रभागित दीनिक, साप्ताहिक और पादिक पत्रिकाओं में जो वार्षिक विकास हुआ है, उसकी जल्दी परिशिष्ट XVII न मिल सकती है। इससे पता चलता है कि हिन्दी प्रकाशनों वी मालाना वृद्धि 15 02 प्रतिशत रही, जबकि इसकी तुलना में अग्रजी प्रकाशनों के सबध में यह प्रतिशत 10 85 था, परन्तु निरपक्ष आनंदी की दृष्टि से अग्रजी प्रकाशन प्रथम स्थान पर थे।

पाठ्य गण मबधी ग्राफ भी फिसी भाषा की सोकप्रियता वा मूचक होता है। 1970 ई म आरगेनाइजेशन रिसर्च प्रूप, बड़ोदा (ओ आर जी) ने 15 वर्ष में ऊर के बयस्को में अखबारों के पाठ्यकीय ढग या तरीके की जानकारी के लिए एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण से पता चला कि अग्रजी प्रकाशनों की अनन्य रीडरशिप दिल्ली और असम में लगभग दो प्रतिशत, महाराष्ट्र और बंगाल में एक प्रतिशत वे आसपास थी और दोष अधिकाश थीं और में आधा प्रतिशत भी कम थी। इसके प्रतिकूल, हिन्दी प्रकाशनों का पठन बहुत अधिक था। रीडरशिप में वृद्धि प्रकाशनों और शिक्षा मबधी सुविधाओं में वृद्धि के साथ जुड़ी रहती है।

दर्शकों की सद्या की दृष्टि से और अव्यदृश्य साधन होने के नाते प्रभाव भी दृष्टि से, फिल्म जनसचार साधनों का महत्वपूर्ण अग है। 1970 ई के ओ आर जी मर्केटिंग ने प्रभागित किया कि नगर और ग्राम, पुस्तक एवं मटिला, प्राय हर वर्ग की आवादी में मध्याचारपत्रों को तुलना में फिल्मों की पहुच बही अधिक थी। रेडियो प्रोग्रामों में कर्मशियल प्रसारण सर्वाधिक जनप्रिय हैं, परन्तु चिनपट इनसे भी आगे है। परिशिष्ट XVIII से पता चलता है कि तमिल, तेलुगु, भलयालम और बन्नड भाषा की फिल्मों के निर्माण में 1947 ई और 1980 ई के बीच पर्याप्त उन्नति हुई है। इस परिशिष्ट में एक और बात भी स्पष्ट होती है कि 1965 ई में जब भाषा के विषय को लेकर आम कोलाहल उठा तो कुछ वर्षों तक हिन्दी की फिल्मों के निर्माण में हाम हुआ, और उसके पश्चात् दक्षिण की चार भाषाओं की फिल्मों की सद्या में प्राय वृद्धि होती गई। राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन के कारण भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में इजाफा हुआ। परन्तु तथ्य तो यह है कि हिन्दी कथाचित्र अब भी अन्य किसी भी भाषा में इसी फिल्मों की ओरेशा कही अधिक लोकप्रिय है। औसत यह है, कि जहाँ हिन्दी फिल्म के देश में प्रदर्शन के लिए 45 प्रिंट

निकाले जाते हैं, वहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फ़िल्मों के 20 से अधिक प्रिंट नहीं निकलते। इसके अतिरिक्त, हिंदी फ़िल्मे हर समय कम से कम दो सर्किट पर चल रही होती है और शेष समस्त क्षेत्रीय फ़िल्में केवल एक ही सर्किट पर होती हैं।¹⁸ प्रत्येक भाषा क्षेत्र में सिनेमा घर प्रायः हिंदी फ़िल्म दर्शकों से भरे रहते हैं। इससे हिंदी की चर फ़िल्मों की सर्वप्रियता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। साथ ही इसमें यह भी पता चलता है कि हिंदी को जन साधारण की भाषा बनाने में फ़िल्मों का कितना योगदान है। भारत में साल भर में दो या तीन अंग्रेजी फ़िल्मों का निर्माण होता है। दैश में अंग्रेजी भाषा की फ़िल्मों का आयात अवश्य होता है, परंतु इन फ़िल्मों की प्रतियां सीमित संख्या में होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में विदेशी कथाचित्रों का आयात इस प्रकार रहा :

विदेशी कथाचित्रों का आयात

वर्ष	आयात की गई विदेशी फ़िल्मों की संख्या
1970	176
1971	129
1972	114
1973	38
1974	26
1975	102
1976	97
1977	192
1978	139
1979	153
1980	159

1973, 1974 ई. में अंग्रेजी फ़िल्मों के आयात की सरकार की नीति में तब्दीली के कारण एकदम अवनति हुई। अंग्रेजी फ़िल्मों के आयात पर रोक लगा दी गई, क्योंकि विदेशी फ़िल्म संस्थान पारस्परिकता के आधार पर भारतीय फ़िल्में ख़रीदने को तैयार नहीं थे। वैसे भी अंग्रेजी फ़िल्मों का आयात गिरावट पर था।

विकास के लिए कार्य

यद्यपि आकड़ों के अनुसार उपलब्धिया बढ़ती गई है, और सभी प्रकार की

सम्पादा ने हिंदी के विकास में अपना योग दिया है, परन्तु सविधान के अनुच्छेद 343 की पूर्ण कार्यान्विति अभी सामने दिखाई नहीं पड़ती। यद्यपि आकड़ों की यथार्थता में कोई सदैह नहीं है परन्तु कुछ आकड़े भ्रामक हैं। उदाहरण के लिए, हजारों परीक्षार्थियों ने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ को परीक्षाएँ पास की, परन्तु इन आकड़ों में न तो परीक्षा के और न ही उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के स्तर का पता चलता है। यह भी अनुमान का विषय है कि परीक्षा में सफर कर्मचारियों ने वहाँ तक मरवारी काम में इस अंजित हिंदी ज्ञान का सदुपयोग किया। जिन कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पर हिंदी की शिक्षा दिलाई गई थी, उनके लिए हिंदी में काय करना अनिवार्य किया जा सकता था, ऐसा भी न हुआ। इस प्रकार इस भद्रुपयोग के अभाव में कर्मचारियों का हिंदी का ज्ञान लुप्त होता गया। इसके अलावा, यद्यपि नियमाबलियों के अनेक प्रथों का अनुवाद किया जा चुका है, इनका इस्तेमाल अभी तक अपर्याप्त ही रहा है।

यदि हिंदी के विकास का मूलकाक इस आधार पर निकाला जाए कि इसने वहाँ तक अप्रेज़ि वा स्थान लिया है, तो कोई स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती, और न ही इस सबध में कोई पृष्ठ आकड़े मिलते हैं।

सब मरवार द्वारा पञ्चिक से और राज्य सरकारे से हिंदी में प्राप्त पत्रों का उसी भाषा में उत्तर देने की चर्चा भी कोई उत्थाहपद्धत नहीं है।¹⁹

निस्सदैह हिंदी के विकास के लिए केंद्रीय तथा राज्य मरवारों, स्वायत्त एवं निजी संस्थाओं ने प्रचुर योगदान दिया है। हिंदी प्रशिक्षण योजना, मेवाकालीन प्रशिक्षण प्रोग्राम, विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति की योजना, लेखकों और अध्यापकों का अतप्रानीय आदान प्रदान इम मित्रमिले में ठीक कदम रहे हैं। परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राज्य मरकारों को क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान के लिए अभी विस्तृत योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। जहरत के अनुमार क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति के लिए केंद्र सरकार को राज्य मरकारों की मदद देनी चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं का विकास केंद्र और राज्य मरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मुविधा के लिए चाहे हर प्रान की जिम्मेदारी अपनी क्षेत्रीय भाषा के उत्थान के लिए प्रमाणन जुटाना हो, परन्तु सभी भारतीय भाषाओं का विकास एवं राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें सभी मरकारों और समस्त जनता को हाथ बटाना चाहिए।

हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा और अनुमध्यान की सुविधाओं के विस्तार की ज़रूरत है। जहाँ हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं की लिपि में अथवा क्षेत्रीय भाषाएँ देवनागरी लिपि में पढ़ाने की माग हो वहाँ प्रायोगिक आधार पर इस

ओर कृदम उठाएं जाने चाहिए। शासन की गतिविधियां सभी और विस्तृत होती जा रही हैं। इसलिए वाकी कार्य क्षेत्रों की तरह भाषाओं के विकास में सफलता भी इस बात पर निर्भर रहेगी कि राज्य सरकारे इस काम में कितनी दिलचस्पी लेती है। परिशिष्ट XXI में दर्शाया गया है कि केंद्र की एक ही योजना में राज्य सरकारों ने कितना कितना लाभ उठाया है।

भाषा प्रशिक्षण सामग्री को बढ़ाने और नौमिखियों को इसे उचित मूल्य पर देने की आवश्यकता है। वस्तुतः भारत जैसे देश में जहां साक्षरता और शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों को प्रेरणा देने की ज़रूरत है, सरकार को प्रकाशन तथा श्रब्य दृश्य साधनों के निर्माण कार्य में मुनाफ़िव अनुदान देना चाहिए, ताकि कम से कम इन चीजों पर होने वाले ख़र्च के कारण तो शिक्षा के कार्य में विघ्न न पड़ सके। शिक्षा संस्थाओं और पुस्तकालयों में आसानी में भाषा सीखने के लिए प्रयोगशालाओं (लेन्न-ग्रिज लैंबारेट्रिज) की स्थापना की भी आवश्यकता है। जब तक कार्यक्रम के इन पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकेगी।

देश के सभी भागों में अनुसंधान द्वारा यह सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है कि सभी भारतीय भाषाओं में क्या क्या साम्य है। भाषाओं में विद्यमान समापवर्तक और सभी भाषा में मिलती जुलती पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में समावेश करने से संघ की भाषा सभी वर्गों द्वारा सरलता से स्वीकार्य हो जाएगी। विद्वानों को यह अध्ययन करना चाहिए कि विभिन्न भाषा भाषियों को हिंदी सीखने में क्या क्या कठिनाइया होती हैं और इन मुश्किलों को हल करने के उपाय सुझाने चाहिए।¹⁰

अनुवाद के काम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तदर्थं अनुवाद कार्य के चार आयाम हो सकते हैं: हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में, सभी भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में। प्रथम दो क्षेत्रों में कार्य से लोगों में आपसी मेल-मिलाप को बढ़ावा मिलेगा, और उन्हे यह भी पता चलेगा कि भारतीय साहित्य कितनी संपदा में भरपूर है। देश के मानक ग्रंथों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य को अभी तक उचित महत्ता नहीं दी गई है। परिणामस्वरूप, कुछ थोड़े भारतीय विद्याविदों को छोड़कर अन्य देशों के अधिकांश लोग भारतीय भाषाओं के साहित्य में निहित निधि में प्रायः अपरिचित हैं। इस प्रकार के अज्ञान और हमारी अंग्रेजी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अन्य राष्ट्र के लोगों के दिलों में यह अज्ञान घर कर गया है कि भारतीय भाषाएं अभी तक अविकसित अवस्था में हैं। अतः इस कार्य को और तेजी से बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है, अपने देश के लोगों को विदेश में प्रचलित कला, विज्ञान आदि की आधुनिकतम धाराओं

न परिचित रखने के लिए कुछ मात्रक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य करना आवश्यक होगा।

केंद्र और राज्य सरकारों का इस मब काम की प्रगति के लिए अधिकाधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। परतु मेवानिष्ठ व्यक्ति और सम्बाएँ भी निस्वारथ तथा सम्पर्ण भाव से वहूत योग दे सकती हैं। स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द और अनेक ऐसे महानुभावों की मफलताएँ निस्सदेह यह मिल्द रहती हैं जिन व्यक्तियों ने अपनी निजी शोशिशो से प्राप्त किया है, वह कई बार सरकारें अपने पास सभी साधनों के होते हुए भी नहीं कर सकी हैं। इसलिए राष्ट्रीय भाषाओं के उत्थान के हेतु निष्ठावान् व्यक्तियों और सम्बाओं की प्रोत्साहन देना वहून उपयोगी होगा।

बत में इम बात पर फिर जोर देना आवश्यक है कि यद्यपि भारतीय भाषाएँ प्राचीन और सपन्न हैं और आज भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उह उपयोगी बनाने के प्रयोजन में उनके विकास के लिए काफी काम किया जा चका है, किर भी अभी उन्हें और विस्तीर्ण और गुण सपन्न बनाने की जरूरत है। यह की भाषा और सभी जन्म भारतीय भाषाएँ इस योग्य होनी चाहिए कि वे विदेशी भाषाओं से प्रभाव ग्रहण कर सकें, और उन्हें भी प्रभावित कर सकें। यह भी बोहु दम ज़रूरी नहीं कि जिन वर्षोंचारियों ने स्कूलों या कालिजों में अध्यवा सेवाकालीन शिक्षा प्रोग्राम में हिंदी वा ज्ञान प्राप्त किया है, वे इस ज्ञान का दफनतों के काम में इस्तेमाल करें। जिन विधि पुस्तकों और कोडों का अनुवाद हो चुका है उन्हें शीतागार में न रखकर प्रयोग में लाना चाहिए। केवल इन उपायों से ही शनैं शनैं हिंदी तथा अन्य राज्यीय भाषाएँ सरकारी काम में अपेक्षी का स्थान ले पाएगी।

सदर्भ और टिप्पणियाँ

१. इस मिलमिले में सम्बादों का सरकार, प्रध भरकारी और गैर सरकारी श्रेणियाँ मुनिश्चित बटवारा करना कहिन है, उत्तराखण के नौर पर दृगों अध्याय के आगामों पद्धा म परिचयित जनसंपर्क साधनों में से किन्म प्रीत अध्यवार तो प्राइवेट हीत में है और रहियों और दूरदर्जा सरकारी दोनों में हैं और वभी स्वायत्त भी हा भवते हैं।

न्यायानय स्वायत्त है, परतु विधि मवानय द्वारा हिंदी के प्रमार हेतु किया गया काय मरकारी बायें क्षेत्र के अनगत आएगा।

२. प्रवयम योजना १९५१ के प्रारम्भ हुई थी। योजनाप्रा की अवधिया कमश इस प्रकार है १९५१-५६, १९५६-६१, १९६१-६६, १९६९-७४ एव १९७४-७९। १९६६ और १९६९ में अत्यरिक्त योजना अवधार दो सज्जा म प्रसिद्ध है।

3. इस संस्था में वे कर्मचारी भी जामिन हैं जिन्होंने ये परीक्षाएँ 1965-66 ई. में पूर्वं पास कीं।
4. इस प्रण तथा अन्य नभी प्रश्नों की जांच के लिए कोठारी कमेटी नाम में एक नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति की सिफारिशों को स्वीकारते हुए सरकार ने 1979 में मग्कारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की डिजाजत दे दी है। प्रण-पत्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाए जाएंगे।
5. देविएः परिणिष्ठ XVI
6. भारत, गृह मंत्रालय, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, 1969-70, दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1970, पृष्ठ 5.
7. भारत, राज्य सभा, कार्यवाही, मई 21, 1976, दिल्ली, राज्य सभा कार्यालय, 1976
8. एक संकिट अथवा परिपथ फ़िल्मों के वितरण की इकाई होता है जिसमें कई राज्य और नंष राज्य क्षेत्र होते हैं।
9. देविएः परिणिष्ठ XIX
10. इस क्षेत्र में भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान, मैमूर ने कुछ लाभप्रद कार्य किया है।

अध्याय मात

भविष्य के लिए आयोजन

किसी योजना की पूरी प्रक्रिया भविष्योन्मुख होती है। भाषा सबधी आयोजन भी इस सिलसिले में अपवाद नहीं है। योजना बनाते समय वर्तमान स्थिति का जायजा लेना होता है और उसी ने अनुकूल भावी नीति और कार्यक्रम का फैसला करना होता है। भाषा आयोजन कार्य के बाल भाषाविज्ञों में ही सबध नहीं रहता। इस कार्य में समाज भाषाविज्ञो, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को भी शामिल करना जरूरी है। जनभाषा के टीक आयोजन से राष्ट्रीय एकता के निर्माण कार्य में वहून मदद मिल सकती है, देश में सूचना और शिक्षा के प्रसार की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, और विद्वानी, वैज्ञानिकों एवं अर्थ विशेषज्ञों के अनप्राप्तीय आदान प्रदान में भी महाप्रता मिल सकती है। इससे प्रतिकूल इस सबध में गलत कदम उठाने से फूट की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है, और नकारात्मक परिणाम निवाल सकते हैं।

योजना और आधारिक सरचना

प्रत्येक देश की योजनाएँ उसकी ज़हरतों और वहा पर उपलब्ध त्रुतियादी सरचना के अनुमार ही हो सकती हैं। भारत पर यह नियम और भी अधिक लागू होता है, क्योंकि भाषा के सबध में देश के मामले अनुसरण करने का कोई और नमूना नहीं है।

कई बार यह कहा जाता है कि सौविधन देश और इष्टोनेशिया इस सिलसिले में भारत के लिए अच्छी मिसाल प्रस्तुत करते हैं। इन देशों में जनभाषा के इतिहास के अध्ययन में भारतीय भाषाशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और अन्य नेताओं की समस्या समाधान के लिए कुछ विचार तो अवश्य मिल सकते हैं, परंतु हिंदुस्तान की परिस्थितियों की तम्बोर अन्य देशों की परिस्थितियों में कुछ और

ही है। भारत के संदर्भ में सोवियत संघ की मिमाल अकमर दी जाती है। यद्यपि रूस में लगभग 130 देश भाषाएँ हैं और यहा कोई 89 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, परंतु वहां पर रूसी भाषा को संघ की भाषा घोषित करने में बहुत कठिनाई दरपेश नहीं आई। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि 1917 ई. के रूसी इंक़्लाव से पूर्व, सोवियत संघ के मौजूदा गणराज्यों का रूस गणराज्य से धनिष्ठ संबंध था और वहां पर रूसी भाषा का भी प्रयोग होता था। अतः इन राज्यों के लिए रूसी भाषा उस प्रकार से विदेशी भाषा नहीं थी, जैसे भारत के लिए अंग्रेजी। दूसरी बात है कि रूसी भाषा देश की अन्य भाषाओं के मुकाबले में कहीं अधिक विकसित थी। देश की कुछ भाषाओं की तो लिपि तक नहीं थी। तीसरी बात यह है कि रूसी भाषा आधुनिक आवश्यकताओं की प्रति के लिए कहीं अधिक उपयुक्त थी, और देश के सर्वाधिक उन्नत भाग की भाषा थी। इसलिए इस भाषा के अध्ययन में देश के अनेक पिछड़े भागों में रहने वाले लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते थे। लोगों में गतिशीलता और भ्रमणशीलता ने भी भाषाओं के सामंजस्य में काफी सहायता की है। प्रगति प्रकाशन मास्को द्वारा 1976 ई. में छपी 'सोवियत यूनियन—ए जिओग्राफिकल सर्वे' नामक पुस्तक के पृष्ठ 163-64 पर निम्नलिखित वर्णन पढ़ने को मिलता है :

और अंत में, देश में बड़ी बड़ी निर्माण परियोजनाओं द्वारा भी देश की जातियों को एक करने में बहुत सहयोग मिला। इसमें रूसी भाषा का बहुत योगदान है। लोगों में भ्रमण की प्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती गई, देश के मुख्य मुख्य नगर बहुजातीय बनते गए और मिले जुले विवाहों में भी बृद्धि होती गई (कुछ नगरों में यह गिनती 30-40 प्रतिशत तक है)। यह देश की विभिन्न संस्कृतियों के गहन संश्लेषण और सोवियत जनसाधारण की जीवन प्रणाली की एक तस्वीर है।

सोवियत संघ के केन्द्रीय एशिया गणराज्यों में विभिन्न एक जातीय समूह के लोगों की संख्या, जिसका व्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया है, भी इस कथन पर पूर्ण प्रकाश डालता है।

आगे दी गई सारणी से पता चलता है कि रूसी, उकरैनियन, विलोरणिअन अर्थात् स्लाव भाषाओं के बोलने वाले कुल मिलाकर धेरीय आवादी का 27, 4.5 और 0.5 प्रतिशत थे। ये सभी भाषाएँ स्वर और व्याकरण विज्ञान की दृष्टि से परस्पर बहुत निकट हैं। एक और बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक गणराज्य में वहां के मुख्य एक जातीय समूह के बाद रूसियों की ही

1959 ई की जनगणना के प्रत्युत्तर सोवियत कॉट्टीय एक्षिया क्षेत्रविस्तार में मुख्य एक जातीय समूह के लोगों की संख्या

(हजारों में)

एक जातीय ममूद	उद्देश्य एवं एग आर	उद्देश्य एमएम आर	नैशिक एमएम बार	तूर्कमेन एमएम आर	किरगीज़ि एमएम आर	किरगीज़ि एमएम आर	कजाक एमएम आर	कजाक क्षेत्र में यूएम कुल	आर में कुल
उज्बर्की	5038	455	125	219	136	5972	6015		
कजाकी	342	13	70	20	2787	3232	3622		
तैदजिकी	311	1051	—	15		1377	1397		
तुर्कमेनी	55	—	924			979	1002		
किरगीज़ि	93	26	—	837		956	969		
वारा-									
कम्पकम	168	—	—	—	—	168	173		
उइगुरी	—	—	—	14	60	74	95		
दानी	—	—	—	—	10	10	22		
बौद्धिन	138	—	—	—	74	211	314		
तातारी	445	57	30	56	192	780	4968		
स्मो	1092	263	263	624	3972	6214	114114		
उक्ते-									
नियन	88	27	21	137	761	1034	37253		
विस्तोर- नियन	—	—	—	—	107	107	7913		
	8119	1980	1516	2066	9310	22991	208827		

(इसायेव एम आर सोवियत रूम में राष्ट्रीय भाषाएं, समस्याएं एवं समाजाः, प्रोप्रोग्राम विकासक, मास्को, 1977, पृष्ठ 198)

समस्या है। उज्बर्क, तैदजिक, तुर्कमेन, किरगीज़ि और कजाकी गणराज्यों में रूमी इन एक जातीय समूहों का अधेश 21,7, 25,28, 4,74, 5 और 143 प्रतिशत है। सोवियत संघ के एक्षियाई भाषा में रूमी तथा अन्य स्लाव भाषाओं के बीचने वालों की बृहत्या में सोवियत संघ के कॉट्टीय एक्षियाई भागों में रूमी भाषा के प्रमाण में बहुत भद्र फिली है।

पाचवा कारण यह है कि रूमी भाषा या ज्ञान लोगों के 'दाल-चावल' के साथ जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि सोवियत वर्गिधान के अनुभाव प्रत्येक नागरिक

को काम का अधिकार प्राप्त है और रूसी भाषा की जानकारी न होने से किसी व्यक्ति के आर्थिक भविष्य पर बुरा असर नहीं पड़ता। यही कारण है कि रूसी भाषा के विकास कार्य का सोवियत संघ में उस प्रकार से विरोध नहीं हुआ जैसे भारत में हिंदी के विकास कार्य का हुआ।

जहाँ तक इंडोनेशिया का प्रश्न है, जब यह डच उपनिवेश था, तब भी वहाँ के सभी लोग मलायू भाषा समझते थे (अब इसे केवल 'भाषा' कहते हैं)। 'स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी इसे पढ़ते थे। यह देश की दूसरी राजभाषा थी, यद्यपि देश की मुख्य राजभाषा 'डच' की अपेक्षा इसका बहुत कम प्रयोग होता था। जन भाषा का पुनरुत्थान राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन का एक नारा था, इसलिए देश की आजादी के बाद इसे 'डच' का स्थान ग्रहण करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई।

बेलजियम और स्विटजरलैण्ड जैसे देशों में तीन तीन राजभाषाएं हैं, परंतु यहाँ ऐसा इसलिए है कि इन देशों में सम्मिलित राज्य संघों के पारस्परिक व्यापार बहुत मजबूत नहीं हैं और इन संघों के राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। स्विटजरलैण्ड में चार राष्ट्र भाषाएं हैं: इनके नाम हैं. जर्मन, फ्रेंच, इतालियन और रोमाश, जिन्हे क्रमशः 74.5, 20.1, 4 और 1 प्रतिशत लोग बोलते हैं। पहली तीन भाषाएं देश की राजभाषाएं हैं। इसके मुकावले में हिंदुस्तान में 15 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सभी की सभी बहुत विकसित हैं, और हर भाषा के बोलने वाले देश में भारी संख्या में हैं। सभी 15 भाषाओं को राजभाषा घोषित करना असंभव है। इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तीन भाषाओं को राजभाषा बनाने से भी स्विटजरलैण्ड की समस्या हल नहीं हो गई। उदाहरणतया, स्विज़रलैण्ड में अभी तक सर्व स्वीकृत राष्ट्र गान नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय परिस्थितियों का दृश्य पटल अन्य देशों के दृश्य पटल से कुछ भिन्न ही है, और भारत के सामने बाहर की कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसका देशवासी पूर्णरूपेण अनुसरण कर अपनी समस्या का समाधान ढूढ़ नके।

समस्या की प्राचीनता और जटिलताएं

यह दुहराना अनावश्यक है कि देश की भाषा समस्या बहुत पुरानी है। यह प्रश्न आजादी की लड़ाई के उत्तर के नीचे दबा रहा, परंतु आजादी के फ़ौरन बाद इसने पूरे जोर के साथ अपना सिर उठाया, और तभी से ज्यों ज्यों समय बीतता गया है, इस समस्या की तीव्रता और अधिक होती गई है। मजुमदार का कहना है :

महेश नारायण ने मन 1894 ई में भाषाई प्रानों की माग की। ममवत यह इस प्रकार की पहली माग थी 'बगाल उन दिनों बगाल, विहार और उड़ीसा का एक ममिलित राज्य था। बगाल में पृथक् होने की विहार की माग का एक कारण यह था कि अग्रेजी में योग्यता और बलवत्ता राजधानी होने की बजह में ममी सरमारी नोवरियों पर बगाली छाए हुए थे। जब महेश नारायण विहार को बगाल में अलग बरने की माग बर रहे थे, लगभग उसी समय उड़ीसा के जाने भाने नेता लडिया भाषा भाषी लोगों ने लिए अलग प्रात की अभियाचना बर रहे थे। इस प्रकार 1905 ई में बगाल के विभाजन के साथ भारत की राजनीति में भाषा का प्रश्न जीवत विषय बन गया। 1911 ई में इमरा फिर बटवारा हुआ और विहार और उड़ीसा बगाल में अलग हो गए। 1937 ई में उड़ीसा विहार से अलग हो गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि दोस्ती शताब्दी के तीसरे दशक में काप्रेस और ब्रिटिश सरकार, दोनों ने भाषायी प्रातों का समर्यन किया।¹³

इस प्रकार भारत की भाषा समस्या को जड़े बहुत पुरानी और गहरी है, और अब यह समस्या एक जटिल स्पष्ट धारण कर चुकी है। इसलिए इसका समाधान ठड़े दिमाग और तर्कमण्ड उपायों से ही समव हो सकता है। भावनात्मक एवं पूर्वग्रह भरे समाधानों में म्यनि और विगड जाएगी।

हिंदी का शत्येक विरोध उसी प्रकार देश प्रेम के विद्ध नहीं माना जा सकता जिस प्रकार अग्रेजी की हर मूख्यात्मक अप्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी नहीं कही जा सकती। बहुत बार, विरोध का उद्भव अज्ञान से होता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि सर्वप्रथम मचार एवं सूचना के आधार पर तर्थों पर सेतु बाधा जाए, और इस काय में सभी प्रकार के मिथ्यादरणी को दूर किया जाए। भाषा के मामते में कुछ एक मोर्चेदियों का उल्लेख नीचे दिया गया है।

मह कहा जाना है कि हिंदी पिछडे दलाकों की भाषा है, इसलिए इसे विनियित क्षेत्रों पर नहीं लादा जाए। पात्वकें अध्याय में आवडो के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है कि हिंदी भाषा भाषी राज्यों की साक्षरता देश के अन्य अनेक भागों की साक्षरता से अपेक्षाकृत कम है। इस दलील के आधार पर यह तर्क तो प्रस्तुत किया जा सकता था कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोगों को देश की शामन मत्ता में अग्रिमार नहीं मिलना चाहिए, परन्तु हिंदी के लिलाक दस दरीन का इस्तेमाल बहुत सज्जल तर्क नहीं बनता। प्रमगवश यह बना देना उचित हांगा कि वाकी भारतीय भाषाओं के मूवावले में हिंदी इस समय पीछे नहीं है।

फँक एथनी के इस आरोप की भी समीक्षा ज़रूरी है कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का अभाव है, और इसमें विद्या एवं प्रशासन आदि शब्दावली शून्य के समान है। (राजभाषा कमेटी, 1959 की रिपोर्ट में देखिए असहमति का नोट) इस क्षेत्र में अंग्रेजी के मुकाबले में हिंदी की स्थिति निःसदैह काफ़ी कमज़ोर पड़ती है, परंतु 1950 ई. के पश्चात् हिंदी के विकास का कोई भी जानकार यह गवाही दे सकता है कि अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी पीछे नहीं है। किसी भी भाषा का विकास शून्य में नहीं होता है। वाठनीय विकास भाषा के प्रयोग से ही होता है। पूर्वकाल में हिंदी को अपने विकास का पूरा अवसर नहीं मिला। भाषाओं के विकास के ऐतिहासिक पटल पर दृष्टि डालने से यह नियम सभी भाषाओं पर ठीक उत्तरता है और इसमें अंग्रेजी, रूसी अथवा कोई भाषा अपवाद नहीं है :

नामन लोगों के ज्ञासनकाल में और उसके तुरत वाद ; जब डगलैंड की राजभाषा फ़ांसीसी थी; डंगलैंड में केवल किसान और नौकर चाकर ही अंग्रेजी बोलते थे। उन्नीसवीं शताब्दी तक संस्कृत फ़ांसीसी समाज के लोग इसे गंवारू भाषा समझते थे। इसके मुकाबले में, इस भाषा को डिस समय प्राप्त आदर किसी भी भाषा के लिए डिव्हर्चा का विषय है। राष्ट्र भाषा के रूप में जर्मन भाषा का आदर नेपोलियन की लड़ाइयों के पश्चात् की बात है। जब पेरिस के दंभियों ने पाश्चात्य रंग में रंगे रूसियों द्वारा लिखी गई फ़ांसीसी भाषा का मज़ाक उड़ाना शुरू किया तो तोल्स्तोय, तुग़नेव और अन्य लेखकों का ध्यान अपनी मातृभाषा के पूनरुत्थान की ओर गया। उन्होंने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया जो आज भी किसी राष्ट्र अथवा भाषा के सामने आ सकती हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि शुरू-शुरू में गतिरोध के बाद, उन्नति बहुत तेजी से होती है, और ऐसा करने से सृजनात्मक एवं स्वीकारात्मक राष्ट्रीयता की उत्पत्ति ऐतिहासिक सत्य के रूप में सामने आ जाती है।¹

स्वतंत्रता मिलने के पूर्व भी हिंदी देश के कुछ भागों में ज्ञासन और अदालतों की भाषा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनेक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, विना किसी असुविधा के इसे छोटी अदालतों तथा उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और विधि, न्याय और ज्ञासन के क्षेत्रों में इससे काम चला रहे हैं।

हिंदी में मीजूदा पारिभाषिक शब्दावली को कृत्रिम और जटिल बताया जाता है। इसमें शक नहीं है कि नई और अपरिचित शब्दावली से मुश्किलें पेश आती हैं, परंतु इस सिलसिले में यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कठिनाई

अधिकार उस विशिष्ट वर्ग तक सीमित है जो बहुत वर्पा में अप्रेजी की शब्दावली का प्रयोग करता चला आ रहा है। समाज के प्राय वयस्कों और बच्चों को, जिन्हे अभी साक्षर होना है, इस प्रवार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वे हिंदू प्रारम्भ से ही सीखेंगे और अगर पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में वाचवे व्यायम में इस गण राजभाषा व्यायोग के परामर्शों का पालन किया जाए तो बहुत कुछ मुश्किल दूर हो जाएगी। फिर भी योड़ी बहुत मुश्किलें तो बरूर रहेंगी ही क्योंकि सामान्यत शब्दावली देश में प्रज्ञान, उद्याग आदि के साथ विस्तृत होती है। उपनिवेशवाद के कारण उन्नति और आधुनिकीकरण की दौड़ में पीछे रह जाने से हिंदुस्तान अब प्रगति के माग पर तेजी से आग बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वह समार के विकसित राष्ट्रों की पक्कियत में आ पायें। इसी कारण हमारे यहाँ देशज पारिभाषिक शब्दावली में श्रमिक विकास का अभाव रहा है। इस सब के बावजूद, नई शब्दावली का योजनावद्ध निर्माण और इसका निरतर प्रयोग बहुत हृद तक समस्या वा निवारण कर देगा। आत्मन्, आवागमन, विवेक और ज्ञान आदि आध्यात्मिक शब्दों को ही लीजिए। बहुत में पश्चिमी देशों के लोगों में लिए इन शब्दों का सार प्रहण करता कठिन होगा, परन्तु एक निरक्षर भारतीय भी इन शब्दों के अर्थों को आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि वह इन्हें चिरकाल से सुनता आया है तथा उमकी सहजति के अभिन्न बग हैं।

हिंदी भाषा को कई बार हिंदू धर्म की भाषा बताया जाता है। यदि यह दात सत्य होनी तो हिंदुओं का कोई भी वर्ग हिंदी का विरोध करने करता चाहे वह बगाल का हो अथवा तमिलनाडु का? कई हिंदुओं की उर्दू माहित्य को अद्वितीय देन है, और बहुत से मुसलमानों की हिंदी सेवाओं को तहीं भुलाया जा सकता। इसमें कोई सद्दह नहीं कि हिंदी में ऐहिक माहित्य की अधिक रक्खना और अन्य धर्मों के श्रेष्ठ ग्रथों के और अधिक अनुवाद की आवश्यकता है, परन्तु किसी भाषा का धर्म के साथ रिश्ता जोड़ना राष्ट्र के सामाजिक जीवन में विध-टनकारी प्रवृत्तियों को नियन्त्रण देने वाली बात होगी। भारत में उर्दू का हास इस बधन का ज्वलत उदाहरण है।

जिस मुहम आधार पर हिंदी को सघ की भाषा का स्थान प्राप्त हुआ है, फैक्ट एयर्नी ने उमें भी चुनौती दी है। उनका बहुत है हिंदी सत्यमें बहुत लोगों की भाषा नहीं है। उनका मत है कि हिंदुस्तानी, उर्दू और पजाबी बोलने वाली बोहिंदी बोलने वालों से अलग कर दिया जाए, तो हिंदी भाषा भाषी देश की आवादी का बेकम 10 प्रतिशत बनते हैं। उनका यह भी बहुत है कि यदि उम हिंदी को प्रामाणिक माना जाए जिसमें आन इडियो के प्रोग्राम प्रसारित होने हैं अथवा जिस भाषा में भारतीय संविधान का अनुवाद मिलना

है तो हिंदी जानने वाले देश की आवादी का केवल आधा प्रतिशत हैं। इसकी तुलना में उनके अनुसार :

अंग्रेजी में शिक्षित लोगों की संख्या हिंदी में शिक्षित लोगों की अपेक्षा कम से कम सी गुना है। यदि मिश्रित अंग्रेजी बोलने वाले इस गिनती में शामिल किए जाएं तो भेग अनुमान है कि यह सर्वाधिक देश में मिश्रित हिंदुस्तानी बोलने वालों की गणना से यदि अधिक नहीं तो कम भी नहीं है।^५

यह मालूम नहीं कि फँक एंथनी द्वारा दिए गए उपर्युक्त आकड़ों का आधार क्या है। 1971 ई. की जनसंख्या के अनुसार देश के हिंदी भाषी भाषी भागों का क्षेत्रफल और इनकी आवादी इस प्रकार से थी :

हिंदी भाषा भाषी प्रांतों का क्षेत्रफल और आवादी

क्रम	हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र	जनसंख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (000 वर्ग कि. मी.)	आवादी और क्षेत्रफल कुल का प्रतिशत
------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------

1. बिहार	563.5	174	आवादी :	
2. हरियाणा	100.3	44	2296.7×100	= 41.92 प्रतिशत
3. हिमाचल प्रदेश	34.6	56	5479.5	
4. मध्य प्रदेश	416.5	443	क्षेत्रफल :	
5. राजस्थान	257.7	342	1354×100	= 41.80 प्रतिशत
6. उत्तर प्रदेश	883.4	294	3280	
7. दिल्ली	40.7	1		
कुल .	2296.7	1354	भारत की कुल जनसंख्या = 5479.5 लाख	
			भारत का कुल क्षेत्रफल = 3280000 वर्ग कि. मी	

इस प्रकार 1971 ई. की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भाषी प्रांतों की आवादी और क्षेत्रफल लगभग बराबर थे। दोनों 42 प्रतिशत के आसपास थे। जैसे कि परिशिष्ट II में दर्शाया गया है, हिंदी भाषा का श्रेणी अक (रेक स्कोर) उच्चतम है और यह सर्वाधिक विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है।^६

मुनीति कुमार चंटजी ने हिंदी का विरोध करते हुए कहा है कि इसे चुनते वाली संविधान सभा पालियामेट की तरह निर्वाचित अथवा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। यदि इस तर्क की मान निया जाए, तो समस्त राष्ट्रीय सम्प्रानों को भग वरना होगा क्योंकि भभी का जाम संविधान के बाधार पर हुआ है। इसके अलावा 1963ई मोर 1967ई में, दो बार, भनोनीत प्रतिनिधियोंने हिंदी के पक्ष में वोट दिया है किसी भी समय पालियामेट ने हिंदी के राजभाषा घोषित किए जाने के औचित्य को चुनौती नहीं दी, यद्यपि अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी सीखने के हेतु अधिक समय देने के लिए अग्रेजी को भी राजभाषा बनाए रखने की अभियाचना जु़बर की गई।

यदात्रदा यह तब भी प्रस्तुत किया जाता है कि अहिंदी भाषी लोगों के लिए अग्रेजी की तुलना में हिंदी अधिक विदेशी है। इस प्रकार वा कथन वेवल हिंदी के विस्तृद्वय का ही परिचायक नहीं है, अपितु यह देश विरोधी भी है। तथ्यों के आधार पर इसका खड़न भी किया जा सकता है। अग्रेजी शिक्षण अन्य मध्यवर्ती लोगों को वेवल अपने हितों एव स्वायतों की दृष्टि से ही स्थिति को देखन का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए ति लोकतन का प्रथम दायित्व आग जनता के प्रति होता है। स्वर, वाक्य रचना, लिपि और शब्द भड़ार की दृष्टि से हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच बहुत समानता है। इसके प्रतिकूल अग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच समानता को कोई बढ़ी कही जाती है। किसी भी भारतीय के लिए अग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना कहीं अधिक आसान है, क्योंकि दोनों भाषाओं के बीच हिंदी सरलतर और ज्यादा बैज्ञानिक है। देश में सामाजिक वाचावरण भी हिंदी सीखने के लिए अधिक अनुकूल है। हिंदी एव अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यों में विषय वस्तु विशेषकर साहस्रनिक विषयों की समानता के बारण अग्रेजी की तुलना में हिंदी सीखने और इसमें उच्चस्तरीय ज्ञान प्राप्त करने में बही अधिक मुश्किल होती है। अग्रेजी हिंदुस्तान के कुछ लोगों की मातृभाषा ज़रूर है, फिर भी यह एव विदेशी भाषा है, इसलिए नहीं की यह भव्या में बहुत कम लोगों की भाषा है, परंतु इसलिए कि विषय वस्तु, जैसी, हिंजो आदि के लिए अग्रेजी सदैव विदेशी सूत्रों पर निर्भर रहती है। यह बात हिंदी पर तागू नहीं होती, क्योंकि अन्य भारतीय भाषाओं की भाँति हिंदी अपनी समृद्धि के लिए मूलत भारतीय सूत्रों पर आधित रहती है।

हिंदी के विरोध का एक बारण इसके समर्थकों में कथित बहुरता, उपराष्ट्रीयता और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वताया जाता है। यद्यपि लोगों के घवहार के प्रति विरोध को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के प्रति विरोध में बदल देना एक भूल है, फिर भी यह उपयुक्त होगा कि इस बात का नीरक्षीर निर्णय

किया जाए कि उपर्युक्त लक्षण हिंदी के समर्थकों पर कहां तक लागू होते हैं।

'चेंवर ट्रेन-टि-इय मेनचुरी डिक्शनरी' के अनुसार कट्टरपंथी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें धर्म अथवा अन्य किसी प्रकार की आस्था के प्रति अतिशय उत्साह हो। उग्र राष्ट्रीयता अपने देश में असंयत गौरव की और दूसरे राष्ट्रों के प्रति उत्तरी ही समान धृणा की प्रवृत्ति को कहते हैं। और मान्माज्यवाद सम्राट् की सी सत्ता हथियाने और इसे विस्तीर्ण करने की लालमा को कहते हैं। इन्स्सदेह ये सब अवाघानीय प्रवृत्तियां हैं, परतु 'अतिशय', 'असंयत' आदि का क्या मापदंड है? यह विचार करने का प्रश्न है कि साम्राज्यवादी कान है? वे व्यक्ति जो भारतीय भाषा को देश की राजभाषा बनाने की मांग कर रहे हैं, अथवा वे जो विदेशी अथवा भारत का उपनिवेश बनाने वाले अंग्रेजों की भाषा के लिए मांग कर रहे हैं? इस विवाद का फँसला करना कोई आसान कार्य नहीं है, विशेषकर जब दोनों पक्ष के लोगों ने इस समस्या को नेकर अनेक अवांछित धोयणाएं की हैं। जब रामनाथ गोयनका ने संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदुस्तानी में चलाने के गोविंददास के प्रस्ताव का विरोध किया, तो गोविंददास ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट की :

मद्राम से आने वाले बंधुओं को मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि महात्मा गांधी के 25 वर्षों के परिश्रम के बाद भी वे हिंदुस्तानी नहीं समझ पाए तो यह उन्हीं का दोष है। यह हमारे धैर्य की सीभा से बाहर है कि संविधान सभा में जो देश की एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था है और भारत के संविधान के निर्माण के लिए बैठी है, अंग्रेजी को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।⁷

दूसरे पक्ष से एंथनी ने इस पर व्यंग्य करते हुए कहा :

नई हिंदी, जैसे कि मैं इसे कहता हूं, भाषा का नहीं, एक प्रहसन का रूप धारण कर रही है। रेलवे के बोर्डों (पटलों), सरकारी दफ्तरों के नामों, लोकमंभा के नोटिसों की भाषा पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह मृत शब्दों की रही की टोकरी से उठाकर उन्हें पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास हो अथवा नई हिंदी शब्दावली के अस्वाभाविक सार्वजनिक प्रस्तुती-करण हो।⁸

इस प्रकार दोनों पक्षों में से किसी भी युप को कट्टरता के अभियोग से बरी करना मुश्किल है। न्यायसंगत एवं स्वीकारात्मक फँसले पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को उदारता से काम लेना होगा। फ़ारसी में एक कहावत है 'आवाज-

ए-स्वन्द्र, नक्कारा-ए-खुदा', अर्थात् जनमत ही ब्रह्म वाक्य होता है। मह स्वीकार कर लिया जाए कि भाषाओं के विपरीत भाषायों की शुद्धता हिंदी के समयकी से हुई और विपरीतों के प्रदर्शन इस कटुरपथ की प्रतिक्रिया में थे, तो भी इसका औचित्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिर हिंदी किसी वर्ग विशेष की विपरीती नहीं है। मह तो देश की एक भाषा है जिसमें साधारण जनसमूह के साथ गपक स्थापित करने में आमानी होगी। अत्यं भाषाओं की भाँति यह भी राष्ट्र की संपत्ति है, जिस और समृद्ध बनाना, और गोरव प्रदान करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। कुछ व्यक्तियों की गलतियों के कारण वाद विवाद की इनिशिया के लिए यदि एमा मान भी लिया जाए तो भी राष्ट्रीय लक्ष्य और निषय इस प्रकार नहीं बदलते।

राष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित व्यावहारिक समाधान

प्रौढ़ राष्ट्र अपनी समस्याओं का हल राष्ट्रीय मूल्यों एवं विशाल दृष्टिकोण के आधार पर हृदयते हैं। भारत के लिए ये मूल्य हैं लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता। इनके अनिरिक्त ऐतिहासिक परपराओं ने इस देश के नेताओं पर कुछ विशेष जिम्मेदारिया भी ढाली हैं भाषा की जटिल समस्या का समाधान इन्हीं मूल्यों और वस्तुवादी मापदण्डों के आधार पर ही तलाश बरना होगा।

पिछले पृष्ठों पर भाषा के लिए कुछ मानदण्डों की विस्तृत चर्चा दर्ज की गई है। संपूर्ण विवाद के उपरान्त हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि किसी अन्य भाषा की अपेक्षा हिंदी ही इन मानकों की सर्वाधिक पुनिं करती है। यह भी बताया जा चुका है कि राष्ट्र के सीमित साधनों वो देखते हुए बहुत समय तक दो राजभाषाओं का बनाए रखना भी उचित नहीं है।

कभी कभी कनाडा, वेलजियन और स्टिट्चरलेन्ड के उदाहरण देकर भारत में अनिश्चित काल तक हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने की दुहाई दी जाती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मर्वंश्यम इन देशों का राजनीतिक इतिहास भारत के इतिहास से अलग है। दूसरे, जहा इन देशों ने राजभाषाओं का चुनाव के बल अपनी देशी भाषाओं वे बीच में से किया है। अंग्रेजी हिन्दूस्तान के लिए एक विदेशी भाषा है, और भारत के बहुत कम लोग इसे बोल पाते हैं। वस्तुत भसार में कोई भी बड़ा राष्ट्र अपना कामकाज चलाने के लिए विदेशी भाषा पर निर्भर नहीं होता।

भारत का भवित्व निष्पदेह उज्ज्वल है, इसीनिए वर्तमान पीढ़ी वो ऐसी गलत परपराओं की नींव नहीं रखनी चाहिए जिससे बाने बाली सतानों को लज्जित होना पड़े। इनमें से कुछ ऐसी परिस्थितियों का विक पिछले पृष्ठों में

किया जा चुका है। दूसरे किसी के मन में यह धारणा नहीं बैठनी चाहिए कि भारत की समृद्ध भाषाओं में से कोई भी संघ की भाषा बनने के योग्य नहीं है।

राजभाषा के पद पर अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की स्थापना के लिए हिंदी की योग्यता और इसकी स्वीकारात्मकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने होंगे। कुछ एक मुख्य दिशाएं, जिनकी ओर पग बढ़ाने की आवश्यकता है, इन प्रकार हैं:

संघ की भाषा को चाहे 'हिंदी' की नजा दे अथवा हिंदुस्तानी की, परंतु जैली में यह भाषा 'हिंदुस्तानी हिंदी' अर्थात् आमान हिंदी होनी चाहिए, न कि वोक्सिल हिंदी। यह भाषा, अपने मूल स्वभाव को कायम रखते हुए, देश की ममी (अथवा अनेक) भाषाओं एवं वोलियों का संमिश्रण होनी चाहिए। कृतिम उपायों से विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मंध की भाषा में भरने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि भाषाविद् इस समस्या को सुलझाने के लिए भाषा आयोग के परामर्शों पर अमल करेंगे तो समस्या अजेय नहीं है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस संवंध में लगकर काम नहीं किया गया है, और न ही देश के विभिन्न भागों में अमुक भाषा की स्वीकारात्मकता जांचने के लिए कोई परीक्षण किए गए हैं। विभिन्न भाषाओं में से ग्रहण कर राजभाषा में अनेक पर्यायवाची एवं अलग अर्थच्छटा के शब्द समाहित किए जा सकते हैं। इससे विभिन्न भाषा भाषी मंध की भाषा में भागीदार होने का अनुभव करेंगे, और उनके लिए इसे मीखना भी मरम हो जाएगा। देश की भाषा के इस विधि से विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में पहले ही से उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कदम संविधान सभा और पालियामेंट में सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के अनुकूल भी होंगे। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश के उदाहरणों को सामने रखते हुए यह याद रखना होगा कि जब कोई भाषा अपनी लचक खो बैठती है, या जनता से दूर हट जाती है, तो इसका अवसान हो जाता है, और कोई नई भाषा इसका स्थान ले नेती है।

शिक्षा संवधी सुविधाओं का भी द्रुत गति से प्रसार होना चाहिए। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में संकीर्णता प्रायः कम होती है। किसी भी निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति के लिए शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अशिक्षित व्यक्ति को गुमराह करना आसान होता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में अपेक्षाकृत अधिक समर्थ होता है। इसके बलावा, जिस व्यक्ति ने एक भाषा सीख रखी हो उसके लिए दूसरी भाषा सीखना आमान होता है। निरक्षर व्यक्ति में यह बात नहीं होती, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति का ज्ञान की ओर आकर्षण प्रायः कम होता है।

शिक्षा व्यवस्था में मानव परिवार को कुटुंब समझते हुए देशभक्ति की अधिक भावना भरने की योजना होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा रुद्धिगत सकीर्णता की भावनाओं को वहिष्कृत करना अनिवार्य है। यह अनुदारता धर्म में जाति

थें, राष्ट्रीय मामलों में प्रातीयना एवं मात्रदायिकता और शासन में विभिन्न सेवाओं के बीच गुटबदी का घप लेहर भासने आती है। ऐसी प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा करने से केवल भाषा की समस्या ही हल नहीं होगी, परन्तु उन सभी समस्याओं का भी हल निकलेगा जो इस प्रकार वी मानसिक हण्डियों में जापनी हैं। सोवियत संघ ने 1917ई की क्रांति के पश्चात् दाद शिक्षा की एवं उपर्युक्त विशेष जाहरतों की अद्युती तरह समझा। यद्यपि सोवियत संघ में आज 126 जानिया है, तथापि 1971ई में हुई चौदोंभवी वस्तुनिष्ठ पार्टी कायेस के अनुसार 'आज सोवियत सूनिमन में एक नया ऐतिहासिक समाज है, और इसका नाम है सोवियत जनता।' सभी देश इन आदर्शों पर दब देते हैं, नेकिन इनकी उपलब्धि के उनके सार्व लक्ष अलग हैं। इसमें भूल करने वाला देश अपनी राष्ट्रीय एकता को खतरे में हाल देता है।

ऐसे उपाय भी जरूरी हैं जिनमें गुनिवित स्पष्ट भें भाषा की आड़ में किसी वर्ग का सास्कृतिक अथवा वार्षिक शोषण सम्बन्ध न हो। देश में भभी मस्तृतिया को विकास की स्थितशता है। भारत को मचमुच अपनी सास्कृतिक विविधता पर गौरव है। देश में विभिन्न धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों का मनाया जाना इसका प्रमाण है। गणतंत्र दिवस पर समस्त राज्यों की सास्कृतिक झलियों का प्रस्तुतीकरण इस कथन का एक और प्रमाण है। इस प्रकार की वार्षिकियों की और अगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सास्कृतिक दलों के अतरजातीय एवं अतरक्षेत्रीय आशन प्रदाता में भभी वर्गों में देश की समृद्धियों के प्रति पारस्परिक मद्भावना बढ़ेगी। इससे आपसी स्नेह में बढ़ जाएगी और राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

देश के समस्त भागों के लोगों तथा नेताओं को सुरक्षा, राजनीनिक, आधिक साधारिता, सास्कृतिक, भाषा सबशी या अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मुख्य धारा में लाने की हर सम्भव कोशिश की जानी चाहिए। अनेक भिसालें यह सिद्ध करती हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मुख्य धारा से बाहर होने पर अनेक लोगों के विचारों में तबदीली आ जाती है। उदाहरणार्थ, कायेस से बाहर होने पर मुहम्मद जली जिनाह ने पाकिस्तान की मांग रखी, जिसका ननीजा था हिंदुस्तान का दो टुकड़ों में बटवारा। चक्रवर्ती राजगोपालोचारी जब कायेस में थे, या मद्रास में वायरेस भरवार के मूल्यमत्री थे, तो हिंदी के समर्थक थे, और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के विरोध के बावजूद उन्होंने हिंदी की नपिलनाडु के हाईकोर्टों में एवं अनिवार्य विषय रखवाया था। देश के अवनंतर जनरल पद में हटने के कुछ समय बाद वह स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए, और अप्रेजी भाषा के जोरदार समर्थक बन गए।

सरकारी नौकरियों के लिए आशंकाओं का निवारण

अर्धवर्षी भाषी लोगों के दिलों में यह ज़ंका है कि जब अंग्रेजी संघ की राजभाषा नहीं रहेगी तो हिंदी भाषी लोगों की तुलना में उन्हें भरकारी एवं स्वायत्त संस्थाओं की नौकरियों में नुकसान रहेगा। यह धारणा ठीक भी हो सकती है, और गलत भी। नौकरियों में सफलता प्राप्ति केवल व्यक्ति की भाषा में दक्षता के साथ संवंधित न होकर उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, भिन्न कलाओं एवं कार्यों में प्रवीणता और जिआ के स्तर आदि के माथ जुड़ी रहती है। हाँ, इम बात में दो राय नहीं है कि अंग्रेजी के वहिकरण से विजिष्ट वर्ग और इसमें खास तौर पर अर्हिदी भाषी लोगों की उन सुविधाओं का अंत हो जाएगा जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप उन्हें उपलब्ध हो गई थी और जिनके कारण वे अंग्रेजी सीखने में शैय लोगों से पहले जुट गए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदी भाषा अर्हिदी भाषियों के आर्थिक शोषण का न तो उपकरण बने और न ही इसे ऐसा समझा जाए, ऐसा मार्ग खोजना जरूरी है कि जब तक अर्हिदी भाषी हिंदी भाषा में दक्ष नहीं होते, नौकरियों का पलड़ा हिंदी भाषी लोगों की तरफ भारी न हो जाए। इसका एक उपाय यह है कि भाषा के आधार पर (संप्रदाय के आधार पर नहीं), सरकारी नौकरियों में कोटा निश्चित कर दिया जाए। भाषा आयोग ने सरकारी सेवाओं में 'कोटा प्रणाली' शुरू करने का मुख्य विरोध किया था।⁹ निस्संदेह, नागरिक संस्थाओं एवं विद्यान सभाओं में साम्प्रदायिकता के आधार पर स्थानों का कोटा रखने के कारण देश काफ़ी दुप्परिणाम भुगत चुका है। इसी के कारण सांप्रदायिक एवं वर्गीय झगड़े हुए, जिससे देश की एकता भग हो गई और देश के मानचित्र की रेखाएं फिर से खीचनी पड़ीं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाषायी आधार पर नौकरियों का अभिरक्षण भी यदि अधिक समय तक रखा गया तो उसके भी नकारात्मक परिणाम होंगे और इससे संघ के लिए एक सर्व सामान्य भाषा के निर्माण में विलंब हो जाएगा। डसलिए ही सकता है कि सुझाव सवाको मान्य न हो।

दूसरा उपाय इम प्रकार हो सकता है : कुछ समय के लिए केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती प्रांतीय सेवाओं के मार्ग से सीमित रखी जा सकती है। इससे सेवाओं के गुणस्तर में अवनति नहीं होगी, क्योंकि प्रांतों में भी भर्ती के समय आजकल के प्रशासन की ज़म्मरतों को ध्यान में रखा जाता है। प्रांतों से केन्द्रीय सेवा में आने वालों के लिए निश्चित अवधि में हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य बनाया जा सकता है।

एक अन्य उपाय यह है कि संघ की सेवाओं में विभिन्न भाषायी वर्गों के लिए समुचित समय तक नौकरियों की मौजूदा स्थिति बनाई रखी जाए। शायद दस

वर्ष तक यह स्थिति बनाए रखना उचित होगा । इस दौरान ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि इस अवधि की समाजिक पर पुरी तरह से हिंदी डारा काम चलना सम्भव हो जाए । जो विद्यार्थी इस समय पाठ्यक्रम कक्ष में हैं, एक दशक में वे ग्रेजुएट बन चुके होंगे, और वही नौकरियों की मार्केट और प्रतियोगिता में मौदान में होंगे; न्यूनों और कारोजों में पढ़ने ने कारण इनके हिंदी ज्ञान का स्तर समुचित होगा । इस अवधि के पश्चात् नौकरियों में अधिक समय तक यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत नहीं रहेगी ।

हिंदी विकास की प्रारंभिक स्थिति में कही आगे बढ़ चुकी है, इसलिए इस माल या इसमें न्यूनाधिक जो भी अवधि इस काम के लिए एक बार निश्चित की जाए उसका दृष्टान्त में पालन हो । अट्टिवी भाषी लोगों का इस अवधि के निर्णय करते में काफी हाथ होना चाहिए । परतु इसमें अनिश्चितता नहीं बनी रहनी चाहिए ।¹⁰ सक्रान्ति द्वीपीय की समाजिक पर यथास्थिति हटाई जा सकती है, और सधे लोक सेवा आयोग परीक्षाएं आरम्भ कर सकता है । यदि प्रातीय भेवाको डारा केंद्रीय सेवाओं में भर्ती का तरीका अधिक लाभप्रद और कम खर्चीला मिल होता है तो इसे अपनाया भी जा सकता है, और यह शर्तें रखी जा सकती हैं कि केंद्रीय नौकरियों में भर्ती होने वाले निश्चिन वाल में, नौकरी की जरूरतों के अनुसार, हिंदी में अनिवार्य तौर पर उचित स्तर की परीक्षा पास वर्तीं । इस मिलमिले में विस्तृत स्पर्शेन्वा विशेषज्ञ निर्धारित कर सकते हैं ।

लिपि का मसला

भाषा के माध्य इमर्जी लिपि का मसला भी अभिन्न है । पिछले वर्षों में रोमन और नागरी लिपियों के गुण-दोषों पर कुछ प्रकाश ढाला जा चुका है । नागरी लिपि को समार की अन्य लिपियों की पृष्ठभूमि में देखना उचित होगा । समार में लिपि के पात्र मुद्दय परिवार हैं - रोमन, ग्रेशो रोमन, चीनी, (मूत्रलिपि), अरबी अथवा फारसी और ब्राह्मी अथवा नागरी लिपि । ये लिपियां अगले पृष्ठ पर दी जानीका के अनुसार मसार के देशों में प्रचलित हैं ।

नागरी लिपि के परिवार की सभी भाषाओं, अर्थात् तिब्बती, नपाली, असमी, बगाली, घर्मी, दोगरी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड, भलमारम, तमिल, मिथिली, तेलुगु, उडिया, समृद्ध, पाली और शाईलेंड, लाओस, व्योडिया, कोरिया और भर्गोडिया की विभिन्न लिपिति भाषाओं में वर्णों का एक ही क्रम होता है और सभी में मात्राओं का प्रयोग होता है ॥¹¹

ब्राह्मी लिपि का इनिहाम (जिसमें नागरी लिपि का जन्म हुआ है) तीन चार हजार कप पुराना है । अशोक काल में ब्राह्मी का प्रयोग मिलता है । समय


संसार की लिपियां

क्रम लिपि का नाम	जिन देशों में ये लिपियां प्रचलित हैं
1. रोमन	दोनों अमरीका, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप
2. ग्रेशोरोमन	पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ का एशियाई भाग
3. चीनी (मूर्त्तलिपि)	पूर्वी एशिया
4. अरबी या फ़ारसी	पश्चिमी एशिया
5. ब्राह्मी वथवा नागरी	भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया

के साथ ब्राह्मी में कुछ परिवर्तन आए। इसा पूर्व दूसरी शताब्दी में 'शुग लिपि', इसा पूर्व पहली शताब्दी में 'कुशान लिपि' और इसा उपरांत पांचवीं शताब्दी में 'गुप्त लिपि' का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। ज्यों ज्यों गुप्त राज्य का देश (और इसमें दक्षिण भी शामिल था) में विस्तार हुआ, स्वतंत्र के साथ, जिसे गुप्त राज्य का समर्थन प्राप्त था, ब्राह्मी लिपि का प्रभाव भी व्यापक हो गया। इस समय तक ब्राह्मी की निम्नलिखित शाखाएं बन चुकी थीं :

ब्राह्मी लिपि की शाखाएं

ब्राह्मी लिपि
(देवनागरी लिपि)



कुछ लोग देवनागरी को बेवल हिंदी भाषा की लिपि समझकर इसका विरोध करते हैं। उन्ह इस गलतफहमी का दूर करने की आवश्यकता है। देवनागरी लिपि का जन्म विभिन्न भारतीय भाषाओं के सश्नेषण से हुआ था। देवनागर (काशी) म भारतीय भाषाओं के विद्वानों ने मिलकर इस लिपि का निर्माण किया था। ब्राह्मी लिपि से जन्म लेकर, देवनागरी लिपि का स्वतंत्र, पाली और अर्धमार्गधी में भी इस्तेमाल हुआ है। 700ई में, पल्लव राजाओं ने तमिल और शृण्य लिपि के अतिरिक्त इसका प्रयोग किया। पल्लवों से पहले चोलों ने देवनागरी लिपि को अपने सिक्कों पर इस्तेमाल किया। 800ई में चालुक्यों ने बन्ध वे अलावा इसका भी प्रयोग किया। मद्रास के सग्रहलिय में एक पुराने स्तम्भ पर देवनागरी लिपि लिखी मिलती है।¹²

देवनागरी बहुत वैज्ञानिक और सीखने में एक सरल लिपि ही बेवल नही है, अपिनु वह भारत की पृथक भाषाओं भी है। देवनागरी और मिथी भाषा भी लिपि से कोई अतर नही है, यद्यपि मिथी लिखने में ढबूँ-अध्या फारसी की लिपि का भी इस्तेमाल होता रहा है। बगानी, गुजराती, मराठी की लिपियां समृद्ध एवं हिंदी की लिपियों से मिलती जुलती हैं। उद्धिग्रा, भाषा की लिपि उत्तर और दक्षिण का सामरज्य है। 1961ई में मुख्य संत्रियों ने एक बार्फेंस में देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के स्वरूप में 'स्वीकार' करते को मिफारिश करते हुए कहा था

११८ ११९ १२० १२१ १२२

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक भाषी लिपि बेवल अभीष्ट ही नही है अपिसु भारतीय भाषाओं के बीच एक सशक्त सेतु के निर्माण के लिए अनिवार्य भी है। इससे राष्ट्रीय एकता बराने में बहुत सहायता मिल सकती है। आज की परिस्थितियों में यह सपर्कलिपि मिर्क देवनागरी हो सकती है। यद्यपि निकट भविष्य में एक अखिल भारतीय लिपि का इस्तेमाल शाखद सुशिक्षा में हो, परन्तु यह उद्देश्य सामने रहेना चाहिए, और इसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए।¹³

जब हम अखिल भारतीय लिपि की बात करते हैं, तो इसका यह प्रयोजन नही है कि दोष भारतीय लिपियों को देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है 'एक ऐसी लिपि, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं में शक्तिशाली उच्च साहित्य उपलब्ध हो। समार की दूसरी भाषाएं (जिनकी लिपि नही है अथवा जिनकी लिपि नही है) देवनागरी लिपि, जो सरल तथा वैज्ञानिक है, को अग्रीकार कर सकती है, परन्तु इसकी सम्मीलन नो सब बल सकती है जब देवनागरी पहले अखिल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकृत हो जाए, टाइप भीत

और अन्य आधुनिक यंत्रों के उपयोगी बन जाए, और इसमें पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक एवं अन्य समृद्ध साहित्य प्रकाशित होने लगे।

द्विभाषा सूत्र

भाषा का प्रश्न शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के साथ भी जुषा हुआ होता है। इसलिए इस संबंध में भी कुछ संकेत करना उचित होगा। सरकार त्रिभाषा फ़ार्मूले को लागू करने के लिए बचनबद्ध है। इस फ़ार्मूले के अनुसार हर विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से तीन भाषाएं पढ़नी होंगी : हिंदी, हिंदी के अतिरिक्त एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। राजनीतिक समझौते की दृष्टि से यह फ़ार्मूला ठीक दिखाई पड़ता है। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वचपन में छात्र इसी भाषा में किसी बात को सर्वाधिक समझ और अभिव्यक्त कर सकता है। हिंदी, संघ की भाषा के नाते अनिवार्य है। अंग्रेजी को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें संसार के ज्ञान का भण्डार है। कुछ हिंदू-स्तानी इसकी वंचालत करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों से प्राप्त ऐतिहासिक विरासत के कारण से अन्य किसी विदेशी भाषा की अपेक्षा भारत में अंग्रेजी के प्रशिक्षण के लिए अधिक मुविधाएँ मौजूद हैं। लेकिन इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि त्रिभाषा फ़ार्मूले के कारण विद्यार्थियों के दिमागों पर अधिक बोझ पड़ता है। पाठ्यक्रम में भाषा पर अत्यधिक बल देने से ज्ञानविज्ञान के अन्य विषयों, जैसे गणित, भौतिकी आदि जो बड़ी तंजी से विकसित हो रहे हैं, की ओर विद्यार्थी पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके बलाबा, हर एक छात्र को भाषाएं पढ़ने का इतनी शक्ति नहीं होता कि उस पर तीन भाषाएं लाजिमी लाद दी जाए। यह भी देखने में आया है कि सरकार ने इस फ़ार्मूले के अनुसार हिंदी को जितेना अनिवार्य बनाने की कोशिश की है, इसकी उतनी ही मुखालफत हुई है। अंतिम बात यह है कि त्रिभाषा फ़ार्मूला शिक्षाशास्त्र के नियमों पर निर्धारित न होकर, अंतोगत्वा, समस्या को एक राजनीतिक समाधान था, जो कामयाव नहीं हो पाया।

इस फ़ार्मूले का विकल्प इस प्रकार हो सकता है : लगभग यारह साल की आयु तक अर्थात् प्राइमरी क्लासों तक, बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अन्य विषयों के अतिरिक्त, प्राइमरी कक्षाओं तक केवल मातृभाषा का प्रशिक्षण ही हो। इसके बाद, मिडिल स्कूल में, एक अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाना शुरू किया जाए। दो भाषाओं के पढ़ने से बच्चे पर बोझ नहीं पड़ेगा और दृष्टिकोण के विस्तार के लिए भी दूसरी भाषा का पढ़ना अभीष्ट होगा। यद्यपि शिक्षा का माध्यम यहां भी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होंगी, दूसरी भाषा अनिवार्य विषय की हैसियत से पढ़ाई जानी चाहिए। दसवीं कक्षा

तक यही मिलमिला चल सकता है। उसके बाद तीसरी भाषा के पढ़ने की ऐच्छिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। यह तीसरी भाषा अप्रेज़ी अथवा कोई अन्य विदेशी भाषा हो सकती है। यह कोई प्राचीन अथवा आधुनिक भारतीय भाषा भी हो सकती है। यह तीसरी भाषा पढ़ने की व्यवस्था आठवें कक्षा के बाट से भी की जा सकती है। परंतु उस दशा में विद्यार्थी को पूर्व पठित हो भाषाओं में एक भाषा छोड़नी होगी ताकि उस पर भाषाओं का बोक्ष अधिक न पड़े।

दसवीं कक्षा के बाद विद्यार्थी अपनी इच्छानुमार कोई तीसरी भाषा भी पढ़ सकता है, परंतु यह भाषा किसी अन्य विषय के बदले में ही पढ़ी जाएगी। इस प्रकार दो अथवा तीन भाषाएं पढ़ने वाने विद्यार्थियों के लिए पढाई के विषयों की सब्द्या बराबर रहेगी। इस प्रकार इस नियम के अनुसार, तीन वीं बजाए विद्यार्थी के लिए दो भाषाएं पढ़ना ही अनिवार्य होगा। इसलिए इसे द्विभाषा फार्मूला कहा जा सकता है। त्रिभाषा फार्मूले में हिन्दी और अप्रेज़ी का पढ़ना अनिवार्य है, जब कि इन फार्मूले के अनुमार मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी भागतीय भाषा पढ़ी जा सकती है और हिन्दी अथवा अप्रेज़ी का पढ़ना जरूरी नहीं होगा। इस स्वीकार से वह प्रतिक्रिया भी नहीं होगी जो अनिवार्यता के पात्रस्वरूप मानने का सकती है।

हिन्दुस्तान में राज्यों के बीच लोगों का आवागमन कम है। इसे ध्यान में रखते हए भी द्विभाषा सूत्र देश के लिए अधिक उपयुक्त होगा। जिन लोगों को ग्राम ग़ा़ स्थान पर ही रहना है, उनके लिए तीसरी भाषा अनिवार्य बनाना ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र में एक योजना से पता चला कि 1961-63 ई में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों में मे 90.4 प्रतिशत उसी राज्य में ही बस गए और 62.3 प्रतिशत काम के लिए निकटवर्ती गुजरात एवं मैसूर राज्यों में जाकर बसे। गुजरात में एक और योजना में पता चला कि 1961-63 ई में ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थियों में मे 85.2 प्रतिशत और 1963 ई के ग्रुप में से 87.1 प्रतिशत का आवास राज्य में ही रहा।¹⁴ जनसंख्या के आवाहो से भी पता चलता है कि अधिकांश भाषा भाषियों में अपने ही राज्य में केंद्रित रहने की प्रवृत्ति है, जैसे अमरपी भाषी आसाम राज्य में, तमिल भाषी तमिलनाडु में इत्यादि।¹⁵ जो बात ग्रेजुएटों के विषय में सत्य है, वह मैट्रिकुलेट और इण्टरमीडिएट के सबध में तो और अधिक सत्य होगी। इसलिए, यदि एक व्यक्ति को अपने ही राज्य में रहना है, तो उसे किसी विशेष भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा की अनिवार्य स्वरूप में पढ़ना निरर्थक है। यदि हिन्दी पढ़ने से किसी व्यक्ति के लिए आधिक लाभ वीं सभावनाएं बढ़ जाए, अथवा उस भाषा में उसे समृद्ध साहित्य की उपलब्धि ही सके तो वह हिन्दी पढ़ने के लिए स्वभैव उत्सुक होगा। ज्यो-ज्यो औद्योगीकरण

और नगरीकरण के चरण आगे बढ़ेंगे, संपर्क भाषा का विकास बढ़ेगा। यदि किसी विद्यार्थी को हिंदी की अपेक्षा अपने निकटवर्ती राज्य की भाषा की अधिक ज़रूरत है तो यह अधिक तर्कसंगत और मुनासिब है कि हिंदी की तुलना में पहले वह उस राज्य की भाषा का अध्ययन करे।

दक्षिण के लोगों की अकसर यह शिकायत रही है कि उत्तर के लोग उनसे हिंदी पढ़ने की आकांक्षा तो करते हैं, परंतु द्रविड़ भाषाओं के सीखने में वे निपुक्ष्य रहते हैं। यह स्थिति भी अनिवार्यता लागू किए विना सुधारी जा सकती है। दूसरी भाषा की पढ़ाई दो स्तरों की हो सकती है। सामान्य एवं उच्च स्तर की। यदि कोई छात्र अपने संलग्न प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में लेता है तो उसका द्वितीय भाषा का कोर्स उच्चस्तरीय होना चाहिए और अन्य स्थिति में सामान्य अथवा उच्चस्तरीय कोर्स पढ़ने की वात छात्र की इच्छा पर छोड़ दी जानी चाहिए।

इस सूत्र पर अमल करने से यह शंका हो सकती है कि इस प्रकार अंग्रेजी जानने वालों की संख्या कम हो जाएगी। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसा हो जाने पर भी देश का कोई अहित नहीं होगा। इस समय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक 100 छात्रों में से 40 पांचवीं कक्षा तक पहुंचते हैं, इनमें से 20 आठवीं कक्षा तक और अंत में 15 या 16 दसवीं या ग्यारहवीं कक्षाओं तक। हाईस्कूलों और सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षाओं में वैठने वाले विद्यार्थियों में से लगभग 50 प्रतिशत फ़ेल होते हैं। इस प्रकार प्रथम कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों में से केवल 3 या 4 प्रतिशत कानेज अथवा विश्वविद्यालयों तक पहुंचते हैं। यदि उच्च विज्ञान, तकनीक और राजनीयिक कार्यों के लिए अंग्रेजी इन्हीं तीन या चार प्रतिशत लोगों में से ही कुछ लोगों को इस्तेमाल करनी है, तो सभी छात्रों पर विदेशी भाषा का अतिरिक्त बोझ लादने से क्या लाभ? इस प्रकार, द्विभाषा सूत्र से भी भली भांति काम चल सकता है। इसके अलावा छात्र अपनी ज़रूरत और रुचि के अनुसार एक या अधिक भाषाएं पढ़ सकता है। भ्रमणशील आवादी के लिए केंद्रीय और कुछ राज्यीय स्कूल और विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं जिस प्रकार कि रुस में है, और जिसकी चर्चा पूर्व पृष्ठों में हो चुकी है।

इस व्यवस्था के अनुमार व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व हर व्यक्ति दो भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुका होगा। यदि किसी अहिंदी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति केन्द्र में नीकरी लेना चाहता है अथवा किसी हिंदी भाषी प्रदेश में अपना जीवन-यापन करना चाहता है तो छठी क्लास से आठवीं अथवा दसवीं कक्षा तक उसे हिंदी का पर्याप्त ज्ञान हो जाना चाहिए। शैक्षिक, राज-

नीतिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अप्रेजी नथा दूसरी विदेशी भाषाओं के शिक्षण का आवश्यकतानुसार प्रबंध किया जा सकता है। भारत के पास सपत्ति में रूप में विशाल जनसमृद्धाय मौजूद है, और यदि ठीक योजना से काम लिया जाए तो देश में सभी भाषाओं के विशेषज्ञ तैयार हो सकते हैं।

एक आपत्ति यह उठायी जा सकती है कि विदेशी भाषा की पढ़ाई देर से प्रारंभ दर्ले पर इस क्षेत्र में विद्यार्थियों के ज्ञान में कभी आ सकती है। यह निषेध कि किस आयु में छात्रों को विभिन्न भाषाओं का अध्ययन शुरू करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रियों, गणोंवैज्ञानिकों और गरीर विज्ञान शास्त्रियों पर छोड़ा होगा, परंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देशी भाषा के कुछ दक्षता प्राप्त करने के बाद विदेशी भाषा की ज्ञान प्राप्ति में सुविधा हो जाती है। यदि अपनी भाषा में समुचित ज्ञान के बिना विदेशी भाषा पढ़ने की कोशिश की जाए तो स्थिति ऐसी नहीं होती। जो भारतीय विद्यार्थी विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में स्वोज के लिए विदेश में गए हैं, वे व, ख, ग से प्रारंभ करके दोएक सालों म ही विदेशी भाषा सीख कर उसी भाषा के माध्यम से काफी लाभप्रद काम करने म सफल होते रहे हैं। इसलिए जिसे भी विदेशी भाषा अपने पेशे के लिए पढ़नी हो वह हाई स्कूल के बाद भी इसका अध्ययन शुरू करके ग्रेजुएट होने तक इसमें काफी प्रवीण हो सकता है।

यदि शिक्षा संस्थाओं में लिंगुआफोन और दूसरी दृश्य श्रव्य सुविधाओं का प्रबंध हो सके, तो भाषा सीखने का काम और भी आसान हो सकता है। विभाषा सूत्र के स्थान पर द्विभाषा फार्मूला लागू करने से धन की भी काफी बचत हो सकती है और यह बचत इस प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों के स्वीकारने में लगाई जा सकती है। सरकार द्विभाषा फार्मूला कार्यान्वित करने के लिए बचनबद्ध है। इस आवासन का निवारण इस प्रकार हो सकता है कि शिक्षा संस्थाओं में तीन भाषाओं के लिए प्रबंध तो रहे परंतु विद्यार्थी पर मौजूदा पाठ्यपत्रम् का भार देखते हुए उसे अनिवायत दो से अधिक भाषाएं न पढ़नी पड़ें।

नि स्वार्थपरायणता एव साहस की आवश्यकता

कुछ लोगों का व्यवहार है कि देश के नेताओं में सबल्प का अभाव, उनका निहित स्वार्थ और इस समस्या को राजनीतिक रूप दिया जाना ही भाषा समस्या के मुख्य कारण हैं। देश के विभिन्न भागों में सभी प्रकार के विशेषज्ञों के परामर्श से सभी बातों को सामन रखकर किसी योजना को एक बार निर्धारित कर लेना चाहिए, और फिर ईमानदारी और दृढ़ता के साथ इसे कार्यान्वित करना चाहिए। भाषाशास्त्री, भाषा वैज्ञानिक अधिकारी समाजशास्त्री और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ

अपने नाम को सार्थक तभी कर सकते हैं जब वे इस समस्या का स्वीकारात्मक समाधान निकालने में अपनी योग्यता का प्रमाण दे सकें। इसके साथ यह बात भी उतनी सही है कि यदि कोई सरकार दस वर्ष की अवधि तक इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को हल नहीं कर सकती, तो इसे सत्तास्थृत रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाषा संवधी योजनाओं में समय समय पर आवश्यकतानुसार शायद संशोधन करने पड़े, परंतु इसमें कोई हर्ज नहीं है। निस्संदेह काम बहुत बड़ा है, और हो सकता है कि अभी तक इसके बहुविध आयाम सामने न आ पाए हों, परंतु किसी समस्या के समाधान को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता। टैगोर का कहना है :

संसार में हर राष्ट्र को अपनी समस्याएं स्वयं हल करनी होती है, अन्यथा अपमान और पराजय का सामना करना पड़ता है। सभी उच्च संस्कृतियों के प्राप्ताद कठिनाइयों की नीव पर निर्मित होते हैं। जिन लोगों के पास नदियां हैं उनसे ईर्प्या भले ही की जा सकती है, परंतु जिसके पास नदियां नहीं हैं, उन्हें कुएं खोदकर धरती की गहराइयों में से पानी निकालना ही होगा। ऐसा सोचना गलत है कि पानी उपलब्ध न होने पर इसके स्थान पर मिट्टी से काम चला लिया जाएगा क्योंकि यह अधिक सुलभ है। हमें साहस के साथ देश में भाषाओं की विविधता के कष्टकर तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, परंतु इसके साथ यह भी समझना है कि वाह्य मिट्टी की तरह आयात की हुई भाषा कांच के घर के लिए भले ही उपयुक्त हो, परंतु किसी ठोस एवं जीवनदायी सम्भ्यता का आधार नहीं हो सकती।¹⁶

इस प्रकार, ऐसे शासन को, जो भाषा समस्या का समाधान तलाश नहीं कर सकता, उसे अपनी हार माननी होगी। इस संदर्भ में सरदार पटेल के ये शब्द स्मरणीय हैं :

राजकाज विदेशी भाषा में चलता हो, हमारे विचारों और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा हो, ऐसी स्थिति स्वराज्य में नहीं हो सकती।¹⁷

उनका यह कथन सत्य था कि ऐसी स्थिति देश की प्रभुसत्ता के सर्वथा प्रतिकूल है। संसार के सभी विकसित राष्ट्र इस तथ्य को पूरी तरह समझते हैं। केवल हम ही राजनीति के प्रदर्शनों के घोर में इस सत्य कथन को नहीं सुन पाए हैं, और निहित स्वार्थों के कारण हमारी दृष्टि धूंधली पड़ गई है। यदि हम भावी पीढ़ियों का हित चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम विकृत प्रवृत्तियों को तिळाजलि देकर स्वस्थ भार्ग पर चलें। समस्याओं का हल निष्क्रियता अथवा वहानेवाजी से नहीं, अपितु सतत परिश्रम और राष्ट्रीय बादजां पर अडिग रहने से

निकलता है। बार बार कठिनाइयों की सूची गिनाते रहना अकमप्यता का लक्षण है। कमंठ व्यक्ति कठिनाइयों से एक एक बर जूमता है और उत पर विजय प्राप्त करता है।

समोपन

सधोर में हम कह सकत हैं कि सभ की भाषा समस्या बहुत पुरानी है। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, सञ्चातियों की विविधता, समस्या के साथ गत तरीके से खिलवाड़ करने के कारण अधिक उलझ गई है। परतु समस्या असाध्य नहीं है। स्विट्जरलैंड, वेल्जियम, इण्डोनेशिया, सोवियत यूनियन जैसे बहुभाषी देशों के उदाहरण, उनकी आधारिक भरतना हमसे अलग होने के बावजूद प्रमाणित करते हैं कि समस्या का हल सभव है। इसका हल सोजने के लिए उदार दृष्टिकोण को अपनाना होगा और राष्ट्रीय मूल्यों और धारणों को सामने रखना होगा। वास्तविक समकालीन स्थितियों, आगामी पीढ़ियों के हितों और अहिंदी भाषी लोगों की मुश्किलों को भी अच्छी तरह परखना होगा। अहिंदी भाषी लोगों को यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हिंदी वो राजभाषा बनाने का आशय यह नहीं है कि उन्ह किसी प्रकार वो आर्थिक एव सास्कृतिक अभियान की लपेट में जाया जाए।

अहिंदी भाषी भाषी लोगों को भी चाहिए कि अपनी ओर से वे भी इस समस्या के समाधान में पूरा सहयोग दें। सासार प्राय सर्वत्र अलास्टर्यक लोगों वे मन में बहुमत द्वारा शोपण का भय बना रहता है, इसका निवारण करना भी जरूरी है। इस भावात्मक प्रश्न के साथ पुरानी दुखद घटनाओं को, जिसने सभी वर्गों को बदनाम किया है, भूलाने और माफ़ करने की जरूरत है। देश के सभी भागों में पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और निरत्तर परिश्रम का एक नया अध्याय लिखने की ज़रूरत है। बतमान राजनीतिक भेताओं, शिक्षाशास्त्रियों, भाषाशास्त्रियों और भाषावैज्ञानिकों वे लिए यह बड़े अपयश की बात होगी यदि वे पराजित होंकर समस्या वो बिना सुलझाए, उसे भावी पीढ़ियों के बधों पर ढाल दें।

पिछले 150 मालों से लही दोली के बल धर्म, कला वादि जैसी अभिव्यजक सञ्चाति के लिए इस्तेमाल होनी रही है। परतु गत कुछ दशकों में इसका भाषी आधुनीकरण हुआ है और अब मह समकालीन सामाजिक आर्थिक राजनयिक समृद्धि की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त बन चुकी है। किसी भी भाषा का सर्वधन एव परिकरण उसक प्रयोग से होता है। बेवल निरत्तर प्रयोग द्वारा ही लाग किसी भाषा वी पारिभाषित शब्दावली के इस्तेमाल के आदी बनते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हम अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने का प्रयास प्रारंभ करेंगे उतनी

ही जल्दी हम मंजिल पर पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं।

जो बात हिंदी के बारे में संघ की भाषा के नाते सत्य है, वही क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में प्रातों की राजभाषा के नाते सत्य है। हिंदुस्तान के विस्तृत जनसमूह को देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न राज्य उन भाषाओं का प्रयोग करे, जिन्हे लोग बोलते और समझते हैं। राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक तथा विधि और न्याय संघीय कामों में आठवीं अनुसूची की भाषाओं में काम करने के लिए योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। आठवीं अनुसूची की सभी भाषाएँ प्राचीन, समृद्ध एवं सशक्त हैं और राष्ट्र के विभिन्न व्यापारों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। केंद्र में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी और राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएँ लाने का कम एक साथ प्रारंभ होना चाहिए। दूसरा काम भी पहले काम की तरह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पहले भी शुरू किया जा सकता है।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध प्रायः वही लोग करते हैं, जिन्हे देश के बाकी लोगों की अपेक्षा अंग्रेजी सीखने का अवसर पहले मिल गया, और इसी कारण सरकारी नौकरियों में उन्हें तथा उनकी सतानों को फायदा हो गया। इस प्रकार के लोग शायद ही अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या अन्य भाषाओं की स्थापना के तर्क की पुष्टि करे। अगर ये तर्क सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए कोशिश की जाए तो इसमें कोई सदेह नहीं है कि जनता हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में पूरा सहयोग देगी तथा सभी राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएँ अंग्रेजी के स्थान पर आसीन हो जाएंगी। यह कहना ठीक नहीं है कि भाषा का विवाद उत्तर और दक्षिण के बीच का दब्द है। वस्तुतः यह विशिष्ट वर्ग और आम जनतों के बीच के हितों का झगड़ा है, जिसके साथ समय-समय पर अन्य आयाम भी जुड़ गये हैं। जब तक अंग्रेजी का देश में बोलबाला बना रहेगा, दक्षिण और उत्तर के अंग्रेजी प्रेमियों का विशिष्ट वर्ग जन सामान्य पर शासन करता रहेगा।

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जिन अतीत घटनाओं से कट्टरता, राष्ट्रीय उग्रता, साम्राज्यवाद और बहकी बहकी भावुकता की गंध आती है, उन सबकी जिम्मेदारी देश के सभी क्षेत्रों के लोगों पर लागू होती है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि निहित स्वार्थों और राजनीतिक सत्ता को हथियाने में व्यस्त नेता राष्ट्र की इस समस्या के सही समाधान का रास्ता नहीं दिखा सके। समय आ चुका है कि भारत के भाषाशास्त्री और अन्य लोग वास्तविक स्थिति को समझे। इस बात को गहराई से जानने की जरूरत है कि क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर विदेशी भाषा में काम करने से भारतवासियों की कितनी क्षति हुई है और विदेशी भाषा में पारस्परिक आदान प्रदान की कठिनाई से विकास की गति कितनी मंद

रही है। यह सतोपजनक मिथि नहीं कि अधिक समय तक देश का कामकाज अग्रेजी द्वारा चलता रहे और देश क्षेत्रीय भाषाएँ अनुवाद भाषा के लिए इस्तेमाल होनी रहे। अनुवाद की भाषा हमेशा कृत्रिम रह जाती है। इसलिए प्रत्येक दूषित्वोण से देश के लिए यही हितकर होगा कि विधानमण्डलों, अदालती, दफ्तरों जनसंपर्क साधनों और देश की सभी स्थाओं का कार्य हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हो चलाया जाए।

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. (क) भाज 184 वरोंड सावित लोग, अवृत् देश की तोत घोषाई जनता का स्वरूप भाषा पर अच्छा प्रबोधार प्राप्त है (सोवियत दूतावास, शूचना विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'सोवियत लैण्ड प्रबोधार' के दिसंबर, 1978 अंक के पृष्ठ 39 पर देखिए, यूरोपीयेनियन का लेख 'क्या बोर्ड सोवियत जाति है?')
- (छ) स्मी गणराज्य को छाइ सावित सम्प्रे ने गणराज्य में दो प्रबार के स्वूत्र हैं एक तो वे स्वूत्र हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम हमी है, और दूसरे वे जहाँ शिक्षा सबैदिन गणराज्य की भाषा है माध्यम से ही जाती है दूसरे प्रबार के स्वूत्रों में गणराज्य की भाषा वो पढ़ाई प्रथम श्रेणी के आरम्भ से शुरू कर दी जाती है, और हमी भाषा को पढ़ाई ए भाषा बोड जिन स्कूलों में हमी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती है वह क्षमी का अध्ययन पहली क्लास से शुरू ही जाती है इस गणराज्य में विद्यार्थियों के लिए अच्छ गणराज्य की भाषामा का अध्ययन अनियाय नहीं है, इस प्रबार साझ है नि सब की भाषा का विशेष सुविद्याएँ प्राप्त हैं 'अ'
2. इण्डोनेशिया और मलेशिया की वर्तमान भाषाओं की नीति भाषा भलायू है और इसकी शावधान को उपर्युक्त भाषा इण्डोनेशिया और मलेशिया बहुते हैं
3. मञ्जुष्मदार, ए. के., प्रावलभ इन हिंदी ए. मट्टी, दब्दी, मारतीय विद्या भवन, 1965, पृष्ठ 8-10
4. गिल, एच एस, लैंग चिक एन सासाइटी इन इंडिया, जिम्ना, इंडियन इस्टोट्यूट ऑफ अन्वेषण स्टडी इ, पृष्ठ 393
5. इंडिया, राजभाषा समूद क्लेटी राजभाषा क्लेटी की रिपोर्ट मे फैक्ट एयन्सी की असहमति का नोट, नई दिल्ली, गृह मन्त्रालय, 1959 पृष्ठ 87-88
6. देखिए परिचय XX
7. लिंबा शब्द, वी., क्रॉमिंग इण्डियाब कार्निट्टयूग्न ए. स्टडी, नई दिल्ली, इंडियन इस्टोट्यूट ऑफ पञ्जिक एडमिस्ट्रेशन, 1968, पृष्ठ 783-783
8. इंडिया, राजभाषा समूद क्लेटी राजभाषा क्लेटी की रिपोर्ट मे फैक्ट एयन्सी की असहमति का नोट, नई दिल्ली, गृह मन्त्रालय, 1959, पृष्ठ 93

9. भारत, राजभाषा आयोग की स्पोर्ट, 1955-56, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, 1957, पृष्ठ 418.
10. राजभाषा (संशोधन) विल, 1976, अध्याय तीनः भावशक विधि-नियमों का निर्माण भी जरूरी होगा.
11. देवेन्द्र कुमार, देवनागरी लिपि . ए सेमिनार, नई दिल्ली, गांधी स्मारक निधि, पृष्ठ 119-120.
12. शेर बिहू; देवनागरी लिपि : ए सेमिनार, नई दिल्ली, गांधी स्मारक निधि, पृष्ठ 45 46.
13. बही, पृष्ठ 104.
14. (i) महाराष्ट्र सरकार, वित्त विभाग, मैन पावर पक्ष, पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एड्यूकेटिड परसन्स, अहमदाबाद, लेखक, 1966, पृष्ठ 28-29.
(ii) गुजरात, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का सरकारी ब्योरा, स्टडी ऑफ यूटलाइजेशन ऑफ एड्यूकेटिड परसन्स, अहमदाबाद, लेखक, 1977, पृष्ठ 52.
15. भारत, जनसंख्या कमीशन के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित : जनसंख्या ग्रांडों की पाकेट बुक, जनसंख्या शताब्दी, 1972, दिल्ली, लेखक, 1972
16. भारत, लोक सभा, वहस की माला, ग्रंथ II, नं. 12, दिसंबर 13, 1967, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, 1967, पृष्ठ 6657.
17. भारत, लोक सभा, वहस, दिसंबर-सितंबर 3, 1959, दई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय, 1959, पृष्ठ 6190.

परिशिष्ट

इस पुस्तक में दिए गए परिशिष्ट तीन प्रकार के हैं : संकलित, रूपांतरित एवं अंगीकारी ।

प्रथम वर्ग के परिशिष्टों में सामग्री का विभिन्न सूत्रों से संचयन तथा संकलन लेखक द्वारा किया गया है ।

दूसरे वर्ग के परिशिष्टों में कुछ सामग्री संकलित रूप में उपलब्ध थी, परन्तु इस पुस्तक में प्रयोग के लिए कुछ एक परिकलन करना पड़ा ।

तीसरी प्रकार के परिशिष्ट वे हैं जिन्हें किसी स्रोत से लेकर इस पुस्तक में ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया गया है ।

समस्त सामग्री । परिशिष्टों के स्रोतों को यथास्थान अंकित किया गया है ।

१
विवरण ।

त्रिलोकात्मक शास्त्रयन

विभिन्न विषय के विभिन्न वेतनों की जनसंख्या बनाम भारतीय भाषाएँ बोलने वाले

*इस परिपाठ में सभी सहयाएँ लाखों में हैं।

*1972 ई गणना के पन्द्रहार,

परिशिष्ट 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	उद्दं	286 1	तजा निया (प्रमोशी)	136.3 चर्मा (वर्मी)	282.2 नीदरलैंड्स (डच)	131.9 हाइटे (फारसीसी)
3	उद्दं	286 1	तजा निया (प्रमोशी)	136.3 चर्मा (वर्मी)	282.2 नीदरलैंड्स (डच)	131.9 हाइटे (फारसीसी)
4.	फन्नद	217 1	कैनिया (स्वाहीली और प्रमोशी)	116.7 अफगा निस्तान (पुष्टो और कारसी)	174.8 जम्बन जनवादी (जगंत)	170.7 याटमाला (स्पेनिश)
			दक्षिणी रोहे शिया	55.0 (प्रमोशी)	39.5 हुगाकान (अर्थो जी)	46.2 फिल्फिल (फिनिश)
			मात्री	51.4 (फांसीसी)	52.4 214.3	216.8
						52.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	पजाबी	164.	सूडान (अरबी)	1605.9 श्रीलंका (सिहली, मंदा रिन और तमिल)	127.1 आस्ट्रेलिया (जर्मन) वल्यारिया (बल्नोरियन)	74.6 चिली (स्पेनिश) इमेरेडोर (स्पेनिश)
				160.9	127.1 160.0	161.8
10.	वंगला	447.9	मिस्र (अरबी)	340.8 श्रीलंका (सिहली) सिंगापुर (अंग्रेजी, मलय, चीनी, मदारिन, तमिल)	297.8 सोन (फारसी) हारी (मायार)	341.3 कनाडा (अंग्रेजी और फारसीसी) कोलंबिया (स्पेनिश)
				442.1	446.0 445.0	432.7
11.	मराठी	422.5	मिस्र (अरबी)	340.8 फिलिपाइन (अंग्रेजी), स्पेनिश, दागालोग इजराइल	379.2 स्वीडन (स्वीडिया) स्वीटारलैंड (जर्मन, फारसीसी, इंडीनियन)	81.0 ऐरॅ (स्पेनिश)
				83.6 424.4	30.1 409.3 143.3	140.1
12.	मलयालम	219.4	भारोका(पुत्तांगी) आइपरी-सॉस्ट (फारसी)	75.1 इराक (अरबी) नेपाल	97.5 ल्हानिया (हमाक्तियन)	204.7 एल-सालवाडोर (स्पेनिश)
				115.5		35.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	सकृत (2212)	02	—	—	—	—
14	सिध्दी	168	सेंट्रल एयरवेन रिपब्लिक	164 (मगो तिपन, बालिष्ठ) 164	मगोलिया (मगो तिपन, बालिष्ठ) 128	प्रदक्षिणा (प्रदक्षिणा) 219 (सेनिया)
15	हिंदे	1623 8	नाइजेरिया (धर्मेशी)	565 1 (जापानी)	जापान 10560 (अपेक्षी)	इन्हें (अपेक्षी) 555 1 (सेनिया)
			मिस्र (परबो)	340 8	इटली (इटलियन)	537 7 (पुर्तगाली) 960 8
			दक्षिणोपिया	252 5	फ्रांस (फ्रांसीसी)	512.5 प्रेस 140 1 (सेनिया)
			(शमहारिक)			
			जायर (कार्तोको)	223 0		
			भूडान (परबो)	160 9		
			1542 3	056 0	1605 3	1607 4

परिशिष्ट ।
विवरण ।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. भारतीय भाषा-भाषियों की संख्या का आधार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इण्डिया द्वारा प्रकाशित 1971 की जन-गणना के अस्थायी आंकड़े हैं, विभिन्न महाद्वीपों के देशों की आवादी के आंकड़े मध्यवर्तीय अनुमान हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित डेमोग्राफिक चुक (जनांकिकी शब्द-कोश, 1973) से लिए गए हैं, जिस देश की 1971 की जनसंख्या के मही आंकड़े प्रकाशित हो चुके थे, उस स्थिति में सही आंकड़ों का प्रयोग किया गया है,
2. जिन देशों की जन-संख्या दस लाख से कम थी, उनके नाम तुलना के लिए नहीं लिए गए हैं,
3. देशों के साथ कोष्ठक में दी गयी भाषाएँ, उन देशों की राजभाषाएँ हैं।

परिशिष्ट I

विवरण II

भारतीय भाषाओं के बोलने वालों की संख्या
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इडिया द्वारा प्रकाशित स्थायी आंकड़े

क्र सं	भाषा का नाम	भाषा भाषियों की संख्या (लाख में)	भाषा में बोलियों की संख्या
1	असमिया	89 6	—
2	उडिया	198 6	2
3	उडू'	286 2	—
4	बन्नह	217 1	1
5	बश्मीरी	25 0	2
6	गुजरानी	238 7	1
7	तथिल	376 9	2
8	तेलुगू	447 6	1
9	पञ्चावी	141 1	2
10	बगला	447 9	4
11	मराठी	417 7	1
12	मन्धालम	219 4	1
13	सस्कृत	(2212) 02	—
14	निधो	16 8	—
15	हिन्दी	208 51	46

नोट स्थायी एवं अस्थायी आंकड़ों में सर्वाधिक अंतर हिन्दी से सम्बन्धित आंकड़ों में है। ऐसा शायद इस कारण हुआ क्यों कि अस्थायी आंकड़े सम्पूर्ण करते समय विहारी, राजस्थानी आदि भाषाओं के बोलने वालों की गिनती को सविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं के बोलने वालों की गिनती में शामिल नहीं किया गया था, परन्तु स्थायी आंकड़ों

के संकलन के समय इन भाषाओं के बोलने वालों को हिंदी भाषा-भाषियों के साथ मिला दिया गया है।

अंगीकारो : सैसिज आँफ इंडिया, 1971. सीरीज I, पार्ट II (स) — (ii) रजिस्ट्रार जनरल आँफ सैसिज, कमिशनर आँफ इंडिया, मुद्रक मैनेजर, भारत सरकार का छापाखाना, फरीदाबाद, 1977

परिशिष्ट-II
विवरण-I

विभिन्न भारतीय भाषाओं का पर्याप्तवर्द्ध प्रत्योक्ता

क्रमांक भाषा (प्रकाशित रूप से)

राज्यों में प्राक्तिक रूप राज्योंको से प्राप्ति

क्रमांक	भाषा (प्रकाशित रूप से)	राज्यों में प्राक्तिक रूप राज्योंको से प्राप्ति	हुत घर	प्राप्त घर के माध्यम से भन्नार का	376
1	मस्तिष्या	101 (13)	27 (13)	128 (13)	1 हिन्दी
2	उडिया	154 (10)	38 (12)	192 (10)	2 उड़ू
3	उद्ध.	249 (2)	89 (4)	338 (2)	3 बांगला
4	बंगाल	130 (11)	57 (10)	187 (11)	4 बंगाली
5	रम्मोरी	74 (14)	14 (14)	88 (14)	5 तमिल
6	गुजराती	157 (9)	81 (6)	238 (9)	6 मलयालम
7	तमिल	190 (6)	90 (2)	280 (6)	7 तेलुगु
8	तेलुगु	198 (5)	68 (9)	266 (7)	8 मराठी
9	पाञ्चाणी	221 (3)	71 (8)	292 (4)	9 गुजराती
10	बंगला	217 (4)	90 (2)	307 (3)	10 उडिया
11	मराठी	190 (6)	74 (7)	264 (8)	11 कन्नड
12	मलयालम	189 (8)	83 (5)	272 (6)	12 किञ्ची
13	मराठूर	19 (15)	10 (15)	29 (15)	13 मध्यमिया
14	सिंधी	130 (11)	42 (11)	172 (12)	14 करमीरी
15	हिन्दी	272 (1)	104 (1)	376 (1)	15 सरकुल

संदर्भ और टिप्पणियाँ

1. यह संकलन 1971 की जनगणना के अंकड़े के आधार पर है।
 2. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को सर्वप्रथम भाषा-भाषियों की गणना के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में क्रमबद्ध किया गया,
- प्रथम स्थान के लिए 15 अंक, द्वितीय के लिए 14 और इसी प्रकार घटते क्रम से चौदहवें स्थान के लिए दो, पंद्रहवें के लिए एक अंक दिए गए, यदि किसी भाषा का किसी राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र में कोई भी बोलनेवाला नहीं था, तो वहां पर उस भाषा का अंक 0 था, इस प्रकार प्राप्तांक को जोड़ा गया,
- कोष्ठक की संख्याएँ भाषाओं की राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पारस्परिक पद को अंकित करती है,
- भाषाओं के अंक प्राप्त करने की विधि इस परिशिष्ट के विवरण II में हिंदी का प्राप्तांक निकालकर दर्शायी गई है।

परिशिष्ट II
विवरण II

हिंदी भाषा प्राप्तांक

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XV	तक
1 बोलने वाले लोगों की संख्या के शायद पर स्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 राज्यों की संख्या जिसमें हिंदी का 1 से 15 तक का स्थान था।	7	4	1	1	—	—	4	—	—	—	—	—
3 सच राज्यसंघों की संख्या जिसमें हिंदी भाषा भावियों का 1-15 तक का स्थान था।	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
4 राज्यों और सच राज्य क्षेत्रों में स्थानों का जोड़।	9	4	8	1	3	0	4	—	—	—	—	—
5 प्राप्तांक	9×15	4×14	8×13	1×12	3×11	0×10	4×9	—	—	—	—	-376
	-135	-56	-104	-12	-33	$=0$	-36	—	—	—	—	—

परिशिष्ट III

संविधान सभा में विभिन्न दर्तों के सदस्यों की संख्या

क्रम	प्रान्त	हिन्दू (हिन्दूओं के बिना)	हिन्दू मुस्लिम	भारतीय ईसाई	पारसी	पिछड़ी जातियाँ	कुल
1.	मद्रास	35	7	4	1	2	49
2.	बंगाल	15	2	—	1	1	21
3.	उत्तरप्रदेश	41	4	8	1	1	55
4.	विहार	24	4	5	—	3	36
5.	मध्य प्रदेश	10	3	1	1	—	17
6.	उडीसा	7	1	—	—	—	9
7.	कुर्मा	1	—	—	—	—	1
8.	श्रीनगर-मारवाड़	1	—	—	—	—	1
9.	दिल्ली	—	—	1	—	—	1
10.	पंजाब	6	—	2	16	—	24
11.	उत्तर-पश्चिमी- सीमा प्रान्त	—	—	3	—	—	3
12.	त्रिपुरा	1	—	3	—	—	4
13.	दिलोचिस्तान	—	—	1	—	—	1
14.	यगाल	18	7	33	1	1	60
15.-	फसम	4	1	3	—	—	1
	कुल	163	31	80	3	3	292
							कुल (शिद्धि 296 शिद्धि में)

परिशिष्ट IV

भाग 17*

राजभाषा

अध्याय 1 संघ की भाषा

संघ की
राजभाषा

343 (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अको का रूप भारतीय अको का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अप्रेज़ी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी ।

परन्तु राष्ट्रपति उन कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में मैं किसी के लिए अप्रेज़ी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, सप्तद विधि द्वारा, उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात्—

(क) अप्रेज़ी भाषा का, बथवा

(ख) अको के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपवधित कर सकेगी जैसे वि ऐसी विधि में उल्लिखित हो।

*ब्रह्मू-नशमीर राज्य वा लागू होने के समय में परिशिष्ट 2 देविए।

राजभाषा
के लिए
आयोग
और संसद्
की समिति

344. (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से प्रांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्ति करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभासित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को

- (क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,
- (ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्वधनों के,
- (ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के,
- (घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के हृष के,
- (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के, बारे में सिफारिश करना आयोग का कर्तव्य होगा।

(3) खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिशों करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भावी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के सार एकल संकमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा

करना तथा उन पर अपनी राज्य का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को बरना समिति का कर्तव्य होगा।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी माग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा।

अध्याय 2 प्रावेशिक भाषाएँ

**राज्य की राजभाषा
या राजभाषाएँ**

345 अनुच्छेद 346 और 347 के उपबद्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-भण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग वे अर्थ उम राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक वो या हिन्दी वो अग्रीकार कर सकेगा।

परन्तु जब तक राज्य का विधान-भण्डल, विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्धन करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अप्रैकी भाषा प्रयोग की जानी रहेगी जिनके लिए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक ऐसे वह प्रयोग की जाती थी।

**एक राज्य और दूसरे
के बीच में अथवा राज्य
और संघ के बीच में
संचार के लिए राज-
भाषा**

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार बरते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में सुनार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

**किसी राज्य के जन-
समुदाय के किसी वि-
भाग द्वारा बोली जाने-
वाली भाषा के संबंध
में विशेष उपबन्ध**

346 सुध में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एवं राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी।

347 तद्विपयक माग की जाने पर यदि राष्ट्रपति वा समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहना है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा वो राज्य द्वारा भाग्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी माग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय मान्यता दी जाए।

**अध्याय 3 : उच्चतम न्यायालय,
उच्च न्यायालयों आदि की भाषा**

उच्चतम न्यायालय
और उच्च न्यायालयों
में तथा अधिनियमों,
विधेयकों आदि में
प्रयोग की जानेवाली
भाषा

348. (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपचन्द्रों में
किसी वात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि
द्वारा अन्यथा उपचन्द्र न करे तब तक—
(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च
न्यायालय में सब कार्यवाहियां,
(ख) जो

- (i)² विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले जो संशोधन, संसद्
के प्रत्येक सदन में पुरस्थापित किए जाएँ उन सबके प्राधिकृत पाठ,
- (ii)³ अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित किए
जाएँ, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा
प्रस्थापित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा
- (iii) आदेश, नियम, विनियम, और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा
संसद् या राज्यों के विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन,
निकाले जाएँ उन सब के प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2)⁴ खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी वात के होते हुए
भी, किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति
से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने
वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च

2. इस उपखण्ड का आशय यथानिम्नलिखित है :

- (i) विधेयक संसद् के प्रत्येक सदन में पुरस्थापित किए जाएँ अथवा
उनके जो संशोधन ऐसे सदन में प्रस्तावित किए जाएं, उन सब के
प्राधिकृत पाठ,
- 3. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम 1956 की धारा 29 और
अनुसूची द्वारा संशोधन के पश्चात् इस उपखण्ड का वर्तमान स्वरूप
इस प्रकार है :
- (ii) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित
किए जाए, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा
प्रस्थापित किए जाएं, उन सब के प्राधिकृत पाठ तथा ।
- 4. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और

न्यायालय मे की कायवाहियो के लिए प्राधिकृत कर सकेगा

परंतु इस खण्ड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निणय, आज्ञाप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) मे किसी बात के होने हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल ने, उस विधान-मण्डल मे पुर स्थापित विधेयको या उसके द्वारा पारित अधिनियमो मे अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशो मे अथवा उस उपखण्ड की बड़िका (III) मे निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि मे प्रयोग के लिए अप्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र मे उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अप्रेजी भाषा मे उस का अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायो के लिए उस का अप्रेजी भाषा मे प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

अनुसूची द्वारा समोधन के पश्चात खण्ड (2) और (3) का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है

"(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) मे किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राज्यपति की पूर्व ममति मे हिन्दी भाषा का या उस राज्य मे राजकीय पयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली, अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य मे मूल्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय मे की कार्य-वाहियो के लिए प्राधिकृत कर सकेगा

परंतु इस खण्ड की कोई बात वैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निणय, आज्ञाप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) मे किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मण्डल ने, उस विधान-मण्डल मे पुर स्थापित विधेयको या उसके द्वारा पारित अधिनियमो मे अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित अध्यादेशो मे अथवा उस उपखण्ड की बड़िका (III) मे निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि मे प्रयोग के लिए अप्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना पत्र मे उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अप्रेजी भाषा मे उसका अनुवाद उस खण्ड मे अभिप्रायो के लिए उस का अप्रेजी भाषा मे प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।"

भाषा
संबंधी कुछ
विधियों को
अधिनियम-
मित करने
के लिए
विशेष
प्रक्रिया

करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

349. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपचन्द्र करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार

व्याया के
निवारण के
लिए
अभिवेदन
में
प्रयोक्तव्य
भाषा

350. किसी व्याया के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।¹⁵

5. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा अनुच्छेद 350 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं :

प्रायमिक स्तर पर मातृ-
भाषा में शिक्षा
देने के लिए सुविधाएँ

सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निवेश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपचन्द्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

"350 क. प्रत्येक राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषा-जात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्रायमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त

सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निवेश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपचन्द्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

हिन्दी
भाषा
के विकास
के लिए
निरेश

351 हिन्दी भाषा की प्रगति-बढ़ि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक स्थृति वे सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उम की आत्मीयता में हस्तक्षेप लिए बिना हित्तानी और अप्टम अनुमूली में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वापर्नीय हो वहाँ उमके शब्द-भण्डार में लिए मुख्यत स्थृत से तथा गोणत अन्य भाषाओं में शब्द ग्रहण करते हुए उम की सभूदि सुनिश्चित करना सध का कर्तव्य होगा ।

भाषाई अल्पसंघ्यकों
के लिए विशेष पदा-
धिकारी

350 स (1) भाषाई अल्पसंघ्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) भाषाई अल्पसंघ्यकों के लिए जिन सरकारों वी इस संविधान के अधीन व्यवस्था वी जाए उनसे स्वद्व सब विषयों का अनुमन्धान करना और ऐसी अन्तरावधियों पर उन विषयों वे सम्बन्ध में, जैसे कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा । राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद वे प्रत्येक सदन वे समक्ष रखवाएगा और सम्बन्धित राज्यों वी सरकारों वो मिजवाएगा ।

परिशिष्ट V

1954 में राज्य सभाओं में विभिन्न शासकों
में दिए गए भाषणः कुल भाषणों का
प्रतिशत

	(1)	(2)	(3)	4(र)	4(ख)	4 (स)
प्रसाम विधान सभा				89.67	0.18	प्रसामिया
धनुच्छेद 345 के पर्यार विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनते वा कोई उपवध नहीं है।				89.67	0.18	प्रसामिया
3 बिहार				—	—	—
(क) विधान सभा				50	950	—
'बिहार विधि नियम' के लिए भाषा अधिनियम, 1955' वा' प्रधीन विधान सभा में बहस, विधेयक प्रस्तुत करते और अधिनियम पारित करने के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी वा प्रयोग विद्या जायेगा।				50.4	3.2	मराठी
(ख) विधान परिषद्				27.67	72.33	—
4 बंगाल				—	—	—
(क) विधान सभा				50.4	3.2	मराठी
धनुच्छेद 345 के पर्योन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनते वा कोई उपवध नहीं है।				50.4	3.2	मराठी
(ख) विधान परिषद्				89.6	1.7	मराठी
5 सद्य प्रदेश विधान सभा				—	—	—
				15	83.0	मराठी
				—	—	—
				40.9	—	मुजराती
				4.5	—	कन्नड़
				10	—	—
				7.3	—	मुजराती
				1.4	—	—
				15.5	—	—

प्रसाम विधान सभा

धनुच्छेद 345 के पर्यार विधान सभा के लिए राजकीय
भाषा चुनते वा कोई उपवध नहीं है।

3 बिहार

(क) विधान सभा

'बिहार विधि नियम' के लिए भाषा अधिनियम, 1955'
वा' प्रधीन विधान सभा में बहस, विधेयक प्रस्तुत करते और
अधिनियम पारित करने के लिए देवनागरी लिपि में
हिन्दी वा प्रयोग विद्या जायेगा।

(ख) विधान परिषद्

4 बंगाल

(क) विधान सभा

धनुच्छेद 345 के पर्योन विधान सभा के लिए राजकीय
भाषा चुनते वा कोई उपवध नहीं है।

(ख) विधान परिषद्

5 सद्य प्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम 1950 के मध्यप्रदेश देव-
नागरी लिपि में हिन्दी और बाल-बाल लिपि में मराठी
विधान सभा की राजकीय भाषा हैं जूनी गयी हैं, परन्तु
विधान सभा में ऐसा विए जाने वाले समस्त विधेयकों

4 (क) 4 (ख) 4 (स)

(3)

(1) (2)

और पारित होने वाले अधिनियमों का शासकीय मूल पाठ शंखेजी में होगा। इसके भवित्वत प्रबर सभितियों, वित सभितियों, प्रत्यायोजित विधि निर्माण सभितियों की रपट भी शंखेजी में होगी।

	4 (क)	4 (ख)	4 (स)
6. मद्रास			
(क) विधान सभा			
(ख) विधान परिषद्			
7. उड़ीसा विधान सभा			
8. पञ्चाब			
(क) विधान सभा			
(ख) विधान परिषद्			
9. उत्तर प्रदेश			
(क) विधान सभा			
अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबन्ध नहीं है। वही	52.4	—	तमिल मलयालम
‘उड़ीसा राजभाषा अधिनियम 1944’ के अनुसार विधान सभा में वहस तथा विवेपक प्रस्तुत करने और अधिकारियम पारित करने के लिए उड़िया भाषा का प्रयोग होगा।	82.2	—	तमिल मलयालम
अनुच्छेद 344 के अधीन विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनने का कोई उपबन्ध नहीं है। वही	5.0	—	उड़िया
‘उत्तर प्रदेश भाषा (विवेपक एवं अधिनियम) अधिकारियम प्रदेश विधान सभा (विवेपक एवं अधिनियम) अधिकारी	0.27	56.7	पञ्चाबी
उत्तर प्रदेश भाषा (विवेपक एवं अधिनियम) अधिकारी	34.6	35.6	पञ्चाबी
उत्तर प्रदेश भाषा (विवेपक एवं अधिनियम) अधिकारी	—	100.0	—
	42.2	5.4	
	17.6	0.2	
	95.0		
	43.3	29.8	

(1)	(2)	(3)	4(अ)	4(छ)	4(य)
10 परिवर्तन सभा	परिवर्तन सभा	नियम 1950' के प्रत्यक्ष विधान सभा में बहुत लंबा विधेयक प्रस्तुत करते थे और विधिनियम पासित करने के लिए देखनारी चिपि में हिटी का प्रयोग होता।	वही	30 970	—
(ब) विधान परिषद्	(क) विधान सभा	धनुष्ठान 345 के प्रतीत विधान सभा के लिए राज लंबा भाषा लूटने का बोई उपचार नहीं है।	वही	50 4 0 5	वर्गता 491
11 हैदराबाद विधान सभा	(घ) विधान परिषद्	धनुष्ठान 345 के प्रतीत विधान सभा के लिए राज लंबा भाषा लूटने का बोई उपचार नहीं है।	वही	69 3 —	वर्गता 360
12, जम्मू कश्मीर सविधान सभा	सराने तथा राजभाषा के लूटने पर उर्दू का प्रयोग कर रही है।	सराने तथा राजभाषा के लौर पर उर्दू का प्रयोग कर रही है।	जम्मू कश्मीर सभा	60 0 5	उर्दू 940 फारसी 0 4 तदृशावी 0 4
13 मध्य भारत विधान सभा	मध्य भारत भाषा विधिनियम 1950' के प्रत्यक्ष विधान सभा में बहुत तथा विदेशी प्रस्तुत करने के लिए	मध्य भारत भाषा विधिनियम 1950' के प्रत्यक्ष विधान सभा में बहुत तथा विदेशी प्रस्तुत करने के लिए	—	100 0	—

(1)	(2)	(3)	4(ग)	4(घ)	4(स)
14.	मैसूरु (क) विधान सभा	नियम पारित करते के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग होगा ।	45.0	—	कर्नाटक 55.0
15.	मैसूरु विधान सभा	अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राज-कीय भाषा चुनते का कोई उपबन्ध नहीं है । वही	35.0	—	कर्नाटक 65.0
16.	राजस्थान विधान सभा	(क्य) विधान परिषद् अनुच्छेद 345 के अधीन विधान सभा के लिए राज-कीय भाषा चुनते का कोई उपबन्ध नहीं है । ‘राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1952’ के अनुसार विधान सभा में वहस विधेयक सेण करते और अधिकारियम पारित करते के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग होगा ।	2.7	33.5	पश्चिम प्रजाशास्त्री 63.8
17.	सोराष्ट्र विधान सभा	सोराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1950’ के अनुसार विधान सभा में बहस, विशेषक प्रस्तुत करते और अधिनियम पारित करते की भाषा गुजराती होगी । संविधान अनुच्छेद 345 के अनुसार विधान सभा के लिए राजकीय भाषा चुनते का कोई उपबन्ध नहीं है ।	—	—	गुजराती 100.0
18.	द्रावनकोर लोचन विधान सभा	—	—	—	मतवालम तमिल 78.0 3.0

मानकारी : देविए राजभाषा मायें, 1956 की रिपोर्ट, पृष्ठ 451 से 455 तक.

परिणाम VI
मार्च-अप्रैल 1976 में लोकसभा में प्रयुक्त
भाषाओं का विवरण

लोक सभा बैठक की तिथि	कुल भाषण	भाषणों के भाषा-वार विवरण		
		अंग्रेजी	हिन्दी	मात्र द्वेषीय भाषाएँ
8-3-76	21	14	7	—
9-3-76	28	23	5	—
10-3-76	15	15	—	—
11-3-76	17	16	—	1 (बंगला)
12-3-76	15	13	2	—
15-3-76	15	7	7	1 (बंगला)
17-3-76	38	14	22	2 (बंगला—1) (तमिल—1)
18-3-76	18	15	1	2 (तमिल)
19-3-76	26	21	5	—
22-3-76	43	25	18	—
23-3-76	30	10	20	—
24-3-76	27	24	1	2 (तमिल)
25-3-76	23	21	1	1 (बंगला)
26-3-76	27	15	12	—
29-3-76	24	18	6	—
30-3-76	41	27	14	—
31-3-76	32	22	10	—
1-4-76	35	25	10	—
2-4-76	36	20	15	1 (बंगला)
5-4-76	27	20	6	1 (तमिल)
6-4-76	24	14	9	1 (तमिल)
7-4-76	26	19	6	1 (बंगला)
8-4-76	21	15	6	—
14-4-76	25	15	10	—
15-4-76	26	15	11	—

अंग्रेजी में दिए गए भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत	67.12
हिंदी भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत	30.91
अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषण : कुल भाषणों का प्रतिशत	1.97

संकलित : इस परिशिष्ट के आंकड़े पाँचवीं लोक सभा के मोलहवे अधिवेशन (वित्त-अधिकार) जो 8-3-76 को प्रारम्भ हुआ था, से लिए गए हैं। यह सकल न केवल 15-4-76 तक का है, क्योंकि इसके आधार पर भी (परिशिष्ट V में दी गई) और 1976 की स्थिति की तुलना हो सकती है।

परिचय VII

गृह मनातथ की 27 अप्रैल, 1960 ई० की
अधिसूचना संख्या 2/8/60-रा० भा० को प्रतिलिपि

अधिसूचना

राष्ट्रपति का निम्ननिवित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

आदेश - भई दिल्ली, दि० 27 अप्रैल, 1960 ई०

लोक सभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों की एक समिति प्रधम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपारी राय राष्ट्रपति के समझ पेश करने के लिए सविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त बी गई थी। समिति ने अपनी स्पोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी, 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कुछ मुश्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है—

संसदीय समिति की सिफारिश

- (क) राजभाषा के बारे में सविधान में वही भमन्वित योजना दी गई है। इसमें योजना के दायरे से बाहर जाए विना स्थिति वे अनुमार परिवर्तन करने की गुआदश हैं।
- (ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ राज्यों में शिक्षा और सरकारी काम-काज के माध्यम के रूप में तेजी स अग्रेज़ी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएँ अपना उचित स्थान प्राप्त करें। अत व्यावहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भास्तीय भाषा काम में लाई जाए। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियन तारीख की ही हो। यह परिवर्तन धीरे-धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गडबड़ी न हो और कम से कम असुविधा हो।

- (ग) 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 में हिंदी सघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी किन्तु उसके उपरान्त अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहनी चाहिए।
- (घ) सघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए और अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरान्त भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए, जिन्हे संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे, तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक रहे।
- (ड.) अनुच्छेद 351 का यह उपवन्ध कि हिन्दी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुवोध शब्द काम में लाए जाएं।

रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद् के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रखी दी गई थीं और रिपोर्ट पर विचार-विमर्श लोक सभा में 2 सितंबर से 4 सितंबर, 1959 तक और राज्य सभा में 8 और 9 सितंबर, 1959 को हुआ था। लोक सभा में इस पर विचार-विमर्श के समय प्रधानमन्त्री ने 4 सितंबर, 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त कर दिया था।

2. अनुच्छेद 344 के खण्ड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके बाद निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं।

3. शब्दावली-आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया, वे ये हैं—(i) शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, घटार्थता और सरलता होना चाहिए, (ii) अतर्वादीय शब्दावली अपनाई जाए, या जहाँ भी आवश्यक हो, अनुकूलन कर लिया जाए; (iii) सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय नक्ष्य यह होना चाहिए कि उसमें जहाँ तक हो सके, अधिकतम एकरूपता हो; और (iv) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए जो प्रथल केन्द्र और राज्यों में हो रहे हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रबन्ध

दिए जाने चाहिए। इसके अनियत मिमिति का यह मत है कि विज्ञान और प्रोटोगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहाँ तक ही सके, एक स्वतंत्र होनी चाहिए और शब्दावली लगभग अप्रेजी या अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न स्थायों द्वारा दिए गए नाम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्राप्ताणिक शब्दकोष अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के लिए एक ऐसा स्थायी आवोग कायथ किया जाए जिसके सदस्य मूल्यन् वैज्ञानिक और प्रोटोगिकीविद् हों।

शिक्षा मञ्चात्मय निम्नलिखित विषय में कारबाह्य करे

(क) अब तक दिए गए नाम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल शब्दावली का विवास। विज्ञान और प्रोटोगिकी के क्षेत्र में वे शब्द, जिनका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है, वे से नम परिवर्तन के साथ अपना लिए जाएं, अर्थात्, मूल शब्द वे होने चाहिए जोकि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली में काम में आते हैं। उनसे अनुसन्धान शब्दों का जहाँ भी अवश्यक हो, भारतीयकरण किया जा सकता है,

(ख) शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध करने के विषय में सुझाव देना, और

(ग) विज्ञान और तज्ज्ञानीय शब्दावली के विवास के लिए समिति वे सुझाव के अनुसार स्थायी अप्योग का निर्माण।

4 प्रशासनिक महिताओं और अन्य कायविधि माहित्य का अनुवाद इस अवश्यकता को दृष्टि में रख कर कि सहिताओं और अन्य कायविधि-माहित्य के अनुवाद में प्रयुक्त भाषा में विस्तृ हृद तक एकरूपता होनी चाहिए, समिति ने आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि यह भारता नाम एक अभिकरण को सौंप दिया जाए।

शिक्षा मञ्चात्मय साविधिक नियमों, विनियमों और बाइंगों के अलावा वाकी सब सहिताओं और अन्य कायविधि-माहित्य का अनुवाद रखें। साविधिक नियमों, विनियमों और बाइंगों का अनुवाद साविधियों वे अनुवाद में परिष्ठ स्थ से सम्बद्ध हैं, इसलिए यह नाम विधि मञ्चात्मय करे। इस बात का पूरा प्रबल होना चाहिए कि सब भारतीय भाषाओं में इन अनुवादों वी शब्दावली में जहाँ तक हो सके, एकरूपता रखी जाए।

5 प्रशासनिक क्षेत्रों का हिंदी का प्रशिक्षण (क) समिति द्वारा

बमिव्यक्त भत के अनुसार 45 वर्ष से कम आयु वाले सब केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी के ग्रेड से नीचे के कर्मचारियों और प्रांदोगिक संस्थाओं और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में यह बात लागू न होगी। इस योजना के अन्तर्गत नियत तारीख तक विहित योग्यता प्राप्त न कर सकने के लिए कर्मचारी को कोई इण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। हिन्दी भाषा की पढ़ाई के लिए मुविधाएँ प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए।

(ल) गृह मंत्रालय उन टाइपिकारों और आशुलिपिकों का हिन्दी टाइप-राइटिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रवन्ध करे जो केन्द्रीय सरकार की नीकरी में हैं।

(ग) शिक्षा मंत्रालय हिन्दी टाइपराइटरों के मानक की-बोर्ड (कुजी पटल) के विकास के लिए जीव्र कदम उठाए।

6. हिन्दी प्रचार : (क) आयोग की इस सिफारिश से कि यह काम करने की जिम्मेदारी अब सरकार उठाए, समिति सहमत हो गई है। जिन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं पहले में ही विद्यमान हैं, उनमें उन संस्थाओं को वित्तीय और बन्ध प्रकार की नहायता दी जाए और जहाँ ऐसी संस्थाएं नहीं हैं वहाँ सरकार आवश्यक समर्थन कायम करे।

शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा करे कि हिन्दी प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है, वह कैसी चल रही है। माय ही वह समिति द्वारा मुझाई गई दिशाओं में आगे कार्रवाई करे।

(ख) शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा-विज्ञान, भाषा-शास्त्र और साहित्य-संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए समिति द्वारा मुझाई गए तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और विभिन्न भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए और अनुच्छेद 351 में दिए गए निदेश के अनुसार हिन्दी का विकास करने के लिए आवश्यक योजना तैयार करें।

7. केन्द्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती : (क) समिति की राय है कि केन्द्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने अन्तरिक कामकाज के लिए हिन्दी का प्रयोग करें और जनता के साथ व्यवहार में उन प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें।

अपने स्थानीय कार्यालयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करने के बास्ते योजना तैयार करने में केन्द्रीय सरकारी विभाग

इस आवश्यकता को व्यान म रखें कि यथासम्बव अधिक से अधिक भाषा में प्रादेशिक भाषाओं में पाम और विभागी साहित्य उपलब्ध कराके वहाँ को जनता को पूरी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(ख) समिति की राय है कि केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक अभिकरणों और विभागों में कमचारियों की बत्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, और कमचारियों वा प्रादेशिक भाषाएँ पर विकेंद्रीयकरण कर दिया जाए, इसके लिए भासी के तरीकों और अहंताओं में उपयुक्त मशीधन बरना होगा।

स्थानीय कार्यालयों में जिन कोटियों के पदों पर कार्य करने वालों की बदली मामूली तौर पर प्रदेश के बाहर तहीं होती उन कोटियों के सबध में यह सुझाव, कोई विधिवास सबधी प्रतिवध लगाए बिना, मिदावत मान लिया जाना चाहिए।

(ग) समिति आयाग की इस सिफारिश से सहमत है कि केंद्रीय सरकार के लिए यह विहित कर देना न्यायसम्मत होगा कि उम्मीदवार को हिंदी भाषा का सम्बूजान हो। पर एसा तभी विद्या जाना चाहिए जबकि इसके लिए वाकी पहले से धूचना दे दी गई हो और भाषा योग्यता वा विहित स्तर मामूली हो और इस बारे में जो भी कमी हो उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता हो।

यह सिफारिश अभी हिंदी-भाषी क्षेत्रों के नेत्रीय सरकारी विभागों में ही कार्यान्वित भी जाए, हिंदीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों के स्थानीय कार्यालयों में नहीं।

(व), (ख) और (ग) में दिए गए निर्देश भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग वे जगहीन कार्यालयों के सम्बन्ध में उपरा न होंगे।

४ प्रशिक्षण सम्यान (क) समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहे किंतु शिक्षा-सम्बन्धी कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

रसा भवालय थारुदेश पुस्तकालय इत्यादि के हिंदी प्रकाशन आदि के रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करें, ताकि जहाँ भी व्यवहार्य हो, वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग सुगम हो जाए।

(ख) समिति ने सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हो, किंतु परीक्षाधिकारी को यह विवल्य रहे कि वे सदा या कुछ परीक्षा-पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा

को चुन लें और एक विशेष समिति यह जाँच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा-प्रणाली अपनाएं विना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहाँ तक शुरू किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और कोई नियत कोटा प्रणाली अपनाएं विना परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग आरंभ करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे।

9. अस्तित्व भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती : (क) परीक्षा का माध्यम : समिति की राय है कि (i) परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बिना रहे और कुछ समय पश्चात् हिंदी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। उसके बाद जब तक आवश्यक हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही परीक्षार्थी के विकल्पानुसार परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की छूट हो; और (ii) किसी प्रकार की नियत कोटा-प्रणाली अपनाएं विना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

कुछ समय के पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे। वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने से गम्भीर कठिनाइयाँ पैदा होने की संभावना है, इसलिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।

(ख) भाषा विषयक प्रश्न-पत्र : समिति की राय है कि सम्बद्ध सूचना के बाद समान स्तर के दो अनिवार्य प्रश्न-पत्र होने चाहिए जिनमें से एक हिंदी का और दूसरा हिंदी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का होना चाहिए और परीक्षार्थी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह इनमें से किसी एक को चुन लें।

अभी केवल एक ऐच्छिक हिंदी परीक्षा-पत्र शुरू किया जाए। प्रतियोगिता के फल पर चुने गये जो परीक्षार्थी इस परीक्षा-पत्र में उत्तीर्ण हो गये हों, उन्हें भर्ती के बाद जो विभागीय हिंदी परीक्षा देनी होती है, उसमें बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने की शर्त से छूट दे दी जाए।

10. अंक : जैसा कि समिति का सुझाव है, केंद्रीय मंत्रालयों का हिंदी

प्रकाशनों से अनर्सार्ट्रीय अको के अतिरिक्त देवनागरी अको के प्रयोग के सबै में एक आधारभूत नीनि अपनाई जाए, जिसका तिर्धारण इस आधार पर किया जाए कि वे प्रकाशन किम प्रकार की जनता के लिए हैं और उसकी विधमवस्तु क्या है। वैतानिक, औद्योगिकीय और साहित्यकीय प्रकाशनों में, जिसमें देन्द्रीय सरकार का बजट-सबैधी माहित्य भी शामिल है, वरावर अतर्सार्ट्रीय अको का प्रयोग किया जाए।

11 अधिनियमी, विधेयकों इत्यादि की भाषा (क) समिति ने राय दी है कि समदीय विधियाँ अप्रेजी में बनती रहे विन्तु उनका शामाणिक हिंदी अनुवाद संपलन्थ कराया जाए।

समदीय विधियाँ अप्रेजी में बनती रहे पर उनके शामाणिक हिंदी अनुवाद की व्यवस्था करने के बास्ते विधि मञ्चालय आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश करे। समदीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध भी विधि मञ्चालय करे।

(ख) समिति ने राय जाहिर की है जहाँ वही राज्य विधान मण्डल में पेश किए गए विधेयकों या पास किए गए अधिनियमों का मूल पाठ हिंदी में भिन्न किसी भाषा में है, वहाँ अनुच्छेद 348 के स्वाइ (3) के अनुसार अप्रेजी अनुवाद के अलावा उनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए।

राज्य की राजभाषा में पाठ के साथ-साथ राज्य विधेयकों, अधिनियमों और अन्य साविधिक लिखनों के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवश्यक विधेयक उचित समय पर पेश किया जाए।

12 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा राजभाषा आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक उच्चनम न्यायालय की भाषा नहीं सवाल है, उसकी भाषा इस परिवतन का समय आने पर अन्तत हिंदी होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश मान ली है।

आयोग ने उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी के पांच विषय में विचार किया और सिफारिश थी कि जब भी इस परिवतन का समय आए, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञानियों (डिक्शनी) और आदेशों की भाषा सब प्रदेशों में हिंदी होनी चाहिए, विन्तु समिति की राय है कि राष्ट्रपति की पूर्व सम्मनि में आवश्यक विधेयक पेश करने पर यह व्यवस्था करने की गुजाइश रहे कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आज्ञापत्रों (डिक्शनी) और आदेशों के लिए उच्च न्यायालय में हिंदी और राज्यों की राजभाषाएँ विकल्पत प्रयोग में लाई जाएं जाएं।

समिति की यह राय है कि उच्चतम न्यायालय अंततः अपना मब काम हिंदी में करे, यह सिद्धांत रूप में स्वीकार्य है और इसके संबंध में समुचित कार्रवाई उसी समय अपेक्षित होगी जबकि इस परिवर्तन के लिए समय आ जाएगा।

जैसा कि आयोग की सिफारिश की तरमीम करते हुए समिति ने सुझाव दिया है, उच्च न्यायालयों की भाषा के विषय में यह व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधेयक विधि मंत्रालय उचित समय पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से पेश करे कि निर्णयों, आज्ञापत्रियों (डिक्रियों) और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विकल्पतः किया जा सकेगा।

13. विधि क्षेत्र में हिंदी में काम करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कदम : मानक विधि-शब्दकोश तैयार करने, केन्द्र तथा राज्य के विधान-निर्माण से संबंधित सांविधिक ग्रंथ का अधिनियमन करने, विधि शब्दावली तैयार करने की योजना बनाने और जिस संकलन काल में सांविधिक ग्रंथ और साथ ही निर्णय-विधि अंशतः हिंदी और अंशतः अंग्रेजी में होंगे, उस अवधि में प्रारंभिक कदम उठाने के बारे में आयोग ने जो सिफारिश की थी उन्हें समिति ने मान लिया है। साथ ही समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि संविधियों के अनुवाद और विधि शब्दावली और कोशों से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न राष्ट्र-भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग या इस प्रकार का कोई उच्च स्तरीय निकाय बनाया जाए। समिति ने यह राय भी जाहिर की है कि राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे भी केंद्रीय सरकार से राय लेकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

समिति के सुझाव को दृष्टि में रखकर विधि मंत्रालय (यासंभव सब भारतीय भाषाओं में प्रयोग के लिए) सर्वमान्य विधि शब्दावली की तैयारी और संविधियों के हिंदी में अनुवाद-संबंधी पूरे काम के लिए समुचित योजना बनाने और पूरा करने के लिए विधि विशेषज्ञों के एक स्थायी आयोग का निर्माण करे।

14. हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए योजना या कार्यक्रम : समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना संघ सरकार बनाए और कार्यान्वित करे। संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर इस समय कोई रोक न लगाई जाए।

तदनुसार गृह मंत्रालय एक योजना या कार्यक्रम तैयार करे, उसे अमल में लाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। इस योजना का उद्देश्य होगा संघीय

प्रशासन में बिना कठिनाई के हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रारम्भिक वदम उठाना और संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड (2) में किए गए उपबघ के अनुसार सघ के विभिन्न कायों में अप्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। अप्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी का प्रयोग वहाँ तक किया जा सकता है यह बात इन प्रारम्भिक कार्रवाइयों की सफलता पर बहुत दृष्टि निर्भर करेगी। इस दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर अप्रेज़ी के अतिरिक्त हिंदी के वास्तविक प्रयोग की योजना का समय-समय पर पुनर्विचार और उसमें हेरफेर करना होगा।

परिशिष्ट VIII

संघ राज्य क्षेत्र (हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग)

विधेयक 1978

संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रब्ल्यापित अध्यादेशों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के लिए और संघ राज्यक्षेत्रों में मुद्य स्वान रखने वाले उच्च न्यायालयों में कठिपय प्रयोजनों के लिए हिंदी या संघ राज्यक्षेत्रों की राजभाषाओं के वैकल्पिक प्रयोग के लिए उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त
नाम और
प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र (हिंदी और अन्य भाषाओं का प्रयोग) अधिनियम, 1978 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे कोंड्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न संघ राज्यक्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
परिमापाएँ : 2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) किसी संघ राज्यक्षेत्र के और इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में 'नियत दिन' से वह दिन अभिप्रेत है, जिस दिन से उस संघ राज्यक्षेत्र में वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है; 5

(ग) 'हिंदी' से वह हिंदी अभिप्रेत है, जिसकी लिपि देवनागरी है;

(घ) 'संघ राज्यक्षेत्र' से विधान सभा वाला संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत

है और इसके अतिरिक्त दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र भी है।

वित्तिपय
भासलों में
संघ राज्य-
क्षेत्रों की
विधान
सभाओं पर
द्वारा
पारित
अधिनियमों
और
प्रशासकों
द्वारा
प्रख्यापित
अध्यादेशों
का
प्राधिकृत
हिंदी
अनुवाद

3 जहाँ संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा पारित 10
अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा प्रख्यापित
अध्यादेश हिंदी से अन्य भाषा में हैं, वहाँ उनका हिंदी अनु-
वाद उस संघ राज्यक्षेत्र के राजपत्र में, उस संघ राज्यक्षेत्र के
प्रशासक के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके तत्पचात्
प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसे किसी अधिनियम या
अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधि-
कृत पाठ समझा जाएगा।

15

निर्णयों
आदि से
हिंदी या
अन्य राज-
भाषाओं
का
वैकल्पिक
प्रयोग

4 (1) नियत दिन से ही या तत्पचात् किसी भी दिन
राष्ट्रपति हिंदी या संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा का प्रयोग,
उस संघ राज्यक्षेत्र में मुख्य स्थान रखने वाले उस संघ राज्य-
क्षेत्र के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, प्राधिकृत कर
सकेगा।

(2) नियत दिन से ही या तत्पचात् किसी भी दिन से राष्ट्रपति या 10
उस संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा का प्रयोग, अग्रेजी भाषा के अतिरिक्त¹⁰
उस संघ राज्यक्षेत्र में मुख्य स्थान रखने वाले उस संघ राज्यक्षेत्र के उच्च

न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के 20 प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से अन्य) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

25

स्पष्टीकरण : इस धारा में, 'उच्च न्यायालय' अभिव्यक्ति के अन्तर्गत गोबा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए न्यायिक आयुक्त का न्यायालय भी है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों, निर्णयों आदि के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा। समान रूप से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 में उपवन्ध किया गया है कि जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुति अध्यादेशों में प्रयोग के लिए, हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित, अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के जासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जा सकेगा, और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम, या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ये उपवन्ध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू नहीं है क्योंकि इन उपवन्धों में राज्यपाल के प्रति निर्देश के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नहीं है। इसलिए यह प्रस्तुति किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 और 7 के आधार पर पृथक् विधान अधिनियमित किया जाए जिससे कि संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा प्रस्तुति अध्यादेशों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के लिए और उस संघ राज्यक्षेत्र में मुद्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजनों के लिए हिंदी या उस संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के लिए उपवन्ध किया जा सके।

इस विधान का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करता है।

वित्तीय ज्ञापन

विद्येयक के स्थंड 3 का उद्देश्य हिंदी से भिन्न किसी भाषा में सध राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों के या सध राज्यक्षेत्र वे प्रशासक द्वारा प्रब्ल्यापित अध्यादेशों के, हिंदी में अनुवाद का राजपत्र में प्रकाशन करने के लिए उपबन्ध करता है। इस प्रकार विद्येयक का स्थंड 4 कार्यवाहियों में और सध राज्यक्षेत्र के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या विये गये किसी निर्णय, फिकी या आदेश के प्रयोजनों के लिए हिंदी के या सध राज्यक्षेत्र की राजभाषा के उपयोग के लिए उपबन्ध करता है। इसमें कुछ आवर्ती व्यय होने की सम्भावना है किन्तु ऐसा व्यय कितना होगा, इस समय वह बताना सम्भव नहीं है।

कोई अनावर्ती व्यय होने की सम्भावना नहीं है।

प्रगीकार नोट सभा बहम, 1978

परिणिष्ट IX

**भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं
में श्रेष्ठ प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से 1980 तक
दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार**

क्र.सं.	भाषाओं के नाम	प्राप्त पुरस्कारों की संख्या	
		(1955-77)	(1978-80)
1.	ब्रह्मिया	14	3
2.	उड़िया	17	3
3.	उदू	17	3
4.	कलड़	21	3
5.	कस्मीरी	9	2
6.	गुजराती	19	3
7.	तमिल	17	3
8.	तेलुगु	17	2
9.	पंजाबी	17	3
10.	बंगला	20	3
11.	मराठी	22	3
12.	मलयालम	19	3
13.	संस्कृत	11	2
14.	सिंधी	11	3
15.	हिन्दी	22	3

संक्लित : माहित्य अकादमी सामान्य सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट, 1977, 1979, 1980,
नई दिल्ली; पृष्ठ 75 से 99, 45 से 69 एवं 44 से 65 तक कमरा।

परिशिष्ट X

**संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न की गई भारतीय
भाषाओं तथा अप्रेज़ी में थ्रेट प्रकाशनों के लिए सन् 1955 से
1980 तक दिए गए साहित्य व्रतादमी पुरस्कार**

क्रम	भाषाओं के नाम	पुस्तकों की संख्या	
		(1955-77)	(1978-80)
1	अप्रेज़ी	9	3
2	बाड़नी	1	3
3	दागरी	7	3
4	नपाली	1	3
5	मणिपुरी	4	2
6	मैथिली (1966 से)	9	3
7	राजस्थानी (1974 से)	4	3

महानि साहित्य व्रतादमी भाषाय मूलना एवं वायिक रिपोर्ट, 1977, 1979, 1980, नई दिल्ली। पृष्ठ 75 से 99 45 से 69 44 से 65 तक चमग ।

परिशिष्ट XI

विवरण I

**संसार की राजभाषाएँ और इन्हें प्रयोग करने वाले
एक भाषी देशों की संख्या**

क्र.सं.	भाषा	एक भाषी देशों की संख्या जिनमें कालम दो की भाषा राजभाषा है।	कालम (3) में अकित देशों को जन संख्या (लाखों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंग्रेजी	26	4002.5
2.	अमहारिक	1	252.5
3.	बरबी/क्लासिकल बरबी	15	
4.	बल्बानी	1	21.9
5.	आइसलैंडिक	1	2.1
6.	इतालवी	3	
7.	चर्दू	1	621.7
8.	कतालान	1	0.2
9.	कम्बोडियन/अथवा स्प्रेट	1	74.5
10.	कोरियन	2	461.1
11.	खलखां मंगोलियन	1	12.8
12.	क्वोक-न्गू	2	404.1
13.	चीनी	2	
14.	जर्मन	4	858.3
15.	जापानी	1	1066.0
16.	टोंगन	1	0.9
17.	दच्च	2	136.0

□□. उपर्युक्त सूची में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य-देशों (1-1-76 की स्थिति के अनुसार) तथा अन्य ऐसे देशों को शामिल किया गया है, जिनके सम्बन्ध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध थी।

(1)	(2)	(3)	(4)
18	दिवही	1	11
19	देनिश	1	496
20	डयोधा	1	15
21	तुर्मी	1	3611
22	थाई	1	3738
23	नाविजियन	1	390
24	नेपाली	1	1155
25	पूतगल्ली	2	10471
26	पालिश	1	3280
27	फोच/प्रासीनी	16	11601
28	फारमी	1	2978
29	फिनिश	1	462
30	वर्मी	1	2820
31	बुर्गेरियन	1	854
32	भाषा इण्डोनेशियन	1	11789
33	मलय	1	1067
34	मधार	1	1037
35	(आधुनिक) यूतानी	1	177
36	रुमी	1	24508
37	रोमानियन	1	2047
38	सेवों झोएजियन	1	2052
39	मिहली	1	1271
40	स्पैनिश	19	29676
41	स्ट्रीडिंग	1	810
42	इव्रानी	1	301

परिशिष्ट XI
विवरण II

अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग
करने वाले देशों की संख्या

(क) देश जहाँ केवल अंग्रेजी राजभाषा है।	26
(ख) देश जहाँ अंग्रेजी और एक अन्य निम्नलिखित भाषा राजभाषा है।	
(i) अंग्रेजी और आयरिश	1
(ii) अंग्रेजी और नौराहान	1
(iii) अंग्रेजी और फ़ैंच/फांसीसी	2
(iv) अंग्रेजी और माल्टीज़	1
(v) अंग्रेजी और समाओ	1
(vi) अंग्रेजी और सेस्वो	1
(vii) अंग्रेजी और स्वाहिली	1
(viii) अंग्रेजी और हिंदी	1
द्वि-भाषी देशों की कुल संख्या	9
(ग) त्रि-भाषी देश जिनमें अंग्रेजी तथा दो अन्य भाषाएँ (टागालोग और स्पेनिश), राजभाषाएँ हैं।	1
(घ) चतुर्भाषी देशों की संख्या, जिनमें द्व्युअंग्रेजी, और चीनी (मेंडारिन), तमिल तथा मलाय राजभाषाएँ हैं।	1

परिशिष्ट XI

विवरण III

**फ्रासीसी को राजभाषा के रूप में
प्रयोग करने वाले देशों की संख्या**

(क) देश जहाँ केवल फ्रासीसी राजभाषा है।	16
(स) देश जहाँ फ्रासीसी और एक अन्य निम्नलिखित भाषा राजभाषा हैं।	
(i) फ्रासीसी और अंग्रेजी	2
(ii) फ्रासीसी और अरबी	1
(iii) फ्रासीसी और किन्यारवादी	1
(iv) फ्रासीसी और किस्ती	1
(v) फ्रासीसी और मालागासे	1
(vi) फ्रासीसी और मोहान कीटूबा	1
(vii) फ्रासीसी और लाओ	1
द्वि-भाषी देशों की कुल संख्या	8
(ग) त्रि-भाषी देश जिनमें फ्रासीसी संघा दो अन्य भाषाएँ राजभाषाएँ हैं।	
(i) फ्रासीसी तथा इतालवी और जमन	1
(ii) फ्रासीसी तथा जर्मन और डच	1
त्रि-भाषी देशों की कुल संख्या	2

परिशिष्ट XI

विवरण IV

द्वि-भाषी देशों में अन्य राजभाषाएँ

क्रम	भाषाएँ	जितने देशों में कालम (2) को भाषाएँ राजभाषाएँ हैं
(1)	(2)	(3)
1.	गौरानी और स्थेनिग	1
2.	चैक और स्लोवाक	1
3.	फ़ारसी और पश्तो	1
4.	यूनानी और तुर्की	1

यंकलित : वह्द मार्क एन्साइक्लोपीडिया बॉक्स नेशंस, ग्रंथ 2 से 5 तक, वह्द मार्क प्रेस, हापर एण्ड को., न्यूयार्क, 1971.

परिशिष्ट- XII

**राजभाषा (मतोधन) प्रधिनियम 1967
के सबूत में समाचारपत्रों में-
प्रकाशित समाचारों का
स्थान विवरण**

**लालिका I
दि हिन्दू (अप्रैली), दिसंबर 1967**

क्रम	वर्ग	प्रयोगी के पास में	प्रतिशत	हिन्दू के पास में	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिलायर्हि	- 388 वालम से भी	6.73	- 318 वालम से भी	5.51
2	राजनीतिज्ञ	1224 , ,	21.23	1277 , ,	22.15
3	सरकारी प्रबन्धना	550 , ,	9.44	968 , ,	16.79
4	शिलायार्हि (उप-कूलपति एवं शिशा प्रशासक आदि)	157 , ,	2.72	23 , ,	0.39
5	बन्ध (सपादवीय दौर अच सेवा आदि मिलाकर)	686 , ,	11.90	171 , ,	2.94
इन	5762 (100%)	3005 , ,	52.12%	2757 , ,	47.87%

तालिका II
हिंदुस्तान (हिंदी), दिसंबर 1967

क्रम	वर्ग	अंग्रेजी के पक्ष में	प्रतिशत	हिंदी के पक्ष में	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	विद्यार्थी	318 कालम नॉ.मी.	3.4	1521 कालम तॉ.मी.	16.2
2.	राजनीतिज्ञ	307 "	3.3	2694 "	28.6
3.	सरकारी प्रवक्ता	104 "	1.1	768 "	8.2
4.	शिक्षाकार्यालयी (उप-कुलपति एवम् शिक्षा प्रशासक आदि)	—	—	55 "	0.5
5.	अन्य (सम्पादकीय आदि मिलाकर)	13 "	0.1	3626 "	38.6
कुल : 9406 (100%)		742 "	7.9%	8664 "	92.1%

(i) मंकनित : दि हिंदू और हिंदुस्तान (हिंदी), दिसम्बर 1967

(ii) कालम (3) और (5) में प्रतिशत के अंकड़े दि हिंदू और हिंदुस्तान (हिंदी) में इस सम्बन्ध में दिए गए कुल स्थान के हैं।

परिशिष्ट XIII

विवरण I

**पांचवें सोक सभा, 1976 में प्रत्येक राज्य से
निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक दलों की
सदस्य सूच्या**

क्रम	राज्य	काप्रेस	साम्यवादी दल (एम)	साम्यवादी जनसंघ डी.एम.वे	जनसंघ डी.एम.वे
1	आंध्र प्रदेश	36	1	1	—
2	बस्ती	12	—	—	—
3	उडीसा	14	—	1	—
4	उत्तरप्रदेश	71	—	5	4
5	बंगाल	27	—	—	—
6	बंगल	6	2	3	—
7	गुजरात	12	—	—	—
8	जम्मू कश्मीर	5	—	—	—
9	तमிலनாடு	8	—	4	—
10	त्रिपुरा	—	2	—	—
11	नागालैंड	—	—	—	—
12	पञ्चाब	9	—	1	—
13	पश्चिम बंगाल	13	20	3	—
14	विहार	35	—	5	2
15	मणिपुर	2	—	—	—
16	मध्यप्रदेश	22	—	—	—
17	महाराष्ट्र	39	—	1	9
18	मध्यालय	—	—	—	—
19	राजस्थान	—	—	—	—
20	मिसिसिपी	15	—	—	2
21	ठिमाचलप्रदेश	1	—	—	—
22	हरियाणा	3	—	—	1
		6	—	—	—

संघराज्य क्षेत्र

क्रम	राज्य	कांग्रेस नाम्बवारी (एम्) मान्यवादी उनमध्ये हो.एम.के.	दल			
1.	श्रांगभान और निवोवार द्वीप	1	—	—	—	—
2.	अद्यनाचल प्रदेश	1	—	—	—	—
3.	गोदा, टमन, दीव	1	—	—	—	—
4.	चन्दोगड़	1	—	—	—	—
5.	दादर,					
	नागर हवेली	1	—	—	—	—
6.	दिल्ली	6	—	—	—	—
7.	फांटिचेरी	—	—	—	—	—
8.	मिश्रोरम	1	—	—	—	—
9.	लकड़ीप	1	—	—	—	—
हुन्		349	26	24	18	16

महत्विम : लोक सभा भवनों की सूची, लोक सभा भविवालय, नावं 1976, इस सूची में केवल उन पाँच भारतियों की सरकारी सेवा दर्शकी गयी है, जिनके सरकार लोक सभा में नवाचिक हैं।

परिशिष्ट XIII
विवरण II

छठी स्तोक सभा, 1977 में प्रस्तुक राज्य
से निर्धारित विभिन्न राजनीतिक दलों
की सदस्य संख्या

क्रम	राज्य	कुल स्थान	वाप्रेम संख्या	जनता सी.एफ.ई.	साम्यवादी	साम्यवादी (एम)	अन्य	स्वतंत्र
1	बाध्यप्रदेश	42	42	1	—	—	—	—
2	बस्ती	14	10	3	—	—	—	1
3	उडीसा	21	4	15	—	1	—	1
4	उत्तरप्रदेश	85	—	85	—	—	—	—
5	कर्नाटक	28	26	2	—	—	—	—
6	केरल	20	11	—	4	—	3	—
7	गुजरात	26	10	16	—	—	—	—
8	जम्मू कश्मीर	6	3	—	—	—	2	1
9	तमில்நாடு	39	14	3	3	—	19	—
10	त्रिपुरा	2	1	1	—	—	—	—
11	त्राणानीहे	1	—	—	—	—	1	—
12	पञ्चाब	13	—	3	—	1	9	—
13	पश्चिम बंगाल	42	3	15	—	17	6	1
14	बिहार	54	—	54	—	—	—	—
15	मणिपुर	2	2	—	—	—	—	—
16	यथाप्रदेश	40	1	37	—	—	1	6
17	मंगाराष्ट्र	48	20	19	—	—	6	—
18	मेघालय	2	1	—	—	—	1	—
19	राजस्थान	25	1	24	—	—	—	—
20	मिस्र	1	1	—	—	—	—	—
21	दिल्लीप्रदेश	4	—	4	—	—	—	—
22	हरियाणा	10	—	10	—	—	—	—

संघ राज्य-क्षेत्र

1. बण्डमान और निकोवार द्वीप	1	1	—	—	—	—	—	—
2. अरुणाचलप्रदेश	2	1	—	—	—	—	—	1
3. गोवा-दमन-दीव	2	1	—	—	—	—	1	—
4. कण्णीगढ़	1	—	1	—	—	—	—	—
5. दादर-नगर हवेली	1	1	—	—	—	—	—	—
6. दिल्ली	7	—	7	—	—	—	—	—
7. पांडिचेरी	1	—	—	—	—	—	1	—
8. मिजोरम	1	—	—	—	—	—	—	1
9. लक्ष्मीप	1	1	—	—	—	—	—	—
कुल	542	154	300	7	22	52	7	

(i) अन्य दलों के अंतर्गत निम्न दलों के मदस्य भी शामिल हैं.

अकाली दल	8
डी. एम. के.	1
ए. आई. -- ए. डी. एम. के.	19
मुस्लिम लीग	2

(ii) उपर्युक्त स्थिति चुनावों के तुरंत वाद की है.

परिशिद्ध XIII
विवरण III

क्रम सं	राज्य	अनुसंधान	लोकदल	फूल सीपी भाई	चामोस (ए)	कोरोस (एम)	पितृ बोजेपा	मध्य दल और एम के	(ट्रॉफी)
1	झारखण्ड	—	—	42	—	41	1	—	—
2	झारखण्ड	—	—	14	—	2	—	—	—
3	बिहार	2	5	54	5	32	5	—	3
4	गुजरात	1	—	26	—	25	—	—	2
5	हरियाणा	—	3	10	—	5	—	1	1
6	हिमाचल प्रदेश	—	—	4	—	4	—	—	—
7	जम्मू कश्मीर	—	—	6	—	2	—	—	5
8	कर्नाटक	1	—	28	—	27	—	—	1
9	केरल	—	—	20	2	4	3	—	—
10	मध्यप्रदेश	—	—	40	—	34	—	—	—
11	महाराष्ट्र	6	—	48	—	38	1	—	—
12	मणिपुर	—	—	2	1	1	—	—	—
13	मेघालय	—	—	2	—	1	—	—	—
14	नागालैंग	—	—	1	—	1	—	—	—
15	उड़ीसा	—	1	21	—	20	—	—	—
16	पंजाब	—	—	13	—	11	—	—	—
17	राजस्थान	—	2	25	—	17	—	—	3

परिशिष्ट XIV

संघ लोक सेवा पायोग द्वारा सचालित
परोक्षामो से प्रत्यक्षियों को सहया

कार्य	वर्ष	परोक्षामो की	नीकरियों की	उत्तरीदेशीर	परीक्षा में बैठने वाले	नियुक्ति के लिए	टिक्काएँ
		संख्या	संख्या	प्रत्यागी	संस्कृत प्रत्यागी		
1	1958-59	29 (6)	1,885	62,704	43,730	8,527	पायाग नीबोरिपोट
2	1959-60	93 (72)	1,559	72,726	50,146	6,231	दसवीरिपोट
3	1960-61	73 (51)	1,670	34,349	23,072	3,298	" ग्यारहवीरिपोट
4	1961-62	55 (36)	2,672	36,985	24,515	2,343	चारहवीरिपोट
5	1962-63	58 (35)	4,705	52,429	33,573	2,709	तेरहवीरिपोट
6	1961-64	57 (35)	4,074	33,287	19,515	2,953	बीचहवीरिपोट
7	1964-65	57 (36)	4,612	28,848	19,384	3,286	पद्धत्वीरिपोट
8	1965-66	57 (36)	4,132	33,087	23,272	4,859	सालहवीरिपोट
9	1966-67	58 (38)	3,223	40,532	25,377	4,541	सबहवीरिपोट
10	1967-68	64 (39)	3,092	56,275	36,538	4,530	षट्ठारहवीरिपोट
11	1968-69	58 (37)	3,314	58,948	38,370	4,543	उनीसवीरिपोट
12	1969-70	62 (37)	3,707	72,419	45,604	3,946	दोसवीरिपोट
13	1970-71	29 (6)	4,457	69,612	43,441	4,187	इक्ष्वाकुसवीरिपोट
14	1971-72	28	2,592	63,617	36,865	2,040	बाहसवीरिपोट
15	1972-73	26	2,719	70,961	38,570	2,636	तैदसवीरिपोट
16	1973-74	25	3,006	74,576	42,887	2,342	चांबीसवीरिपोट

17.	1974-75	19	3,110	88,566	47,965	2,611	ग्रामों की पञ्चीसवीं रिपोर्ट
18.	1975-76	14	2,870	1,01,632	57,290	1,857	" छन्दोत्तरी रिपोर्ट
19.	1976-77	15	3,931	1,36,677	94,071	2,846	" सताइसवीं रिपोर्ट
20.	1977-78	12	3,222	1,24,407	74,413	2,512	" अठाशवीं रिपोर्ट
21.	1978-79	15	4,673	1,39,794	98,576	4,391	" उत्तीर्णी रिपोर्ट

1. अग्रिमतार : स्थोल, संघ लोक गेया आयोग की चारिक रिपोर्ट ।

2. तालिका में कों प्रकार की नोकरियों के आँकड़े हैं—एक ये जिनमें भर्ती केवल लिपित परीक्षाओं के आधार पर हुई और दूसरी जिनमें लिए भर्ती लिपित परीक्षा और साधारणतार, दोनों के, आधार पर हुई । तालिका में पारीधानिक और टाइपिंग तथा भाषालिपि ती परीक्षाओं के नियार्थी भी शामिल हैं ।

3. कोण्ठन में दिए गए आँकड़े टक्कण-परीक्षाओं की जितरी दरहसि हैं ।

परिचित XV

संविधान की भाष्यों मुद्रणों ने दर्शन
भाषाओं का पर-पर्फॉर्मर

क्रम	भाषा	प्रत्येक शब्द					उत्तरी भाषा					दक्षिणी देश					परिचयी भाषा					पद-परिचय रण लोड							
		1	2	3	6	7	10	11	15	शृंग	1	2	3	6	7	10	11	15	शृंग	1	2	3	6	7	10	11	15	शृंग	
1	परस्परिया	3	2	1	4	—	—	—	8	—	—	—	5	1	—	—	—	4	1	3	2	1	21	2	—	—	—		
2	जारिया	1	6	3	—	—	—	1	3	4	—	—	1	4	1	—	1	—	4	—	—	1	9	6	12	1	—		
3	जहू	1	4	4	1	—	1	7	—	—	2	4	—	—	1	4	—	—	—	5	19	4	1	—	—	—	—	—	
4	कन्नद	—	—	2	8	—	—	—	8	—	1	4	1	—	—	2	2	1	—	1	6	5	17	—	—	—	—	—	
5	कामीरी	—	—	—	10	—	—	1	1	2	4	—	—	—	4	2	—	—	4	1	1	1	2	23	3	—	—	—	
6	गुजराती	—	1	4	5	—	—	1	5	2	—	—	2	4	—	—	3	1	1	—	—	3	5	14	9	—	—	—	—
7	तमिल	1	1	8	—	—	—	4	4	—	—	4	2	—	—	—	4	1	—	—	5	7	16	1	—	—	—	—	
8	सेलुग्.	1	5	4	—	—	—	—	7	1	—	2	3	1	—	—	—	1	4	—	—	3	9	16	1	—	—	—	—
9	पारावी	—	8	2	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	7	10	11	1	—	—	—	—
10	वाला	8	2	—	—	—	—	6	2	—	—	—	6	—	—	—	1	2	2	—	—	8	9	6	6	—	—	—	—
11	पराठी	—	—	8	2	—	—	—	2	6	—	—	4	2	—	—	4	1	—	—	4	7	16	2	—	—	—	—	
12	पश्चिमारब	—	6	4	—	—	—	5	3	—	—	3	2	1	—	—	2	3	—	—	3	15	11	—	—	—	—	—	
13	सरहद	—	—	—	4	6	—	—	7	1	—	—	5	1	—	—	4	1	—	—	1	5	4	18	1	—	—	—	
14	तिथी	—	—	—	10	—	—	3	—	5	—	—	3	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	20	9	—	—	—	
15	हिंदी	5	5	—	—	—	7	1	—	—	2	4	—	—	1	4	—	—	1	3	12	4	—	—	—	—	—		

सदर्भ और टिप्पणियां

1. संकलित : स्रोत : 1971 की जन-संख्या के आकड़े ।
2. इस विवरण में विभिन्न क्षेत्रों का गठन इस प्रकार है—
 - (क) पूर्वी क्षेत्र—(1) असम, (2) उड़ीसा, (3) ब्रिपुरा, (4) नागालैंड, (5) पश्चिम बंगाल, (6) बिहार, (7) मणिपुर, (8) मेघालय, (९) अण्डमान और निकोबार द्वीप, (10) अरुणाचलप्रदेश ।
 - (ख) उत्तरी क्षेत्र—(1) उत्तरप्रदेश, (2) जम्मू-कश्मीर, (3) पंजाब, (4) राजस्थान, (5) हिमाचलप्रदेश, (6) हरियाणा, (7) चण्डीगढ़, (8) दिल्ली ।
 - (ग) दक्षिणी क्षेत्र—(1) आध्रप्रदेश, (2) कर्नाटक, (3) केरल, (4) तमिलनाडु, (5) मिनिकाय, (6) पांडिचेरी ।
 - (च) पश्चिमी क्षेत्र (1) गुजरात, (2) मध्य प्रदेश, (3) महाराष्ट्र, (4) गोवा-दमन-दीव, (5) दादर नगर हवेली ।
3. संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम का अलग से वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि 1971 की जन-गणना के समय यह असम राज्य का एक जिला था ।
4. इस विवरण में सिक्किम शामिल नहीं है, क्योंकि यह 1975 में भारतीय संघ का वाइसर्वा राज्य बना ।

परिशिष्ट XVI

विवरण I

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिए संघातित परीक्षाओं में निवध और साधारण ज्ञान के पत्रों के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को विकल्प माध्यम के रूप में चुनने वाले प्रत्याखियों की संख्या

विधय	निवध				साधारण ज्ञान			
	1969	1970	1971	1972	1969	1970	1971	1972
परीक्षा का वर्ष	6507	6724	7619	8424	6396	6635	7514	8424
माध्यम एवं प्रत्याख्यान								
1 बहमिया	8	6	4	8	3	3	4	5
2 उडिया	18	12	15	16	15	8	6	9
3 उडू	22	19	19	16	10	8	12	9
4 कन्नड	11	3	10	9	9	2	8	6
5 बंगलोरी	—	1	—	2	—	—	—	—
6 गुजराती	17	23	28	34	17	20	27	33
7 तमिल	30	29	27	47	24	24	17	30
8 तेलुगु	27	14	10	20	20	9	6	17
9 पंजाबी	35	40	57	57	26	24	30	21
10 बंगला	106	84	91	90	68	46	54	46
11 मराठी	30	27	30	23	28	17	21	18
12 भलयालम	25	17	18	16	21	12	12	10
13 मस्तृत	—	1	—	1	—	1	—	1
14 सिंधी (दबनागरी लिपि)	1	—	—	—	—	—	—	—
मिथी (बंगली लिपि)	—	1	2	2	1	1	2	1
15 हिंदी	877	791	932	1148	630	458	539	648
कुल	1207	1068	1243	1489	872	633	738	854

परीक्षा में बैटन 18 55 15 88 16 31 17 68 13 63 9 54 9 82 10 14
 वाले कुल विद्यायिया
 का भाग (प्रतिशत में)
 जिहाने भारतीय
 भाषाओं को माध्यम चुना।

परिशिष्ट XVI
विवरण II

विषय	निवास						समान्तर जाग				
	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1973	1974	1975	1976	1977
परोक्षा का वर्ष											
परोक्षादियों की											
कुल संख्या	12610	14024	15492	17627	17359	18857	12412	13847	15238	17392	17242
मात्रायम्											
अग्निधिया	04	02	06	05	09	12*	02	01	05	03	—
बगरती	130	167	129	130	132	127	51	77	73	71	—
गुजराती	58	27	38	55	60	86	43	26	35	34	—
हिंदी	1556	1917	2098	2529	2891	3228	746	896	1046	1219	—
कण्ठी	11	15	08	21	21	42	07	08	05	15	—
कञ्चनीरी	04	02	01	—	01	01	01	01	—	—	—
मलयालम्	25	38	26	36	27	28	17	21	14	18	—
मराठी	34	50	47	61	67	98	24	38	33	43	—
उडिया	17	25	33	41	28	39	08	12	16	26	—
पंजाबी	96	113	152	169	223	297	46	45	67	59	—
सरदूल	—	—	01	01	04	—	—	—	01	—	—
सिंधी (देवग्रन्थी)	01	—	—	01	02	01	—	—	02	01	—
सिंधी (प्रेरिक)	04	01	02	—	01	05	04	—	—	—	—

विषय	निवाय						सामाय शान		
	हिन्दू	तेलुगु	कन्नड़	मलयालम्	बंगाल	श्री लंका	पश्चिम	उड़िया	जम्बूद्वारा
हिन्दू	56	76	115	133	161	205	40	50	83
तेलुगु	29	41	44	33	55	104	19	27	31
कन्नड़	41	32	46	38	56	80	11	17	26
मलयालम्	2066	2506	2746	3253	3735	4357	1019	1219	1437
बंगाल									1628
श्री लंका									
पश्चिम									
उड़िया									
जम्बूद्वारा									

परोंग मे शास्त्रिय हुस्त उम्मीदवारों के पूर्णावले ऐसे उम्मीदवारों का प्रतिशत जिहेने थेक्टिप्क भाषा का उपयोग किया

16.39	17.87	17.72	18.45	21.52	23.11	8.21	8.80	9.43	9.36
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------

पूर्वि वर्ष 1977 व 1978 मे भारतीय प्रशासनिक सेवा मे सामाय शान वी परीक्षा वर्तुनिध प्रश्नों थी थी, अत भाषा माध्यम का प्रश्न नहीं उठता।

प्रधारीरार तेलुगु, सत्ताइमरी, उ गीथी रिसाई, सर लोक सेवा आयोग, पृष्ठ 141, 94, 84 कमरा ।

परिशिष्ट XVII

विवरण 1

विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रकाशन/श्रोतृत विको में विकास

क्रम	भाषा	समाचारपत्रों की संख्या						श्रोतृत विको (लाख में)	1965-73
		1952	1958	1965	1973	1952	1958		
1.	मराठी	1256	1282	1730	1262	22.39	31.58	59.01	73.42
2.	हिन्दी	1556	1759	1685	1596	16.51	27.41	45.71	68.78
3.	मराठी	16	16	26	12	0.15	0.21	1.27	0.96
4.	उड़िया	63	84	68	56	0.97	0.99	1.77	1.91
5.	उर्द्दू	728	532	708	519	7.08	7.37	13.61	14.71
6.	गंगाधर	153	86	247	187	2.00	3.56	7.00	9.29
7.	पारामीरी	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	गुजराती	411	440	477	337	5.49	8.62	15.22	19.65
9.	तमिल	145	207	405	283	5.67	12.03	29.02	35.84
10.	तेलुगु	164	218	279	225	5.24	5.66	8.91	10.55
11.	पंजाबी	128	128	189	133	1.65	2.72	3.15	4.89
12.	चंगला	—	321	491	354	4.35	7.88	15.35	19.92
13.	गराठी	283	337	445	424	4.74	7.40	17.50	26.34
14.	गंगाधर	112	112	248	234	—	—	0.20	0.12
15.	सराजुल	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	सिंधी	—	—	—	—	—	—	—	1.04

वर्ष	भारा	समाचारपत्रों की संख्या				घोसित पिछो (लाख में)	घोसित विद्युति में वापिक वर्दि
		1952	1958	1965	1973		
17	दिवारी	—	—	581	473	—	—
18	बहुआधे	—	—	145	100	—	—
19	अ. प.	37	71	157	73	0.40	0.28
	कुल (अधिकतम)	5196	5352	7906	6316	80.52	128.18
						242.13	313.01
						13.71	11.00

- 1 1952 और 1958 के आनंद अवसरों हैं परत धंत में दिया गया गिरावं सही रहो है
 - 2 समाचारशर्तों में देनिक, राज्याधिक, पार्श्व और कै-समाजाहिक पद शामिल हैं
 - 3 लक्षणित प्रेस पर इनिया समाचारशर्तों के राजस्थान द्वारा प्रबन्धित बाबिल दिये गए

परिशिष्ट XVII

विवरण II

प्रकाशित पुस्तकों का विषय अनुसार विवरण

**प्रकाशित पुस्तकों की साहित्य रचना का केंद्रीय प्रायोजित श्रेष्ठम्
भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की साहित्य रचना का केंद्रीय प्रायोजित श्रेष्ठम्**

क्र. सं.	प्रिकाशन-संसंघी प्रिकाशन	भाषाए						हिन्दी हिन्दी	कुल कुल
		तेलुगू	मराठी	गुजराती	कन्नड़	मलयालम्	मराठी		
1.	छपि विज्ञान	—	—	80	62	76	2	7	—
2.	ज्ञानविज्ञान	6	7	—	—	—	4	—	—
3.	आगुविज्ञान	—	—	15	6	—	7	—	7
4.	जीव विज्ञान	2	—	—	5	—	—	—	—
5.	वर्गास्रति विज्ञान	33	18	15	14	22	1	—	56
6.	रसायन विज्ञान एवं जीव रसायन	21	31	37	26	27	7	3	209
7.	द्विनियरी	—	—	31	7	74	23	—	—
8.	गाधारण निज्ञान	—	—	—	7	8	—	35	197
9.	भू विज्ञान	22	11	4	10	5	5	—	1
10.	गृह विज्ञान	24	6	2	1	4	3	—	16
11.	गणित	36	40	27	26	31	7	14	89

क्र.	विभान एवं वर्धी	सं	विषय	भाषाएः											
				तंडुग	मासिया	शुचराटी	कन्द	मलयालम्	मराठी	उडिया	पञ्चाबी	तमिळ	बंगला	हिन्दी	कुल
12	चिकित्सा एवं कामेश्वी		—	—	29	11	12	3	—	—	5	—	—	29	89
13	भौतिक विज्ञान	29	28	27	37	51	3	24	9	57	6	79	350		
14	आरोग्य विज्ञान	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	
15	साहियनी	15	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	गण विज्ञानसाधन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	5	—	56	
17	ज्यु विज्ञान	29	9	9	7	21	1	3	1	62	—	5	2	7	
	कुल	217	161	283	219	331	62	71	19	356	25	432	2176		

प्रकाशित पस्तकों का विषय-अनुसार विवरण नम्रता:

नम्न	मानविकी एवं सामाजिक संसाधनों का विवरण	भारतीय अर्थव्यवस्था										गुल
		वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	वारदातेवार	
1.	वारदातेवार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	वारदातेवार	2	—	12	6	—	—	—	1	—	—	—
3.	प्राप्ति दरक्षितम्	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	माणिक्य	49	62	14	17	19	17	9	1	41	—	15
5.	अर्थव्यवस्था	34	22	45	28	37	12	7	3	63	—	14
6.	विद्वान्	—	14	21	25	14	4	16	7	6	—	50
7.	गुणोदय	18	15	10	15	4	1	5	3	12	1	53
8.	दरविहान् और तुरतरव्य	21	19	35	25	32	8	16	1	69	1	54
9.	प्रधानांश्चित्तः पृष्ठ मुख्य	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	281
10.	विद्विति	—	—	15	4	—	—	1	—	—	—	6
11.	पुस्तकालय विज्ञान	—	—	—	2	—	—	6	—	—	—	4
12.	वाया विज्ञान	—	—	36	2	—	—	—	1	—	—	7
13.	मानविकी एवं भौतिक समाजशास्त्रज्ञान	—	—	3	32	13	—	1	—	—	—	77
14.	वैद्यन्य विज्ञान	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8
15.	दर्शन और तांत्रिकव्य	16	23	28	14	8	5	16	1	3	—	7
16.	राजनीति शास्त्र एवं तोकः प्रशासन	20	28	15	21	15	11	5	9	36	7	66

क्र.	नामदिरोप एवं समाजिक संवित्त संबंधी विषय	भाषाएँ											
		तेलुगु	बंगलार्या	गुजराती	काश्मीर	महायात्रा	मराठी	उडिया	पश्चाती	तमिल	बांगला	हिन्दी	कुल
17	मनोवैज्ञान	9	—	20	14	3	4	—	—	10	—	14	76
18	समृद्धि	9	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	28
19	संगीत	—	—	—	17	1	7	—	—	—	—	3	28
20	सामाजिक वार्ष	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	33	42
21	समाज विज्ञान	12	7	6	20	—	3	2	—	—	—	—	50
22	शब्द संग्रह	—	—	—	—	—	—	16	10	—	—	—	26
23	विविध	16	6	36	43	5	55	4	33	8	103	241	
(क) मानविकी विषयों													
	का मिलान	190	206	268	297	20	94	154	46	273	25	597	2352
(छ) विज्ञान संस्कृती विषयों													
	का मिलान	217	161	283	219	331	62	71	19	356	25	432	2176
	कुल मिलान	407	367	551	516	533	156	225	65	629	50	1029	4528

मानोवैज्ञान दोतीव भारतीयों को शिखा का भाष्यम बनाने संबंधी वार्षिकारी श्रूप की रिपोर्ट, विष्वविद्यालय भनुदाम आयोग, मई दिवाली, 1978

परिशिष्ट XVIII

परिशिष्ट XVIII
विवरण I
फ़िल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित विभिन्न भाषाओं में
फ़िल्म चित्रों (फ़ीचर फ़िल्मों) का उत्पादन
(1947-1974)

प्रत्येक

भाषा भाषा
के परिसर
में जितेमा-
की

सं.	भाषा भाषा	सरकार																								
		1947	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1. हिन्दी*	186	115	100	102	97	118	126	123	115	116	121	120	109	94	93	113	107	108	85	74	100	104	121	134	141	135
2. बांगा	38	42	38	43	50	47	50	54	55	45	38	38	36	37	39	34	30	30	25	29	33	30	25	35	36	673
3. गुजराती	11	13	6	2	—	—	3	3	—	—	2	7	4	6	3	5	2	3	3	6	5	3	4	5	7	420
4. मराठी	6	19	16	17	21	18	12	13	14	16	10	15	15	21	16	18	14	12	20	17	16	19	23	13	14	11
5. तमिल	29	19	26	32	42	38	46	51	46	61	80	63	49	59	56	44	56	60	65	68	70	76	73	77	66	69
6. तेलुगु	6	18	20	25	29	27	24	27	36	46	54	55	58	46	41	50	41	61	77	59	71	85	73	74	69	1122
7. मन्दाराम	—	6	7	11	7	8	7	5	7	4	3	6	11	15	13	19	31	31	39	36	31	43	52	47	60	54
8. कन्नड़	5	1	2	1	7	10	15	14	14	11	5	12	12	16	22	18	21	21	24	36	44	38	33	20	32	30
9. अन्य भाषाएँ**	—	8	4	—	7	8	2	5	8	6	9	14	9	3	14	14	12	11	11	10	12	7	13	21	21	14
कुल	281	241	219	233	260	274	285	295	295	295	312	324	303	307	305	304	326	316	333	350	367	396	433	414	448	435

(क) * इतने उद्दृ, किंडुकानी, राजस्थानी, हरियाणवी, डोगरी, खोजपुरी, बंगली, भागडी और छत्तीसगढ़ी के कथा चित्र भी शामिल हैं।

(ख) ** 1974 से इसके प्रत्येक निम्न भाषाओं के चित्र शामिल हैं।

भाषा	कथा-चित्रों की संख्या	भाषा के दोनों में सिनेमाघरों की संख्या
(i) एथावी	4	119
(ii) फरमिया	3	190
(iii) मणिपुर	2	—
(iv) तुष्णी	2	—
(v) उड़िया	1	110
(vi) घासेजी	1	—
(vii) हरियाणवी	2	—
(ग) घगोचर	केंद्रीय फिल्म संसार बोर्ड, बन्दरही	—

परिशिष्ट XVIII

विवरण II

फ़िल्म सेंसर परिषद् द्वारा प्रमाणित भारतीय
चलचित्रों का सन् 1974 से 1980 तक भाषावार विभाजन

क्र.सं. भाषा	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1. हिन्दी उद्धृ.	135	120	106	134	122	114	145
2. आसानी	3	6	5	7	6	10	7
3. बंगाली	—	—	—	—	—	—	1
4. बंगाली	36	35	32	31	37	37	37
5. भोजपुरी	—	—	—	2	1	2	3
6. इंग्लिश	1	1	2	3	2	1	—
7. गुजराती	7	12	29	30	32	38	34
8. कन्नड़	30	39	45	49	54	59	68
9. कोकणी	—	1	1	1	1	—	2
10. मल्यालम	54	77	84	91	123	131	99
11. मणिपुरी	2	—	1	—	—	3	—
12. मराठी	11	17	10	19	15	19	28
13. उडिया	1	3	6	11	15	11	15
14. पंजाबी	4	5	10	12	8	15	6
15. तमिल	79	71	81	66	105	140	145
16. तेलुगू	69	88	93	99	94	133	152
17. तुलू	2	—	2	2	3	—	—
18. हरियाणवी	1	—	—	—	—	—	—
19. नेपाली	—	—	—	—	1	1	—
योग :	435	475	507	557	619	714	742

परिशिष्ट XIX
केंद्रीय सरकार द्वारा हिंदी भाषा में पत्र-व्यवहार

क्रम सं	वर्ष	राज्यों से हिंदी में कानून 4 के अनुसार संचालित (7) के हिंदी में भेजे गये आईडी कानून हिंदी में भेजे गये आईडी कानून प्राप्त पत्र उत्तर (3) के आईडी प्राप्त पत्र उत्तर (6) के आईडी का प्रतिशत	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1968-69	26487	08611	32 4	104287	35706	34 2		
2	1969-70	40177	16283	40 5	184258	86151	46 7		
3	1970-71	42791	16751	39 1	172489	66400	38 5		
4	1971-72	38114	18198	47 7	183494	48765	26 5		
5	1972-73	53965	20819	38 5	207297	50495	24 3		
6	1973-74	60945	23201	38 0	157868	38510	24 2		
7	1974-75	58001	27241	46 9	154928	40402	26 0		

स्पानरित राजभाषा हिंदी के बढ़ते चरण
(1965-75), गृह मन्त्रालय, पृष्ठ 20

परिशिष्ट XX

विवरण I

विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का शिक्षा
के माध्यम के रूप में इस्तेमाल

क्रम	भाषाओं के नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या
संख्या	(संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएँ)	पूर्व-स्नातक स्तर स्नातकोत्तर स्तर
1.	असमिया	—
2.	उड़िया	1
3.	उदू	6
4.	कन्नड़	3
5.	कश्मीरी	—
6.	गुजराती	6
7.	तमिल	2
8.	तेलुगु	3
9.	पंजाबी	3
10.	बंगला	4
11.	मराठी	6
12.	मलयालम	—
13.	संस्कृत	3
14.	तिथी	—
15.	हिन्दी	45 32

1. अगोकार · मध लोक नेवा आयोग की तेइसवीं रिपोर्ट, अप्रैल 1, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक, पृष्ठ 134-138

2. ऊपर की सूची में वे विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं जहाँ भारतीय भाषाएँ केवल पूर्व-विश्वविद्यालय श्रयवा इण्टर कोर्स के पहले वर्ष तक शिक्षा का माध्यम हैं।

परिशिष्ट XX

विवरण II

खेत्रीय भाषाओं का शिक्षा के
भाग्यम के लिए इस्तेमाल

क्रम	जोन वयवा पाठ्यक्रम का नाम	संचित नाम	कासम (3) से हज रोपों को खेत्रीय भाषाओं के भाग्यम से पहाने थाले विश्वविद्यालयों वी सम्भव
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बच्चनर थॉफ आट्स/बच्चलर थॉफ आट्स (ग्रानस) बला स्नातक/बला स्नातक (ग्रानस)	बी ए/बी ए (ग्रानस)	66
2	बच्चनर थॉफ साइम/बच्चलर थॉफ साइम (ग्रानस) विज्ञान स्नातक/विज्ञान स्नातक (ग्रानस)	बी एस-सी बी एस-सो (ग्रानस)	51
3	बच्चनर थॉफ कामर्स/बच्चनर थॉफ कामर्स (ग्रानस) वाणिज्य स्नातक/वाणिज्य स्नातक (ग्रानस)	बी काम/बी काम (ग्रानस)	55
4	मास्टर थॉफ नाट स/कला निष्पात	एम ए	41
5	मास्टर थॉफ साइम/विज्ञान निष्पात	एम एस-सी	20
6	मास्टर थॉफ कामर्स/वाणिज्य निष्पात	एम काम	31
7	बच्चलर थॉफ माइम (हिंदि)/ विज्ञान (हिंदि) स्नातक	बी एस-सी (हिंदि)	11
8	मास्टर थॉफ साइम (हिंदि)/ विज्ञान (हिंदि) निष्पात	एम एस-सी (हिंदि)	2

9.	पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक/ आशुवैदिक औपथ तथा शल्य- चिकित्सा स्नातक/	बी.बी.एस.सी. । बी.ए.एम.एस. ।	
	यूनानी औपथ तथा शल्य- चिकित्सा स्नातक/	बी.यू.एम.एम. ।	13
	शुद्ध आयुर्वेदिक औपथ स्नातक	बी.एस.ए.एम.	
10	वैचलर ऑफ फार्मसी/भेपजिकी स्नातक	बी.फार्म.	1
11.	वैचलर ऑफ लायक्री इंसाइंस/ पुस्तकालय विज्ञान स्नातक	बी.लायक.सा.	2
12.	व्यापार प्रबंध स्नातक	बी.बी.एम.	2
13.	लिलित कलाएं स्नातक	बी.एक.ए.	3
14	संगीत स्नातक	बी.म्यूचिक	7

- अंगीकार : क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के लिए इस्तेमाल करने पर कार्यकारी ग्रुप को रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, 1978-79.
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 1978 को 115 विश्वविद्यालयों में से 83 विश्वविद्यालय और संस्थान, जिन्हें विश्वविद्यालय का पद प्राप्त है, ऐसे थे, जिनमें विभिन्न स्तरों तक क्षेत्रीय भाषाओं का शिक्षा के माध्यम के तीर पर इस्तेमाल हो रहा था।

परिशिष्ट XXI

विवरण I

सन् 1968-69 से 1978 तक हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए
सहिदी-भाषी राज्यों की दी गई भारीपक सहभ्यता की राशि
(लाख रुपयों में)

	क्रम	राज्य अध्यया सम्पर्क	सन्	राज्य निवास	1968-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	(दिसंबर 78 तक)
1	ओमप्रदेश		40.55	49.00	56.22	82.27	102.00	86.43	9.00	27.00	40.00	65.00	20.00	20.00	20.00	
2	आगरा		11.40-	7.00	7.00	9.45	21.00	18.00	10.00	15.00	20.00	26.00	35.00	—	—	
3	उड़ीसा		10.00	7.00	8.95	18.24	25.00	21.00	12.00	28.00	50.00	32.00	50.00	—	—	
4	झनारिक		12.61	15.00	20.00	20.00	30.00	24.00	9.00	21.60	13.00	23.00	10.00	—	—	
5	केरल		—	13.00	13.00	12.50	35.00	25.00	3.00	33.00	106.75	68.00	70.00	—	—	
6	गुजरात		5.00	4.00	4.00	4.00	12.00	11.00	1.60	6.00	—	19.76	—	—	—	
7	समिसनाड़ी		—	—	—	—	—	—	—	—	4.75	5.00	—	—	—	
8	तिरुपता		—	—	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—	
9	नाशिलैंड		—	—	—	3.34	3.00	3.00	0.94	1.90	2.05	2.45	3.00	—	—	

परिशिष्ट XXI

परिणाम XXI
विवरण II

सन् 1968-69 से 1978 तक हिन्दी प्रधायको के प्रतिक्षण के लिए कार्तिक सोलने के लिए
भाहिंदी भाषों राज्यों को दो गयो भार्यिक सहायता की राशि
(लाख रुपयों में)

क्रम	राज्य प्रधायकों संख्या का नाम	1968-69	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	(दिसं 1978 तक)
1	आधिकारिक	0.44	0.80	1.20	1.47	1.40	1.20	0.38	0.60	—	—	—	—
2	अण्डाचन्द्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	असम	—	—	1.60	1.10	1.10	1.00	—	—	—	—	0.50	—
4	उडीया	0.38	1.35	1.00	1.78	1.80	1.50	—	—	—	—	2.00	1.50
5	बंगाल	1.03	0.75	2.00	2.60	2.50	2.00	—	—	—	—	—	—
6	कर्नाटक	2.99	4.00	3.40	3.80	4.00	3.59	1.32	0.18	0.60	2.00	—	—
7	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	हमिलनाडू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	तापांग	0.25	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	—	—	—	—	—	0.31

10.	पश्चिम बंगाल	0.53	0.75	0.75	0.85	0.85	0.75	—	—	—	—	—	0.24
11.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	0.20	0.33	1.00	1.00	—	—
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	0.57	1.33	3.30	2.00	—

शंगीकार : केंद्रीय शिया, समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक किसान मंत्रालय, नई दिल्ली । सन् 1968-69 का तारीख है, 1 अप्रैल, 1968 से लेकर 31 मार्च, 1969 तक की अवधि । 1969-70, 1970-71 आदि शेष वर्षों की अवधि भी इस प्रकार है ।

संदर्भ-ग्रन्थ (Bibliography)

इस ग्रन्थ सूची में दी गयी प्राय पुस्तकों के नाम पुस्तक के पूर्व अध्यायों में नागरी लिपि में दी गयी है जो चुने जा सकते हैं। यहाँ पर यह सूची अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में दी गयी है क्योंकि इसमें से अधिकाश पुस्तकों मूल रूप में अंग्रेजी में हैं और अंग्रेजी जानने वाले पाठक ही इन पुस्तकों को पढ़ सकते। अंग्रेजी भाषा में अनेक स्थानी पर हिंजबों और उच्चारण में भेद होते हैं जो कारण, सम्बव या कि इन पाठकगणों को नागरी लिपि में लिखी गयी अंग्रेजी पुस्तकों के नाम ढीड़ में समझने में कुछ कठिनाई होती।

- 1 Ahmad, Z A Comp
National Language for India A Symposium. Allahabad, Kitabistan, 1941
- 2 All India Language Conference, Modern India Rejects Hindi, Calcutta, 1958, 150 p
- 3 Andronov, M S
Dravidiske Yazyki
Moskva Nauka, 1965, 122 p 31 Tabl
(Akad Nauk SSSR)
- 4 Baraniko, P A
Problemy Hindi Kak Natsionalnoga Yazyka
Leningrad, Nauka, 1972, 186 p
- 5 Baziev, A T Isaev, MI
Yazyk i Natsia,
Moskva, Nauka, 1973, 246 p

- 6 Beloded, I.K.
Razvitie Yazykov Sozialisticheskikh Natsiy V
USSSR Kiev, Naukova Dumka, 1969, 305 p
7. Bhatnagar, Rajendra Mohan
Rashtra Bhash Aur Hindi
Agra, Vinod Pustak Mandir, 1961, 129 p
- 8 Bright, William.
Sociolinguistics : Proceedings of the University of California, Los Angeles/Sociolinguistics Conference, 1964. Ed by William Bright, Published under the auspicious of the Centre for research in languages and linguistics, University of California, Los Angeles.
The Hague-Paris, Mounton, 1966, 324 p.
9. Census of India, 1971
Language Handbook on Mother Tongue in Census,
Comp by R C. Nigam, New Delhi.
The Registrar General, India Ministry of Home Affairs,
1972, Census Centenary Monograph No. 10.
- 10 Chatterji, S.K.
Languages and Literatures of Modern India.
With a Foreword by C.P. Ramaswami Aiyar,
Calcutta, Bengal Publ., 1963.
11. Chatterji, S.K.
Languages and the Linguistic Problem.
Oxford, Oxford University Press, 1943.
12. Chernyshov, V.A.
Dialekty i Literaturnyi Hindi.
Moskva, Nauka, 1969, 141 p.
- 13 Dasgupta, J.
Language Conflict and National Development,
Berkeley, 1970.
- 14 Desheriev, Yu D.
Razvitie Mladopismennoykh Yazikov. Narodov SSSR
Moskva 1958.
15. Desheriev, Yu. D.
Sociolinguistics
Moskva, Nauka, 1977, 381 p.

- 16 Devanagari Lipi
New Delhi, Gandhi Smarak Nidhi
- 17 Diakov, A M
Natsionalnyi Vopros V Sovremennoi Indii
Moskva, Izd vost Lit, 1953 194 p
- 18 Durbin, M Micklin, M
Sociolinguistics Some Methodological Contributions
from Linguistics — "Foundations of Language", Vol 4,
No 3, 1968
- 19 Encyclopaedia Britannica, 1953
- 20 Encyclopaedia Britannica, 1953
- 21 Fishman, Joshua A
Language Problems of Developing Nations
Fishman, Jeshua A Ed/a o/New York/a o /Wiley/
1968/XV, 521 P
- 22 Gandhi, K L
Raj Bhasha — Samasya Aur Swarup (Research thesis
Meerut University, U P 1976-77)
- 23 Gandhi M K
Reminiscences of Gandhi ji
Bombay, Vora & Co
- 24 Gankovskiy, Yu V
Leninskie Printsipy, Reshenia Natsionalnogo Voprosa
V/SSSR i Strany Azii i Afriki — Narody Azii i Afriki"
No 6 Moskva, 1972
- 25 Grierson, G A
Languages of India, being a reprint of the Chapter on
languages to the report on the Census of India, 1901 together
with the Census statistics of languages, contributed by George Abraham Grierson, Calcutta, Superintendent of Govt Printing, 1903
- 26 Grierson, G A
Linguistic Survey of India, Delhi
Motilal Banarsi Das, 1967-68
- 27 Gujurat Government of Bureau of Economic & Statistics
Study of utilisation of educated persons
Ahmedabad, the Author, 1977

28. Gumpers, J. and Dasgupta J.
Language Communication and Control—In :
Language in Social Groups.
Princeton, 1971
29. Gumpers, John J.
Language in Social Groups
Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1971, XIV,
350 p.
30. Gumpers, John J
Types of Linguistic Communitions. In : "Readings in the
Sociology of Language", J.A. Fishman (ed)
The Hauge—Paris, 1968.
31. Homar, A.J. (Editor)
Wit and Wisdom of Gandhi, Boston, Beacon Press, 1951.
32. Haugen, E.
Linguistics and Language Planning "Sociolinguistics"
The Hauge—Paris, 1966.
33. India, Committee of Parliament of Official Language, 1957.
Report. New Delhi, Ministry of Home Affairs, 1959.
34. India, Constituent Assembly.
Debates. New Delhi. Constituent Assembly, 1949. Vol. 9.
35. India, Gazettee of India. Extraordinary,
January 8, 1968, New Delhi, Manager of Publication,
1968.
36. India, Indian National Congress.
Congress Bulletin, 1953 and 1954.
37. India, Linguistic Provinces Commission.
Report, New Delhi, Constituent Assembly of India. 1958
38. India, Lok Sabha
Debates. New Delhi, Lok Sabha Sectt.,
1959, 1963, 1965 and 1967.
39. India, Ministry of Education, Central Hindi Directorate,
Parivardhit Devnagari, Delhi. Manager of Publications,
1966.
40. India, Ministry of Home Affairs,
Annual Assessment Report 1968-70
Delhi, Ministry of Home Affairs, 1970

- 41 India, Official Language Commission
Report 1955-56 New Delhi, Ministry of Home Affairs,
1967, 495 p
- 42 India, Rajya Sabha
Proceedings Delhi, Rajya Sabha Secretariat 1976
- 43 India, Registrar General of Census Commission
Pocket Book of Population Statistics Census Centenary
1972, Delhi, the Author, 1972
- 44 India, Registrar of Newspapers
Press in India 1974 Eighteenth Report of the Registrar
of Newspapers for India under the Press & Registration
of Book Act Part I Delhi, Controller of Publications,
1975
- 45 Kodesia K
The Problems of Linguistic States in India Delhi, 1969
- 46 Labov, William
Sociolinguistic Patterns
Philadelphia, University of Pennsylvania Press/Cop
1972 XVIII, 344 p
- 47 Labov, W
The Study of Language in its Social Context—
In "Studium Generale", 23 1970
- 48 Language and Society in India ed by A Poddar
Simla, Indian Institute of Advanced Studies
- 49 Languages of India A Kaleidoscopic Survey
- 50 Macnamara, J
Problems of Bi-lingualism "Journal of Social Issues",
V 23 (2), 1967
- 51 Madan Gopal
This Hindi and Dev Nagri
Delhi, Matropolitan Book Co Ltd , 1953, 328 p
- 52 Maharashtra, Govt of Finance Deptt Manpower Wing
Pattern of Utilisation of educated persons Bombay, the
Author, 1966
- 53 Majumdar, A K
Problem of Hindi A Study Bombay, Bharatiya Vidyा
Bhawan, 1963, 165 p

54. Majumdar, R.C. Raychaudhuri, H C. & Datt, Kalikinkar
 Advanced History of India, 2nd Ed
 London, Macmillan, 1950. 1060 p
55. Magbul Ahmad, S.
 Languages and Society in India;
 Proceedings of A Seminar, Simla, Indian Institute of
 Advanced Study, 1969, 601 p
56. Meadows, A.J.
 Communication in Sciences
57. Misra, B B.
 Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times
 London, OUP. 1961, 438 p.
58. Mohan Kumaramangalam, S.
 India's Language Crisis; an introductory study.
 Madras, New Century Book House, 1965, vii, 122 p.
59. Nagari as World Script, Lipi-Seminar
 New Delhi, Gandhi Smarak Nidhi.
60. Nikolski, LLB
 Prognasirovaniia i Planirovanie Yazykovogo Razvitiya,
 Moskova, 1970
61. Nikolski, L.B
 Sinkhronnaya Soziolingvistika, Nauka, 1976, 166 p
62. Nilakanta Sastri, K A.
 History of South India, London,
 Oxford University Press, 1965, XII, 486 p
63. Prasad, B.N.
 'Hindi' in Languages of India, A Kaleidoscopic Survey
 Madras, Our India Distributors and Publications.
64. Rahul Sankratayan.
 Akbar.
65. Rayfield, J.R.
 The Languages of a Bilingual Community
 The Hague—Paris, Mouton, 1970, 118 p.
66. Regachev, P.M. Sverdlin, M.A.
 Natsia—Marod—Chelovechestvo.
 Moskva. Politizdat, 1967, 189 p.

- 67 Rubin, Joan
Can Language be planned Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations Ed by Joan Rubin and B H Jernudd Honolulu, The Univ Press of Hawaii/cop 1971, xiv, 343 p
- 68 Sakhrov, I B
Kratki Ocherk Ethicheskoi Geografii Indii—Vyp XIV
Strany i Narody Vostoka, Vol xiv, Moskva, 1972
- 69 Sbornik,
Induskoo Yazkoznanie,
Moscow, Nauka, 1978
- 70 Sbornik,
Novoe V Lingvistike Vypusk 6
Moskva, Izd Inostr Lit, 1972, 534 p
- 71 Sbornik, Novoe V Lingvistike Vypusk 7
Moskva, Izd Inostr Lit, 1975 485 p
- 72 Sbornik,
Problemy Izucheniya Yazykovoi Situatsii i Yazykovoi Vopros V Stranakh Azii i Severnoi Afriki
Moskva, Nauka, 1970, 233 p
- 73 Sbornik,
Yazyk i Obschestvo
Saratov, Izd Saratov Uni -1967, 284 p. 1970
228, p
- 74 Sbornik
"Yazykovaya Politika V Afro-Azritakikh stranakh"
Moskva, Nauka, 1977, 318 p
- 75 Sharma, Sarojini
Gaveshna Agra, Kendriya Hindi Sansthan, 1972
- 76 Shiva Rao, B
Framing the India's Constitution A Study
New Delhi, Indian Institute of Public Administration
1968, 894 p
- 77 Shor, R O
Yazyk i Obschestvo
Moskva, 1926

78. Spratt, P.
D. M. K. in Power. Bombay, Nachiketa, 1978,
164 p.
79. Tauli, V.
Introduction to a Theory of Language Planning.
Uppasala, 1968, 227 p
80. Townsend, W. C.
They found a common language.
New York, Harper, 1972, 124 p
81. Trevelan, Humphrey.
Diplomatic Channels, London, Macmillan, 1973.
82. Winreich. U.
Languages in Contact. Findings and Problems.
New York, Publication of the Linguistic Circle New
York No. I, 1953, 148 p.
83. Whiteley, W.H.
Language : Use and Social Change. Oxford,
Oxford Univ. Press. 1971.
84. Zhyrmunski, V.M.
Natsionalnyi Yzyk i Sozialnye Dialekty.
Leningrad, 1936.
85. Zograf, G.A.
Yazyki Indii, Pakistana, Tseilona i Nepala
Moskva, Izd, Vost. Ltd, 1960. 132 p.

□□□